राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम् सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या 11

शनिवार

दिनांक 10 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : प्रश्न संख्या 95।

श्री अध्यक्ष : आपको अधिकार है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : जी हां। लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष ; पुछिये

उदयपुर नगरपालिका द्वारा औषधालयों एवं विद्यालयों को अनुदान

95. **श्री टीकमचन्द कान्त**; (जालोर), [**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;–

(1) पिछले 5 वर्षों में उदयपुर नगरपालिका ने उदयपुर में चलने वाले विद्यालयों एवं औषधालयों को आर्थिक अनुदान कितना दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नगरपालिका के अपने वार्षिक बजट में इस प्रकार के कार्यों को सम्पन्न कराने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत इस पर व्यय करने की इच्छा रखती है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जिन जिन विद्यालयों एवं औषधालयों को आर्थिक अनुदान दिया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। 1979–80 में 1 लाख 26 हजार रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री टीकमचन्द कान्त : 1 लाख ....

श्री भंवरलाल शर्मा : 26 हजार।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसके पहले भी क्या कोई ऐसा व्यय करने का प्रावधान रखा गया था या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले भी रखा गया था।

Page No. 2

श्री टीकमचन्द कान्त : क्या राजस्थान की नगरपालिकाओं को ऐसा कोई निर्देश दे दिया गया है कि शिक्षा के मामले में और औषधालयों के मामले कोई नगरपालिका को कितना प्रतिशत अनुदान दे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नगरपालिका का विषय है।

श्री टीकमचन्द कान्त : प्रश्न यह है कि कि उदयपुर नगर सौंदर्यीकरण करने में तो करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं लेकिन विद्यालयों और औषधालयों के लिए इतना नहीं दिया जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पिछली बार भी ऐसा प्रश्न किया गया है। ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार के निर्देश दिये जा सकते हैं, इस प्रकार का कानूनी प्रावधान है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या सरकार ने नगरपालिकाओं को इस बारे में स्पेशल अधिकार दिया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रश्न में नहीं है। लेकिन ऐसे अधिकार दिये हैं।

श्री अब्दुल अजीज : निवेदन यह है कि 25 लाख रुपये की राशि इनके लिए है। जो स्पेशल अनुदान देते हैं....

श्री अध्यक्ष : नगरपालिका उदयपुर का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। कोई नगरपालिका अपना बजट बनाती है तो वह उसका उपयोग तभी कर सकती है जब कि स्वायत्त शासन विभाग उसकी जांच कर लें। इस मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने निर्देश दे दिया था ? नगरपालिका अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करती है या अनुदान देती है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात सही है, जो नगरपालिका का बजट बनता है, उसको यहां देखते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्री मूलचन्द डागा : श्री छाबड़ा हैं नहीं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के ट्रांसफर्स की नीति से सम्बन्धित है।

एक माननीय सदस्य : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान के शिक्षक इस बात के लिए हड़ताल पर गये हैं। जो नीति निर्धारित की है, उस पर नहीं चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन सा प्रश्न है ?

श्री मूलचन्द डागा : श्री गुरुशरण छाबड़ा का प्रश्न है 96 संख्या।

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टा बाद इस पर मेरा ध्यान आर्कषित कीजिएगा।

प्रश्न संख्या 96
श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(**अनुपस्थित** : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 97

श्री खेतसिंह राठौड़ ।

(अनुपस्थति : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 98

श्री समरथ लाल ।

(अनुपस्थति : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 99

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

(अनुपस्थति : कृपया आगे देखें)

श्री अब्दुल अजीज ।

मकराना में बड़े अस्पताल हेतु राशि का आवण्टन

100. **अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

डिस्पेन्सरी को अस्पताल स्तर तक क्रमोन्नत राज्य सरकार किस आधार पर करती है ? क्या मकराना में बड़े अस्पताल के लिए उपयुक्त राशि राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन); नगरपालिका या उप जिला मुख्यालय पर ही कार्यरत डिस्पेंसरी को योजना मद में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अस्पताल स्तर तक क्रमोन्नत करने के बारे में विचार किया जाता है ।

योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर मकराना के अस्पताल को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न संख्या 101

श्री अध्यक्ष : औंकारलाल चौहान ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बहादुरसिंह ।

नोहर क्षेत्र में बढ़ते हुए रेगिस्तान की रोकथाम ।

102. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नोहर क्षेत्र में भयंकर बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं तथा इसमें कहां तक कामयाब हुई है ?

(2) नोहर क्षेत्र में भयानक गति से बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या क्या योजना बना रही है ?

(3) पेड़ पौधे तथा वन लगाने में क्या राज्य सरकार किसानों को भी प्रोत्साहन देना चाहती है ? अगर हां, तो किस रूप में ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री वन (श्री हरिसिंह यादव) : (1) नोहर क्षेत्र में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए मरुस्थल विकास योजना के अन्तर्गत वन रोपण एवं चरागाह विकास के व्यापक कार्यक्रम चालू किये गये हैं । प्रगति-

Page No. 4

(श्री हरिसिंह यादव)

रत अग्रिम कार्य का ब्यौरा संलग्न है।

(2) क्रम (1) में वर्णित अग्रिम कार्य क्षेत्र में वन रोपण एवं चरागाह विकास कार्य सम्पन्न कराये जावेंगे।

(3) जी हां। फार्म फोरेस्ट्री योजना के अन्तर्गत किसानों के खेतों पर पेड़ लगा कर उनके संधारण के लिए अनुदान देने की योजना प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त राजस्थान टिनेंसी एक्ट में संशोधन के फलस्वरूप सार्वजनिक सड़कों के किनारे निकटवर्ती कृषक भी पेड़ लगा कर उससे फल इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त टिब्बा स्थिरीकरण गोगामेडी मेला स्थल में 50 हजार, गंवाई जंगल मुंसरी में 49 हजार, और फार्म फोरेस्ट्री में 20 हजार रुपये का प्रावधान नौहर तहसील में प्रगतिरत वन विकास कार्यों के लिए रखा गया है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री बहादुर सिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बारानी इलाके, जहां रेतीला इलाका है, पेड़ पौधे हैं नहीं, में वह क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री हरिसिंह यादव : अध्यक्ष जी, राजस्थान में फैले हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। उस कार्यक्रम को चलाने के लिए एक निदेशालय स्थापित किया गया है जिसका हैड क्वार्टर जोधपुर में रखा गया है।

इस निदेशालय के द्वारा 11 जिलों के अन्दर, जो रेगिस्तानी जिले हैं उनके अन्दर योजनाबद्ध तरीके से टीबों के स्थिरीकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, योजनाबद्ध तरीके से रेगिस्तान को रोकने की योजना सरकार अपने हाथ में ले रही है, जो आने वाले वर्षों में पूरी होगी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वनों की कटाई अभी भी आरम्भ है? तीस वर्षों से वनों का नाश किया जा रहा है। क्या आप वनों को नियन्त्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्या कोशिश कर रहे हैं?

श्री हरिसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह बात सही है कि भूतकाल में वनों का नाश हुआ है। आज हालत यह है कि पूर्ववर्ती क्षेत्रों में केवल चार प्रतिशत ही फोरेस्ट रह गए हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हू कि जो कुछ भी फोरेस्ट रह गये हैं, जो हमारे सामने हैं, जो जनता की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं और बहुत जरूरी हैं उनका योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जायगा। स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से वनों की कटाई की जाती है। वनों के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम को काफी तेज गति दी जा रही है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों के अन्दर वनों का तीव्र गति से विकास होगा। बिना स्टेट

(श्री हरिसिंह यादव)
ट्रेंडिग के वनों को काटने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर धरातल साफ हो गया और घास रह गया है वहां पर भी वन लगा कर सुरक्षा देने की गारन्टी देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोहर क्षेत्र में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने का स्पेसिफिक प्रश्न है, इसी पर चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर, ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विलम्ब से आई हूँ मेरा प्रश्न संख्या 99 लिया जावे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय ने क्वेश्चन नम्बर तीन में यह बात कही है कि किसानों को पौधे और पेड़ दिये जावेंगे लगाने के लिए। राजस्थान की परिस्थितियों में कौन से पेड़ उचित रहेंगे और आप कौन से देंगे ? मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो कम से कम फसल को नुकसान ही नहीं पहुँचाता है बल्कि खाद देता है। बाकी पेड़ फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। यही वजह है कि बाकी पेड़ को किसान अपने खेतों में नहीं रहने देते।

श्री हरिसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में यही निवेदन है कि रेगिस्तानी इलाके में टीबों के स्थिरीकरण के लिए जो पेड़ उपयुक्त हैं उन्हीं को लगाने की कोशिश की जायगी। कोई भी ऐसा पेड़ जो फसल को नुकसान पहुँचाता है, नहीं लगाया जायगा। लक्ष्य यह है कि जो पेड़, लगाये जायें वे जिन्दा रह सकें और उनसे फसलों को नुकसान नहीं हो। ऐसे पेड़ लगाने के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है जो खेती के लिए और किसानों की इकानामी के लिए उपयुक्त हों, उन्हीं का सलेक्शन किया जाता हैं और अनुसंधान के आधार पर ही वृक्षारोपण किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : 1978-79 में आपने जो बजट रखा है उस बजट के अन्दर क्या पाली जिला भी है ? यदि हाँ, तो उसके लिये कितनी राशि रखी गई है ?

एक माननीय सदस्य : 11 जिले कौन-कौन से हैं ?

श्री हरिसिंह यादव : 11 जिले इस प्रकार से है—गंगानगर, जोधपुर, पाली, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुन्झुनूं तथा नागौर।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : इतने थोड़े से पैसों से प्लाण्टेशन हो जायगा ?

श्री हरिसिंह यादव : जी हाँ। जिले हैं उनके लिए पर्याप्त राशि हमने रखी है। आशा है वनों का इससे विकास होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न—

श्री अध्यक्ष : इसके बाद । मैं चिकित्सा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न के बाद प्रश्न संख्या 99 की तैयारी कर लें ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का आपने नाम पुकारा तब वे उपस्थित नहीं थीं । यह आसन का अपमान है, मान्यवर, आपको अधिकार है अब यह प्रश्न नहीं लिया जावे ।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): आज आपने कन्सेशन दे दिया—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा हो जायगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह बिल्कुल यथार्थ है । माननीय सदस्या कुछ देर से आने की आदी सी हो गई हैं । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस तरह की छूट या रियायत की मैं अनुमति नहीं दे सकता । एक बार के लिए यह निर्णय हो गया है, इस पर आप मुझे पुनर्विचार के लिए बाध्य करना चाहें तो....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है ।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (**श्री भैरोंसिंह शेखावत**) : महिलाओं के अलावा बाकी किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता का जो आदेश मिला वह शिरोधार्य है ।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 103 ।

श्री गुलमोहम्मद ।

इण्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन आफिसर्स की भर्ती में अल्प संख्यकों का प्रतिनिधित्व

103. श्री **गुलमोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1978 में इण्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन आफिसर्स की भर्ती की गयी थी ? यदि हां, तो कितने आफिसर्स की भर्ती की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उन आफिसर्स में एक भी आफिसर अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं लिया गया ?

(3) उक्त पद के लिए कितनी दरख्वास्तें आईं ? उनमें से कितने व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के थे ?

Page No. 7

उद्योग मन्त्री (**श्री सूर्यनारायण चौधरी**): (1) जी हाँ। 1978 में 87 इण्डस्ट्रीज आफिसर की भर्ती की गई थी।

(2) जी नहीं। तीन आफिसर्स अल्प संख्यक समुदाय के लिये गये थे।

(3) कुल 5298 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें अल्प संख्यक समुदाय के 117 सदस्यों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह था कि कितने एक्टेन्शन आफिसर्स की भर्ती की गई थी ? यह आपने संख्या नहीं दी।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : 87।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : एक अल्पसंख्यक, जो लाखेरी बूंदी जिला का निवासी है जिसके नम्बर सवर्ण व्यक्तियों से अधिक थे, को नहीं लिया गया और अन्य व्यक्तियों को लिया गया। केवल यही नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार की तरजीह नहीं दी गई बल्कि अल्पसंख्यक होने के नाते अथवा किसी अन्य तरीके से किसी अन्य वर्ग की सिफारिश हो जाने के कारण उसको नहीं लिया गया। मैंने मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री का ध्यान भी दिलाया, उन्होंने नाम भी पूछा, मैंने नाम भी दे दिया। उन्होंने आश्वासन दे दिया लेकिन वह काम नहीं हुआ। कम से कम अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती बंद कीजिए। क्या मंत्री महोदय इस मामले में विचार करेंगे ?

श्री शिव चरण सिंह (बयाना) : ये जो अधिकारी लिए गए मेरिट्स के आधार पर लिए गए ? शुरू में कुछ फर्स्ट डिवीजनर्स लिए गए या अधिकतर फर्स्ट डिवीजनर्स लिए गए ?

श्री गुल मोहम्मद : ये जो तीन जने लिये गए उनके नाम क्या हैं ? उनका पर्सेंटेज भी बताइए ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : सैयद इकबाल हुसेन पुत्र सय्यद हुसेन। दूसरा सैयद अजीज पुत्र हमीद खां। तीसरा नाम मैं देख कर अर्ज करूंगा।

श्री शिव चरण सिंह : दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने बैकवर्ड क्लासेज में से भी लिए हैं ?

श्री अयूब. खां (तिजारा) : सैयदों के अलावा भी किसी को लिया है क्या ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अनुसूचित जाति के 14 व अनुसूचित जनजाति के 12 लिए गए हैं।

श्री शिव चरण सिंह : अदर बैकवर्ड क्लासेज ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उसका ब्रेक-अप नहीं है।

श्री शिव चरण सिंह : आप उनको सर्विसेज में नहीं लेना चाहते हैं ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ब्रेक-अप बताऊंगा।

Page No. 8

(व्यवधान)

श्री शिव चरण सिंह : मुसलमानों को आपने लिया है और अन्दर बैकवर्ड क्लासेज को इग्नोर किया है। नया फार्मूला बना कर आपने रामकिशन एम. पी. के लड़के को लिया है। डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से इस सिलसिले में झगड़ा हुआ है। किस प्रकार इन नियुक्तियों के अन्दर घपला हुआ है।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या यह सही है, श्रम मंत्री ने सदन में कहा था कि अदर बैकवर्ड क्लासेज के व्यक्तियों को भी नौकरी में आरक्षण देने का प्रश्न कैबीनेट के विचाराधीन है और जल्दी ही अगस्त माह में निर्णय लिया जाएगा ? अभी 8 महीने हो गए, क्या सरकार ने इस पर निर्णय लिया ? नहीं लिया तो सरकार इस पर विचार कर रही है ? नहीं कर रही है तो क्यों नहीं ? क्या अदर बैकवर्ड क्लासेज के बारे में सरकार विचार करना नहीं चाहती ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यदि आप इस सम्बन्ध में जानकारी चाहेंगे तो मैं दूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : मेरिट्स के आधार पर लिया है या जातिवाद के आधार पर ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : कुछ विशेष जाति के अपाइंटमेंट्स हुए हैं। आपके प्रशासन में 1½ साल से पूर्ण जातिवाद चल रहा है ऊपर से नीचे तक। इन इंडस्ट्रियल एक्सटेन्शन अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर झगड़े हुए, आपको इन्टरवीन करना चाहिए था। दूसरे विभागों में, पी. एस. सी. में भी जातिवाद चल रहा है। जो नेग्लेक्टेड लोग हैं, डाउन ट्राडन हैं, जिनके लिए आपके घोषणा पत्र में, संविधान में गारंटी है उनको आप प्रोत्साहन नहीं देना चाहते।

ी राम नारायण चौधरी : क्या यह सही है कि ये तीन जने जो अल्पसंख्यक जाति के सलेक्शन में आए हैं ये अपने मेरिट्स के आधार पर आए हैं न कि किसी प्रकार की रियायत या रिजर्वेशन के आधार पर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिए, आपने इनके लिए रिजर्वेशन रखा था ?

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आप अपने घोषणा पत्र पर कायम रहना चाहते हैं या नहीं ? आपने अपने घोषणा पत्र में जनता को विश्वास दिया उसके अनुसार काम करना चाहते हैं या उनके साथ विश्वासघात करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री शिव चरण सिंह : आपकी नीयत साफ है इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप अदर बैकवर्ड क्लासेज को भी लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : मैंने जानकारी की थी। केवल फर्स्ट डिवीजन वालों को लिया, बाद में सब सैकिण्ड और थर्ड डिवीजन वालों को निकाला। मैं जानना चाहूँगा कि सब फर्स्ट डिवीजन वालों को लिया है या सैकिण्ड और थर्ड डिवीजन वालों को भी लिया है ?

श्री शिव चरण सिंह : रामकिशन एम. पी. का लड़का कौन से डिवीजन में पास है ? थर्ड डिवीजन में है। उसको लिया गया। नतीजे निकलने वाले थे अपाइन्टमेंट्स के वह नहीं निकाले और रामकिशन के लड़के का निकाला, वह थर्ड डिवीजनर है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जितनी [illegible] निकालते हैं उसमें हजारों लड़के आते हैं। हजारों लड़कों में से मेरिट्स के आधार पर नहीं लेते हैं, सिफारिश के आधार पर लेते हैं तो उन हजारों लड़कों में रिजेंटमेंट होता है। आपको जिनको लेना है लीजिए लेकिन 8–10 हजार लड़कों को इन्टरव्यू के लिये बुला कर फिर उनमें से सिफारिश के आधार पर लें यह बुरी बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रावत राम।

श्री शिव चरण सिंह : सब इन्सपेक्टर्स का पी. एस. सी. में इन्टरव्यू चल रहा है। मंत्री स्तर के लोग वहां जोर लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि पी.एस.सी. के सदस्यों को मंत्रियों ने सिफारिश की है तो मैं आपको चुनौती देता हूँ आप उस मंत्री या सदस्य का नाम बताइए।

श्री शिव चरण सिंह : मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, अगर नहीं बताऊँ तो त्याग पत्र दूंगा। अगर आपमें हिम्मत हो तो कुछ करिए। कालवीजी अजमेर गए और 10दिन वहां रहे हैं। उन्होंने सिफारिश की है। मैं नाम बता दूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ये जो सब-इन्सपेक्टर्स की लिस्ट में हैं सारे नाम बता देंगे।

श्री शिव चरण सिंह : मैं उन लड़कों के नाम बताऊंगा जिनके थर्ड क्लास नम्बर थे और बाद में सैकिन्ड क्लास नम्बर दिए गए। एडीशनल आई. जी. श्री अमर सिंह बिल्कुल ईमानदार हैं। उनका मेरा साथ रहा है। उनको ह्यूमीलियेट किया गया। उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, यह बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताइये, मैं चैलेन्ज कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आपके पर्चे तक आउट हो जाते हैं। आम जनता की राय हम आपके सामने रखते हैं। आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ध्यान सब दिया हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
की नियुक्ति आप लोगों ने की थी। वह नियुक्तियां कोई इस सरकार ने नहीं की थीं।

श्री **शंकरलाल** : अगर नियुक्तियां उस सरकार ने की थीं तो क्या घपले होते रहेंगे और आप बरदाश्त करते रहेंगे ?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेंगे इस बात को।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकर्त्ता श्री गुल मोहम्मद।

श्री **शिवचरण सिंह** : पहले जो भी चैयरमेन रहे हैं श्री देवी शंकर जी तिवाड़ी जब थे तो सारे ब्राह्मण वहां पर अपाइन्ट हुए। जो भी उनके अलावा अध्यक्ष रहे उनके जमाने में अपने-अपने ही आदमियों के अपाइन्टमेंट्स हुए हैं। आप पूरी पी.एस.सी की जांच कराइये। कुछ कराओ तो सही।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आप कुछ दो तो सही।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्नकर्त्ता श्री गुल मोहम्मद।

श्री **शंकरलाल** : इसमें बड़े घोटाले हो रहे हैं। अत्याचार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री **गुल मोहम्मद** : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा इतना सा ही है कि जो 87 आफिसर्स की भर्ती की गयी है क्या यह मैरिट्स के आधार पर की गयी है ? यदि हां, तो मैरिट्स का आधार क्या था ?

श्री **मंजूर अली** (सवाई माधोपुर) : और क्या कोई थर्ड डिवीजनर भी इसमें सलेक्ट किया गया है ?

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, निदेशालय के तीन आदमियों की एक कमेटी थी। रिटन टैस्ट हुआ....

श्री **मूलचन्द डागा** : इसमें रिटन टैस्ट दस मिनट का हुआ। क्या यह सही है कि एक प्रश्न रखा गया और 10 मिनट का रखा गया ?

(व्यवधान)

श्री **नूरा** : क्या मैरिट के आधार पर लिया गया, यह बता दें ?

श्री **मूलचन्द डागा** : रिटन टैस्ट कितने मिनट का लिया ? मुझे जानकारी है कि केवल दस मिनट का रिटन टैस्ट लिया गया।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय श्री डागा, मैं आपके सप्लीमेन्ट्री की डिसअलाउ करता

Page No. 11

(श्री अध्यक्ष)

हूँ। माननीय सदस्य, I am very very sorry. माननीय सदस्य, आपका प्रश्न था। आप फिर पूछिये। मैरिट के आधार पर डाइरेक्ट क्वेश्चन है।

श्री **गुल मोहम्मद** : मेरा यह निवेदन था कि 87 जो आफिसर्स की नियुक्ति की गयी है क्या वह मैरिट के आधार पर की गयी है ? यदि हां, तो मैरिट का आधार क्या था ?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सारा सलेक्शन मैरिट के आधार पर होता है।

श्री **गुल मोहम्मद** : मैं सदन के माननीय नेता महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूँ····

(व्यवधान)

श्री **मूलचन्द डागा** : आपका मैरिट का क्या आधार है ?

(व्यवधान)

इन्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन आफिसर्स के लिये मैरिट क्या रखी थी आपने, यह बताइये ?

श्री **गुल मोहम्मद** : मैंने उस लिस्ट में देखा है कि मैरिट्स के आधार रर 15 अल्प संख्यक आफिसर्स नियुक्त किये जाते लेकिन सिर्फ 3 को ही लिया गया है। फिर यह मैरिट कहां रहा ?

(व्यवधान)

श्री **शंकरलाल** : इसकी जांच कराई जायेगी निष्पक्ष रूप से, इस का मुख्य मन्त्री महोदय आश्वासन दें।

श्री **मूलचन्द डागा** : क्या सदन के सदस्यों की एक कमेटी के द्वारा इसकी जांच कराई जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय श्री रावत राम।

विपक्ष की ओर से प्रश्न नहीं होगा। दो प्रश्न शासन की ओर से होंगे और अवश्य होंगे। दोनों शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्य पूछें। पहले माननीय श्री रावत राम।

श्री **मंजूर अली** : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री सवाल है। मैं भी अल्पसंख्यक का सदस्य हूँ इसलिए मुझे एक सप्लीमेन्ट्री सवाल पूछने की इजाजत दें।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तमाम सलेक्शन मैरिट्स पर किये जाते हैं यह सूचना आप हाउस को दे रहे हैं। निहायत अफसोस है कि एक फर्स्ट डिवीजन पास है मैं उससे मिला तो वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं 1974 से रजिस्टर्ड हूं और फर्स्ट डिवीजन हूं फिर भी आज तक मुझे चपरासी तक नहीं रखा गया है····

(विराम)

श्री **अयूब अली** : तीन लिये हैं, तीनों ही सैयद हैं। हमारे तीन आदमी लेते तो हम तो सवाल ही नहीं करते।

Page No. 12

श्री **मंजूर अली** : आप थोड़ा गौर फर्मायें।

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट ! श्री रावत राम !

श्री **रावतराम** (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अपाइन्टमेन्ट्स किये गये हैं इसमें यही विवाद है कि इसमें बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं लिए गए। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के 12 आदमी लिए गए, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 14 आदमी लिए गए। हमारे यहां जो रिजर्वेशन है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। उनके तो पूरे आदमी ले लिए गए और अल्पसंख्यकों के भी आदमी इसमें आये इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई धांधली हुई है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि यदि मैरिट्स के आधार पर नियुक्तियां की गयीं तो यह जांच करने के काबिल है। रिटन टैस्ट लिया गया और इन्टरव्यू के आधार पर नियुक्ति की गयी है तो इसमें जांच का प्रश्न पैदा होता है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री श्रवणलाल।

(व्यवधान)

श्री **शिवचरण सिंह** : इसके दौरान में उम्मेद सिंह जी ने····

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आप सारा समय मोनोपोलाइज कर रहे हैं।

श्री **मूलचंद डागा** : इस सारी बात की जांच की जाये। यह बिल्कुल अन्याय हुआ है। आपके मैरिट का क्या क्राइटेरिया था ?

(व्यवधान)

श्री **शंकरलाल** : इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप जांच क्यों नहीं करवाते ?

(व्यवधान)

श्री **शिवचरण सिंह** : सारा जातिवाद हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, श्री श्रवणलाल !

श्री **मुन्नलाल संगचा** (रायपुर) : यह गम्भीर मामला है। राजस्थान के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लड़के यहां इन्टरव्यू के लिए आये। जिनको लेना था उनको ले लिया बाकी को न मैट्रिक लिया और न किसी और आधार पर। इसलिए यह जांच का मामला बनता है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री श्रवणलाल ।

श्री **श्रवणलाल** (हिण्डोन) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता महोदय से एक जानकारी चाहता हूं। उन्होंने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया कि मैरिट के आधार पर लिये जाते हैं। सवाल यह नहीं

(श्री श्रवण लाल)

है। सवाल यह है कि जो 87 व्यक्ति लिये हैं, क्या वह मैरिट के आधार पर लिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : मैरिट के आधार पर पर लिये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योप्रताप सिंह मकासर : चैलेन्ज की बात नहीं है, जांच कर लीजिये। हम कहते हैं मैरिट के आधार पर नहीं लिये। जांच कीजिये। उद्योग मन्त्री जी बैठे हैं जांच कर लीजिये····

श्री मूलचंद डागा : 10 मिनट के लिये रिटन टैस्ट लिया····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य. नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री मूलचंद डागा : इस क्वेश्चन पर हाफ एन आवर डिस्कशन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हो गई चर्चा। नियमों के अन्तर्गत उठा सकते हैं।

कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा, जयपुर में चिकित्सा सुविधा

99. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर के अंचल में बसे हुए ग्राम कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा में तथा उसके आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार वहां कोई चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचंद जैन) : जी नहीं, इस क्षेत्र के पांच मील की परिधि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

श्री मूलचंद डागा : आपने कहा था, आधे घण्टे बाद याद दिलाना। वह क्वेश्चन बहुत जरूरी था....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मन्त्री महोदय से पुनः पूछना चाहती हूं कि कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा की बस्ती, गंगापोल, मालियों का मोहल्ला, खाचरियावास की बस्ती, क्या यहां पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं ? 35 हजार आदमी वहां बिना चिकित्सा सुविधा के रहते हैं। जल महल का सारा एरिया मच्छरों से परेशान है। राम चन्द्रजी की चौकी का जाकर नाला बहता है, उन लोगों की चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ?

श्री त्रिलोक चंद जैन : कागदीवाड़ा आमेर रोड पर बस्सी रामपुरा के पीछे के क्षेत्र में है। यहां से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर एक एड पोस्ट है। इसी एरिया में आयुर्वेदिक महाविद्यालय है उसका भी आयुर्वेदिक औषधालय है। इस एरिया में मोती कटला और सिरे ड्योढ़ी पर डिस्पेन्सरियां हैं। इस प्रकार चार-पांच डिस्पेन्सरीज हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां डाक्टर जाते नहीं हैं, वहां कोई डाक्टर की नियुक्ति

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं है। कम्पाउण्डर साहब हैं उनके दर्शन नहीं होते हैं। कागदीवाड़ा और छिपीवाड़ा पहाड़ के नीचे का इलाका है। यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय यातायात मन्त्री महोदय से भी निवेदन है कि यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा मन्त्री चिकित्सा की व्यवस्था करें। वहां औषधि उपलब्ध नहीं होती। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के लिए कहना चाहती हूं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर इस सदन को गुमराह किया जाता है।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : 35 हजार पापुलेशन है उसमें से 70 पर्सेन्ट पिछड़ी जाति के लोग हैं उन लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिये....

श्री **मूलचंद डागा** : क्वेश्चन नं० 96 के लिए आपने फर्माया था। आधे घण्टे बाद याद दिलाने के लिए फर्माया था।

श्री **अध्यक्ष** : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे। वहां अस्पताल के लिये मैंने कमरा बनवा दिया है और सारी पूरी तैयारी है। जैसा अभी नारंगी देवी ने कहा है 70 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं उनके लिये चिकित्सा व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री **त्रिलोकचन्द जैन** : एक किलोमीटर पर एड पोस्ट है। जैसा माननीय सदस्या ने ध्यान दिलाया है, जो अव्यवस्था है वह अव्यवस्था दूर कर दी जायेगी।

श्री **मूलचंद सामरिया** : हमारा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री **गुल मोहम्मद** : यह 96 नम्बर का प्रश्न लिया जाना चाहिये ....

(व्यवधान)

श्री **मूलचंद डागा** : अध्यक्ष महोदय ने हुकम किया है, सारे राजस्थान में ....

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एजिटेट मत करिये।

प्रश्न सख्या 104

श्री **रानेश्वर प्रसाद**।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री **मूलचंद सामरिया**।

राज्य में यूरिया खाद की कमी

105 श्री **मूलचंद सामरिया (दोसा)**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि राज्य में यूरिया खाद विशेष कर श्री राम यूरिया कोटा खाद की कमी रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले की राजस्थान खाद फैक्ट्री से आवंटित कोटे के अतिरिक्त मांगों के अनुसार खाद दिये जाने के आदेश राज्य सरकार ने दे रखे हैं ? यदि हां, तो क्या एवं क्या यह उचित है ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह यादव): (1) प्रदेश में यूरिया खाद की कमी नहीं

(श्री हरिसिंह यादव)

रहती । जहां तक श्री राम यूरिया का प्रश्न है उसका प्रत्येक फसलों के लिये आवंटव आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किया जाता है एवं उसी के अनुसार यूरिया उमलब्ध कराया जाता है ।

(2) इस प्रकार के कोई आदेश राज्य सरकार ने नहीं दिए हैं ।

श्री **मूलचंद सामरिया** : क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को जितनी आवश्यकता होती हैं उतना यूरिया आवंटित किया गया है ?

श्री **हरिसिंह यादव** : भारत सरकार वर्ष में दो बार फर्टीलाइजर के वितरण के लिये मीटिंग बुलाती है । उस मीटिंग में प्रत्येक सरकार यह जानकारी देती है अपने अपने प्रदेश की कि कितना क्षेत्र बोया गया, खरीफ या रबी में, उसके हिसाब से कितने फर्टीलाइजर की आवश्यकता पड़ती है । कितना फर्टीलाइजर उपलब्ध है । उस सारी मांग को देख कर उसकी विभिन्न प्रांतों के लिये व्यवस्था की जाती है । इस प्रकार से जो यूरिया भारत सरकार राजस्थान को आवंटित करती है, फिर हम जिलेवार इसी के अनुरूप कितनी फसल है, कितनी मांग है, इसको आधार मान कर वितरित करते हैं ।

श्री **मूलचंद सामरिया** : आपने पूरी प्रक्रिया बता दी । मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या किसानों को उपयुक्त समय पर आवश्यकता के अनुकूल आपने यूरिया की व्यवस्था कर दी थी, यह सीधा प्रश्न है ।

श्री **हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, खाद वितरण करते वक्त पूरा कोटा दे दिया गया था ?

श्री **हरिश शर्मा (रामगंज मण्डी)** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कैमिकल उद्योग, कोटा राजस्थान से बाहर अधिक मूल्य पर खाद भेजता है जब कि उसकी क्षति कोटा के किसानों को भुगतनी पड़ती है ? उसका जो नाला है, उसका पानी पीकर हजारों पशु मरते हैं । क्या सरकार इस बारे में गम्भीर रूप से सोचती है ?

श्री **राम किशोर मीणा (सिकराय)** : श्री राम यूरिया खाद का ब्लैक हुआ, कुछ मामले पकड़े गये ....

श्री **मूलचंद सामरिया** : मंत्री जी को किसान समझ कर मंत्रिमण्डल में लिया गया है इनको पता है ....

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है उसकी पूर्ति होना बहुत कठिन है ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह है इस में, चोर बाजारी हुई कि नहीं ?

श्री **अध्यक्ष** : समानान्तर चल रहे है, और कुछ पूछना चाहते हैं ।

प्रश्न संख्या 96

श्री गुरु शरण छाबड़ा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आपने कहा, मैंने पूछा नहीं। अब मैं क्या करूं, नहीं हैं तो।

श्री **मूलचंद डागा** : श्रीमान्, कोई प्रश्न महत्वपूर्ण हो तो।

श्री **अध्यक्ष** : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न संख्या 106

श्री **बजरंगलाल**।

(अनुपस्थित ; कृपया आगे देखें)

श्री **हीरालाल आर्य**।

सहायक कृषि अधिकारियों की वेतन शृंखला में समानता

107 श्री **हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सहायक कृषि अधिकारियों में पदोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा आये हुए व्यक्तियों की वेतन शृंखला में अन्तर है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) सहायक कृषि अधिकारियों के एक ही प्रकार के काम होते हुए भी वेतन मानों में विसंगति का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार सीधी भर्ती तथा पदोन्नत सहायक कृषि अधिकारियो के वेतनमानों की विसंगति को दूर करने के शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह यादव): (1) जी नहीं।

(2) कृषि स्नातकों का तकनीकी ज्ञान कार्य के लिये अधिक उपयोगी है अतः उनके लिये ऊंचा वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

(3) जी नहीं।

श्री **हीरालाल आर्य** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी भर्ती से आने वाले सहायकों को कितना पैसा मिलता है ?

श्री **हरिसिंह यादव** : मान्यवर, कृषि स्नातक, जो सीधी भर्ती से आते हैं, उनका 550–1010 का वेतनमान है। जो 25 प्रतिशत प्रमोशन कोटा है जिन पर ग्राम सेवकों से पदोन्नत किया जाता है उनकी योग्यता कृषि स्नातक के बराबर नहीं होती है, उनको 470–830 का वेतन मान दिया जाता है।

श्री **हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, प्रमोशन से आने के बाद काम तो वही करते हैं। समान काम होते हुए जो प्रमोशन से आते हैं, उनके साथ यह अन्याय है कि उनको बराबर का वेतन नहीं मिलता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विसंगति को दूर किया जायगा ? समान काम के लिये वेतन मिलना ही चाहिए। क्या मंत्री महोदय इससे सहमत नहीं हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा।

श्री **हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, काम तो बराबर करते हैं। प्रमोशन से आते हैं वे भी तो सरकार से ही आते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात वाजिब है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या 108

श्री बालचंद आर्य।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मोहम्मद जहूर।

भरतपुर के एडीशनल एस. पी. एवं थानेदार कामां के विरुद्ध रिश्वत का मामला

109 श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1978 में भरतपुर के एडीशनल एस.पी. श्री मुरारी लाल गर्ग व श्री राम गोपाल पारीक, थानेदार कामां रिश्वत लेने के मामले में मुअत्तिल किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस मामले की पूरी जांच किये बगैर ही उनको बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त मामले की जांच किस प्रकार की गई ? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त थानेदार श्री रामगोपाल पारीक को पुनः भरतपुर क्षेत्र के थाना कुम्हेर में नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसको उसी जिले में लगाने का क्या अर्थ है ?

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस प्रकरण का अनुसन्धान करने पर आरोप प्रमाणित नहीं हुए अतः उन्हें बहाल किया गया। अनुसन्धान के फलस्वरूप जो फाइनल रिपोर्ट दी गई थी उसे विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक मामलात ने भी स्वीकार किया है।

(3) इस मामले की प्रारम्भिक जांच पुलिस अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई थी। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध संख्या 12/76 अन्तर्गत धारा 120, 342, 323, 161, आई. पी. सी. 5(1) (डी (2) पी. सी. एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया। अनुसन्धान से जुर्म प्रमाणित नहीं हुए। अतः अदम सबूत फाइनल रिपोर्ट दी गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। जांच का निष्कर्ष जो अन्तिम प्रतिवेदन में अंकित है वह सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) श्री रामगोपाल पारीक का भरतपुर जिले से बाहर स्थानान्तरण नहीं किया गया था अतः पुनः जिले में लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, यह जांच का विषय काफी लम्बा चौड़ा होता है। शहादतें भी ली गई हैं लेकिन जब बहाल कर दिया गया तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अन्तिम निर्णय करने से

(श्री सम्पत राम)

पूर्व माननीय जहूर साहब से भी भ्रष्टाचार विभाग के अधिकारियों ने सीधा सम्पर्क कर लिया था। आपने भी कोई नये तथ्य नहीं बताये। इसलिये अब कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री **मोहम्मद जहूर** : मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहूंगा, इसमें यह लिखा है कि इसके अलावा गवाह मुखाराम भूरा व हरीसिंह के बयान भी इनकी साक्ष्य के मुकाबले में ज्यादा ठोस व विश्वसनीय व स्वाभाविक हैं जिन्होंने बताया है कि दिनांक 14-2-78 से 18-2-78 तक की अवधि में उन्होंने थाने में किसी भी मेव को बैठे हुए नहीं देखा।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, जांच हुई है जिसे सैशन जज ने एक्सेप्ट की है। उसके मैरिट और डिमैरिट पर कोई जवाब दूं, यह राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है।

श्री **गुलमोहम्मद** : अध्यक्ष महोदय, राम गोपाल थानेदार को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेन्ड किया गया था फिर उसको उसी जिले में लगाने की क्या आवश्यकता थी? दूसरे जिले में भी लगाया जा सकता था। उस जिले में जो आक्रोश पैदा हो गया है उसके प्रति तो फिर उसी जगह उसको क्यों लगाया गया है?

श्री **सम्पत राम** : कोई आवश्यक नहीं है। जो जांच हुई है उससे आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री जगदीश चन्द्र शर्मा।

राजदलेसर (रतनगढ़) की जलदाय योजना तथा सरकारी दरों में असमानता

110. श्री **जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील के जलेश्वर कस्बे में राजकीय जलदाय योजना के अतिरिक्त दो अतिरिक्त जलदाय योजनायें भी चल रही हैं और उनकी रेट सरकारी दरों से भी अधिक है? यदि हां, तो क्या इन दोनों निजी जलदाय योजनाओं को चलाया जाना अवैध नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों निजी जलदाय योजनाएं राज्य सरकार के बिना किसी अनुबन्ध के चल रही है? यदि हां, तो उन अवैध जलदाय योजनाओं के व्यवस्थापकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हां, मौजूदा राजस्थान जल प्रदाय नियमों के अनुसार यह अवैध नहीं है।

(2) जी हां, मौजूदा राजस्थान जल प्रदाय नियमों में इस बाबत कोई प्रावधान नहीं होने के कारण व्यवस्थापकों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री **जगदीश चन्द्र शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

से इस प्रकार का कोई अनुबन्ध हुआ है कि यह जलदाय योजना प्रारम्भ कर दी जायगी ? इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या ?

श्री **महबूब अली** : माननीय अध्यक्ष, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ हो नगरपालिका का, यह मेरे पास जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जानकारी करके सूचना दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उउला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि इसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय दे नहीं पाये हैं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री शिव नारायण।

श्री **जगदीशचन्द्र शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट संस्था से इस प्रकार का कोई अनुबन्ध किया गया है, यह जानकारी करने के बाद अन्तिम जवाब दें।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय प्रश्नकर्त्ता, इस प्रश्न को स्थगित कराना चाहते हैं क्या !

(व्यवधान)

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो नागरपालिका का एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिये। जो दो योजनायें प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चल रही हैं क्या वे राज्य सरकार के नियमानुसार चल रही है ? किसी अनुबन्ध के हिसाब से चल रही हैं ? अनुबन्ध की जानकारी भी राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं की है। इसलिये इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री **महबूब अली** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य से, यह जानना चाहते हैं कि प्राइवेट संस्था की जलदाय योजना जो चल रही है उनका नगरपालिका से कोई अनुबंध हुआ है ? जलदाय विभाग अलग है। उसकी वहां पर एक अलग योजना चल रही है। जो एग्रीमेंट की बात माननीय सदस्य बताना चाहते हैं नगरपालिका और प्राइवेट संस्था के बीच में हुआ है उसमें जलदाय विभाग नहीं आता।

श्री **जगदीश चन्द्र शर्मा** : माननीय मंत्री जी, जलदाय विभाग इस तरह से आता है कि नगरपालिका और प्राइवेट संस्था के बीच में अनुबन्ध इस बात का था कि हम राज्य सरकार को यह जलदाय योजना हैंडओवर कर देंगे जिस दिन से राज्य सरकार की जलदाय योजना प्रारम्भ हो जाएगी। आज वहां पर राज्य सरकार की जलदाय योजना सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसलिए आज समस्या यह है कि आप इसको अधिगृहित क्यों नहीं कर लेते ?

श्री **महबूब अली** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेंट अगर हुआ भी होगा तो प्राइवेट संस्था और नगरपालिका के बीच में हुआ होगा। अगर इस तरह का एग्रीमेंट हुआ भी है तो....

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेन्ट सवाल है। किसी नगरपालिका ने किसी समय पर प्राइवेट कम्पनी से एग्रीमेंट किया, उसके द्वारा ज्यादा रेट पर नागरिकों को पानी दिया जा रहा है तो उसका खमियाजा वहां के नागरिक क्यों भुगतें ? वहां की जनता के हित में राज्य सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिए। नगरपालिका का कोई स्थाई प्रशासन नहीं होता है, नगरपालिका बदलती रहती है, किसी समय में एक व्यक्ति की दिलचस्पी हो गई और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अनुबन्ध कर लिया, अब तो राज्य सरकार को चाहिए कि वहां की जलदाय योजना, जो कि निजी कम्पनी के हाथ में है, जो कि बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, राज्य सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। आम जनता ने क्या कसूर किया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जवाब तो दें। मेरा कोई भाषण देने से मतलब नहीं है। माननीय मन्त्री जवाब दें, किसी नगरपालिका ने किसी के साथ कांट्रेक्ट किया तो उसके लिए लोग क्यों सफर करें।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : इसका जवाब तो पहले आने दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय मन्त्री जी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया मैंने सुन लिया। आपने अगर नहीं सुना तो इसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था....

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों आदमी रतनगढ़ शहर में रहते हैं, जब बाकी सारे राजस्थान को पानी दिया जा रहा है, पानी की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है तो फिर रतनगढ़ नगरपालिका के लोगों का ही क्या कसूर है ?

(व्यवधान)

राजलदेसर की होगी, वहां पर भी कुछ लोग हैं, उन लोगों ने क्या गुनाह किया है ? बाकी लोगों को जब दे रहे हैं तो वहां पर क्यों नहीं दे सकते हैं ?

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : आप आश्वासन तो दिलायें, अध्यक्ष महोदय।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है उसके आधार पर देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अपीलें

96. श्री **गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़)

(श्री गुरुशरण छावड़ा)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में किसी स्थानांतरण नीति का निर्धारण हुआ था और उसमें राज्य सरकार को अपील सुनने का अधिकार रखा गया था ?

(2) राज्य सरकार के पास कुल कितनी अपीलें प्रस्तुत हुई, और कुल कितने लोगों का स्थानांतरण राज्य आदेश द्वारा किया गया, तथा कितने लोगों की अपीलें अस्वीकार हुई ? अस्वीकार की गई अपीलों के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित नीति में अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अपील का प्रावधान नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत होने का प्रश्न नहीं उठता।

शेरगढ़ तहसील के अभावग्रस्त गांव

97. श्री **खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले के कितने गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गए हैं, उनमें से तहसील शेरगढ़ के कितने गांव हैं ? राजस्थान राजपत्र में यह सूची कब प्रकाशित करने को भेजी गई थी ?

(2) फेमिन कोड के अनुसार इन गांवों में जो कार्य करने थे क्या कर दिए गए ? क्या वसूलियां रोक दी गई ? क्या पानी की सिंचाई शुरू कर दी गई और क्या टेस्ट वर्क शुरू कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) तहसील शेरगढ़ में अकाल राहत के नाम पर कौन-कौन से कार्य कब शुरू किए जायेंगे ? क्या सस्ते अनाज की दुकानें तथा पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(4) क्या सांडों को सबसिडी तथा गरीब अपाहिजों को ग्रेच्युटी रिलीफ दी जावेगी ? क्या दुधारू गायों को दाना दिए जाने का इन्तजाम किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) फेमिन कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी क्या दी जायगी और पिलाई के रूप में प्रति कुआ प्रति दिन कितने पैसे दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में अभी तक किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। अतएव राजपत्र में सूची प्रकाशित होने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ करने, वसूलियों को रोकने इत्यादि का मामला सरकार के विचाराधीन है। अभी इस जिले मे पेयजल व्यवस्था हेतु

(अकाल सहायता मंत्री)

जिलाधीश को 4 वाटर टैंकर आवंटित किए जा चुके हैं।

(3) पानी की व्यवस्था करने के अलावा बाकी राहत के कार्यों पर अकाल घोषणा के बाद विचार किया जावेगा।

(4) साडों, अपाहिजों इत्यादि की सहायतार्थ कार्यवाही अभाव घोषणा के बाद ही विचार किया जावेगा।

(5) राहत कार्यों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के मलेरिया निरीक्षक

96. श्री **समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के कितने मलेरिया निरीक्षक हैं तथा ये कब से राज्य सेवा में कार्यरत हैं ?

(2) पिछले 20 वर्षों से आज तक कितने मलेरिया निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया तथा उनमें से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कितने मलेरिया निरीक्षकों को सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 7 अनुसूचित जन जाति एवं 14 अनुसूचित जाति के मलेरिया निरीक्षक कार्यरत हैं। राज्य सेवा में कार्य करने का विवरण सलग्न है।

(2) मलेरिया निरीक्षकों को सीधे सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान मेडिकल एण्ड हैल्थ सबोर्डिनेट सर्विसेज रूल्स, 1965 के तहत वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक को सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाती रही है, भारत सरकार की परिवर्तित योजना के अनुसार अप्रेल 1977 से मलेरिया निरीक्षक एवं वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक दोनों पदों को एक करके मलेरिया निरीक्षक रखा गया है। इसके अन्तर्गत पांच मलेरिया निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया है। जिसमें से दो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे इस प्रकार हैं:—

1. श्री मदनलाल पीपलीवाल 17-9-77 से
2. श्री पी० ओ० साली 28-4-78 से

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

किशनगंज शाहबाद क्षेत्र की सहरिया जाति के विकास हेतु कार्यालय

101. श्री **औंकारलाल चौहान** (अटरू):

(श्री ओकारलाल चौहान)

क्या जनजाति क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में सहरिया जाति के ट्राइबल लोगों के विकास हेतु कार्यालय बारां रखा हुआ हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या ट्राइवल एरिया में लोगों के विकास हेतु सहरिया जाति के क्षेत्र से दूर कार्यालय रखने पर विकास उचित प्रकार से संभव है ?

(3) राज्य सरकार ने किस आधार पर प्रोजेक्ट ऑफिसर का कार्यालय एरिया शाहबाद से दूर बारां में रखा है ?

उत्तर

(1) हां

(2) वर्तमान में शाहबाद में परियोजना अधिकारी के कार्यालय के लिए भवन की व्यवस्था नहीं है अतः भवन निर्माण करने एवं किराये पर लेने के प्रस्ताव जिलाधीश, कोटा से मंगाये जा रहे है। भवन की व्यवस्था होने पर परियोजना अधिकारी का कार्यालय शाहबाद स्थानान्तरित करना संभव होगा।

(3) प्रारम्भ में परियोजना अधिकारी का मुख्यालय कोटा था, परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने पर शाहबाद में भवन की व्यवस्था न होने के कारण मुख्यालय बारां रखा गया है।

औषधि निर्माण हेतु राज्य सरकार का व्यय

104. **श्री रामेश्वर प्रसाद यादव** (चौमू) क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सत्र 1978 79 में औषधि निर्माण (दवा बनाने) हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना रुपया स्वीकृत किया गया था ?

(2) इस स्वीकृत राशि में से कितना रुपया खर्च किया गया? तथा शेष बची राशि क्यों नहीं खर्च की गई ?

(3) क्या इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर

(1) "जड़ी-बूटियों" के क्रय हेतु वर्ष 1978-79 में 54-66 लाख रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत किया हुआ है।

(2) जनवरी 1979 तक 7–53 लाख रुपये मूल्य की "जड़ी-बूटियां" क्रय की जा चुकी थीं। शेष राशि के क्रय आदेश दिये हुये हैं।

(3) जी नहीं। मांग के अनुसार टेण्डर आमंत्रित कर माल खरीदा जा रहा है। इसमें कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

राज्य में उपलब्ध औषध सम्पदा का सर्वेक्षण

106. श्री **बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क)

Page No. 24

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार ने कोई सर्वे करवाया है कि राजस्थान में कितनी औषध सम्पदा उपलब्ध है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां. विभागीय स्तर पर राज्य में पैदा होने वाली औषधियों का सर्वे कराया गया था। इसके आधार पर प्राप्त सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

झालावाड़ जिले में राजस्व अभियान

108. **श्री बालचन्द आर्य** (डग)–क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में 1978 में चले राजस्व अभियान में झालावाड़ जिले में कितने और किस-किस प्रकार के मामले निपटाये गये ?

उत्तर

झालावाड़ जिले में सन् 1978 में चलाये गये राजस्व अभियान में निम्नलिखित मामलों में उनके आगे अंकित संख्या में निपटाये गये।

1. गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दिये गये। 1202

2. नामान्तरकरण तस्दीक किये गये 18104

3. भूमिहीनों को भूमि आवंटन 4524

4. सरकारी भूमि पर बनाये गये मकान एवं बाड़ों का नियमन 809

5. राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों का निपटारा 28809

6. रहन बिलकब्ज के मामलों का निपटारा 7

7. भूमिअवाप्ति के मामलों में लगान की कमी के मामलों का निपटारा 50

8 रहवास एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि में परिवर्तन के मामले 3

9. ग्राम पंचायतों का आबादी विस्तार हेतु भू-आवंटन के मामले 102

10. बैंकिंग संस्थानों से अन्त्योदय परिवारों को ऋण हेतु अभिलेखों की प्रतियां तैयार करने के मामले 245

11. वृद्धावस्था पेन्शन 170

12. अन्त्योदय परिवारों का चयन 4093

13. जनता के अभाव अभियोगों के निस्तारण 640

14. विद्यालयों को विद्यालय भवन एवं क्रीड़ा प्रांगण हेतु भू-आवंटन। 133

योग 58391

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्त पद

1. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली)–क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

इस समय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कितने पद रिक्त हैं और कब से हैं ? सन् 1975-76 76-77 77-78 व 78-79 में कुल कितने डाक्यूमेंट जांच के लिये आये थे ? क्या सन् 76 में जो स्टाफ था, वह आज भी है या राज्य सरकार ने उसमें वृद्धि की है ? यदि हां, तो किस आधार पर और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

इस समय विश्वविद्यालय में कुल 77 पद रिक्त हैं । सूची संलग्न है । इन पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है । सन् 1975-76 में 175, सन् 1976-77 में 214, सन् 1977-78 में 262 व सन् 1978-79 में अब तक 321 डाक्यूमेंट जांच के लिए आए । वर्ष 76 की तुलना में राज्य सरकार ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के स्टाफ में जो वृद्धि की है, वह कार्य के आधार पर की गई है ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के फूड पावर्स

2. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आपात-कालीन समय में कुछ स्वास्थ्य निरीक्षकों को फूड पावर्स दी गई थीं ? अगर हां, तो कुल कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्रशिक्षण देकर फूड पावर्स कब एवं किस आधार पर दी गई थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार की इस प्रकार की पावर्स देने में सहायता भी की जाती थी ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

(3) क्या यह भी सही है कि आपात-कालीन स्थिति के समाप्त होते ही करीबन 75 स्वास्थ्य निरीक्षकों की फूड पावर्स राज्य सरकार ने वापस ले ली थीं ? अगर हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार उनको वे पावर्स अब वापस देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पूर्व काल की भांति आपात काल में भी फूड पावर्स दी गई थीं । अधिनियम में निर्धारित योग्यता रखने वाले 30 पूर्ण कालीन खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 1.–12-75, 33 स्वास्थ्य निरीक्षकों को दिनांक 17–3–76 व 38 खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 20–4–76 व 44 खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 12–11–76 को फूड पावर्स दी गई ।

(2) भारत सरकार की इस प्रकार की फूड पावर्स देने में सहमति की आवश्यकता नहीं होती है ।

(3) 51 स्वास्थ्य निरीक्षकों के फूड पावर्स तत्कालीन सरकार ने दिनांक 20–4–77 को वापस ले लिये थे ।

(स्वास्थ्य मंत्री)

38 के फूड पावर्स दिनांक 20–4–77 को समाप्त होने पर बढ़ाई नहीं गई थी। इन स्वास्थ्य निरीक्षकों को फूड पावर्स देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्दा की जमीन का मुआवजा

3. श्री **हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा कलां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन श्री भैरोंदत्त पुरी जी की जमीन में बनाया गया है?

(2) उक्त भूमि के अधिग्रहण का मुआवजा उसके मालिक को अभी तक नहीं चुकाये जाने का क्या कारण है? इस मुआवजे की कुल कितनी रकम देनी है?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त जमीन का मुआवजा उसके मालिक को शीघ्र भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

मौजा पीपलिया कलां खसरा नम्बर 45 व 43 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु आबादी में परिवर्तित किया गया था। यह भूमि बैरा धींगाणा वालों का गांव में से ली गई है जिसके खातेदार धौंसा वगैरह थे।

(2) यह भूमि ग्राम पंचायत पीपलिया कलां द्वारा संबंधित खातेदारान से आपसी विचार विमर्श के पश्चात् प्राप्त की गई जिसका मुआवजा रुपया 250/– वाउचर नं. 222 दिनांक 23–10–60 के द्वारा संबंधित पंचायत द्वारा संबंधित खातेदारान को दिया गया। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त नहीं की गई।

(3) जी नहीं।

चूंकि यह भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त नहीं की गई थी इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

पीपल्दा क्षेत्र के किसानों में राजस्व की बकाया

4. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं जिन पर दो हजार रु. तथा उससे अधिक की राशि राजस्व की बकाया है? प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति तथा ग्राम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इस बकाया राशि को शीघ्र वसूल करेगी? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र में 2000/– (दो हजार, रुपये तथा उससे अधिक भू-राजस्व

(राजस्व मंत्री)

की बकाया के 41 व्यक्ति हैं। सूची संलग्न है।

(2) इन बाकीदारों से वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सांचौर में पैट्रोल पम्प की जमीन

5. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिलाधीश जालौर श्री जी. रामचन्द्र द्वारा सांचौर में इण्डियन ग्रायल कम्पनी के पैट्रोल पम्प लगाने के नाम से सांचौर से पूर्व चौराहे पर गोचर जमीन को ग्राबादी में परिवर्तित किया गया था ? ग्रगर हां, तो कब एवं कितनी जमीन का ? नियमानुसार एक पैट्रोल पम्प लगाने के लिए कितनी जमीन की ग्रावश्यकता होती है ? तो फिर इतनी ज्यादा गोचर जमीन का ग्राबादी से गलत तरीके से सरकार को मुगालता देकर क्यों परिवर्तन करवाया गया था ? इसके लिये कौन जिम्मेवार है एवं उसके विरुद्ध सरकार द्वारा ग्रब तक क्या कार्यवाही की गई है ? ग्रगर इस विषय में ग्रब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हो, तो क्या सरकार इस बारे में ग्रब कोई कार्यवाही करना चाहेगी ? ग्रगर हां, तो कब तक ? ग्रगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गोचर की काफी ज्यादा जमीन का पैट्रोल पम्प लगाने के बहाने से ग्राबादी में गलत परिवर्तन करवा कर तत्कालीन ग्राम पंचायत ने उक्त सारी जमीन का पट्टा बहुत कम रेट पर कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम पर गलत तरीके से कर दिया एवं खुली नीलामी नहीं की गई ? ग्रगर हां, तो वे प्रभावशाली कौन-कौन से व्यक्ति हैं, जिनके नाम बहुत ग्रधिक जमीन का पट्टा पंचायत सांचौर द्वारा दिया गया है ? वह पट्टा कब दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गोचर जमीन का ग्राबादी में गलत परिवर्तन करवा कर फिर प्रभावशाली लोगों के नाम ग्राम पंचायत सांचौर द्वारा गलत पट्टे दिए जाने के सम्बन्ध में विधान सभा में प्रश्न उठाने पर सरकार ने उक्त गोचर जमीन में ग्राबादी में गलत परिवर्तन शीघ्र खारिज कर वाजिब गोचर जमीन में ग्रमल दरामद करने का ग्राश्वासन दिया था ? ग्रगर हां, तो कब ? उक्त सरकारी ग्राश्वासन की ग्रनुपालना ग्रब तक क्यों नहीं की गई है ? ग्रब विधान सभा में दिए गए सरकारी ग्राश्वासन की ग्रनुपालना कब तक की जाकर उक्त जमीन का ग्राम पंचायत सांचौर द्वारा दिया गया गलत पट्टा खारिज करवा दिया जावेगा ? क्या सरकार उक्त मौके की सरकारी लाखों रुपयों की कीमती जमीन के घपले की उच्चस्तरीय जांच करना उचित समझेगी ? ग्रगर हां, तो कब तक ? ग्रगर नहीं, तो क्यों ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश जालौर ने उक्त गोचर जमीन पर पत्थर की पट्टियां गाड़कर कब्जा करने पर 91 लैण्डरेवेन्यू की धारा के अन्तर्गत तुरन्त कब्जा हटाने के आदेश दिए थे ? अगर हां, तो कब ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कब्जा हटाने की कार्यवाही करने पर मुसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट सांचौर में कब्जा करने वालों ने दावा पेश किया था ? अगर हां, तो कब एवं किसके द्वारा ? क्या यह भी सही है कि पंचायत को उक्त गलत पट्टा पेश करने पर उक्त अदालत ने गलत कब्जा करने वालों के हक में फैसला कर दिया है ? अगर हां, तो कब ? सरकार ने उक्त फैसले को रद्द कराने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(6) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत सांचौर द्वारा उक्त जमीन का गलत पट्टा सरकार द्वारा अब तक खारिज नहीं करवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त सरकारी कीमती जमीन का गलत पट्टा कब तक सरकार खारिज करवा कर उक्त जमीन अपने हाथ में ले लेगी ?

(7) उक्त गोचर जमीन का आबादी में गलत परिवर्तन शीघ्र खारिज कर उक्त जमीन वापस गोचर रखने का विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन की अनुपालना अब तक नहीं करने में सरकारी किन किन अधिकारियों का हाथ है ? उनके बारे में उनके विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करना चाहेगी ? अब तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त सरकारी जमीन के गम्भीर घपले की शिकायत जन अभाव अभियोग समिति जालौर में भी की गई है ? अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ।

उत्तर

(1) जिलाधीश के आदेश संख्या राज./ए 712–17 दिनांक 1–2–67 के अनुसार ख. नं. 524 रकवा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आबादी में परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सांचौर को पूंजीगत कीमत वसूल कर आबादी प्रयोजनार्थ जिसमें पैट्रोल पम्प प्रयोजन भी सम्मिलित है, ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण की गई थी । उक्त आदेश में यह भी अंकित है कि मैसर्स सांचौर आटोमोबाइल्स पैट्रोल पम्प हेतु जमीन लेना चाहे तो नियमानुसार ग्राम पंचायत से क्रय कर सकता है (आदेश की प्रति संलग्न है) । उक्त भूमि का ग्राम पंचायत को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था न कि पैट्रोल पम्प के नाम से, अतः मुगालता देकर पैट्रोल पम्प के नाम इतनी भूमि आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) यह भूमि आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत को आवंटन की गई थी जिसमें

(राजस्व मंत्री)

कोई भी व्यक्ति, जिसमें आटोमोबाइल कम्पनी भी शामिल है, ग्रामपंचायत से नियमानुसार क्रय कर सकती थी। भूमि का प्लान बना कर प्लाट काट कर रोड के पश्चिम की भूमि में प्लाट संख्या 1 व 2 को नियमानुसार निलामी द्वारा बेचे गये। ग्राम पंचायत सांचौर द्वारा 6800 वर्ग गज भूमि को 0–50 पैसे (पचास पैसे) प्रति वर्ग की दर 3400/–रुपये में विक्रय किये जाने का दिनांक 21–5–73 को निर्णय लिया गया। यह भूमि मैसर्स सांचौर आटोमोबाइल को दी गई थी।

(3) इसमें आश्वासन के बाबत विवरण नहीं दिया गया। इस कारण उत्तर देना सम्भव नहीं है।

(4) धारा 91 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(5) मुंसिफ कोर्ट सांचौर से सरकार के खिलाफ फैसला हुआ था जिसकी अपील सैशन्स कोर्ट जालौर में प्रस्तुत की जा रही है। अपील न्यायालय में विचाराधीन है।

(6) मामला अभी अपील में विचाराधीन है।

(7) आश्वासन के बाबत विवरण नहीं दिया, इस कारण उत्तर देना सम्भव नहीं है।

(8) उक्त जमीन के सम्बन्ध में एक शिकायत जन अभाव अभियोग समिति जालौर में प्राप्त हुई थी जो प्रकरण संख्या 108/75 पर दर्ज होकर तहसीलदार सांचौर से जांच करवाई गई। तहसीलदार सांचौर ने बैठक दिनांक 30–9–78 में जवाब पेश किया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। समिति के न्यायालय सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने के सक्षम नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

शंकर कृषि फार्म आरजिया, भीलवाड़ा

7. **श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में गत 20 वर्षों से फार्मों के नाम पर कितनी जमीन पर गैर काश्तकार काबिज हैं ?

(2) शंकर कृषि फार्म आरजिया भीलवाड़ा के नाम पर कितनी जमीन है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त फार्म का मालिक भीलवाड़ा के बाहर बड़ा व्यापार करता है ?

(4) क्या बड़े बड़े फार्म स्थापित करने की नीति जनता सरकार की मूल नीति के विरोध में नहीं है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त फार्म को हाली काश्तकारों को अलाट करने का विचार रखती है ?

Page No. 30

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में तहसील भीलवाड़ा के ग्राम आरजिया में तीन कृषि फार्म के नाम पर 676 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है जिनका विवरण निम्न है :—

[1] **नाथनी फार्म :**

इसके चार खातेदार हैं जो निम्न हैं :-

नाम	रकबा
1. श्री सूर्यप्रकाश पिता महावीर प्रसाद नाथानी	74–7
2. श्रीमती सावित्री बाई पत्नी श्री महावीर प्रसाद नाथानी	17–8
3. श्री कृष्ण कुमार पिता श्री हरिराम नाथानी।	53–3
4. गीतादेवी पत्नी श्री हरिराम नाथानी।	44–18

कुल 189 बीघा 16 बिस्वा

[2] **मानसिंह का फार्म :**

1. श्रीमती उमादेवी पत्नी श्री सूर्यप्रकाश	27–17
2. श्रीमती प्रभादेवी पत्नी श्री शंकरलाल महाजन	48–15
3. श्री बसन्ती लाल पुत्र श्री सावरमल महाजन	44–15
4. श्रीमती वीनादेवी पत्नी श्री शिवकुमार महाजन	91–9
5. श्रीमती ममतादेवी पत्नी श्री बसन्तकुमार महाजन	4–8
6. श्री रामकृष्ण वल्द सांवरमल महाजन	17–19
7. श्री शंकरलाल पुत्र श्री दामोदरलाल	23–3
8. श्री सांवरमल पुत्र श्री महादेव	40–18
9. श्री सुरेश कुमार	63–18

कुल 362 बीघा 15 बिस्वा

[3] **शंकर कृषि फार्म :**

1. श्री गोविन्दराम पिता श्री छगनलाल	15–8
2. श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामकिशन	18–5
3. श्री सत्यनारायण पिता श्री नन्दलाल	40–7
4. श्री बिहारीलाल पुत्र श्री छगनलाल	32–14
5. श्री राजगोपाल पुत्र श्री नन्दलाल	17–19

कुल 124 बीघा 13 बिस्वा

(2) सूचना ऊपर दी जा चुकी है।

(3) शंकर कृषि फार्म के हिस्सेदारों में से श्री गोविन्दलाल पिता छगनलाल, बाबूलाल पिता रामकिशन एवं सत्यनारायण पिता नन्दलाल बाहर रहते हैं।

(राजस्व मंत्री)

(4) यह भूमि पिछली सरकार के समय से इन लोगों के पास है। जनता सरकार के समय इन्हें भूमि नहीं दी गई। ऐसी दशा में नीति सम्बन्धी कोई मामला इनके बाबत नहीं उठता है।

(5) खातेदारी की भूमि को सीलिंग कानून के तहत ही अधिग्रहित किया जा सकता है। उपरोक्त मामलों में भूमि भिन्न भिन्न खातेदारों के नाम अंकित है। फार्म के नाम से कोई भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है।

राज्य में सैटलमेंट कार्य

8. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 10 वर्ष में कहां कहां सैटलमेंट का कार्य हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य की किसी तहसील में भू-राजस्व में कमी की गई है ? यदि हां, तो प्रति बीघा कहां कहां ?

(3) राज्य में कौन सी तहसील में इस कार्य के लिये कितना अधिक समय लगा है ?

(4) इतना अधिक समय लगने का क्या कारण रहा ?

उत्तर

(1) राज्य में सन् 1970 से 1979 तक 57 तहसील एवं उप-तहसीलों के ग्रामों मे जहां जहां भू-प्रबन्ध कार्य सम्पूर्ण कराया गया है, उसका परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जिला जैसलमेर की तहसील जैसलमेर की उप-तहसील रामगढ़ के 52 ग्रामों का बन्दोबस्त प्रथम बार सन् 1972 में लागू होकर समाप्त हुआ है। इससे पहले इन ग्रामों का समरी बन्दोबस्त किया गया था। नियमित बन्दोबस्त 1972 के अनुसार भू-राजस्व की मांग में कमी हुई है, परन्तु प्रति बीघा दर में कमी नहीं हुई है। इसके अलावा जिला उदयपुर की तहसील खैरवाड़ा के 4 चक वन विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरित होने के कारण सर्व प्रथम नियमित बन्दोबस्त किया गया, जिससे भू-राजस्व की अस्थाई मांग सं० 2028 की रु. 1302/– के मुकाबले में स्थाई मांग रुपये 1094/– तय की गई।

(3) राज्य की 33 तहसीलों में सामान्य से अधिक समय लगा है। सूची परिशिष्ट "ख" पर है।

(4) (क) तहसीलों का बन्दोबस्त कराने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद भी काफी समय तक स्टाफ की कमी के के कारण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका।

(ख) सन् 1970 के बजट में अमीनों की संख्या में 50% की कटौती होने के कारण उस वक्त हाथ में ली हुई तहसीलें देरी से सर्वे हुई।

(राजस्व मन्त्री)

(ग) रेन्ट रेट रिपोर्ट राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये विचाराधीन रही और मुख्य मंत्री जी की दिनांक 25–3–70 को सदन में घोषणा के बाद संशोधन के लिये सरकार द्वारा लौटाई गई व संशोधित दरें 1972 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखे)

राज्य में वनों की अनधिकृत कटाई की रोकथाम

9. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में वृक्षों की अनधिकृत कटाई की जाने पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 के अनुसार 100 रु. तक के जुर्माने का प्रावधान है और इन मामलों की सुनवाई का अधिकार सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी को है ? यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों के पास कार्य अधिक होने के कारण अधिकांश मामलों में दो या तीन वर्ष से भी अधिक समय निर्णय होने में लग जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रावधान से वृक्षों की अनधिकृत कटाई की प्रवृत्ति पर अधिक रोक सम्भव नहीं है, क्या इसी कारण अधिकांश हरे वृक्ष, सिवाय चक, चरागाह एवं खातेदारी भूमि से काट लिये जाते हैं और काटे जा रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार वनों की अधिक सुरक्षा हेतु अधिक सख्त कानूनी प्रावधानों के बारे में सोच रही है ? जैसे 100/– रु. जुर्माना के साथ सजा भी जोड़ी जावे एवं इसकी सुनवाई के अधिकार तहसीलदार, नायब तहसीलदार को दिये जायें तथा इसमें धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के समान ही Summary Tri l हो ताकि वृक्षों की अधिक सुरक्षा आसानी से की जा सके ?

उत्तर

(1) टीनेन्सी एक्ट की धारा 86 में प्रथम अपराध के लिए प्रतिवृक्ष 100/– रु. जुर्माना करने का प्रावधान है। दूसरे तथा बाद के अपराधों के लिए जुर्माना दुगना तक हो सकता है। मामलों की सुनवाई के अधिकार सहायक जिलाधीश को हैं। निर्णय होने में कभी-कभी विलम्ब भी हो जाता है।

(2) कानून में इस अनधिकृत कटाई के लिए समुचित प्रावधान है।

(3) मौजूदा जुर्माना के प्रावधान के अलावा सजा देने का प्रावधान करने का राज्य सरकार का फिलहाल विचार नहीं है। इन मामलों में एप्लीकेशन की प्रक्रिया ही लागू है जो संक्षिप्त प्रकृति की है।

ग्राम पावटा तहसील सांचौर में भूमिहीनों में भूमि का आवंटन

10. रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पावटा तहसील सांचौर में पड़त भूमि में भूमिहीन काश्तकारों को जमीन आवंटन कर उनको कब्जा दिया गया था ? क्या यह भी यही है कि पड़त विला कब्जा जमीन का भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन करने के बाद गुजरात राज्य के एक भूतपूर्व जागीरदार ने खुदकाश्त हेतु उक्त ग्राम में जमीन मांगी थी ? अगर हां, तो उस जागीरदार का नाम क्या है, एवं उसने कौन सी जमीन खुदकाश्त हेतु मांगी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जागीरदार की खुदकाश्त हेतु दरख्वास्त पेश होने पर सरकार ने भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन कर कब्जा दी हुई जमीन उनको नहीं देने के आदेश एवं भूमिहीन काश्तकारों के कब्जे में कोर्ट दखल नहीं देने के सरकार के आदेश हुए थे एवं उक्त जागीरदार को अन्य पड़त भूमि खुदकाश्त हेतु देने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे ? अगर हां, तो ऐसे आदेश कब दिए गए थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन की हुई जमीन पर उक्त जागीरदार पावटा द्वारा दखल बाजी करने पर भूमिहीन काश्तकारों की लिखित दरख्वास्त पर उनके कब्जों में कोई दखल बाजी न करने देने के सरकार ने आदेश दिये थे ? अगर हां तो, उन आदेशों की पालना आज दिन तक क्यों नहीं की गई ? सरकार के आदेशों की अवज्ञा करने वाले सरकारी राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में उनके विरुद्ध कब तक क्या क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन तहसीलदार सांचौर द्वारा भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित जमीन का अमल दरामद गलत तौर से खारिज कर उक्त जागीरदार पावटा के नाम आवंटन कर उनका अमल दरामद कर दिया गया था ? अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ? वापस भूमिहीन काश्तकारों के पूर्व के अमल दरामद बदस्तूर कब तक करवा दिये जावेंगे ?

(5) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने भूतपूर्व जागीरदार पावटा का भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन कर अमल दरामद की हुई जमीन में गलत अमल दरामद कर फिर उक्त जमीन की रजिस्ट्री अपने रिश्तेदारों की करवा दी ? अगर हां, तो ऐसी भ्रष्ट कार्यवाही के लिए सरकार ने उन राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों ? भविष्य में उनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?]

उत्तर

(1) हाँ, यह सही है कि ग्राम पावटा तहसील सांचौर में जिस सिवायचक भूमि का खुदकाश्त में वैशप के जागीरदार को आवंटन किया गया था का पुनः आवंटन

(राजस्व मन्त्री)

भूमिहीन काश्तकारों को किया जाकर कब्जा दिया गया था। यह भी सत्य है कि गुजरात राज्य के भूतपूर्व जागीरदारान के खुदकाश्त भूमि का आवंटन पहले 29–2–1960 को दिया गया था एवं भूमिहीन काश्तकारों को इसी भूमि का आवंटन वर्ष 1965–66 में किया गया था। भूतपूर्व जागीरदार, जिन्हें खुदकाश्त भूमि का आवंटन किया गया था, के नाम सर्वश्री बागसिंह, हरिसिंह व पहाड़सिंह है।

(2) हाँ यह सत्य है कि भूतपूर्व जागीरदार को खुदकाश्त में भूमि आवंटन के पश्चात् भूमिहीन काश्तकारों को इसी भूमि का पुनः आवंटन किया गया था। भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि से बेदखल नहीं करने एवं भूतपूर्व जागीरदारान को अन्यत्र पड़त भूमि खुदकाश्त में देने के आदेश राजस्व (ग्रुप–3) विभाग से उनके पत्र संख्या प. 1 (43) राज/3/73 दिनांक 5–6–73 से प्राप्त हुए थे।

(3) उक्त भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन की हुई जमीन पर उक्त जागीरदार पावटा द्वारा दखलन्दाजी करने पर श्री रघुनाथ विश्नोई विधायक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार से उक्त आवंटियों के आवंटित भूमि पर कब्जों को यथावत रखने एवं उक्त जागीरदारान को अन्यत्र पड़त भूमि खुदकाश्त में देने के आदेश राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के उपरोक्त पत्र से प्राप्त हुए थे जिसकी पालना हेतु तहसीलदार, सांचौर को इस कार्यालय के पत्रांक राज/3505 दिनांक 28–12–73 से लिखा गया था लेकिन उसकी पालना इसलिये नहीं हो सकी कि 18 आवंटियों को आवंटित भूमि के नामान्तरकरण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा 1968 में ही खारिज कर दिये गये थे और भूतपूर्व जागीरदार, जिन्हें कि उक्त विवादग्रस्त भूमि खुदकाश्त में आवंटित की गई थी, के नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु रेफरेन्स की कार्यवाही जिलाधीश के न्यायालय के विचाराधीन है, अतः निर्णय के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी। इस मामले में जिन-जिन राजस्व अधिकारियों का दोष है, उसके सम्बन्ध में परगनाधिकारी, भीनमाल के स्तर पर जांच विचाराधीन है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) तत्कालीन तहसीलदार, सांचौर द्वारा भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित जमीन के अमल दरामद बाबत नामान्तरकरण खारिज कर उक्त जागीरदारान पावटा के नाम आवंटन के नामान्तकरण तस्दीक कर स्वीकृत किये उन्हें निरस्त कराने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही जिलाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है, अतः उसके निर्णय के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(5) इस सम्बन्ध में जांच परगनाधिकारी, भीनमाल के स्तर पर विचाराधीन है, अतः जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

कपासन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

11. श्रीमती श्यामा कुमारी सेगर (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कपासन विधान सभा क्षेत्र में जनता पार्टी के शासन में आने के बाद कौन कौन सी सड़कों का निर्माण हुआ ?

(2) वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण विचाराधीन है ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष आपके द्वारा कॉकरवा, फलासिया, अप्रोच रोड की घोषणा की गई थी ? यदि हाँ, तो इस पर कार्य कब शुरू किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) कपासन विधान सभा क्षेत्र में जनता पार्टी के शासन में आने के पश्चात् भोपालगढ़ से आकोला एवं कपासन से राश्मी सड़कों का निर्माण पूरा हुआ है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन है।

सड़क का नाम	अनुमानित लागत
1	2
1. कपासन–कारोई (कपासन–सूरजपुरा सड़क)	15.00 लाख
2. मादसोडा–कपासन सड़क	8.00 लाख
3. कीर की चौकी गिलुन्ड सड़क	10.00 लाख
4. आकोला फतेहनगर सड़क	9.00 लाख
5. कपासन–सूरजपुरा सड़क	8.00 लाख
6. एप्रोच रोड कांकरवा फलासिया सड़क	3.00 लाख
7. भोपाल–सागर रेलवे स्टेशन टू विलेज	1.00 लाख
8. कपासन पाण्डसेली सड़क वाया बैलार्ड	3.50 लाख

(3) इस सड़क के निर्माण कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष में किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

रतनगढ़ तहसील में बाढ़ सहायता कार्य

12. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में इस वर्ष बाढ़ सहायता के लिए कुल कितनी रकम राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी तथा किस किस परिवार को कितनी कितनी बाढ़ सहायता राशि प्रदान की गई ? प्रत्येक परिवार के नाम, पते एवं सहायता की राशि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को अन्य क्या-क्या सहायताएं

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

प्रदान की गई? कृपया पूर्ण सूची मय नाम एवं पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र रतनगढ़ के बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु कुल 4,95,200 (चार लाख पिचानवे हजार दो सौ) रुपये का आवंटन किया गया था जिसमें से कुल 1,436 प्रभावित परिवारों को सहायता दी गई है। विवरण निम्न प्रकार है—

1.	नकद राशि (केश डोल्स)	412779.65
2.	टिनशीट (केश डोल्स)	44888.35
3.	त्रिपाल (केश डोल्स)	24206.00
4.	पुनर्वास	18200.00
5.	मुफ्त भोजन	126.00
		4,95,200.00

(2) परिवारों के नाम पते की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। रतनगढ़ तहसील में उक्त सहायता के अलावा तकावी ऋण/अनाज व घी वितरित किया गया है तथा सरकारी व अर्द्ध सरकारी भवनों के लिए मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित की गई है। पानी निवासी की व्यवस्था की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांगड़ टेक्सटाइल मिल्स, पाली से चुंगी की वसूली

14. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या पाली बांगड टेक्सटाइल मिल्स ने किन-किन आइटम्स पर चुंगी वसूल नहीं की जा रही है? कृपया आइटम्स की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उन आइटम्स पर चुंगी वसूल नहीं करने का क्या कारण है? जिस आधार पर चुंगी वसूल नहीं की जा रही है उस सरक्यूलर या नो नोटिफिकेशन या आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के कारण उद्योगों को प्रोत्साहित देने की दृष्टि से आयातित मशीनरी कर मुक्त है। विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य में एस. टी. सी. प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक

15. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज):

Page No. 37

(श्री मती नारंगी देवी)

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने एस. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार हैं ?

(2) इनको रोजगार देने हेतु राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार एस. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अल्पावधि में बी. एड. करने के लिए कन्डेन्स्ड कोर्स चालू करने वाली है ?

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर, 78 तक 7732 एस. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार के रूप में दर्ज है ।

(2) सरकार प्रति वर्ष शिक्षा का विस्तार कर रही है तथा इसमें अध्यापकों के नये पद सृजित करती रहती है ।

(3) जी नहीं ।

विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति कालोनी, जयपुर में विकास कार्य

16. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनू) क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति कालोनी, जयपुर में डामर सड़क, नालियां, पिचिंग तथा बिजली की व्यवस्था पूरी कर दी गई है ? यदि नहीं तो कब तथा कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(2) पिचिंग बनाने, सड़क बनाने व नालियां पक्की बनाने में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ? कृपया खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विवेकानन्द कालोनी में पूर्व की तरफ पिचिंग के पास सीमेंट की पक्की नाली तथा पिचिंग को सीमेंट से पुख्ता कब तक कर दिया जावेगा तथा पिचिंग के पास की भूमि का आवंटन कब कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति कालोनी (कचरा बस्ती) में डब्लू० बी० एम० सड़कों का निर्माण हो चुका हैं । डामर का कार्य बाकी है । नालियां एक सड़क पर बनी है । पिचिंग का कार्य पूरा है । प्लाईटिंग बाकी है । बिजली की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है । शेष कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में सम्भवतः पूर्ण करवा दिया जावेंगे ।

(2) पिचिंग करने, सड़क बनाने व नालियां पक्की करने में न्यास द्वारा रु० 1,73, 927/-का खर्चा अब तक हो चुका है । पिचिंग करने में रु० 57, 975/- तथा सड़क बनाने पर रु० 1, 15, 952/- खर्च किए गए हैं ।

(3) विवेकानन्द कालोनी से पूर्व की ओर पिचिंग के पास नाली व सीमेन्ट से

(नगर आयोजना मंत्र)

पक्का पुख्ता पिचिंग आगामी वित्तीय वर्ष में सम्भवतः पूरा हो जावेगा। पिचिंग के पास की भूमि पर बसे लोगों को बसाने हेतु मामले निपटाने हेतु न्यास सदस्यों की उप समिति का गठन करके एक माह में रिपोर्ट चाही गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही संभव हो सकेगी।

राज्य में गिरते खेलों की स्तर की रोकथाम

17. **श्रीमती नारंगीदेवी** (किशनगंज) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में दिनों दिन खेलों के गिरते स्तर की रोकथाम हेतु राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है? क्या राज्य सरकार राज्य खेल परिषद का पुनर्गठन करना चाहेगी?

(2) क्या राज्य सरकार रणजी ट्राफी में राजस्थान राज्य के गिरते स्तर को देखते हुए नवोदित खिलाड़ियों को क्रिकेट का प्रशिक्षण देने की योजना रखती है?

(3) क्या राज्य सरकार कोटा में हरिभाई फुटबाल प्रतियोगिता फिर से चालू करने के लिए प्रयास करना चाहेगी?

उत्तर

(1) यह कहना सही नहीं है कि राजस्थान राज्यों के दिनों दिन खेल का स्तर गिर रहा है। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् का पुर्नगठन जुलाई, 1978 में ही किया है।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने नवोदित खिलाड़ियों को क्रिकेट में प्रशिक्षण योजना बना ली है और उस पर अमल भी किया जा रहा है।

(3) इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करना या उसे चालू करना सम्बन्धित आयोजन संस्थाओं पर निर्भर करता है। राज्य क्रीड़ा परिषद् इस प्रकार की प्रतियोगिता हेतु मांगने पर योगदान देती आई है।

केशोरायपाटन क्षेत्र में नये एवं क्रमोन्नत स्कूल

18. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में गत वर्ष कितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त स्कूलों में केशोरायपाटन क्षेत्र के कितने स्कूल हैं जो कि नये खोले गये हैं तथा किस किस श्रेणी के हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) केशोरायपाटय में ही कितने स्कूल माध्यमिक से उच्च माध्यमिक एवं उच्च

(श्री गोपाल पचेलवाल)

प्राथमिक या सैकण्डरी में क्रमोन्नत किये गये ? सूची मय स्कूल का नाम एवं स्थान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) गतवर्ष (सत्र 1977-78) में बूंदी जिले में कोई भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया तथा 13 माध्यमिक विद्यालय एवं 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) गतवर्ष (सत्र 1977-78) में खोले गये विद्यालयों में 2 माध्यमिक विद्यालय एवं 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय पाटन क्षेत्र में खोले गये हैं। सूची संलग्न है।

(3) गतवर्ष (सत्र 1977-78) में केशोरायपाटन क्षेत्र में कोई भी विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं हुआ है। दो उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए हैं तथा 3 प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।

नगरपालिका मकराना को विकास कार्यों हेतु आवंटित की जाने वाली राशि

19. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा मकराना नगरपालिका को कितनी रकम सड़क निर्माण, नालियां व नगर विकास हेतु गत वर्ष दी गई तथा इस वर्ष कितनी राशि दी जाने वाली है ?

उत्तर

वर्ष 1977-78 में नगर पालिका मकराना को सड़क, नालियां आदि के निर्माण हेतु 15000/-रु० की राशि दी गई थी। इस वर्ष अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है।

मुरली मनोहर जी का मन्दिर, रामगंज चौपड़, जयपुर में शाला भवन का जीर्णोद्धार

20. श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ठिकाना श्री गोविन्द देव जी मन्दिर जयपुर ने पत्र क्रमांक 3271 दिनांक 13-3-48 के द्वारा रामगंज चौपड़ स्थित मुरली मनोहर जी का मन्दिर जयपुर स्थित भवन में सार्वजनिक पाठशाला बनाने हेतु धर्मार्थ डिपार्टमेन्ट राज सवाई जयपुर सरकार को समर्पित किया जा चुका है तथा जिसकी ऐवज में कभी भी सरकार से मासिक किराया या मुआवजा नहीं लिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त भवन को सरकारी भवन क्यों नहीं मान लेती है ?

(श्री गुल मोहम्मद)

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 71-72 में उक्त भवन में सार्वजनिक निर्माण विभाग (शिक्षा विभाग) द्वारा दो कमरों का निर्माण कराया गया है ?

(3) क्या उक्त भवन में सन् 48 से अब तक सरकार द्वारा मरम्मत सफेदी आदि का कार्य कभी किया है ?

(4) क्या वर्तमान में उक्त भवन जीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में और क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी भवन मानने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, आवश्यक मरम्मत करवाई जा रही है।

विवेकानन्द गृह निर्माण सहकरी समिति जयपुर में भूखण्डों का आवंटन

21. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) विवेकानन्द गृह निर्माण सरकारी समिति लि. जयपुर में भू-खण्डों का किन-किन को कितने कितने तथा कहां-कहां आवंटन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विवेकानन्द कालोनी से शेष ऐसे कितने विवादास्पद कब्जे हैं तथा उन्हें राज्य सरकार नियमित एवं अलाट करने में कहां तक सहमत है ? यदि सहमत नहीं है, तो क्यों ?

(3) उक्त कालोनी में अनुसूचित जाति के कितने कच्चे मकानों के कब्जे सबूत के आधार पर हैं, इन्हें कब तक भू-खण्डों का आवंटन कर दिया जायेगा तथा आपातकाल के दौरान भू-खण्ड आवंटन करने से वंचित रखे गये व्यक्तियों को भू-खण्ड कब तक आवंटित कर दिये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि० कचरा कच्ची बस्ती में अब तक 77 व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटन किये गये हैं जिनकी सूची 'अ' संलग्न है।

(2) कुल 84 मामले हैं जिनमें से 7 दावे स्वीकार कर लिये गये हैं लेकिन न्यायलय अथवा राज्य सरकार से यहां स्थिति रखने के आदेश होने के कारण आवंटन पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

(4) शेष 77 में से केवल 2 व्यक्ति ऐसे पाये गये हैं जिनके पास दि: 21-8-71 से पूर्व के सबूत हैं लेकिन भू-खंड मौके पर

Page No. 41

(नगर आयोजना मन्त्री)

रिक्त नहीं होने के कारण आवंटन नहीं हो सका है। शेष 7 प्रतिशत दि: 21-8-71 से पूर्व का निवासी होने के प्रति सबूत शेष करने में असमर्थ रहे हैं अतः इन्हें वर्तमान नियमान्तर्गत आवंटन नहीं किया गया है।

(3) कुल 30 व्यक्ति ऐसे है जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं लेकिन भाग नम्बर(2) में बताये गये दो व्यक्तियों के अलावा दि० 21-8-71 से पूर्व का निवासी होने के अभाव में इन्हें भू-खण्ड आवंटन सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट-12 देखें)

सहायक कृषि अधिकारी, कोटा की बकाया राशि

23. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री केसरी लाल सामरिया तत्कालीन फील्डमैन, वर्तमान सहायक कृषि अधिकारी कोटा के यात्रा भत्ता की राशि निर्देशक कृषि विकास जयपुर के कार्यालय से अभी तक भुगतान नहीं की गई है जब कि यात्रा कार्यक्रम जिला भू-संरक्षण अधिकारी झुन्झुनू द्वारा स्वीकृत है ?

(2) यह यात्रा बिल अभी तक भुगतान नही किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार कर्मचारी की आर्थिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि के शीघ्र भुगतान किये जाने के आदेश प्रसारित करेगी।

उत्तर

(1) श्री केसरीलाल सामरिया के यात्रा भत्ते की राशि रू० 757)80 का भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट सं० ए० ई० 342584 दिनांक 3-3-79 के द्वारा कर दिया गया है।

(2) यात्रा भत्ता बिल की कमियों को पूर्ण करने के पश्चात् श्री सामरिया ने दिनांक 9-2-79 को प्रस्तुत किया था जिसे प्री-आडिट कराने के पश्चात् भुगतान किया जा सका क्योंकि यह बिल एक वर्ष से अधिक पुराना हो गया था।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में मछली पालन

24. **श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान में ऐसे कितने बांध हैं जहां मछली पालन का कार्य चल रहा है ?

(2) सन् 1976-77-78 में कहां कहां से कितनी आमदनी हुई, राजस्थान में मछली पालन की ओर कहां कहां सम्भावनायें मौजद हैं तथा राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में करीबन 300 जलाशयों में मत्स्य-पालन का कार्य चल रहा है।

(2) वर्ष 1976–77 व 1977–78 में राज्य के समस्त जलाशयों से 49.41 लाख व 57.70 लाख की आय क्रमशः प्राप्त हुई। जलाशयों से प्राप्त आय का विवरण संलग्न है। राज्य में मत्स्यकी के चंहुमुखी विकास हेतु जलाशय जो फि मत्स्य बीज की कमी के कारण अब तक अविकसित थे और जिनसे कोई राजस्व प्राप्ति नहीं होती थी या कम प्राप्ति होती थी उनमें मत्स्य बीज संचय कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की जा रही है तथा मत्स्य विकास अभिकरण के माध्यम से भी सघन मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर लघु जलाशयों में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के निश्चित प्रयास किये जा रहे हैं। ये परियोजनाएं भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में स्थापित हो चुकी हैं। इस योजना के तहत लघु मत्स्यपालकों को मत्स्य तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान कर लघु एवं अविकसित जलाशयों को लम्बी अवधि के लिए आवंटित किया गया है एवं उन जलाशयों में सघन मत्स्य पालन कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लघु एवं आदिवासी मत्स्य पालकों को रोजगार प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में मत्स्य विकास निगम की स्थापना विचाराधीन है जो विभिन्न परियोजना जलाशयों को विभिन्न स्टेजेज में प्राप्त कर उनमें सघन मत्स्य विकास कर वर्तमान मत्स्य–उत्पादन को बढ़ायेगा। इसके तहत जयसमन्द झील, उदयपुर, सिलीसेड (अलवर), बन्ध बरेठा (भरतपुर), बन्ध राणा प्रताप सागर (कोटा–चित्तौड़गढ़) एवं बन्ध रामगढ़ (जयपुर) को प्रथम बार चयनित कर वैज्ञानिक आधार पर विकसित किया जायेगा। इस कार्य से मत्स्य सहकारी समितियों को रोजगार एवं प्रोत्साहन मिलेगा। उत्पादन को बढ़ाने के लिये सर्वोत्तम मत्स्य बीज की उत्पादकता को बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः आगामी वर्ष 1979–80 में दस नये मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना अलवर, जोधपुर, करौली, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, सिरोही, गंगानगर एवं झालावाड़ का प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे 2 करोड़ शुद्ध मत्स्य बीज का उत्पादन कर अविकसित एवं लघु जलाशयों से संचय कर मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ–साथ राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी।

कृषि विपणन बोर्ड की एप्रोच रोड्स बनाने की नीति

25. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान द्वारा एप्रोच सड़कें बनाने की मूलभूत नीति क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि 2 वर्ष पूर्व सड़कों में मास्टर प्लान बनाते समय जन

Page No. 43

(श्री कौशल किशोर जैन)

प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति भीलवाड़ा का 5 लाख रुपया इसी कारण केवल मात्र एक सड़क भीलवाड़ा मगरोप पर लगा दिया गया जो कि पी. डब्ल्यू. डी. भीलबाड़ा के अन्तर्गत है ?

(4) क्या छोटे छोटे गांवों को मुख्य मार्गों से मिलाने को छोटी छोटी एप्रोच सड़कों की मूल भूत नीति राज्य सरकार व्यवहार में लाएगी तथा उसके अनुरूप मास्टर प्लान में कब तक संशोधन होगा ?

उत्तर

(1) एप्रोच सड़कें बनाने की नीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ताकि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इस नीति के अनुसार संबंधित गांवों की आबादी को आधार माना गया है। प्राथमिकता की दृष्टि से पहले 2500 या उससे अधिक की आबादी के गांव, फिर 1500 से 2500 तक तथा उसके बाद 1500 की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क सड़कें बनाने के लिए चुना जाना है।

(2) मास्टर प्लान बनाते समय समस्त जिलों के जिलाधीशों के अधीन कमेटियां बनाई गयी थी जिसमें विपणन बोर्ड के प्रतिनिधि, जिले के अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) तथा मण्डी समितियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे जिन्होंने सड़कों के प्रस्ताव भिजवाये थे।

(3) जी नहीं। मण्डी समिति भीलबाड़ा के अधीन मास्टर प्लान के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कें स्वीकृत हुई हैं। उनमें से एक सड़क भीलवाड़ा मेगरोप भी सम्मिलित है जिसे पूरा करने बाबत 5 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।

(4) गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु राज्य सरकार की नीति गांवों की आबादी के आधार पर निर्भर है।

पिड़ावा क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालय

26. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में इस समय कितने आयुर्वेद औशधालय हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 79-80 में उक्त क्षेत्र के किन किन गांवों में आयुर्वेद औषधालय खोलने की योजना है ? गांव के नामों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखते की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार दवाइयों की मात्रा व औषधालयों में उपकरण बढ़ाने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो योजना का पूरा ब्यौरा दें और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (जिला झालावाड़) में 15 आयुर्वेदिक एवं एक यूनानी औषधालय संचालित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 1979–80 में जो नवीन औषधालय खोले जाने हैं उनके स्थानों का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही स्थान का निर्धारण किया जावेगा।

(3) औषधालयों को उनकी रोगी संख्या के अनुसार निर्धारित माप-दण्ड के आधार पर औषधियां दी जाती हैं। इन औषधियों के पूर्ण उपयोग करने एवं औषधि तथा उपकरणों की अतिरिक्त मांग किये जाने की स्थिति में अधिक मात्रा में भी औषधियां सप्लाई की जाती हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राजस्थान जन-जाति क्षेत्रीय विकास निगम की आय एवं व्यय

27. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या जन जाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान जन-जाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम लि. उदयपुर ने कुल कितनी राशि की लघु वन उपज खरीदी, कितने मूल्य की उपज खरीदी तथा कितने मूल्य की उपज को बेचा? लाभ अथवा हानि कितनी रही?

(2) इस निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, फर्नीचर, साज सज्जा एवं व्यवस्था पर पिछले एक वर्ष में कितना धन व्यय किया गया जो किये गए कुल व्यापार का कितना प्रतिशत है? तथा प्राप्त होने वाले लाभ का कितना प्रतिशत है?

(3) क्या इस निगम की मदद से आदिवासियों को उसकी वन उपज का उचित मूल्य मिल रहा है? विधान सभा में पूर्व में एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने कहा था कि बाजार भाव का 60 से 70 प्रतिशत ही मूल्य उसे दिया जा रहा है? इससे लगता है कि निगम द्वारा आदिवासियों का भारी शोषण किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम लि. उदयपुर द्वारा गत सहकारी वर्ष 1.10.77 से 30.6.78 में लघुवन उपज का क्रय 17.326 लाख रुपये का एवं विक्रय 4.34 लाख रुपये का किया गया है जिसमें लाभ हानि की स्थिति आडिट के पश्चात् ही स्पष्ट हो सकेगी। अंतिम लेखे जो आडिट को प्रेषित किये गये हैं उसमें 1.73 लाख रुपये की हानि है। स्टाक में रखे हुये माल की कीमत बाजार भाव अथवा क्रय मूल्य जो भी कम थी, आंकी गई है।

(2) आलोच्य वर्ष में निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते. फर्नीचर, साज-सज्जा एवं व्यवस्था में कुल व्यय 24.00

(जन-जाति विकास मन्त्री)

लाख रुपये का हुआ है जो निम्न प्रकार हैं —

1.	वेतन	
	अ- निगम स्टाफ	5.87
	ब- लैम्पस् स्टाफ	8.82
2.	भत्ते (यात्रा व चिकित्सा)	1.11
3.	प्रशासनिक व्यय	6.38
4.	फर्नीचर एवं रिपेयर्स	1.82
		24.00

इस व्यय में 8.82 लाख रुपये लैम्पस कर्मचारियों के वेतन भी सम्मिलित है। कुल व्यापार 166.44 लाख रुपये का हुआ है। इस प्रकार कुल व्यय की राशि कुल व्यापार की 14.4% है। उपरोक्त खर्च केवल लघु वन उपज के विपणन पर ही नहीं होकर निगम की विभिन्न प्रवृत्तियों तथा उपभोक्ता सामग्री के विपणन, कृषि उपज के क्रय विक्रय, कृषि उपज से सम्बंधित इनपुट्स, मत्स्य आखेट, ऋण वितरण वसूली आदि में लगे हुए सभी कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए है। लैम्पस कर्मचारियों के कुल वेतन का भार भी अभी तो निगम पर ही है। इस वर्ष में निगम को लाभ होने की सम्भावना नहीं है। अतः लाभ पर कर्मचारियों के वेतन आदि का कुल व्यय का प्रतिशत नहीं दिया जा सकता।

यह सही है कि गत वर्ष विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही गई थी कि आदिवासियों को उनके द्वारा एकत्रित उपज का बाजार भाव का 60 से 70% मूल्य दिया जा रहा है। निगम लघु वन उपज का क्रय मूल्य प्रचलित बाजार भाव को देखते हुए एक समिति के द्वारा निर्धारित करता है। निगम 1.5 लाख रुपये रायल्टी के राज्य सरकार को चुकाता है जो अपेक्षित लघु वन उपज संग्रह का लगभग 10% है। उसी प्रकार गत वर्ष लघु वन उपज संग्रह के लिए सहकारी समितियों को 10% कमीशन दिया गया है। शेष 10% में वन उपज की छीजत, सूख, भण्डारण, ररिवहन एवं व्याज आदि का व्यय है। निगम लघु वन उपज का क्रय मूल्य आदिवासियों के हित को दृष्टि में रखकर निर्धारित करता है, अतः आदिवासियों के शोषण का प्रश्न ही नहीं उठता।

कपासन क्षेत्र के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

28. श्रीमती श्यामा कुमारी संगर (कपासन): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूपालसागर पं. स. (तहसील कपासन) के ग्राम राणावतों की सादड़ी में सिंचाई के तथा पीने के पानी का सर्वथा अभाव है जहां 60 प्रतिशत अनुसूचित तथा जन-जाति के लोग रहते हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस गांव के लिए किसी नहर या पाताल कुएं का इन्तजाम करेगी?

(2) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायत नीलोद के गांव जोयडा को नीलोद से फतह·

Page No. 46

(श्रीमती श्याम कुमारी सेंगर)

नगर. सनवाड जाने वाली पाइप लाइन से जोड कर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध करायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि पं. स. भूपालसागर (तहसील कपासन) के गांव काकरवा में पेयजल टंकी का काम प्रगति पर है ? यदि हा, तो क्या राज्य सरकार इससे राणावतों की सादड़ी जो कि काकरवा की ढाणी है, को पाइप लाइन द्वारा कनेक्शन देगी ?

(4) क्या राज्य सरकार कपासन विधान सभा क्षेत्र के मुंगाना गांव में गत वर्ष पेय जल योजना की स्वीकृति दे चुकी है ? यदि हां, तो इस योजना पर काम कब तक चालू हो रहा है ?

उत्तर

(1) राणावत की सादड़ी के पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.56 लाख रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। इस गांव को काकरवा जल प्रदाय योजना से पाईप लाईन डाल कर पीने का जल उपलब्ध करवाया जायेगा। इस क्षेत्र की लघु सिंचाई योजना बन चुकी है। भोपाल सागर लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आता है। यहां कृषक भूमि विकास बैंक से ऋण लेकर कुओं का निर्माण करा सकते हैं। लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत व 33.1/3 प्रतिशत अनुदान राशि कुल ऋण पर मिलती है।

(2) योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राणावतों की सादड़ी को भी कांकरवा में निर्माणाधीन पेयजल टंकी से जल उपलब्ध करवाया जावेगा।

(4) ग्राम मुंगाना की पेयजल योजना राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है।

राज्य में ट्रक यातायात की समस्याओं का निराकरण

29. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में माल की ढुलाई में ट्रकों के महत्वपूर्ण योगदान को मद्देनजर रखते हुए इनकी विभिन्न समस्यायें जैसे ट्रान्जिट फीस, ब्लैक में मिलने वाले मोटर पार्ट्स व पुलिस से मुक्त करवाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में बाहनों के मिलने वाले परमिट में कानूनी खामियां रह जाने से इनका वर्षों तक फैसला नहीं हो पाता है ? क्या राज्य सरकार जानबूझ कर ऐसी खामियां रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य में वाहनों को मिलने वाले परमिटों में कोई कानूनी कमियां नहीं रखी जातीं। अतः जानबूझ कर कोई कमियां रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गिन्दौर (झालरापाटन) में पेय जल व्यवस्था

30. **श्री. ईश्वर चन्द्र** (पिडावा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालरापाटन तहसील के ग्राम गिन्दौर की पूरी बस्ती अनुसूचित जाति की होने के बावजूद भी वहां पेय जल की व्यवस्था अब तक न करने के क्या कारण हैं?

(2) उक्त ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था अब कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) ग्राम गिन्दौर जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 77-78 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। अतः इस ग्राम की पेयजल योजना को स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सका है।

(2) शीघ्र ही प्रयास किये जायेंगे।

राज्य के गांवों में खारे पानी की समस्या

31. **श्री श्योपत सिंह मकासर** (हनुमानगढ़): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं जहां पानी खारा है या पीने योग्य नहीं है?

(2) 26 जून, 1977 से पहले तक 1 जनवरी 1979 के बाद तक की जिलेवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 20817 ऐसे गांव हैं जहां कि पानी खारा एवं पीने योग्य नहीं है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

रोहट पंचायत समिति (पाली) के गांवों में पेयजल समस्या

32. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली तहसील के रोहट पंचायत-समिति के कौन-कौन से गांवों में पीने के

(श्री मूलचन्द डागा)

पानी की भयंकर समस्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त क्षेत्र में कौन कौन से गांव हैं, जहां पानी बिलकुल खारा है और इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था राज्य सरकार कब तक कर देगी और वहां पानी किस जगह से उपलब्ध किया जायेगा ? व्यौरेवार विवरण सदन की मेज पर रखने कृपा करें ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पिछले दो सालों में पंचायत समिति रोहट के कौन कौन से गांवों में पीने के पानी की समस्या का निराकरण किस ढंग से कर दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) पाली तहसील के रोहट पंचायत समिति में कुल 53 ग्रामों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है, इन ग्रामों में से 27 ग्रामों में पानी बिलकुल खारा है ।

(2) इन ग्रामों में जल उपलब्ध कराने हेतु उचित जल स्त्रोत के लिए सर्वे की जा रही है । सरकार हर समस्याग्रस्त ग्राम को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है । व्योरेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में जल उपलब्ध करने हेतु स्त्रीकृत ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य में पथ परिवाहन निगम की क्षतिग्रस्त बसें

33. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जब से जनता पार्टी की सरकार राज्य में शासनारूढ हुई है, तब से आज तक पथ परिवहन निगम की कुल कितनी बसें किस किस रूप में किन-किन कारणों से कब-कब क्षतिग्रस्त हुई और कितनी जला दी गई और उसके कारण पथ परिवहन निगम को कुल कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य में जो घटनायें बसों के जलाने की या उनको डेमेज करने की हुई, उनसे संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आज तक राज्य सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है और कौन-कौनसी कार्यवारी कहां कहां किस किस के खिलाफ पैन्डिग है ? सूची व्यौरेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है । इस सूचना में 4 आगारों

बमें (चितौड़गढ, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर को छोड़ कर) से संबंधित सूचना शामिल नहीं है, वहां से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(2) सूची में अंकित सभी मामलों में प्राथमिक सूचना निगम द्वारा सम्बन्ध पुलिस थानों में दर्ज करवा दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज्य में तकनीकी स्नातक एवं अशिक्षित बेरोजगार

35. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या रोजगार एवं श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने तकनीकी स्नातक व अन्य शिक्षित व कितने अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन बेरोजगारों को या किसी भी श्रेणी के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की सोच रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्न में कोई कानून बनाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर दिनांक 31-12-78 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 523 तकनीकी स्नातक, 1,54,380 शिक्षित (मैट्रिक व मैट्रिक से ऊपर) एवं 1,67,905 प्रतिशत मैट्रिक से भी कम) आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे।

(2) जी नहीं।

राज्य में संरक्षित वन पशु पक्षी

36. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने वन्य पशु-पक्षियों को सुरक्षित घोषित किया गया है ?

(2) संरक्षित वन्य पशु पक्षियों के प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के समक्ष क्या योजनायें हैं ?

(3) घाना वन्य जीव पक्षी बन विहार में पक्षियों की अत्यधिक भीड़ की रोकथाम हेतु राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) संरक्षित वन्य पशु पक्षियों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिये राज्य में स्थापित दो बाघ परियोजना क्षेत्र, 7 अभ्यारण्य और एक बंद क्षेत्र के अतिरिक्त इस वर्ष जैसलमेर राष्ट्रीय मरुउद्यान, चम्बल राष्ट्रीय मगर अभयारण्य और सीतामाता अभयारण्य स्थापित किये गये हैं। नाहरगढ़

(वन मन्त्री)
राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ सफारी पार्क के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(3) घना पक्षी विहार में पक्षियों की अत्यधिक भीड़ नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

केशोराय पाटन में वन विभाग के अधीनस्थ भवन

37. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) केशोराय पाटन जिला बूंदी में वन विभाग की कितनी सम्पत्ति है ? उपरोक्त सम्पत्ति में कितनी सम्पत्ति भवनों के रूप में है ?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग के जितने भी भवन केशोराय पाटन में हैं सभी बड़े जीर्ण-जीर्ण अवस्था में हैं तथा विभाग द्वारा सबकी देख-रेख की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त भवनों की जीर्णोद्धार कर उन्हें सही उपयोग में लेना पसन्द करेगी ? यदि हो, तो कब किस प्रकार उनका उपयोग किया जायेगा ?

उत्तर

(1) केशोराय पाटन में 700 हेक्टेयर वृक्षारोपण, एक जीर्ण भवन सहित परित्य, कृष्ट अस्थायी पौधशाला एवं एक रेंज भवन है।

(2) केशोराय पाटन में भवनों की दशा धनाभाव के कारण जीर्ण है। बजट में समुचित प्रावधान होने पर इन भवनों का जीर्णोद्धार कर खातेदार के कार्यालय निवास के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा। खातेदार का मुख्यालय केशोराय पाटन कर दिया गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली तहसील की पंचायत समिति रोहट में कुछ गांवों में पीने के पानी की भारी कमी के विषय में।

(2) सर्वश्री दूलाराम व शिवचरण सिंह, सदस्य विधान सभा की ओरसे उदयपुर जिले के राजसमन्द जलाशय में मछलियों के ठेके में हुई अनियमितताओं के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से जालौर जिले में सीमेन्ट, डीजल, केरोसीन, मोबिल आयल तथा क्रूड आयल की कमी के विषय में।

(4) श्री श्योपत सिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से काम के

(श्री अध्यक्ष)
बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उणियारा पंचायत समिति में श्रमिकों को दिया जाने वाला गेहूं खाने के अयोग्य है, इस विषय में।

(5) श्री रामकृष्णदास, सदस्य विधान सभा की ओर से नगर आयोजना विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के विषय में सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के विषय में।

(6) श्री समर्थ लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में राज्य के विभागों एवं निगमों आदि द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूर्ति न करने के विषय में।

(7) सर्वश्री रामरघुनाथ चौधरी, शंकर लाल, सूरजपालसिंह, माधिवसह दीवान, सदस्य विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में काम के बदले अनाज योजना में काम हो चुकने पर भी अनाज न दिये जाने के विषय में।

ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास उनकी सूचनार्थ भिजवाये जा रहे हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा की ओर से केन्द्रीय विधि मन्त्री द्वारा न्यायिक अधिकारियों के एक वर्ग के विषय में कुछ अभ्युक्ति करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

यह विषय इस विधान सभा के कार्य क्षेत्र से बाहर का है, अतः मैं इसे स्वीकृति नहीं दे सकता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है लेकिन मैंने अपने पाली जिले में........

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न रखना है। मुझे यह निवेदन करना है, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीमान महबूब अली साहब के भी एक साल के अर्से के अन्दर ही पेट में कीड़े हो गये हैं, उनको मैं फ्री दवाई सप्लाई करके उनके पेट की जांच कराऊं। जो पानी दिया जा रहा है उससे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत इस समय आप कोई चर्चा नहीं उठा सकतीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध है लेकिन किस तरह का पानी उपलब्ध है यह मैं बताना चाहती हूं। पानी के माध्यम से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। मन्त्री महोदय, इस बात को मानते नहीं हैं। मैं उनको यह दवाई भेंट कर देती हूं। इस सदन की मेज पर रख देती हूं। इसको लेने से उनको मालूम पड़ जायेगा कि कीड़े हैं या नहीं।

Page No. 52

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : आपने जिसको रिजेक्ट कर दिया, Thing which you have rejected can be put on the Table of the House.

श्री अध्यक्ष : These will not be accepted.

श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़) : एक माननीय सदस्या ने राजस्थान के बहुत बड़े मसले, जिसका जिन्दगी और मौत से सम्बन्ध है, जीवन और मरण का सवाल है, को यहां पर प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि अगर इसको अलाउ नहीं किया जाता है तो मैं देश का दुर्भाग्य समझूंगा। ऐसे इम्पोर्टेन्ट इश्यू, जो सबूत के साथ यहां उन्होंने पेश किया है, को रखने की अनुमति देनी चाहिए। इससे सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा। कई ऐसे सवाल होते हैं, हम समय-समय पर प्रक्रियाओं को बदल कर काम करते रहते हैं। इस तरह की चीजें रखने की इजाजत देते रहते हैं तो इस बार ही अगर रोक दिया जावे तो हाउस में सही समस्यायें नहीं आ सकेंगी।

श्री मदनसिंह दतां : बजट भाषण के समय कह सकते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : इस पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने माननीय सदस्या को संकेत किया था कि इस बारे में आपको कहना हो, कोई शिकायत हो, आपत्ति हो तो मुझसे मेरे क ा में मिलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शत प्रतिशत लोगों के पेट में कीड़े हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री मदनसिंह दांता : आज ही कीड़े हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : पानी की वजह से कीड़े पड़ते हैं, इसमें गलती हो तो बतावें।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

अगर इसी तरह से बार-बार इश्यू साइट ट्रैक होंगे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। माननीय सदस्या ने जो आपत्ति, दिक्कत यहां पर उठाई है और माननीय श्री जयकृष्ण जी ने जिस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं इससे इन्कार नहीं करता कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय इस सदन में आवें। ये महत्वपूर्ण विषय अवश्य ही सदन में आने चाहिए। इनके लिए मेरी पूर्ण सहानुभूति है। इसके लिए मैं उदारतापूर्वक व्यवस्था देने को तैयार हूं, तत्पर हूं लेकिन इश्यूज को साइड ट्रैक कर के इनको यहां पर लिया जाए यह ठीक नहीं होगा। इस पर जो व्यवस्था मैंने दी है, उसके अनुसार ही चर्चा सीमित होनी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

Page No. 53

एक माननीय सदस्य : यह तो कीड़ों की दवाई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से नियमों के अन्तर्गत ही इस प्रश्न को उठाऊंगी लेकिन जो दवाई मैंने सदन की मेज पर रखी है, उसको तो स्वीकार कर लें। इसके लिए तो आप व्यवस्था दे दें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, रोहड़ पंचायत समिति में जो मुख्य गांव हैं वे हैं–लामड़ा, खटाना, चेड़ा, पाली,साजी, डूंगरपुर, चलाई घाटा। इनके अलावा चार, पांच गांव और हैं। मैंने बार-बार कहा है, जनता पार्टी की सरकार बनी है तब भी कहा है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : पहले सुनवाई नहीं हुई।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे अब आशा है कि सुनवाई होगी।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, पाली में बांध है। वहां का पानी काम में आ सकता है तब फिर वहां पर पानी की कैसे कमी है, यह बात डागाजी अपने भाषण में बतावें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य, वह जो बांध है वह इस गांव से चार मील की दूरी पर है। यह जो आप फर्मा रहे हैं पाली में पानी की कमी नहीं है तो माननीय सदस्य वहां पर पधार कर स्थिति को देख लें तो उनको सन्तोष हो जाएगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डागा जी जो कह रहे हैं, यह बात सही है कि पाली में पीने का पानी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी तो कहने की आदत है, कह कर सन्तोष कर लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे आशा है कि आप यहां पर बैठे हुए हैं तो इस समस्या का भी निराकरण करेंगे। सवाल यह है, बार बार यह दिक्कत आती है कि उन गांवों जहां पर खारा पानी है, में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए और इस समस्या का निराकरण किया जाए। इस समस्या को बार बार 15-16 साल से मैं यहां पर उठा रहा हूं। मैं यह देख रहा हूं कि जिन गांवों में पीने का पानी है वहां पर तो पीने के पानी की व्यवस्था सरकार करती है। मेरे यह भी ध्यान में आया है जहां पर पीने के पानी के साधन नजदीक में हैं, वहां पर व्यवस्था कर दी जाती है। परन्तु हमारा जन स्वास्थ्य विभाग उन गांवों को नहीं छूता है जहां पर पीने का पानी नहीं है। आपने यह प्राथमिकता निश्चित की है, वे गांव पहले लिये जाएंगे जहां पर पानी खारा है। उन गांवों में प्रति वर्ष सरकार की ओर से एक दो लाख रुपया ट्रान्सपोर्ट पर खर्च

(श्री मूलचन्द डागा)

कर के पानी पहुंचाया जाता है। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, जवाई के केनाल से बराबर पीने का पानी इन गांवों को दिया जाता था। तो क्यों नहीं जवाई बांध से इन गांवों को भी पीने के लिए पानी दिया जाए ? जवाई केनाल से आप जोधपुर को पानी देंगे तो क्या उसके साथ-साथ इन गांवों के लिए भी पीने का पानी उपलब्ध करायेंगे और जो रोहड़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव है, उनको आप प्राथमिकता देंगे, जिन गांवों में खारा पानी है, आस पास में पानी का कोई साधन नहीं है, मीलों तक पानी उपलब्ध नहीं है तो क्या इन गांवों को आप प्राथमिकता देंगे ? चौथी बात यह बताऐंगे कि जो कुछ पानी कुओं में था, फैक्ट्रियों के गन्दे पानी के कारण, प्रदूषण होने के कारण इन कुओं का पानी भी पीने के लायक नहीं रह गया है। बड़ी नदी का जो पानी आता था उसमें भी यह गंदा पानी मिल जाने के कारण और उसके किनारे किनारे जो कुए थे, उन कुओं का पानी भी इस प्रदूषण के कारण खराब हो गया है। ऐसी हालत में सरकार की तरफ से धनराशि लगाई जा कर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय यहां पर विराजे हुए हैं. यह पानी की समस्या है, कृपया उद्योग मंत्री उन से बात न करे, जब सदन में कोई सदस्य प्रश्न उठाता है तो यह नियम है कि उसकी बात को सुना जाए और उसके प्रश्न का निराकरण किया जाए। इस सदन में शांति बनाये रखनी चाहिए और मन्त्री महोदय को बात नहीं करनी चाहिए, यह नियम है।

श्री रतनलाल वर्मा : बात तो आप कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये जो गांव मैंने अभी आपको बताये हैं इन गांवों के लिए आज तक, पिछले 15 सालों से और अब पिछले दो सालों से कोई भी योजना नहीं बनी है। सवाल यह है कि ऐसी जगह किस तरह से आप पानी पहूंचायेगें, यह बताने का कष्ट करे ? मैं चाहता हू कि युद्ध स्तर पर इन गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाए। मन्त्री महोदय इन गांवों का निरीक्षण करें। अपने जनस्वास्थ्य विभाग को यह कहें कि इन गांवों के लिए योजना बनावे और इनको पानी उपलब्ध करावे कितने साल में आप इन गांवों को पानी दे सकेंगे ? यह भी बताने का कष्ट करें।

श्री **हरिसिंह** (**जन स्वास्थ्य मन्त्री**) : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी ने जो बात कही है उसके साथ मेरी सहानुभूति है। उनके साथ पिछले कई वर्षों से न्याय नहीं हुआ है, अब वे न्याय चाहते हैं। उनकी यह बात सही है कि वास्तव में पानी में प्रदूषण हुआ है। फैक्ट्री का गंदा पानी मिल जाता है। इसको मैं मौके पर जा कर देख आया हूं। जो प्रदूषण

(श्री हरिसिंह)

हो रहा है। परन्तु यह ग्राज से नहीं हो रहा. बहुत ग्रर्से से हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी की सरकार ग्राई तब से यह ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस राज्य में पोल्यूशन नाम की चीज नहीं थी।

श्री हरिसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, जैसी की मेरी जानकारी है 1974 से इस प्रश्न का जिक्र विधान सभा में चल रहा है। तो पहली दफा इन फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्यवाही हुई है। हमने कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की है जब कि पहले कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। तो पहली दफा यह कार्यवाही की गई है। ग्राप इसकी विस्तृत जानकारी चाहेंगे तो मैं ग्रापको दे दूंगा कि किन किन के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक इन इलाकों में पीने के पानी का सवाल है, मैं इस सारे मामले को देखूंगा ग्रौर कार्यवाही करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : ग्राप तो इसके लिए समय ग्रवधि बता दें।

श्री ड0 हरिसिंह : ग्राप से बातचीत कर लूंगा।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : ग्रध्यक्ष महोदय, पिछले तीस साल से खोमेल तथा पेनपुरा गांव में फ्लोराइड युक्त पेयजल की वजह से तीस साल के नौजवान बूढ़े हो जाते हैं। पिछली सरकार ने इस समस्या की ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया। जनता पार्टी की सरकार ने शुद्ध पेयजल देने हेतु स्कीम को पास किया है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय का ग्राश्वासन चाहूंगा कि यह स्कीम कब हाथ में सरकार ले रही है ग्रौर कब जनता को राहत पहुंचाने का काम करेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि वहां पर नाहरू की बीमारी होती है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ग्राज लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि करते हैं। उन्हें सरकार पानी उपलब्ध करा सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जावे। कृपया प्राथमिकता दें इन गांवों को। कब तक ग्रापकी योजना चालू हो जायेगी, कब तक ग्राप पैसा लगावेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए डागाजी को एक महीने के लिए छूट दे दी जावे।

श्री शिवचरण सिंह : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। 1977-78 का राजसमन्द जलाशय, उदयपुर का फिशरीज का ठेका एक उदयपुर की कम्पनी जनता फिश कम्पनी को दिया गया था लेकिन उसने स्वयं काम न करके ग्रलीपुर की एक को-ग्रापरेटिव सोसायटी को यह ठेका दे दिया। इसकी सिक्योरिटी के रूप में 8 लाख 7 हजार

(श्री शिवचरण सिंह)

रुपये तय किये जब कि इस कंपनी के पास बेलेन्स सिर्फ 30 रुपये था। बाद में शिकायत हुई कि इस कंपनी ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है इसकी जांच पड़ताल हुई। मुख्य मन्त्री जी, जिनके पास भ्रष्टाचार विभाग है, ने एन्टी करप्शन से इसकी जांच कराई। कंपनी के कागजात जप्त किये गये उसमें सिफारिक्त डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नाम से रुपये पाये गये। उनके मैं नाम बताता हूं नाथूलाल, रतनलाल, रावतमल, के. पी बोरडिया आदि 6 अधिकारी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने रेड किया तो इन अधिकारियों के नाम से रुपये डाकूमेंटस में पाये गये। यह जनता फिश कम्पनी लिमिटेड है जिसमें 30 रुपये बेलेंस थे। 8 लाख दूसरी फिश कंपनी के नाम से जमा कराये जिसका नाम है मेवाड़ फिशरमैन को-आपरेटिव सोसायटी है। यह सोसायटी बनाई 8 लाख का ठेका लेने के लिये फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने क्योंकि उस कम्पनी के पास तो रुपये थे नहीं। यह जो फिशरमैन कोआपरेटिव सोसायटी है इसके अन्दर 22 आदमी सदस्य हैं, सभी के सबूत, कागजात पकड़े गये कि कौन-कौन इसमें शामिल हैं मुख्य मन्त्री जी प्रभारी मन्त्री के हुकम से रेड हुई। जिनके नाम शेयर हैं आप उन सभी को जानते होंगे। इस सारे घोटाले में आपके पास शिकायत आ चुकी है लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है। मजबूर होकर वहां के लोगों ने हमारे जैसे लोगों से शिकायत की है कि कम से कम आप राज्य सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार विभाग ने जो कुछ किया है उसकी ओर दिखाये। कागजात के आधार पर उसने अधिकारियों को दोषी पाया है। इस फिश कम्पनी, जो कि लिमिटेड कम्पनी है,के पास रुपया नहीं था। जिसे फिश कम्पनी को ठेका दिया गया है वह केवल फिश कम्पनी के नाम पर ठेका दिया है। 8 लाख रुपये की राशि जमा हुई है जबकि उसके पास 30 रुपये थे। उसने कहां से जमा कराये 8 लाख 777 रुपये ?

श्री गुल मोहम्मद : नहीं, यह गलत है।

श्री शिव चरण सिंह : आपको ज्यादा फेक्ट्स का पता हो तो आप बता दीजिये। आप मालूम तो करिये। जो गड़बड़ी होती है वह बताना अपना नैतिक कर्त्तव्य है। मेरा मानना यह है कि यह फिश कम्पनी फर्जी है। जिस कम्पनी के नाम ठेका दिया गया है और जो 8 लाख जमा कराये गये हैं, उस पर एन्टी करप्शन विभाग ने रेड की तो सारा घोटाला कागजातों से साबित हो गया है। अब उन कागजातों को भ्रष्टाचार विभाग से उड़ाने की चेष्टा की जा रही है क्योंकि उनमें उन आफिसरों के नाम लिखे हुए हैं जो इन्वाल्व्ड हैं, जिन्होंने रुपये लगाये। एक फर्जी फिश कम्पनी बना कर उनके रुपयों से सारा ठेका चल रहा है। यह आपके जमाने की बात बता रहा हूँ। कोई पुरानी सरकार की घटना नहीं है। यह एक

Page No. 57

(श्री शिव चरण सिंह)

नई परम्परा बन रही है। इसी तरह से पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों में चल रहा है। तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, इस की आप पूरी तरह से जांच करावें और उन अधिकारियों, जिनके नाम रुपये एन्टी करप्शन विभाग ने पाये, को सस्पेण्ड करें—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके जोइन्ट डायरेक्टर अधिकारियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी आंखों में मिट्टी झोंकी जा रही है। आपके अधिकारी आपको गुमराह करते हैं, केसेज को दबाते हैं इसलिये भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही नहीं होती। यदि ऐसा होने लगा तो सरकार का भट्टा बैठ जायेगा, भ्रष्टाचार की समाप्ति नहीं होगी, यह बढ़ेगा। सारे सबूत होने के बाद भ्रष्टाचार विभाग कोई कार्यवाही न करना चाहे इसका मतलब है, आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये मेरा निवेदन है कि पिछले वर्ष घोटाला हुआ था उसके बाद इस वर्ष भी घोटाला है। इसमें जो जो राज्य कर्मचारी इन्वाल्व्ड हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। आप अपने लेवल पर एन्टी करप्शन विभाग कार्यवाही कर रहा है उसको रोक रहे हैं। आप क्यों इन्टरवीन करना चाहते है? मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार विभाग के लोगों ने जो कार्यवाही की है, उन्होंने जो कागजात पकड़े हैं उनके आधार पर कार्यवाही होनी चाहिये। उस सारी कार्यवाही को इस सदन को और मुझे जानकारी देने की कृपा करें।

श्री दूलाराम (रायसिंह नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कह दी हैं। जब सारे डाकूमेंट्स हैं, सारे सबूत हैं....

(व्यवधान)

इसके बावजूद जांच दबा रखी है। सहकारी समिति, जिसका नाम मेवाड़ फिशरमैन कोआपरेटिव सोसायटी, का उदयलाल नाम का व्यक्ति अध्यक्ष है....

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में न तो कोई पूर्व में लिखित में सूचना है न माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। यह उचित होगा कि उनकी मौजूदगी में....

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको मौजूद रहना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नियमों में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर आरोप तब लगाया जाय जब मौजूद हो।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है मंत्री महोदय ने, वह पाइंट आफ आर्डर यों नहीं बनता है कि मंत्री का यदि रेफरेन्स आता है तो वह मंत्री पर आरोप

(श्री राम नारायण चौधरी)

नहीं होता है और मंत्री पर बाकायदा आरोप लगायें तो पूर्व सूचना देने की आवश्यकता है लेकिन रेफरेन्स आया है जिससे मंत्री का सम्बन्ध है तो वह आरोप नहीं हुआ। यह एक रेफरेन्स है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह रेफरेन्स नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं आरोप लगाता हूँ। उनका हक है कि वह आरोप लगायें उनका यह पूर्ण अधिकार हैं लेकिन कृपया इसकी पूर्व सूचना दे दें ताकि मंत्रीजी मौजूद हों और उनको जो कुछ कहना हो वह कहें। आपको अधिकार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो....

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्थगन प्रस्ताव में है इसलिए सम्बन्ध है।

श्री रामनारायण चौधरी : इस स्थगन प्रस्ताव में सरकार के मंत्रीजी का रेफरेन्स है। मंत्रीजी कृपया इसका अवलोकन कर लें।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : आप पर भी लगाया था तो आपने कुछ किया। यह क्या मतलब हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आरोप नहीं लगायें तो अच्छा हो।

श्री दूलाराम : मैंने इसलिए लगाया है कि उनके सामने कहा है। उनके सामने आने के बाद भी मंत्रीजी ने उस गलत सोसाइटी को प्रोत्साहित किया है। अगर मंत्रीजी को ऐसा कहने से दुःख हुआ है तो भ्रष्टाचार मत कीजिये, भ्रष्ट मत होइये। अगर आपका दामन साफ है तो अच्छी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका जवाब तो गुल मोहम्मदजी दे देंगे।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सोसाइटी के अध्यक्ष है उदयलाल जी। उनका पता नहीं कि कहां रहते हैं ? कहां उनका निवास स्थान है ? कहां के वह वासी हैं ? उदयपुर के वह रहने वाले नहीं हैं। सोसाइटी की मीटिंग में कभी वे आये नहीं। वह किसी अधिकारी से मिले नहीं। इसकी सहकारिता मंत्रीजी से शिकायत की तो उन्होंने गौर नहीं किया। ऐसी सोसाइटी को जिस व्यक्ति ने, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने और जिस मंत्री ने प्रोत्सासित किया है उसके खिलाफ 420, 419, 463, 475 आई. पी. सी. के मुगदमे दर्ज किये जाने चाहिए क्योंकि वह फर्जी आदमी है। जब ग्रामवासी चैलेन्ज कर रहे कि, साहब, उदयलाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और यह फर्जी है। एक मेवाड़ फिशरमैन को-आपरेटिव सोसाइटी नाम की सहकारी सोसाइटी बनी है। उदयलाल उसके अध्यक्ष हैं जब कि उदयलाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तो माननीय मंत्रीजी पर आरोप क्यों नहीं लगाया जाय ? उसके अलावा उसके मंत्री है मोहम्मद

(श्री दूला राम)

शरीफ। उनका भी ज्ञान नहीं है कि वह कहा के हैं, मंत्रीजी ?

मान्यवर, "जनता पत्र" और 'उदयपुर एक्सप्रेस' ने कहा है कि उसमें हजारों रुपये बिक्री कर और आयकर के बकाया हैं। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि इससे बड़ा दुःख हुआ। मंत्रीजी ने सुना नहीं उसका बड़ा दुःख हुआ है। राजस्थान मार्केटिंग सहकारी समिति, राजसमन्द ने उदयपुर जिलाधीश को शिकायत की है कि दी मेवाड़ फिशरमैन को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो जयसनन्द से मछली पकड़ने का ठेका दिया गया है वह राजस्थान सहकारी अधिनियम के विरुद्ध है, क्योंकि किसी जिले की सहकारी समिति बोनाफाइड तरीके से पंजीयत नहीं हो तो उसको मछली पकड़ने और मारने का अधिकार नहीं है। ऐसा विभाग ने लिखा है। यह सोसाइटी मछलियां पकड़ने के लिए जो लेबर लाई है क्या उदयपुर के है ? जहां कि यह धन्धा बरसों से चल रहा है वह लेबर लाई है....

श्री रघुनन्दन व्यास : कहां से ?

श्री दूलाराम : यू०पी० से और बिहार से। गांव बनदौर, काशीपुर, कानपुर, अलीनगर और ताजपुर। यह सब गांव दूसरी स्टेट्स के हैं। वह उदयपुर के निवासी नहीं है। किस प्रकार से उन्हें ठेका दिया यह समझ में नहीं आ रहा है। 5 आदमी हैं माननीय मंत्री जी के, माननीय सहकारिता मंत्रीजी के 5 आदमी है जिन्होंने यह सोसाइटी बनाकर इस प्रकार से घोटाला किया है और 5,70,770 का ठेका लिया हैं। यह एक प्लानिंग है। वह 5 आदमी हैं मोहम्मद रफीक, श्यामसुन्दर, पुरुषोत्तमसिंह, मजीद खां और बाबूजी।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह सब मेघवाल है क्या ? आपने कहा है कि कैलाशजी मेघवाल के सम्बन्धी हैं तो वह मेघवाल होंगे ?

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में पेंडिंग है रिट पिटीशन के जरिये जिसमें कि स्टे मिला हुआ है। इसमें राज्य सरकार और श्री कैलाश मेघवाल पार्टी हैं। इसलिए ऐसे मामले पर विचार-विमर्श की अनुमति देना अगर आप ठीक समझते हो तो दें, लेकिन जैसा कि नियम है इस तरह के मामलों की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : मैं उचित तो यही समझता हूँ, माननीय सदस्य। इस पर चर्चा अब समाप्त कर दी जाय। इस पर चर्चा विशेष नहीं की जाय। यह विचाराधीन है।

श्री दूलाराम : मान्यवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मंत्रीजी यह घोषणा कर दें कि इस पर विचार हो रहा है, जांच हो रही है और घोटाले करने वाले चाहे मंत्री हो या बड़े अधिकारी हो उनके

(श्री दूला राम)

खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। यह वकालत कर रहे हैं एक भ्रष्ट आदमी की।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दूलाराम : मैं पूरी बात निवेदन कर दूं।

यह जो 5 आदमी हैं इन्होंने एक फर्जी सोसाइटी बना रखी है। एस० डी० ओ० ने जांच करके रिपोर्ट की है। सोसाइटी में 20 व्यक्ति हैं....

श्री किशनसिंह भाटी : आप इसमें वकील हैं क्या ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : जी हाँ।

श्री किशनसिंह भाटी : तभी टोन बदला हुआ है।

श्री दूलाराम : सहकारी रजिस्ट्रार ने जांच में लिखा है। सोसाइटी का नाम है मेवाड़...

श्री रतनलाल वर्मा : बिना सबूत के ही आपने कह दिया कि मंत्री भ्रष्ट हैं यह क्या तरीका है। जब तक दोष साबित न हो जाय तब तक किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है।

श्री नूरा : ठेका जो दिया गया है वह गलत है तो उसके पीछे कोई न कोई राज है। आप फर्मा रहे हैं कि क्या कारण है तो पड़ोसी से पूछ लें।

श्री रतनलाल वर्मा : जब तक आरोप सिद्ध न हो जायं जांच के द्वारा तब तक किसी को भ्रष्ट कहना बिल्कुल बेबुनियाद बात है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी है।

श्री रतनलाल वर्मा : चैयर ने इजाजत दी है तो स्थगन प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का उत्तर सुन लें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए है। मैं इनके स्वयं के कथन की दो लाइनें बतला दूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी 13 मार्च, 1970 को इस विधान सभा में विपक्ष की तरफ से आपके बराबर बैठते थे....

श्री अध्यक्ष : आपको इस सम्बन्ध में मेरा ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं निवेदन करूंगा कि The chair would appreciate my point. मेरे रखने के बाद you would appreciate it

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पुराने मुर्दों को नहीं उखाड़ा जाना चाहिए। आज की तारीख में सदन में और कोई गलत

(श्री रतनलाल वर्मा)
बात नहीं होने देंगे। इन्होंने गलत परम्पराएं डाली हैं। इन्होंने चापलूसियां की है, इन्होंने बेइमानियां की हैं। ग्राप पुरानी बातें सदन में नहीं कह सकते हैं। पुरानी बातें भैरोंसिंह जी ने कही होंगी तो कही होंगी। बिना प्रूफ के किसी को भ्रष्ट कहना उचित नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं भ्रष्ट नहीं कह रहा हूँ।

श्री रतनलाल वर्मा : ग्राप किसी बात को तूल दे रहे हैं।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : जो पिछली बातें हैं उनको कह कर जो उन्होंने किये हैं काले कारनामे उनको पकड़ना पड़ेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने, जब वह इधर विरोधी पक्ष में विराजते थे, मछलियों के ठेके के बारे में 13 मार्च, 1970 के ग्रपने भाषण में कहा है— "हमारे मुख्य मन्त्री जी को इनकम बढ़ाने की चिन्ता नहीं है। उनको चिन्ता रहती है जयसमन्द की मछलियों का ठेका मि० कपूर को देने की। मुझे मच्छी से बदबू नहीं ग्राती है। मुझे इसके नाम से ही बदबू ग्राती है। लेकिन इस डिपार्टमेन्ट की फाइल्स से बदबू ग्राती है। जिस व्यक्ति ने यह दिया है, उसके हाथ सड़ते, जिस व्यक्ति ने दस्तखत किये उसके हाथ सड़ते। जिसकी मंजूरी से ठेका हुग्रा, उसकी शक्ल सड़ती। ग्राज राजस्थान सरकार ग्रपनी इनकम बढ़ाना चाहती है?

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा, यह जयसमन्द झील का ठेका मि० कपूर को दिया है उस फाइल में बदबू ग्रा रही है। मैं मुख्य मन्त्री जी को इसके लिए एक दृष्टान्त देता हूं। एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा तो सही नहीं है लेकिन उसका सारांश सही है।

एक व्यापारी था। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री रतनलाल वर्मा : यह बच्चों का स्कूल नहीं है। यहां किस्से कहानी नहीं सुनाने दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव है क्या इस बारे में ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : एक व्यापारी था। उसके दो लड़के थे। एक लड़के का व्याह ऐसी लड़की से हुग्रा जिसका बाप चमड़े का व्यापार करता था। जब बहू ग्राई तो चमड़े की बदबू घर में भर गई। उसकी सास बहुत परेशान थी। उसके बाद

(श्री रामनारायण चौधरी)

दूसरे लड़के की शादी की। उस लड़की का बाप कपड़े का व्यापार करता था। जब दूसरी बहू ग्राई....

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कहानी कह रहे हैं। कहानी कहने का ग्रधिकार इनको नहीं है।

(व्यवधान)

ये यहां कुछ सीखने के लिए ग्राये हैं।

(व्यवधान)

ग्रगर ये योग्य होते तो इनको पद से नहीं हटाया जाता। क्या बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो दूसरी बहू ग्राई....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का प्रश्न कदाचित नहीं। इस मामले को पेचीदा माननीय श्री बजरंगलाल जी ने कर दिया है। कुछ वर्षों तक विपक्ष में मैं भी बैठा हूं। उसके ग्रनुसार जो कुछ भी चल रहा है, चलने दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : जब दूसरी बहू घर में ग्राई तो उसने ग्राते ही कहा, सासू जी, मैं एक महीने में इस घर की बदबू दूर कर दूंगी। एक महीने बाद दूसरी बहू ने सासू जी से कहा, सासू जी, मैंने घर की सारी बदबू दूर कर दी है। ग्रब बदबू का पता नहीं है। तब सासू ने कहा, बहू बदबू तो कहीं नहीं गई। लेकिन तू खुद बदबू की ग्रादि हो गई है। इसलिए ग्रब तेरे को कही बदबू नहीं ग्राती है।

तो, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि यह जयसमन्द की झील की मछलियों के ठेके की फाइल में ग्रापको बदबू ग्राती थी लेकिन ग्राज राजसमन्द की झील की मछलियों के ठेके में हमें बदबू ग्रा रही है।

श्री नवरंग सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर ग्रापको बदबू ग्राती है तो हम इनको खुशबू दे देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : उस वक्त इनको खुशबू ग्राती थी।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राज मैं वही बात मुख्य मन्त्री जी को पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने बदबू दूर कर दी है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मन्त्री जी इस व्यवस्था को हटवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसे हटाने का प्रयत्न कर दिया है। कमेटी बैठा दी है। जांच करेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : राजसमन्द की भी जांच करालें।

श्री शिवचरण सिंह : ग्रापके महकमे ने

(श्री शिवचरण सिंह)

तत्परता दिखाई है। डिपार्टमेन्ट के जो 6 अधिकारी हैं उनके रुपये जमा हैं। 6 आफिसरों के जमा हैं। एडवांस रुपया जमा है। यह आपके ए. सी. डी. ने रेड डाल कर पकड़ा है। उन्होंने कार्यवाही की है, लेकिन उसको हशअप किया जा रहा है।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम पेश करता हूं। एक हैं, जे. पी. माथुर, उपनिदेशक, जयपुर। दूसरे हैं, नाथूलाल विजय, विकास अधिकारी। तीसरे हैं, सिद्धार्थ पागड़िया। चौथे हैं, मदन लाल देठा, जयपुर। इनको 2 लाख रुपया दिया गया है। उस सोसाइटी के खाते में है। उन्होंने फाइलें पकड़ी हैं। पकड़ कर रखी हैं उसमें यह बताया जाता है कि माननीय मन्त्री का भी नाम है।

श्री शिवचरण सिंह : 27-11-78 को ए. सी. डी. ने रेड की है। जो दस्तावेज पकड़े हैं, उनमें उनका नाम है। उनको अपने कब्जे में लें। अगर कोई दबाव आ गया तो रिकार्ड रफा-दफा कर दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात स्पष्ट हो गई है कि ज्यों ही इत्तिला मिली, ए.सी.डी. ने कार्यवाही की है।

श्री शिवचरण सिंह : उन पर दबाव पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ए.सी.डी. पर कोई दबाव नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : बाद में कार्यवाही हुई है। उसके बाद में ए. सी. डी. के लोग कैसे शिथिल हो गये हैं। उनमें से किसी का दबाव पड़ा है जिनके रुपये जमा होंगे। यह काम मामूली नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपकी नीयत साफ है, यह मानता हूं। लेकिन लड्ढा के खिलाफ 4 हजार का मुकदमा दर्ज है। 273 की धारा में क्वेश्चन दिया है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द झील की मछलियों के ठेके के सम्बन्ध में चर्चा माननीय सदस्यों ने उठाई है। जो वह कहते हैं, वह गलत है। इस प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। को-आपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। वह ठीक सोसाइटी है। उसके अन्दर आदिवासी जाति के लोग हैं। कुल अल्पसंख्यक लोग हैं। दोनों ने मिलकर सोसाइटी बनाई है। जब कोई सोसाइटी बनती है तो कहीं मे कोई पैसा उधार लेकर आता है। कोई कहीं से पैसा लेकर आता है। इस पर कोई बन्दिश नहीं है कि सोसाइटी पैसा उधार ले। यह ठेका 8 लाख से ऊपर में गया है, लेकिन इसकी आधी रकम साढ़े चार लाख रुपया सोसाइटी ने जमा कराई। सोसाइटी का रुपया ढाई माह तक जमा होने के बाद भी उस सोसाइटी को सहकारिता मन्त्री जी ने लेबर परमिट नहीं देने दिया, क्योंकि सहकारिता मन्त्री जी इल्लीगल मछलियां

Page No. 64

(श्री गुल मोहम्मद)
खाना चाहते थे। सोसाइटी लीगल मछलियां पकड़ना चाहती थी लेकिन सहकारिता मन्त्री जी सहकारी समिति को यह ठेका नहीं देना चाहते थे जिसका यह नतीजा निकला कि उक्त समिति को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। वहां से सोसाइटी को स्टे मिला। यह सहकारिता मन्त्री नहीं, बल्कि एन्टी सहकारिता मन्त्री हैं। सोसाइटी अगर लेबर यहां पर न मिले तो कहीं बाहर से भी लेबर ला सकती है। जो लेबर परमिट की बात कही कि सोसाइटी के मैम्बर्स के नाम लेबर परमिट इश्यू नहीं हुआ वह गलत है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

इस सोसाइटी को क्रश किया गया है। यह बात गलत कही गई है कि मन्त्री जी ने कब्जा किया है। वह गलत है।

एक मानीय सदस्य : तो किससे किया है?

श्री गुल मोहम्मद : मन्त्री जी पर उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, जैसा कि माननीय बजरंग लाल जी ने बताया है....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : दिया गया एक सोसायटी को और बेनामी काम किया दूसरी सोसायटी ने।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इनकी इन्फार्मेशन गलत है, मुझे मालूम है क्या बात है?

श्री शिवचरण सिंह : सही है, जैसे आपको ब्रीफ किया है वैसे हमको भी ब्रीफ किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने राजसमन्द झील के ठेके को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव दिया है और जो आरोप लगाया कि अधिकारियों के ऊपर छापे मारे गए हैं एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट द्वारा उन्होंने जो कुछ तथ्य सामने रखे उसके आधार पर राज्य सरकार ने जिन-जिन अधिकारियों को दोषी पाया है उनको वहां से हटा दिया है। इसलिए यह कहना कि राज्य सरकार अधिकारियों को संरक्षण दे रही है, गलत है। जो भी वे राय देंगे निश्चित रूप से उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दूसरा राजसमन्द का ठेका देने के बारे में आरोप लगाया और कहा कि इसमें सहकारिता मन्त्री का हाथ है।

(व्यवधान)

माननीय दूलाराम जी ने संकेत दिया था। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब टेण्डर इन्वाइट हुए तो इस समिति ने टेण्डर दिया और दूसरी सहकारी समिति ने भी दिया। लेकिन देरी से देने की वजह से उसके टेण्डर को देखा ही नहीं गया और इस समिति को स्वीकृति दे दी गई। उसके पश्चात् समय-समय पर उसने मेमोरेण्डम भी भेजे। माननीय सहकारिता मन्त्री जी, जो वहां के विधायक भी हैं, के पास भी रिप्रेजेन्टेशन्स आए थे कि धार्मिक स्थान होने की वजह से राजसमन्द का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने मुझे लिखा भी है इसलिए यह कहना गलत है कि इसमें उनका कोई इन्वाल्वमेन्ट है। अगर उनका इन्वाल्वमेन्ट होता तो वे इस तरह से मेरे को नहीं लिखते, अनेक बार इन्होंने पत्र लिखे हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे कहा है इसलिए मेघवाल जी का न तो इसमें कोई हाथ है और न वे इसमें शामिल हैं।

माननीय सदस्यों का यह कहना है कि इस सहकारी समिति को राज्य सरकार ठेका नहीं देना चाहती थी और हम इस ठेके को केन्सिल भी करना चाहते थे। हमारे सामने यह भी तथ्य आया कि यह समिति भी सही है या नहीं और इसका एरिया आफ आपरेशन क्या है। इसकी इन्फार्मेशन आने में काफी समय लग गया। इसकी जांच करने के बाद वे हाईकोर्ट में चले गये और यह आदेश ले आये कि लेबर परमिट जारी कर दिया जाय।

श्री शिवचरणसिंह : किसके नाम पर ?

श्री दिग्विजयसिंह : सहकारी समिति के नियमों के अन्दर साफ है कि जो सहकारी समिति गठित है उसके ही सदस्य काम करेंगे और वे बाहर से भी लेबर एम्प्लाय कर सकते हैं। यह कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि लेबर राजस्थान का ही रखा जाय। यह जरूर है कि वे उस सहकारी समिति के सदस्य होने चाहिए और मछली पकड़ने का काम करें ताकि उनको लाभ मिले। यह नहीं है कि वे बाहर से लेबर नहीं ला सकते।

श्री शिवचरण सिंह : सहकारी समिति के एक भी सदस्य के नाम से परमिट नहीं है सारे यू. पी. के हैं। 22 सदस्यों में से एक भी राजस्थान का नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : जब सहकारी समिति के नाम परमिट इश्यूड है तो आटोमेटिक उसके सदस्य काम कर सकते हैं।

श्री शिवचरणसिंह : सारे लोग फर्जी हैं, सोसायटी भी फर्जी बना रखी है।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : यह जोइन्ट डाइरेक्टर की टिप्पणी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं "इस समिति के सदस्यों की संख्या 22

(श्री दूलाराम)

है और अनाधिकृत रूप से 150 मछुए मछली मारने का काम कर रहे हैं।

श्री **शिवचरणसिंह** : यह जोइन्ट डाइरेक्टर की टिप्पणी है।

श्री **दिग्विजयसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि राज्य सरकार की यह मन्शा नहीं थी कि इस सोसायटी को ठेका दिया जाय। हाई कोर्ट में जाने की वजह से परमिट देना पड़ा है। कोर्ट ने एक महीने के बाद उसको एक्सल्यूड कर दिया है उसकी वजह से ही यह कार्यवाही हमको करनी पड़ी।

श्री **शिवचरणसिंह** : आपने राज समन्द के लोगों की भावनाओं का आदर क्यों नहीं किया ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : 300 गज मन्दिर से दूरी तक कोई फिशिंग नहीं करेंगे।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्री, जो यहां पर बैठे हैं, उनका ध्यान आपकी मार्फत इस ओर खींचना चाहता हूं कि जिला जालौर में मुझे कई तार प्राप्त हुए हैं कि वहां के जो काश्तकार हैं, उनको जितने भी आई. ओ. सी. और बर्मा शैल कालटैक्स के पम्प हैं उनके ऊपर केरोसिन और डीजल देना बंद कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, रबी की फसल पकने पर आ गई है, ऐसे समय पम्पों के पास जो स्टाक था, उसके भाव बढ़ाने के लिए नकली स्केअरसिटी पैदा कर दी जिससे काश्तकार लोगों में पेनिक फैल जाय। पिछले साल भी मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और आपने इमीजिएटली रिपोर्ट मंगाई थी। आपने कहा था कि डीजल नहीं होने की वजह से स्केअरसिटी पेदा हो गई थी, भविष्य में नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे उधर नेशनल हाई वे से डाईरेक्ट गांधी धाम से टंकी आती है। कैरोसिन, डीजल आयल और क्रूड आइल व मोबिल आइल आता है। लोगों में पेनिक फैलाने के लिए कम्पनी एजेन्टो ने नकली स्केअरसिटी पैदा की है और पैसे बढ़ाकर, काश्तकार की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप इमीजियेटली रिपोर्ट मगवायें। आपको मालूम होना चाहिए आधे से ज्यादा क्रूड आयल राजस्थान में जालोर जिले में खपता है, वहां पर खेतों की सिंचाई के लिए कुओं पर बिजली के कोई कनेक्शन नहीं दिए हैं। सारे पम्प डीजल से चलते हैं। काश्तकार लोगों को लूटा जा रहा है। कम्पनियों ने जो तरीका बना रखा है उसको शीघ्र रोकें। केरोसिन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है उसका इन्तजाम करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सीमेंट भी जालौर जिले में नहीं मिल रहा है। 60 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से ब्लेक में बिक रहा है, आप कहते हैं गुजरात में स्केअरसिटी है परन्तु वहां तो सीमेंट खूब मिलता है। फाउंडेशन कायम करने के लिए, मशीन लगाने के लिए 3–4 कट्टे गुजरात से लाते हैं। जालौर की हालत सीमेन्ट की दृष्टि से खराब है। जितना सीमेंट आपने अलाट किया वह वहां नहीं पहुंचा। अब आपने सीमेंट अलाट किया उसकी वस्तुस्थिति आप बतायें? रसद मन्त्री और उद्योग मन्त्री दोनों इससे संबधित हैं, आप फौरन इसकी रिपार्ट प्राप्त करें। जालौर जिले में जिस तरह से जनता की लूट हो रही है उसको आप रोकें। किसान रबी की फसल में रात दिन मेहनत करने में लगे हुए हैं। उनको डीजल, केरोसीन, फूड एवं सीमेन्ट नहीं मिलता रहा हैं सरकार इसका तुरन्त प्रबन्ध करे।

श्री बिरदमल सिंघवी (आपूर्ति मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीमेन्ट का प्रश्न है, वास्तव में जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, सीमेंट की कमी देशव्यापी हैं। जालौर जिले में कमी आपने बताई है उसके लिए मेरा निवेदन है कि जालोर में तिमाही एक हजार कट्टे सीमेंट देते रहे हैं। फिर भी हम कलेक्टर से . . . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक हजार कट्टे सीमेंट अलाट किया है पर एक्चुएली गया कितना है?

श्री बिरदमल सिंघवी : इस तिमाही में सारे का सारा गया है जितना भी अलाट किया है। मैं स्वयं जालौर गया था इस तिमाही में पूरे का पूरा सीमेंट, जो अलाट किया गया है, फिर भी जो कमी होगी अगली तिमाही में अलाट करते समय विचार रखेंगे।

जहां तक डीजल की कमी का सवाल है, ईरान में उपद्रव के बाद यह कमी देश-व्यापी हो गई है। फिर भी राजस्थान में कृषकों के लिए सीमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। डीजल की कमी के कारण फसल में किसी प्रकार का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। सरकार इस विषय में सजग हैं। किसानों को डीजल समय पर मिल जाए इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

श्री सूरजपालसिंह : आपने सीमेंट वितरण का काम सहकारी समितियों को दिया है। उनके द्वारा पैसा जमा कराने के बाद भी तीन तीन महीने तक सीमेंट नहीं देते हैं। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सहकारी समितियों का पैसा तीन तीन महीने तक ब्लाक पड़ा न रहे। सीमेंट आने के बाद भी तीन महीने तक परमिट नहीं कटेंगे तो जितनी सहकारी समितियां हैं वह सारी लिक्वीडेशन में चली जायेंगी। इसके लिए आप व्यवस्था करें। फैक्ट्रीज को लखें कि हर सोसायटी से जब पैसा एडवांस

(श्री सूरजपाल सिंह)

में लेते हैं तो फिर भी सीमेंट भेजने में देरी क्यों करते हैं ? व्यापारियों की भी यही दिक्कत थी। ग्रापने इस चीज को कभी महसूस नहीं किया। जब किसी डीलर से सिक्यूरिटी ली जाती है माल ग्रगेन्सट डाक्यूमेंट थ्रू बैंक भेजना चाहिए। सोसायटी ने भेजे 1½ लाख रुपये फिर भी तीन महीनों तक माल नहीं भेजा। ग्राप ग्रच्छी व्यवस्था करें नहीं तो यह सोसायटीज डूब जायेंगी।

श्री रघुनन्दन व्यास : ग्रान ए पाइंट ग्राफ इन्फार्मेशन।

श्री **बालकृष्ण थानवी** : इसमें भ्रष्टाचार होता है, इसलिए कमेटी बना दी जाए।

श्री रघुनन्दन व्यास : जालौर जिले में भीनमाल में जनता पार्टी की सरकार ग्राने से पहले हर महीने 5 स्पेशल ट्रेन्स जाती थीं, क्रूड ग्राइल के 30 टैंक्स की, वह बंद हैं। 15 हजार पम्पिंग सेट्स ग्राज भी वहां यूरिया की कमी, डीजल ग्रौर क्रूड की कमी ग्रौर सीमेंट की कमी, ऐसी हालत में जो सूचना रसद मंत्री ने दी है ग्रपर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री **सूरजपालसिंह** : गोदाम जालौर जिले में होने चाहिए।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर ग्रनुमति हो तो मैं ग्रपने स्थगन प्रस्ताव पर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करूं ?

श्री **बालकृष्ण थानवी** : रसद मंत्री जी ने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या वे सीमेंट का कोटा वितरण मुकर्रर करने के लिए जनता के व्यक्तियों की कमेटी बनाकर वितरण की सुव्यवस्था करवायेंगे ? कारण यह है कि सरकारी ग्रधिकारियों के हाथ में सीमेंट वितरण की व्यवस्था होने से इसमें भारी भ्रष्टाचार होता है।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : ग्रापको सीमेंट की बात कहनी है तो इधर ग्रा जाइए।

श्री **किशनसिंह भाटी** : ग्रान ए पाइंट ग्राफ ग्रार्डर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दल बदल ग्रपराध है। सदन में कन्वेसिंग कर रहे हैं। 'इधर ग्रा जाग्रो' कहकर दल बदल को प्रोत्साहन दिया गया है, इसको एक्सपंज किया जाए। यह प्रक्रिया प्रोत्साहित नहीं हो तो ग्रच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : सत्ता दल को छोड़कर ग्राने में बहादुरी है।

श्री **किशनसिंह भाटी** : दल बदल के लिए सदन में कन्वेसिंग नहीं किया जा सकता।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं कोई कन्वेसिंग नहीं करता।

श्री **ग्रध्यक्ष** : ग्राया राम गया राम छोड़ दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान प्रजातांत्रिक व्यवस्था की टूटी हुई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। शहरों के विकास के लिए टाउन प्लानिंग विभाग का अपना महत्व है। किसी भी शहर में एक भी मकान का निर्माण इस विभाग की सहमति के बगैर नहीं हो सकता। टेक्नीकली यह आवश्यक है। हमें यदि शहर का विकास करना है तो टाउन प्लानिंग विभाग सुचारु रूप से काम करे, यह हमें देखना होगा। अफसोस की बात है कि इस सदन के बीसों माननीय सदस्यों द्वारा, सरकार, मुख्य मन्त्री व स्वायत शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी उस विभाग में व्याप्त इर्रेगुर्टीज और इल्लीगलिटीज को दूर करने में हमारी सरकार बिल्कुल असफल रही है। जब स्वायत शासन मंत्री साधारण सदस्य थे, तब उन्होंने टाउन प्लानिंग विभाग संबंधी कई प्रश्न पूछे, कई आरोप लगाए। इसके अलावा अन्य 15 विधायकों ने चीफ टाउन प्लानर महोदय की गतिविधियों और उनके काम करने के ढंग के बारे में लिखित में सरकार को दिया उन्होंने विभाग में आपाधापी की है, अपने चेहते–चहते अधिकारियों की सी. आर. तो अच्छी लिखी और अपने विरोधियों की सी. आर. खराब लिखी है। इस विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इर्रेगुलर्टीज की गई उनको दूर किया जाए। सारे विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है।

चीफ टाउन प्लानर के जी हुजूरों की जमात लगी हुई है। उनको जो जी हुजूर नहीं करता है उसको दण्डित किया जाता है। इतना होने के बाद भी हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं मुख्य मन्त्री जी और यह सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए परन्तु अफसोस है कि मुख्यमन्त्री जी के अधीन जो ए० सी० डी० हैं उसने चीफ टाउन प्लानर श्री केम्बो के विरुद्ध 13-12-78 को यह रिपोर्ट दे दी कि इन्होंने जयपुर में दो सिनेमाघरों को एक ही प्लाट में इजाजत देकर हजारों रुपयों की घूंस ली है। उससे इन्होंने विदेश की यात्रा की है। जो उनकी लीगल आमदनी है उससे अधिक यह खर्चा कर रहे हैं। 13-12-78 को ए०सी० डी० ने मुख्यमन्त्री जी को रिपोर्ट दे दी लेकिन मन्त्री महोदय ने उस रिपोर्ट को दबा रखा है। उस रिपोर्ट में एस०सी०डी० ने माना है कि चीफ टाउन प्लानर श्री केम्बो दोषी हैं। इन्टरनेशनल पुलिस के द्वारा इसकी विदेशों में जाँच करवाई जाय कि वह जब वहां रहे तो इनका खर्चा किस ने वहन

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

किया है । लेकिन अफसोस है कि चार महीने के बाद भी हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई । मेरा यह ग्रारोप है इस सदन में कि एक चीफ टाउन प्लानर जैसे ग्रधिकारी के सामने सारी सरकार ने घुटने टेक दिये । सरकार जब इतने बड़े ग्रधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती तो फिर छोटे बाबूग्रों के खिलाफ कार्यवाही करने का क्या ग्रधिकार है ? ग्रापको क्या ग्रधिकार है कि भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर वोट मांगें ग्रौर यहां शासन करें ? यह क्रोकोडाइल टीयर्स किस के लिए हैं ? क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था को छोड़ने के लिये बीस बीस विधायकों ने लिखकर दिया कि उनके खिलाफ जांच की जाये लेकिन सचिवालय में वह फाइलों में दबे हुए हैं। मन्त्री महोदय, ग्रापका इसमें हाथ है या नहीं, यह मेरा ग्रारोप नहीं हैं लेकिन मुख्यमन्त्री जी के समक्ष सारे मन्त्री बौने है । सारी सत्ता का केन्द्रीयकरण मुख्य मन्त्री के पास है। मुख्यमन्त्री महोदय भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पर सारी स्टेट को गुमराह करते ग्राये हैं। टाउन प्लानिंग ग्राफिस के कुछ कर्मचारियों ने सौ पेज का दस्तावेज सब विधायकों में बांटा है। इसमें यह ग्रारोप लगाया है कि चीफ टाउन प्लानर श्री केम्वो भ्रष्ट हैं। उसमें जो ग्रारोप लगाये गये हैं वह राज्य सरकार के पास इन्क्वायरी के लिए पड़े हैं। लेकिन ऊपर इन्क्वायरी नहीं हो रही है । मैंने भी ग्रारोप लगाये हैं ग्रौर गम्भीरता पूर्वक लगाये हैं ।

ग्राज ए० सी० डी० की रिपोर्ट पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ग्राप कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं, बड़े बड़े ग्रधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कम से कम ए० सी० डी० को खतम कर दीजिए यह जो छाती ठोक-कर भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए ग्रौर कांग्रेसियों को गाली देना छोड़ दीजिए। यह इसका प्रमाण है कि केम्वो ने सारे डिपार्टमेंट को क्रिपल कर दिया है, सारी सरकार का जो मुखड़ा है उसका पर्दाफाश कर दिया है, ग्राज की सरकार भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही है। ग्रसिस्टेन्ट टाउन प्लानर ग्रौर डिप्टी टाउन प्लानर, जो उनकी जो हुजूरी नहीं करते हैं, को दण्डित किया जा रहा है ग्रौर उनकी सी० ग्रार० खराब की जा रही है, उन्होंने जयपुर के ग्रन्दर एक प्लाट में दो सिनेमा घरों की परमीशन दी है। वह जौहरी गोटे वाला के ग्रसर में है। कहीं ग्राप जौहरियों के दबाव तो में नहीं ग्रा गए ? ग्राज यह तय हो जाये कि ग्रगर एक भी विधायक किसी ग्रधिकारी के विरुद्ध ग्रारोप लगाता है तो उसकी जांच क्यों नहीं की जाती है ग्रौर जांच करके इस सदन को क्यों नहीं बताया जाता है कि जो ग्रारोप लगाया गया है वह सही है या गलत है ?

बीस बीस विधायकों ने लिखकर सर-

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

कार को दिया है और सरकार सोई हुई है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गला घोटना है या नहीं? अगर बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते और ए० सी० डी० की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, जिनकी जगह जेलों में होनी चाहिए वह आज शासन में बैठें हुए हैं तो फिर आप क्यों यहां बैठे हुए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे नहीं कहें तो और कहां जायें? मैंने कल 6 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। सरकार मानती है कि वह आरोप सही है लेकिन कार्यवाही नहीं करती। इस सदन में मैं आरोप लगाता हूं और यह सौ पृष्ठों का दस्तावेज मैं हाउस के पटल पर रखता हूं। एक आदमी ने आपा धापी करके भ्रष्टाचार करके सारे डिपार्टमेन्ट को क्रिपल कर दिया है उस अधि कारी के सामने सरकार घुटने टेक रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी है। और समय रहते हमारी सरकार ने सही बात नहीं सुनी तो इनकी मृत्यु की घंटी तो बजी लेकिन साथ ही साथ हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी-हम चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, ईमानदारी का शासन हो और इम्पारशलिटी हो। बड़े बड़े अधिकारी और नेता अगर भ्रष्ट हैं तो जेलों में जायें। आप इन्दिरा गांधी के खिलाफ बात करते हैं। केम्बो साहब इन्दिरा के भी बहुत नजदीक रहे हैं और हमारी सरकार के भी बहुत नजदीक हैं। उनके दबाव में तो आकर आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? जौहरियों के सामने आपने आत्म सम्मान बेच दिया है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। है, मंत्री महोदय, आप में हिम्मत यह कहने की, कि आपने केम्बो के खिलाफ प्रश्न नहीं पूछे? क्या आपने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के खिलाफ आरोप नहीं लगाये? यह हिम्मत करके कहें। अगर वह आरोप सही हैं तो जवाब दीजिए कि आप जांच करवायेंगे? क्या आप उस अधिकारी को सस्पेण्ड करेंगे? आप टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के चीफ टाउन प्लानर को सस्पेण्ड कर दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा: स्वायत्त शासन मन्त्री जी बैठे हैं। इसका उत्तर दें हिम्मत के साथ, उसकी फाइल ए० सी० डी० ने मुख्य मन्त्री जी को भेजी हुई है। मैंने एक बार सदन में कागजात रखे उसका क्या हुआ? यह सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। यह जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टों को संरक्षण दे रही है।

श्री रतन लाल वर्मा: अध्यक्ष महोदय, में निवेदन करूंगा कि इस तरह का खुला आरोप लगा रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता: खुला नहीं है।

(श्री मदनसिंह दाता)

(व्यवधान)

ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर....

श्री रतनलाल वर्मा : जिस तरह से खुला ग्रारोप लगा रहे हैं यह बिलकुल उचित नहीं है। सरकार को घोषणा करके जांच करवानी चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : जांच होकर सारी फाइल मुख्य मन्त्री की ग्रालमारी में बंद है।

श्री रतनलाल वर्मा : पूरा सदन चाहता है कि भ्रष्टाचार सामने ग्राये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके जरिये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केशोरायपाटन के थानेदार के खिलाफ कार्यवाही की सदन में मांग की गई उसको सस्पेन्ड करने की घोषणा की ग्रौर कहा गया कि गलत ग्रादमी को यह सदन नहीं बख्शेगा। ग्रगर ए.सी.डी. ने भ्रष्टाचार मान कर जिस ग्रधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दी है क्या मन्त्री महोदय उस ग्रधिकारी को सस्पेण्ड करने के लिए कहेंगे? है इतनी हिम्मत ग्राप में? क्या हमारी सरकार की रगों में खून नहीं पानी बह रहा है? चीटियों को हर कोई मार सकता है लेकिन काले नाग, जिनको कांग्रेसियों ने पनपाया, को ग्राप भी ग्राज दूध पिला रहे हैं। ग्राप काले नागों को दूध पिलाना छोड़ दें वरना यह ग्रापको ही डसेंगे। ग्रापको डसने के साथ ही साथ हमारी स्टेट की दुर्गति होगी। हमारी सरकार के जो ईमानदार, कर्मठ ग्रौर निष्ठावान कर्मचारी हैं उनके हितों की कुर्बानी होगी। हम कभी भी यह सहन नहीं कर सकते कि राजस्थान का चीफ टाउन प्लानर गलत ढंग से लाखों रुपया ले। ग्रढाई हजार तनख्वाह मिलती है परन्तु घर 850 रुपये ले जाते हैं। लोन्स ले रखे हैं, उनकी किश्त गवर्नमेंट काट लेती है। 850 रुपये के ग्रन्दर इतना बड़ा ग्रधिकारी 30 दिन का खर्चा कैसे चला सकता है। ए. सी. डी. ने कहा है, रिपोर्ट में लिखा है, उसकी जांच की जाय। जयपुर जिलाधीश कार्यालय के बाबू को पकड़ सकते हैं, छोटे मोटे सिपाही को पकड़ सकते हैं लेकिन मगरमच्छ ग्रापकी ग्रांखों के नीचे पल रहे है। क्या इनके खिलाफ एक्शन ले सकते है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रन्त में मैं कहूंगा हमारे मुख्य मन्त्री जी चले गये क्योंकि उनको पता था कि ग्रारोप लगाये जायेंगे। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्राप खड़े होकर कहने की हिम्मत करें। 13-12-78 को ए. सी. डी. ने यह रिपोर्ट

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

दी है कि आरोप सही हैं। राजस्थान के चीफ सैक्रेट्री ने उस पर नोट लिखा है, इस रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाय। क्या आप उस पर कार्यवाही करेंगे? है इतनी हिम्मत? अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की शिकायतें आयेंगी।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाईंट आफ इन्फार्मेशन। यह वही केस है जिसके लिये मैं हाजिर हुआ था। यह 273 में दिया था। आपने फर्माया था, डिपार्टमेंट ने आपको भी धोखा दिया। आपने गलत जवाब दिया है कि यह डिपार्टमेंट मेरे नीचे नहीं है। यह हमारे पास आया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप इजाजत दें तो यह आरोपों का पिटारा सदन की मेज पर रख दूं।

श्री मदनसिंह दांता : आपने कहा, मेरे से कन्सन्ड डिपार्टमेंट नहीं है। इसकी फाइलें चीफ मिनिस्टर के पास पड़ी हैं। ऐसे ही वाटर वर्क्स वाले मिस्टर डड्ढा की फाइलें चीफ मिनिष्टर के पास पड़ी हुई हैं चीफ मिनिस्टर के आफिस में प्लोभन के कारण फाइल रोका जाता है। अगर कन्सर्न नहीं है तो भंवर लाल जी कैसे बोलेंगे? आपको मालूम है मुख्य मन्त्री के पास फाइलें हैं। आप परस्य कीजिये।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : इन्दिरा गांधी को यह लोग तानाशाह कहते हैं। निश्चित रूप से आज....

श्री डूंगरराम पंवार (टी. बी.) : सस्पेंड करने की नौबत खतम कर दी जायें। जो दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति हों, उनको दण्ड दिया जाय। सस्पेंड करते हैं मानों उनकी लीव संक्शन हो जाती है, तनख्वाह लेकर आराम करते हैं ....

श्री बालकृष्ण थानवी : चीफ टाउन प्लानर के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं और पुलिन्दा पुस्तक के रूप में सदन के पटल पर रखा गया है उसकी निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि जनता पार्टी की छवि जनता में न बिगड़े। इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि छोटे जौहरियों के बैठने और उनका व्यवसाय चलाने के लिये जयपुर स्थित जौहरी बाजार में आज से करीब 14 साल पहले लाखों रुपये लगाकर जो दो मन्जिला मार्केट बनाया गया था और जिसके लिये पड़ोसी मन्दिर का भाग भी मुआवजा देकर अवाप्त किया गया था उस मार्केट को निहित स्वार्थ वालों ने आज तक शुरू नहीं होने दिया जिसके कारण किराये का भारी घाटा हो रहा है अतः उसे तत्काल शुरू किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : जांच हो गई, फाइल मुख्य मन्त्री के पास पड़ी हुई है।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : जांच हो चुकी है।

श्री **मदनसिंह दांता** : जांच हो चुकी है, आफिस में पड़ी है। उस मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिये, जिसने फाइल रोकी है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : सरकारी उत्तर सुनिये।

श्री **बालकृष्ण थानवी** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी आरोप लगाया ऐसा ही मामला यहां के जौहरी बाजार का वर्षों से अटका पड़ा है। लाखों रुपये की सम्पति लगाकर जोहरी बाजार में छोटे जौहरियों के लिए जो दो मन्जिला मार्केट बनाया गया था उसका मूल द्वार अभी तक नहीं खोला गया है। जौहरियों को दुकानें देकर उस मार्केट में उनका व्यवसाय चलाना तो दूर रहा। अतः मेरी पुरजोर मांग है कि इस मार्केट की सारी बाधाएं दूर करके तत्काल शुरू करवाया जाय।

श्री **शंकरलाल** : आन ए पाइंट आफ आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री **शंकरलाल** : चर्चा चल रही है दूसरे विषय पर, यह बोल रहे हैं दूसरे विषय पर।

श्री **अध्यक्ष** : यह अप्रासंगिक है।

श्री **शंकरलाल** : दूसरे, अध्यक्ष महोदय, यहां कांग्रेसी राज्य में नागों का पनपाने की बात कही गई। आपके राज में यह अजगर हैं....

श्री **अध्यक्ष** : सरकारी उत्तर सुन लीजिये।

श्री **भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ टाउन प्लानर श्री कम्बो को लेकर जो सदन में चर्चा हुई, उसमें यह आरोप लगाया गया, यह संकेत किया गया है कि राज्य सरकार उनको किसी तरह से बचाना चाहती है, यह निराधार है, बिल्कुल गलत है।

श्री **मूलचन्द डागा** : यह बिल्कुल सही है।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : आप सुनिये तो सही। You please keep silent.

श्री **मूलचन्द डागा** : We don't want your orders. You can't tell us directly.

श्री **भंवरलाल शर्मा** : Please keep silence.

मेरा यह निवेदन है इस मामले की ए. सी. डी. के द्वारा जांच की गई। उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ गई है। यह मामला वैसे तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के विचाराधीन है। जहां तक मेरे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

डिपार्टमेंट का सवाल है उस रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड करना या और भी कोई एक्शन लेना आवश्यक होगा तो निश्चित रूप से लिया जायगा। किसी को बचाने का सवाल नहीं है। जो प्रक्रिया है इसके आधार पर कार्यवाही डिपार्टमेंट आफ पर्सनल करता है, वह वहां है, अभी कुछ नहीं कह सकता। श्री गुप्ता जी जितनी आपको चिंता है, मेरे ख्याल से मुझे शायद उससे कम नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आवश्यक कार्यवाही कड़ी से कड़ी करनी होगी, राज्य सरकार करेगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कितने समय में ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने जांच करके मुख्य मन्त्री जी का ध्यान कब दिलाया? मुख्य मन्त्री ने क्या कार्यवाही की? क्या क्या जांच हुई? आपने अपना माइण्ड कब एप्लाई किया और एप्लाई करके आपने क्या कार्यवाही की? डिपार्टमेंट आफ पर्सनल को आपने क्या लैटर लिखा, यह बताईये? हम शब्दों का आडम्बर नहीं चाहते। हम चाहते हैं ठोस काम। We want action. not the words.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि इनके खून में भी यही बात है तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि ए. सी. डी. ने क्या रिपोर्ट दी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने क्या रिपोर्ट दी और आपकी क्या राय बनी? अन्तिम निर्णय इस बजट अधिवेशन के दौरान में ही करने का विचार रखते हैं या नहीं? सवाल भ्रष्टाचार का है। आप भ्रष्टाचार दूर करेंगे परन्तु क्या अपनी समाप्ति के बाद करना चाहेंगे या पहले? People are watching with keen interest whether the Bhaironsingh Government is above the board or not?

श्री भंवरलाल ऐरन : He is above the board.

श्री अध्यक्ष : He is pure gold.

श्री मूलचन्द डागा : We want concrete answer. We want action not the words.

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया यह विषय माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के अधीन है। परन्तु मैं अपने स्तर पर भी इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मन्त्री मण्डल कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी से काम करता है।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : आपने क्या माइण्ड बनाया। भैरोंसिंह जी के पास है या भंवर लाल जी के पास है। We don't want evasive reply. We want concrete reply.

(व्यवधान)

सवाल यह है कि आपने क्या माइण्ड बनाया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मन्त्रिमण्डल जोइन्ट रेसपान्सिबिलिटी से काम करता है। आप अपने विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के आरोप से बच नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री से क्यों नहीं पूछा ?

श्री मूलचंद डागा : He is not answering the specific question. We want definite reply. He is trying to avoid it. we want that he should be pinned down.

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइंट आफ इनफार्मेशन। अध्यक्ष महोदय, केस किसी के खिलाफ डिसाइड हो जाय और मुख्य सचिव और मुख्य मन्त्री की यह ताकत है कि दो-दो,चार-चार महीने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट रोक लें ? What is he enquiring ? He should have disposed it of.

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं कहा है मैंने।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब एन्टी करप्शन की रिपोर्ट में कुछ चार्जेज सही पाये हैं और वह रिपोर्ट मुख्य मन्त्री के पास पड़ी है तो क्या जानकारी की ?

श्री मदनसिंह दांता : What is he enquiring now ?

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : स्वायत शासन मंत्री महोदय, जो दोषारोपण किया है उस पर क्या आपने माइन्ड बनाया है ? अधिकारी दोषी है या नहीं ? आप ने क्या रिपोर्ट भेजी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें यह बता दिया जाय कि मंत्री महोदय ने तीन महीने मे क्या कार्यवाही की। आपके डिपार्टमेंट ने क्या कार्यवाही की....

(व्यवधान)

आपकी नजर में आपने उसमें गलती पाई है या नहीं ?

श्री गुल मोहम्मद ; ऐसे भ्रष्ट

(श्री गुल मोहम्मद)

अधिकारी को माननीय मुख्य मंत्री महोदय प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इसी वजह से जयपुर का डवलपमेंट रुका पड़ा है। जो जयपुर का डवलपमेंट रुका है वह इसी की वजह से रुका है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आसन को सहयोग दीजिये।

मैं माननीय सदस्यों को इतना ही कहूंगा उनकी उद्विग्नता के साथ मेरी सहानुभूति है। First maxim of jurisprudence है कि Justice delayed is justice denied. जो कुछ भी हो मैं सरकार को विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस मामले को डिस्पोज आफ कर दें।

(व्यवधान)

अब आगे चलिये।

श्री मूलचंद डागा : इसी अधिवेशन में क्या इसका उत्तर आ जायगा ? 30 तारीख तक या 31 तारीख तक उत्तर आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने भी दो शब्द कह दिये। अब इनको क्या मजबूर करूं ये तो प्योर गोल्ड हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्क फार फूड के तहत जो गेहूं दिया जा रहा है गांवों में....

कई माननीय सदस्य : फूड फार वर्क है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात न करें।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं वर्क फार फूड। उसको संशोधित किया है फूड फार वर्क। इन्हीं की सहायता कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अरे भाई इन्टरप्रिटेशन दोनों का एक ही है। काम के बदले अनाज योजना के तहत गेहूं दिया जा रहा है पंचायतों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कल अनियारी पंचायत समिति के सरपंच का टेलीग्राम आया है कि वहां पर खराब और पाईजन गेहूं देने की वजह से जो मजदूर काम पर लगे हुए हैं, उनको खाने के बाद उलटी हुई और उनकी तबियत खराब हो गई। जितने भी राजस्थान में गेहूं के गोदाम हैं उनके अन्दर बहुत ज्यादा तादाद में गेहूं खराब हुआ है। सारे एफ. सी. आई. के अधिकारी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि फूड फार वर्क योजना में खराब गेहूं दिया जाय। फूड फार वर्क में खराब गेहूं दिया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। राजस्थान

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

में जो निर्माण कार्य करना चाहते हैं वह सबसे बढ़िया मकसद है गरीब मजदूरों को मजदूरी देने का, गरीब लोगों को रोजगार देने का। जरूरत इस बात की है कि जिनको रोजगार नहीं मिलता है उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। किन्तु काम के बदले अनाज योजना में उनको बढ़िया गेहूं नहीं मिलता है। अधिकारी लोग उनको अच्छा गेहूं देना चाहते हैं किन्तु एफ. सी. आई. के अधिकारी जो सड़ा हुआ गेहूं उनके पास पड़ा है वह ग्राम पंचायतों को दे रहे हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि जो भी उनको गेहूं दिया जाय उसके लिये हमारे अधिकारियों को स्पेशल हिदायत दी जाय कि एक तो तौल से पूरा हो दूसरे सड़ा हुआ न हो। यह शिकायत नहीं आनी चाहिये। मैं खबरदार कर देना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि एक भी मजदूर बीमार हो जाय, या ऐसा न हो कि कोई मौत का शिकार हो जाय अगर ऐसा हुआ तो आपके माथे यह कलंक का टीका आयेगा इसलिये आप अपने अधिकारियों को, बी. डी. ओ. को, कलेक्टर को यह सख्त हिदायत दे दें कि एफ. सी. आई. के गोदाम से सड़ा हुआ गेहूं नहीं लें। गांव के लोगों को बढ़िया गेहूं दिलवाया जाय। बढ़िया काम लें और घटिया गेहूं मिले तो आपकी बदनामी होगी। मेरा निवेदन है कि कम से कम इस बात की तरफ हमारे मन्त्री महोदय तवज्जुह दें और अपने अधिकारियों को हिदायत दें कि बढ़िया गेहूं देना चाहिये, सड़ा हुआ गेहूं किसी प्रकार भी गांवों में नहीं जाना चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने....

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी स्थगन प्रस्ताव है, विषय एक ही काम के बदले अनाज का....

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने काम के बदले अनाज योजना के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार ने देहात के गरीब लोगों को काम दिया और काम के बदले में अनाज की एक योजना चलाई। यह योजना मात्र एक भ्रम जाल है या पोल है, इसके सम्बन्ध में तो बजट के समय निवेदन करना चाहूंगा और उस समय बताऊंगा कि इस योजना में किस प्रकार पोल के ढोल बजाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों को काम के बदले अनाज का प्रलोभन दिया गया था, लोगों से वायदा किया गया था कि आपको समय पर खाने के लिए

Page No. 79

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

अनाज उपलब्ध करवा दिया जाएगा पर समय पर उनको अनाज नहीं दिया है निश्चित रूप से जिन गरीब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था वे ही लोग काम पर आए। उसका नतीजा यह निकला कि हजारों रुपयों के काम हो गए। क्योंकि आपने ग्राम पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी थी कि पांच हजार रुपयों तक के काम के लिए सरकार से किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यता नहीं है और न किसी प्रकार के एस्टीमेट्स की आवश्यकता है इसलिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपनी मनमानी तो चलाई, भ्रष्टाचार भी फैलाया पर काम भी कराये जिनमें निश्चित रूप से गरीब लोग काम पर लगे। गरीब मजदूरों ने काम किया लेकिन आज उनको पिछले तीन महीने से अनाज नहीं मिल रहा है। मैं अपने जिले के बारे में जानता हूं और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता हूं कि वहां पर काम हुए, मस्टर रोल भरे वह पंचायत समितियों के पास पहुंच गए लेकिन गरीब लोगों को अनाज नहीं मिला है। ऐसे कई गांव हैं जिसमें दस-दस हजार रुपयों के काम हो गए हैं लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यही आपकी वह योजना है, जिसके द्वारा आप इन गरीब लोगों के पेट भरना चाहते थे? क्या लोगों को मजदूरी के लालच में डाल कर, लोगों को भुलावे में रख कर, उदारता के भ्रम में डालकर योजना चलाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, ये अलग से पंचायत कर रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अगर उनको यह भरोसा होता है कि इस योजना में....

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, डागा जी अलग से पंचायत कर रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : समय पर अनाज नहीं मिलेगा तो वे और जगह जाकर मजदूरी करते और अपना भरण पोषण करते, माही पर जाकर काम करते। राजस्थान नहर पर या अन्य कहीं जाकर काम करते, हिन्दुस्तान के किसी भाग में जाकर काम करते, चाहे किसी इण्डस्ट्री में जाते, कारखाने में जाते, शहर में जाकर मजदूरी करते पर उनको निश्चित तौर से समय पर पैसा मिलता, मजदूरी मिलती लेकिन इन अभागों को समय पर अनाज भी नहीं मिला जिनकी तमन्ना थी कि सरकार उसके लिए कुछ करने वाली है। वे हताश हो चुके हैं। उनको तीन महीने से अनाज नहीं मिला है। उनको पैसा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नकद मिल नहीं रहा है। उनकी इनकम का कोई दूसरा जरिया नहीं है। उन लोगों को आपने बांध कर रख दिया है। न कहीं जाते बनता है न खाने को मिलता है। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं आपने इतनी बड़ी फर्जी योजना चलाई है जिससे सारे राजस्थान के गरीब लोगों को, गरीब मजदूरों को आपने गुमराह किया है और उनको आज तक आपने खाने को अनाज नहीं दिया है। अब आप बतायें कि कब तक उनको अनाज उपलब्ध करा देंगे?

इसके साथ ही घोषणा हुई है कि 1235 गांव अकालग्रस्त है। अकाल ग्रस्त गांवों में हर वर्ष काम होते हैं और काम के बदले पैसा दिया जाता है। लेकिन आज अकालग्रस्त ग्रामों में भी काम चालू नहीं किए जा रहे हैं। उनमें भी अनाज के बदले काम की योजना चल रही है। अनाज नहीं मिलने की वजह से अकाल से ग्रस्त गांवों में भी मजदूर भूखों मर रहे हैं। फसल हुई नहीं, इस बार ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई, टिड्डी खा गई, कातरा खा गया, बरसात हुई नहीं, अनेक प्रकार से, अनेक तरह से कई जगह अकाल पड़ा है अगर मजदूरों को समय पर अनाज नहीं मिलेगा तो वे खायेंगे क्या? जियेंगे कैसे?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसके पास और दूसरा तो कोई जरिया है नहीं। वह मिलने वाले अनाज को बेच कर दूसरी चीजों की व्यवस्था करता है, नमक की व्यवस्था करता है, सब्जी की व्यवस्था करता है, कपड़े की व्यवस्था करता है। आज यह हाल है इसलिए मेरा आपके द्वारा यही निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को कि अब आप जनता को इस तरह से भुलावे में मत रखें। अगर अनाज नहीं दे सकते हैं तो पिछले वाला तो भुगतान कर दें। स्पष्ट तौर से कह दें कि हमारी सरकार निकम्मी है, सरकार अनाज नहीं दे सकती। यह साफ भी हो चुका है क्योंकि पिछले तीन माह से अधिक का अनाज नहीं मिला है। अब अधिक देर तक लोगों को भुलावे मे नहीं रखें और जो पिछला तीन महीने का अनाज बाकी है उसका भुगतान करके मजदूरों से हाथ जोड़ लें तो आपका छुटकारा हो जाएगा। इससे आपकी स्थिति क्या होती है यह तो जब चुनाव आयेंगे तब पता चलेगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है।

श्री बालकृष्ण यानवी : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री नूरा : आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय थानवी, आपका नाम नहीं है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जब काम के बदले अनाज की राज्य सरकार की योजना आई तो हमने भी इसकी सराहना की लेकिन इसकी क्रियान्विति में घपला हो रहा है और लोगों को मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी महीनों तक नहीं मिले तो मैं समझता हूं कि ऐसी योजना नहीं चलाते तो ही अच्छा था। मैं पाली जिले का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। रायपुर का गणेश डेम का काम मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से पूरा नहीं हो सका। इसी तरह से सुमेर की पंचायत के कई गांवों में काम चालू हुए लेकिन अनाज नहीं मिलने के कारण काम बन्द करने पड़ेंगे। इसी तरह से जैतारण में अकाल स्थिति है। वहां यह कहा गया कि अनाज आ रहा है इसलिए काम के बदले मजदूरी दे देंगे लेकिन वहां पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, काम के बदले मजदूरों को अनाज ही नहीं मिल रहा है बल्कि इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। आज आपने कह दिया कि पचास प्रतिशत से कम मजदूरी नहीं जाएगी लेकिन आपका पाली का कलेक्टर कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता। 60 पर्सेन्ट मैटीरियल पर दूंगा। और चालीस प्रतिशत मजदूरी दूंगा इसीलिए हमारे वहां पर मजदूर काम नहीं करते। पाली जिले की मीटिंग में भी हमने कहा और जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा, हणवन्तसिंह जी ने कहा, गरासिया में जो भी मजदूर हैं, उनकी मजदूरी नहीं मिली इसके कारण। इसके बाद भी वहां का कलेक्टर, जो कि आई. ए. एस. अधिकारी है, कहता है कि मैं तो इस नियम को नहीं मानता, मैं तो चालीस पर्सेन्ट ही दूंगा। इसके अलावा बोरियों के लिए दस रुपये यातायात के लिये जाते। अगर चार मील पर पंचायत है तो भी दस रुपये और पचास मील पर है तो भी दस रुपये लिये जाते हैं। यह क्या पोपाबाई का राज है, हर एक के लिए दस रुपया। एक्चुअल लो, जितना आपका यातायात का खर्चा आता है वह रहीं लेकर हरएक से दस रुपये लेते हैं। पाली जिले में इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है और इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। वहां पर सारा काम ठप्प पड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो कुछ काम शुरू हुए थे उससे आपकी सराहना हुई थी लेकिन वह भी अब खतम हो गई है। लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। योजना में भी भ्रष्टाचार हो रह है। जो अनाज मिल रहा है उसके लिए अभी जैसा माननीय श्योपतसिंह जी ने कहा कि कई जगह खराब मिल रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में····

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री बालकृष्ण थानवी : इसी सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत काम के बदले अनाज योजना की क्या गति हो रही है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत बायड़ी के अन्तर्गत मोहरां गांव है, जो कि पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर में है। वहां के उपसरपंच ने एक पत्र भेजा है यह पत्र मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाता हूं—जो कि इस प्रकार है—

मान्यवर, निम्न निवेदन करते हैं कि—

"हमारे ग्राम मोहरां के तालाब की खुदाई 11-12-78 को शुरू की गई थी। उस समय हमें आदेश था कि मजदूर जल्दी लगा कर काम करवाया जावे। हमें विश्वास था कि चलते काम में अनाज मिलता रहेगा और हम मजदूरों का काम चलता रहेगा। हमने दो हफ्ते तक काम चलाया परन्तु हमें कुछ भी अनाज नहीं दिया गया। अनाज न मिलने के कारण हम मजदूर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी तक हमारे तालाब में काफी मिट्टी अन्दर पड़ी है व हमारा कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है अतः आपसे निवेदन है कि हमारा पहले का अनाज दिलवायें और आगे भी हमारा कार्य चालू करवाने की मेहरबानी करें।

अगर हमारे तालाब में बची मिट्टी बाहर नहीं निकली तो हमें आगे भी पानी के बारे में तकलीफें उठानी पड़ेंगी हमारे तालाब में ग्राम जोड़ व कसाइयों की ढाणियां तथा फलौदी की मवेशी पानी पीने आती हैं। तालाब में मिट्टी अन्दर होने की वजह से बारह महीने पानी नहीं ठहरता बल्कि पहले ही खूट जाता है और हमें जल समस्या की तकलीफ उठानी पड़ती है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस समस्या का हल करने की मेहरबानी करेंगे।"

मान्यवर, एक तरफ तो अनाज का जखीरा समाप्त हो जाने के नाम पर राजस्थान भर के काम रोके गये और दूसरी तरफ अखबारों में यह पढ़ने को मिला कि भारत सरकार का तत्सम्बन्धी कमीशन जयपुर आया है और उनके प्रवक्ताने यह कहा है कि राजस्थान सरकार ने आवंटित 25 प्रतिशत अनाज ही उठाया है हमने राजस्थान के लिए अनाज का जो लक्ष्य रखा

(श्री बाल कृष्ण थानवी)

था उसका 75% नहीं उठाया। तो, मान्यवर, इस तरह से हम अनाज के घाटे में रहे हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी बावजूद काम के जिन्हें अनाज नहीं दिया गया है उनको काम के बदले अनाज दिलाया जाय और भारत सरकार से जो कोटा नहीं उठाया गया है उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जावे। मोहरा गांव से सम्बन्धित पत्र मैं सदन के पटल र प्रस्तुत करता हूं।

श्री मयुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि काम के बदले अनाज देने की योजना में भारत सरकार ने इस बात का फैसला किया है क्या, कि सब स्टेटों को अनाज उनकी आबादी के आधार पर दिया जावे? यह मेरा पहला प्रश्न है। जितनी स्टेट्स की आबादी है उसके आधार पर अनाज दिया जाएगा क्या भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है?

दूसरा प्रश्न मेरा है कि क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से अपनी आबादी से ज्यादा अनाज उठा लिया है?

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या अब भारत सरकार राजस्थान सरकार को अनाज देने को तैयार नहीं है क्यों कि आपने अपनी आबादी से ज्यादा अनाज उठा लिया है? जहां जहां पर कामहुए थे वहां पर लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। अब आपके पास में अनाज नहीं है और भारत सरकार भी अनाज देने को तैयार नहीं है। क्या यह स्थिति पैदा हुई है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री महोदय देने का कष्ट करें।

श्री दिग्विजयसिंह(पंचायत राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह जी ने उणियारा पंचायत समिति और कुछ ग्राम पंचायतों के अन्दर खराब गेहूं देने और उस कारण से मजदूरों को उल्टी होने, बीमार होने के सम्बन्ध में कहा है। मुझे इस बात का दुःख है कि यह पंचायत समिति मेरे क्षेत्र में ही है और मेरे को इस बात की कोई जानकारी नहीं है....

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह राव राजेन्द्रसिंह का पत्र है, सरपंच हैं उनका पत्र है जिनको आप भी जानते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : उनको मैं भी जानता हूं और जिस पंचायत के सरपंच हैं, मैं स्वयं वहां पर जा कर आया हूं। काम के बदले अनाज योजना का जो काम हुआ है, उसको देख कर आया हूं। वहां पर जो मजदूर कार्य कर रहे थे, उनसे मैंने व्यक्तिगत तौर से पूछा है, आपको अनाज मिल रहा है और मिल रहा है तो किस प्रकार का अनाज मिल रहा है? इसी प्रकार मैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, अजमेर और अन्य जिलों में भी गया हूं। मैंने खुद ने वहां जाकर अनाज का निरीक्षण किया है। काम को देखा है। मजदूरों से पूछा है कि अनाज

Page No. 84

(श्री दिग्विजय सिंह)

कैसा मिल रहा है। अभी माननीय श्योपत सिंह जी ने जैसा कहा, यदि ऐसी स्थिति हुई है तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इस की जांच करवाऊंगा और भविष्य में इस प्रकार का अनाज मजदूरों को नहीं बंटे, इसकी पूरी व्यवस्था करूंगा। यह जो आपने उदाहरण दिए हैं इनकी मैं पूरी जांच करवाऊंगा और जानकारी कर के इसकी अगली व्यवस्था पूरी तरह से करूंगा।

इसके साथ ही कुछ बातें माननीय राम रघुनाथ जी ने यहां पर कही हैं। एक बात उन्होंने यह कही कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अनाज नहीं मिल रहा है। गेहूँ न मिलने के कारण, काफी समय तक मजदूरों को अनाज नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जरूर रहा है कि दो तीन मस्टर रोल चढ़ गये हैं और इस वजह से वितरण करने में विलम्ब हुआ है। अनाज नहीं दिया गया हो, ऐसा नहीं है। वितरण की परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ है। मैं भविष्य के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि 31 मार्च तक जो कार्य चल रहे हैं उनको पहले पूरा करवाया जाए और कोई नये काम हाथ में न लिये जाएं। उनको जितनी मजदूरी है, जितना अनाज है, वह निश्चित रूप से चुका दिया जाएगा। इस बात का भय है कि मजदूरों को अनाज नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनाज मिलेगा और उनकी जितनी मजदूरी है, वह पूरी मजदूरी चुका दी जाएगी।

जो प्रश्न माननीय थानवी साहब ने उठाया है, जिसका उन्होंने यहां सदन में उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में मैं जानकारी कर लूंगा और उसके लिए जो व्यवस्था हो सकेगी, वह अवश्य की जाएगी।

माननीय माथुर साहब ने तीन प्रश्न पूछे थे। एक आबादी के आधार पर अनाज क्या अगले वर्ष दिया जाएगा, दूसरा क्या अनाज ज्यादा उठा लिया है आबादी के हिसाब से, और तीसरा क्या भारत सरकार अनाज देने को तैयार नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न भारत सरकार के सामने जरूर आया था कि अगले वर्ष राजस्थान को ही नहीं सारे देश में जहां अनाज के बदले काम की योजना चल रही है; वहां पर आबादी के आधार पर अनाज देंगे। इसका हमने विरोध किया है। हम ने यह कहा है कि हम को आबादी के आधार पर न देकर नीड बेस पर अनाज दिया जाए ताकि राजस्थान के अन्दर काम की जो गति है, वह चलती रहे और काम अवरुद्ध न हो। मैं विश्वास दिला सकता हूँ, हमें आशा है कि भारत सरकार आबादी के आधार पर न देकर नीड बेस पर ही हमको अनाज देगी।

श्री मथुरादास माथुर : क्या भारत सरकार ने यह कमिटमेंट कर लिया है ?

श्री दिग्विजयसिंह : हमारा प्रयत्न यह है। उन्होंने यह लिखकर नहीं दिया है कि आवादी के आधार पर अनाज देंगे। यह तो उनका एक संकेत है। अगले वर्ष अनाज न देंगे, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अगले वर्ष भी यह योजना लागू रहेगी और अनाज मिलेगा काम के बदले अनाज योजना को चालू रखा जायगा।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री समरथ लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप की देर तक कहां गायब रहे? माननीय मदनसिंह जी के बाद आप बोलें।

(व्यवधान)

समय दे रहा हूँ। स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव इस मुद्दे पर था कि भारत के जो लॉ मिनिस्टर हैं शान्ति भूषण, जो कि हमारे कानून से तरह से वाकिफ हैं, हमारे जजेज के में अपमानजनक शब्द कहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सदन से सम्बन्धित।

श्री मदनसिंह दांता : बात को तो कह लेने दीजिए।

मुझे बड़ा अफसोस है कि जब पालिया-मेंट में जजेज की पे-स्केल की बात हो रही थी तो हमारे लॉ मिनिस्टर ने उनको चपरासी की संज्ञा दी। मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में यह पहला मौका आया है जब जजेज का इस प्रकार से अपमान किया गया है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर न्यायाधीश के प्रति कुछ कह दिया था तो सारे देश में आन्दोलन हुआ था। आज जजेज कोर्ट छोड़ कर सड़क पर आ गये हैं, बाहर आ गये हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। कोई अनपढ़ आदमी यह बात कहता तो हमारी समझ में आ सकता था किन्तु शान्ति भूषण जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति उनको चपरासी कहें तो यह समझ में नहीं आता। यह हो सकता है कि शान्ति भूषण जी जब कोर्ट जाते होंगे तो वे अधिकतर चपरासी से ही बात करते होंगे इसलिए उन्होंने चपरासी कहा है। कम से कम इस सदन की ओर से एक चिट्ठी लिख कर कहना चाहिए कि, लॉ मिनिस्टर, साहब आपने सारी न्यायपालिका की बेइज्जती की है। मैं चाहता हूँ कि कोई जजेज के प्रति कुछ कहे तो अपने को कुछ न कुछ उस पर विचार करना चाहिए।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जुडिशियरी की हम प्रतिष्ठा रखेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : हाई कोर्ट में आपका बजट खुल चुका है। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय दांता साहब ने जो सवाल उठाया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि शान्ति भूषण जी ने यह बात किस सन्दर्भ में कही है, उसकी कोई अधिकृत जानकारी न तो मेरे पास में है और न दांता साहब के पास में है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरे पास में है। यह 9 तारीख का इण्डियन एक्सप्रेस है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह आप अखबारी रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। जुडिशियरी की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, उसके प्रति हम स्वयं जागरूक हैं। हम इसकी प्रतिष्ठा, सम्मान को अक्षुण्ण रखेंगे। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि शान्ति भूषण जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने इस तरह की बात कही, यह बात जंचती नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इस अखबार में यह पूरा कालम है। जब उनकी तनख्वाह के बारे में चर्चा हो रही थी, जब जजेज की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो रही थी तब मंत्री महोदय ने कहा कि बैंक में जाकर चपरासी हो जाओ। यह इंडियन एक्सप्रेस में है। मैं इसको दस्तखत कर के देता हूं। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

यह अच्छा नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं। आज जो लीगल माइन्डेड हैं उनको मामूली रिक्शा चलाने वाले, जयपुर हाई कोर्ट में एक रिक्शा चलाने वाले ने कहा था कि आप बेइमानी से काम करते हैं तो एक घंटा जन जागरण में भाषण दिया था कि तुम ऐसी बात मत करो। आज हमारे भारत के संविधान का अपमान किया है शान्ति भूषण जी ने। उन्होंने यह नहीं सोचा कि किस जगह क्या बोलना चाहिये

श्री समरथलाल : मैं एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की नियुक्तियां, प्रमोशन और आरक्षण के बारे में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब जब सत्र आता है तब तब मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण और उनकी नियुक्तियों के बारे में लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है और यह सदन जानता है कि जनता पार्टी के अन्दर अनुसूचित जाति और जन जाति के सदस्य होने के बावजूद यह सरकार उनके आरक्षण के बारे में और उनकी पदोन्नति के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में पिछले

(श्री समरथ लाल)

वर्ष 89 सब इन्सपेक्टरों के प्रमोशन हुए, उनके ग्रन्तर्गत एक भी ग्रनुसूचित जन.जाति का सब इंस्पेक्टर नहीं बना। ग्रध्यक्ष महोदय,...

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : सूचना गलत है। एक तो श्री राम को बनाया था, ग्रापको याद होगा। नहीं हो तो पता कीजिये। एक बात ग्रौर कहना चाहूंगा कि जब से राजस्थान बना तब से पहली दफा शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में यह प्रमोशन किया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ग्रध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट में से मिनिस्टर बना दिया इसका मतलब यह हो गया क्या कि ये हमारा मुख बन्द कर रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : जैसा कि कल हरिसिंह जी कल कह रहे थे....

श्री शिव चरण सिंह : सबसे ज्यादा प्रमोशन किस जाति के हुए ? 89 में से एक विशेष जाति के 40 ग्रादमी प्रमोट हुए हैं, यह ग्रौर बता दीजिये। मेरी जाति वालों को तो नौकरी मिलती नहीं, नौकरी में जाते नहीं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : (मन्त्री, संसदीय कार्य) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि दो बजे गये हैं ग्रौर माननीय....

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव ले लिया गया है। जो स्थगन प्रस्ताव दो बजे से पहले ले लिये गये हों वे खत्म होने पर ही चर्चा खत्म होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : ग्रध्यक्ष महोदय, जब भी शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न ग्राता है तो चाहे सरकारी पक्ष के लोग हो चहे विरोधी पक्ष के लोग हो, वे इसका विरोध करते हैं। उस पर कोई निर्णय नहीं होने देते। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप हमारे कास्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे हितों की रक्षा करने वाले हैं। हम ग्रापसे प्रार्थना करते हैं ग्राप हमें समय दीजिये।

श्री समरथलाल : मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहता हूं ग्रापके माध्यम से, ग्रध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम, कार्यालय में जो पदोन्नति का प्रतिशत रखा गया है उसकी पालना नहीं होती, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, कोई भी मन्त्री ऐसा नहीं है जो यह कह दे कि मेरे विभाग में पूरी पालना होती है। कोई भी मन्त्री, मुख्य मन्त्री जी भी नहीं कह सकते इस बात को कि उनके विभाग में ग्रारक्षण की पालना होती है। इसलिये माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सरकार को कहने के लिये बार बार स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ता है। ग्राज ये लोग परेशान हैं,

Page No. 88

(श्री समरथ लाल)

राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी में रहते हैं इनको नियुक्ति नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती और आरक्षण की ओर राज्य का कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि समाज कल्याण विभाग भी इनके हितों की रक्षा नहीं करता है उसमें भी आरक्षण की पालना नहीं होती। जब-जब यह सवाल आता है तब-तब माननीय गृह मन्त्री जी डिस्टर्ब करते हैं, जितना अहम् सवाल है उस रूप में नहीं लेते। पिछली सरकार में इसके लिये मन्त्री स्तर की एक समिति बनाई गई थी, वह सर्वेक्षण करती थी। किन्तु आज इस सरकार में कोई कमेटी नहीं है।

श्री संपतराम : कमेटी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी और केदारजी उसके सदस्य हैं। आज तक रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं था। छोटी केटेगरीज में वह पहली दफा हमने चेंज किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप तो बड़ी के लिये बताइये।

(व्यवधान)

आप तो सफाई कर्मचारी बता देंगे।

श्री समरथलाल : इस कमेटी की, अध्यक्ष महोदय, कभी मीटिंग नहीं हुई।

श्री सम्पतराम : यह बिल्कुल गलत है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो गलत है लेकिन अभी जो प्रमोशंस हुए उनमें आपने कितने हरिजनों का प्रमोशन किया। जितने इंस्पेक्टर सब इन्सपेक्टर्स में से लिए गये उनमें कितने प्रतिशत लिये आपने, जरा बताइये।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट का समय इस मामले में लेना चाहता हूं। यह सरकार घोषणा करती है, नीतियां बनाती है, कमेटियां कायम करती है लेकिन नतीजा क्या होता है इसकी कोई जानकारी नहीं होती आज कोई भी हैड आफ डिपार्टमेंट या कोई भी मन्त्री यह कह दे कि नियुक्ति और प्रमोशन का कोटा पूरा है तो मैं मान लूं लेकिन ये करते कुछ भी नहीं है। खाली घोषणाएं करते हैं, कमेटियां बनाते हैं और नीतियां घोषित करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं।

एक कमेटी की घोषणा माननीय गृह मन्त्री जी ने कई बार इस हाउस में की थी कि वह शिक्षा विभाग में प्रमोशन्स की एक कमेटी बनाकर जांच करायेंगे। क्या हुआ उनकी इस घोषणा का? क्या उनकी घोषणा को मन्त्री मण्डल द्वारा ठुकरा दिया गया? मैं ऐसी घोषणाओं से सख्त नाराज हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे

(श्री जयनारायण सालोदिया)

साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सरकार के हम भी प्रतिनिधि हैं। इस सरकार को बनाने में हमारा भी योगदान है। हम भी इस सरकार के हिस्सेदार हैं। आरक्षण पर सरकार को अमल करना चाहिए। जनता पार्टी इनकी ही नहीं है हमारी भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो कहें उस पर अमल करें।

मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रश्न मैंने व्यक्तिगत रूप से आरक्षण के बारे में और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की नियुक्तियों के बारे में इस विधान सभा मे पूछे ये सरकार ने उनको स्थगित करा दिया। यह कोई प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं। यह निकम्मी सरकार है जो प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहती। ऐसी सरकार को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है।

कई माननीय सदस्य : शेम। शेम।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी उन लोगों के बारे में चिन्तित नहीं हैं जिन लोगों के बलबूते पर वह यहां पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं, वह सरकार का मुंह ताकें। हम उनके प्रतिनिधि हैं, और माननीय ८ह मन्त्री जी भी उनके प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रतिनिधि के नाम पर वह सरकार में बैठे हैं। उनको वह भूल गये एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठकर। वह हमारी स्थिति को भूल गये। वह अपनी स्थिति को भी भूल गये कि वह कौन हैं और किसलिए बैठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हीरालाल आर्य : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत ही गम्भीर मामला है और भयानक मामला है।

श्री कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : हाई कोर्ट के जजेज के अपाइन्टमेंट में इनका कोई निशान नहीं हैं। उनको इन्फीरियर मानते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की नियुक्तियों के मामले में जब हम देखते हैं तो कहने को नाम का रिजर्वेशन है, लेकिन मै स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि किसी भी विभाग में इनको रिजर्वेशन के आधार पर नियुक्तियां

(श्री हीरालाल आर्य)

प्राप्त नहीं होती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग पढ़ लिख कर घूमते रहते हैं। यह कह कर कि यह योग्य नहीं है इनको हटा दिया जाता है और नौकरियों में लगाया नहीं जाता है। प्रमोशन के बारे में रोस्टर प्रणाली को लेकर इनको प्रमोशन से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का जो प्रमोशन कोटा है वह पूरा किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन के आधार पर जो कुछ होना चाहिए था वह उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को जो बेकारी भत्ता दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं हैं। उस थोड़े से भत्ते में वह शहर में रह नहीं सकते हैं, मकान किराये पर नहीं ले सकते हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह भत्ता बिना शर्त के हो। सरकार इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्रीसमरथ लाल।

श्रीसमरथलाल : पिछले सत्र के अन्दर माननीय विधि मन्त्रीजी ने जवाब दिया था। सवाल यह था कि कितने लोग ऐसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के है जो प्रमोशन आर. जे. एस. में पाने के अधिकारी हैं? माननीय विधि मन्त्रीजी ने बताया था कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो 1975 के नियम बने हुए हैं आरक्षण के उसके अन्दर प्रमोशन पाने के अधिकारी हैं और उन दो व्यक्तियों का प्रमोशन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि इस सवाल का उनका उत्तर बिल्कुल गलत था। जो आर. जे. एस. के प्रमोशन्स हुए थे और सेशन्स जज की लिस्ट निकली थी तो जो रेगुलर तरीके से प्रमोशन होते हैं उस तरीके से उनको बनाया है। उनको आरक्षण के अनुसार नहीं बनाया गया है।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री टीकमचन्द कान्त, यह बड़ी महत्वपूर्ण और नाजुक समस्या है। आप चाहें तो इसके लिए अलग समय निकाल कर दूं। आज इस सम्बन्ध में कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, एक और बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी एक बात और कह दें।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिस पर कम से कम एक घण्टे चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे 15 तारीख के बाद मेरे कक्ष में मिलेंगे तो गम्भीरता-पूर्वक विचार करूंगा ।

श्री समरथ लाल : धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें । माननीय श्री बजरंगलाल शर्मा ।

याचिका का उपस्थापन

भूमिहीन किसानों को पुनः काश्तकारी अधिकार

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भूमिहीन किसान, जिनके पूर्वजों की भूमि में सिंचाई के कुए भी बनाये हुए हैं, जो वन विभाग में मिला लिये हैं, को पुनः काश्तकारी अधिकार प्रदान करने से सम्बन्धित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था इसलिए उसे समाप्त करने का अवसर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : कल पूरा नहीं किया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल कन्टीन्यू था ।

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी, माननीय सदस्य, यह दी गई है कि आप अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं । यदि नहीं किया हो तो दो मिनट बोल लें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मेरी पार्टी ने मुझे जानकारी यह दी है कि पहला भाषण आज मेरा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम आ चुके हैं । मेरे पास आपका नाम है । मैं आपको अनुमति दूंगा बोलने की ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : फिर तो वही 5-7 मिनट वाली बात हो जाएगी यदि मथुरादास जी पहले बोलेंगे तो ।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी बहुत देर तो होगी ।

श्री टीकमचन्द्र कान्त : मुझे, अध्यक्ष महोदय, पहले बोलने दें । मथुरादासजी बाद में बोल लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह चेयर के लिये समस्या है । आप इस बारे में क्यों चिन्तित हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी तबीयत खराब है इसलिए समय मुझे पहले देदें ।

श्री रतनलाल वर्मा : तबीयत खराब है तो दवा लेकर आ जाइयेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके साथ मेरी सहानुभूति है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। विशेषाधिकार का एक प्रश्न, जो जयपुर आकाशवाणी के खिलाफ था, पर व्यवस्था कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : उसकी व्यवस्था भी होगी आकाशवाणी के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर वे माफी मांग लें तो माननीय सदस्य उदार हों। इस सम्बन्ध में होली की छुट्टियों के बाद और विचार कर लूंगा।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं करो जो अभी लगाये है, के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा था। अभी जो नये कर लगाये हैं बजट में इनमे किसानों को बहुत अधिक राहत नहीं मिली है। किसानों पर जो लगान बढ़ाया है, सिंचाई और कुओं पर और भेड़ बकरी पर जो कर लगाया है उससे किसानों में असन्तोष रहेगा और असन्तोष है। यदि इस सरकार ने इन करों को वापस नहीं लिया तो सरकार के प्रति किसानों में असन्तोष पनपेगा और किसानों का यह असन्तोष सरकार को खा जायगा। माननीय वित्त मन्त्रीजी, आपको किसानों की स्थिति का पता नहीं है। किसान गरीब हैं, किसान के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वह सारे दिन खेत पर खून पसीना करके महनत करते है उसकी स्थिति दयनीय है। इसके बावजूद भी आपने उस पर कर लगाये हैं। मैं चाहूंगा कि किसानों पर मे यह कर बहुत जल्द समाप्त किये जायें।

आपने कुवो पर कर लगाने का निश्चय किया है। भेड़ बकरियों पर कर लगाया है। भेड़ बकरियां कोई बड़ा आदमी नहीं पालता है। एक गरीब भेड़ वाला सबेरे से घर से निकल कर जाता है और रात को लौट कर आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों पर इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। हम भी किसानो की तरफ से आते हैं। किसानों के प्रतिनिधि हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि भेड़ बकरियों पर लगाया हुआ कर, किसानों पर लगाया हुआ कर तुरन्त वापस लें।

अध्यक्ष महोयय, यहां प्रौढ़ शिक्षा ग्राम सेवकों तथा जन स्वास्थ्य रक्षकों पर बेकार खर्च किया जा रहा है। उसे बचाना चाहिये। इन पर खर्च बेकार हैं।

मेरे क्षेत्र में पिछले दो साल से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाई हुई है उसको स्वीकार करें।

(श्री हीरालाल आर्य)

इटावा से इन्द्रगढ़ सड़क बनाई जाये। इटावा तहसील है वहां 150–200 मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है इसलिए चम्बल नदी पर पुल बनाया जाना चाहिये।

इटावा मेरा स्थान है, वहां पर मुंसिफ मजिस्टेट का कार्यालय खोला जाना चाहिए।

पेयजल योजना को इटावा, खातोली, पीपल्दा, गैंता, अपाना, बमोरी में लागू कर पूर्ति करनी चाहिए। कोटा में आयुर्वेद महाविद्यालय तथा हाड़ौती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।

मैं चाहूंगा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर जीप की सुविधा मिले। सिपाही जो 24 घण्टे काम करते हैं उसकी वेतन वृद्धि की जाये।

शराबबन्दी के बारे में वे निवेदन करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि शराब बन्द हो। यह देश का कलंक है। लेकिन जिन जिलों में शराबबन्दी की गई है क्या वहां पर शराबबन्दी हो गई है? आज वहां पर कानून और व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो लोग यह चाहते है कि कानून के आधार पर शराबबन्दी की जाये, अनुचित है। कुछ आमरण अनशन की धमकी दे रहे हैं। वह मरते क्यों हैं? आमरण अनशन करने के बजाय उनको गांव में जाना चाहिए। गांवों में जाकर लोगों को यह कहें कि वह शराब न पियें। जनता की तरफ से जब यह प्रस्ताव आये कि शराबबन्दी की जाय, तभी शराबबन्दी होगी। जिन जिलों में शराबबन्दी हुई हैं, वहां सारी न्याय और व्यवस्था डगमगा गई है। घर घर में शराब बनने लगी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा यह निवेदन है कि कानून की दृष्टि से शराबबन्दी न की जाकर जन मानस का परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब जन मानस तैयार हो जावे तब जनता की ओर से सरकार पर प्रेसर डाला जाये और तभी शराबबन्दी होनी चाहिए।

जो वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें उन्होंने भेड़ बकरियों, लगान और सिंचाई पर जो कर लगाये हैं, उनको छोड़कर बाकी बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का यह 1979–80 का जो आय व्यय का ब्यौरा पेश हुआ है, इसके ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राजस्थान सरकार 1979–80 में अगले वित्तीय वर्ष के अन्दर हमारी अर्थ व्यवस्था के अन्दर 1,129,52 करोड़ रुपये, करीब करीब 1130 करोड़ रुपया प्लान और नान प्लान एक्सपेंडीचर अगले साल करेगी। अगर हम किसी अर्थ व्यवस्था में जाते है तो यह अर्थ व्यवस्था जरूर कुछ

(श्री मथुरादास माथुर)

उथल पुथल करते है। मैं राजस्थान सरकार के बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(2.25 म.प.)

(श्री मंजूर अली, सभापति, पदासीन)

साथ ही साथ भारत सरकार का जो बजट आया है और जितने सूबों की सरकारों ने बजट पेश किये हैं, उन सभी में बड़े बड़े घाटे हैं। राजस्थान सरकार ने भी घाटे का बजट पेश किया है। हिन्दुस्तान के अन्दर जनता पार्टी की सरकारों ने क्या इस बात का निर्णय ले लिया है कि हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग का निर्णय ले लिया है तो सिवाय मंहगाई के और कुछ नहीं होगा। राजस्थान सरकार के आंकड़ों के जरिये से सदन के सामने वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात बताने की कोशिश की है कि वह अवाम की बहुत सेवा करने को तैयार हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े रखे हैं उन पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर आपका बजट लोगों की सेवा करने के बदले मंहगाई बढ़ा दे, तकलीफें बढ़ा दे, इन्सानों की जरूरत की आम चीजों को मंहगा कर दे। तो मैं आपके बजट को अच्छा बजट नहीं कह सकता हूं। मैं उस बजट को अच्छा बजट नहीं कह सकता जिसके कारण स्कूल में जाने वाला बच्चा स्कूल में नहीं जा सके। स्कूल खाली पड़े रहें। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या यह बजट छठी पंचवर्षीय योजना के मसविदे को बना कर रखा है जिसके लिये आपने घोषणा की थी। आपने योजना इस देश की पांच छः बातें देकर बनाई थी। तो क्या आपका यह बजट छठी पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है ? क्या आपने उस योजना का यह पहला ड्राफ्ट रखा है। उसके अन्दर सबसे पहली बात थी कि बेरोजगारी मिटायेंगे। इकानामिक ग्रोथ करेंगे। अर्थ व्यवस्था में यह योजना सहायता करेंगी। जनता की बेसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी। योजना का यह लक्ष्य था। हमारे देश में एक सूबे से दूसरे सूबे में और एक जिले से दूसरे जिले में, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो डिस्पेरिटीज हैं, उनको इस योजना के जरिए से समाप्त करेंगे। उनको लेकर छठी पंचवर्षीय योजना बनाई है। राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना के पहले साल की पहली योजना रखी है, आप बड़े जोर से कहते हैं कि 275 करोड़ की योजना रखी है। आपकी योजना में जितने खर्चे होंगे, वह उन उद्देश्यों को पूरा करेंगे या वह डिसपेरिटी बढ़ा देंगे ? पर-केपिटा इनकम कम कर देंगे या इनकम बढ़ जाएगी ? तो 275 करोड़ खर्च करने का तखमीना रखा है यह आपकी योजना के खिलाफ है। यह राजस्थान के लिए घातक सिद्ध होगा। यह

(श्री मथुरादास माथुर)

देश में मंहगाई बढ़ायेंगी। इकानामिक ग्रोथ बढ़ाने के बजाय कम कर देगी। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहीं यह नहीं कहा है कि इकानामिक ग्रोथ होगी।

....उसको पोटेशियल ग्रोथ होगी, पांच पर्सेन्ट होगी, दो पर्सेन्ट होगी या 3 पर्सेन्ट होगी या माइनस ग्रोथ होगी, यह आपने अपने बजट भाषण में नहीं कहा है। अगर हम पिछले दस साल के आंकड़ों से मुकाबला करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे यहां रुपया खर्च करने के बाद नेशनल प्रोडक्ट जीरो है। 1977-78 में स्टेट डामेस्टिक प्रोडक्ट 949 रु. से घट कर 939 रु हो गई। आपका दो साल का यह परफार्मेन्स रहा है। आपके दिये हुए आंकड़े ही मैं पढ़ रहा हूं इतना रुपया खर्च करने के बाद भी स्टेट प्रोडक्ट बराबर घटता गया है, एक साल के अन्दर। बड़ी-बड़ी बातें वित्त मंत्री जी, आपने अपने बजट में कही है, मगर नेट रिजल्ट क्या हुआ ? जो रुपया आपने इकानामी में डाला, स्टेट प्रोडक्ट में 10 करोड़ कम हो गया। मगर जो इन्वेस्टमैंट क्या इकामॉमी में वह पहले से ज्यादा बढ़ा है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट [कम हो जाय, यह कोई अच्छी इकानामी नहीं है। पर केपिटा इनकम 319 रुपये से घटकर 308 रुपये हो गई। वित्त मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर चन्द अस्पताल खोल देने से, चन्द स्कूल खोलने मे, चन्द कुक्कुट शाला खोल देने से बजट के आंकड़े नहीं बढ़ाये जा सकते। बजट एक डाक्यूमेंट है राज्य सरकार का जिसमें स्टेट की इकानामी को आगे बढ़ाने और पूंजी के ठीक बंटवारे की बात होनी चाहिए, पूंजी का बंटवारा सोशल जस्टिस के आधार पर होना चाहिए। हमारे देश के अन्दर इकानामिक ग्रोथ बढ़ सकती है. मगर पूंजी का वितरण ठीक तरह से नहीं होगा तो चन्द लोग पूंजीपति हो जायेंगे और बाकी लोग वहीं के वही रह जायेंगे। इसलिए इकानामिका सर्वे जो आंकड़े देता है और आपके बजट मे जो आंकड़े हैं इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा लगता है कि इकानामिक सर्वे के आंकड़े देने वाला और वित्त मंत्री जी के भाषण को लिखने वाला एक एक ही है। इकानामिक सर्वे के आंकड़े को मैं पिछले सालों से पढ़ता रहा हूं। उसमें आपने इस प्रकार से आंकड़े रखे हैं जैसे आप स्टेट की कमजोरी को छिपा रहे हों। राज्य में एक ब्यूरो ऑफ इकानामिक सर्वे कायम होना चाहिए जिसका कण्ट्रोल नान आफिशियल बाडी के हाथ में हो। स्टेटिस्टिकल ब्यूरो का काम यह होना चाहिए कि वह सभी आंकड़े पेश करे।

आपकी परफार्मेन्स क्या है—1123 करोड़ रुपया जो इकानामी में लगाया है यह रुपया आप लाते कहां से हैं ? इसके पांच-छः सोर्सेज हैं। हिन्दुस्तान के एव मे बहुत

(श्री मथुरादास माथुर)

कम रुपया आप उठा पाते हैं। आपने कहा है, कुछ तो प्लानिंग कमीशन से रुपया मिलता है, जिसके लिए आपने कहा कि अब की बार रुपया कम मिला। गाडगिल फार्मूले मे भी आपको कम रुपया मिल रहा है, 4.6 की जगह 4.1 ही मिल रहा है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वित्त मन्त्रीजी भी जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। क्यों नहीं आप केन्द्र पर अपना असर डालते हैं, राजस्थान को क्यों पीछे रख रहे हैं? आपकी तो दिल्ली में बहुत पूछ है, मुख्य मन्त्रीजी महीने के तीस दिन में से20 दिन दिल्ली में रहते हैं, क्या वह यह काम नहीं करवा सकते? गाडगिल फार्मूले को चेन्ज करवा लो। मैंने, माननीय सभापतिजी, पहले भी कहा था कि स्टेट-सैन्टर के रिलेशन्स मे तब्दीली होनी चाहिए। हमने सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने भी पैरवी की थी, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर आप क्या बजट का मर्सिया पढ़ रहे हैं। फाइनेन्स कमीशन से आप रुपया नहीं ले सके। कामर्शियल बैंक्स का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में सबसे कम है, इण्डिया का एवरेज जो है उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है कामर्शियल बैंक्स का राजस्थान में। ये सब आंकड़े आपने दिये हैं। कोआपरेटिव सैक्टर में कोआपरेटिव बैंक्स के जरिये रिजर्व बैंक से रुपया लेना चाहते हैं। आपने कहा था 100 करोड़ रुपया मीडियम टर्म का देंगे। 60 करोड़ पर ही गाड़ी अटका दी। किसी भी सैक्टर में ले लीजिये, कोआपरेटिव सैक्टर में, प्लान में, नान प्लान में कार्पोरेशन से रुपया लेकर आपको अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए, इसमें आप नाकामयाब रहे हैं। सब सूबों से हम पीछे हैं फिर भी आपकी नींद नहीं खुलती है। घाटा होता है तो टैक्स से घाटा पूरा किया जा रहा है। राजस्थान में पर केपिटा टैक्स पर केपिटा इनकम के मुकाबले में मेग्जिमम है, यह मैं आपको कहना चाहता हूँ। मिजोरम और नागालैण्ड कुछ जगहों को छोड़ कर हाइएस्ट लेवल पर पहुंच गए है। आपका यह बजट गरीबों और किसानों की कमर तोड़ देने वाला है। गरीबों को परेशान करने के लिए आपने यह बजट रखा है। नान-प्लान एक्सपेण्डीचर का आपने पैसा बढ़ाया है, जगह-जगह आपने कमीशन मुकर्रर किए हैं। आपने वायदा किया था और बार-बार कहते रहते हो कि हम नान प्लान एक्सपेण्डीचर को कम कर देंगे। मुझे आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपका नान-प्लान एक्सपेण्डीचर बढ़ा है। उस में आप इकानामी नहीं कर सके। सरकार का कण्ट्रोल नहीं है, आपका काबू नहीं है,

श्री मूलचन्द डागा : अंकुश नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : अंकुश नहीं है। आप जो वसूलियां कर रहे हैं उन पर एक्सपेण्डीचर ज्यादा हो रहा है। सेल्स टैक्स को

(श्री मथुरादास माथुर)

छोड़ कर सबमें खर्च का पर्सेन्टेज आपका ज्यादा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, वित्त मन्त्रीजी, आप जितने बड़े हैं, मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ उतना ही आपका बजट भी बड़ा है।

आपने एम्प्लायमेंट की बात कही है, कुछ आंकड़े दिये हैं। मैं, वित्त मन्त्रीजी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने और जनता पार्टी की सरकार ने अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो में घोषणा की थी कि दस साल में हम अनएम्प्लायमेंट नहीं रहने देंगे। आपका तीसरा साल चल रहा है, वन-थर्ड तो कम करो, 25% तो कम करो। आपके आंकड़े हते हैं कि बेकारी बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े मैं पेश कर रहा हूँ। आपके यहां पर जो एप्लीकेशन्स आपके रजिस्टर में पेंडिंग थीं वह 1976 में 272017 थीं, 1977 में बढ़ कर 283640 हो गईं, 1978 में 317748 हो गईं। इससे स्पष्ट है कि अनएम्पलायमेंट बढ़ता जा रहा है। आप जो 5—10 हजार का आंकड़ा सक्यूलेट करते हैं, मैं जानता हूँ, उद्योग मंत्री सुन लें, किसी उद्योग में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कम्पनी रजिस्टर हो गई उसमें शेयर केपीटल कितना है, पेड-अप केपीटल कितना है उससे अन्दाज लगाते है कि पांच हजार पर इतने आदमी एम्पलाय हो जायेंगे। राजस्थान में बहुत सी कम्पनियां इन्फेंटाइल मार्टेलिटी के कारण मर जाती हैं और बजट पढ़ कर हमसे ताली बजवाते हैं कि एम्पलायमेंट क्रिएट करेंगे। यह सही नहीं है। आपका बजट न तो ग्रोथ ओरियेंटेड है, न इकानामी ओरियेंटेड है, न एम्पलायमेंट ओरियेंटेड, हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो आपका खुद का बना हुआ प्लान का लक्ष्य है छठी योजना का, आपका बजट उसको पूरा नहीं कर रहा है। ऐसी हालत में मैं कैसे कहूँ कि बजट अच्छा है। मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ, मुझे मौका मिले कि मैं सरकार की तारीफ करूं लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हैं। आपने 10 साल में बेरोजगारी खतम करने की बात कही थी वह तो दूर रही लेकिन 10 साल की जो आपका बेरोजगारी की रेट है वह करीब करीब 12 या 15 प्रतिशत बढ़ती जा रही है। राजस्थान में यह 10 साल में दुगनी या तिगुनी करके छोड़ देंगे और आप चले जायेंगे। इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वह एम्पलायमेंट ओरियेंटेड होना चाहिए खास तौर से राजस्थान में।

अब मैं महंगाई पर, प्राइस स्ट्रक्चर पर आ रहा हूँ। आपका ही दोष नहीं, जो आपकी पार्टी दिल्ली में बैठी है उसकी भी जिम्मेदारी है। आप जनता की कमर को तोड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब भारत सरकार ने मनी सर्क्यूलेशन थ्री टाइम्स कर दिया है, देश में 20 हजार करोड़ रुपया सर्क्यूलेशन में है। इस सिद्धांत को अर्थ शास्त्र का हर विद्यार्थी समझता है

(श्री माथुरादास माथुर)

कि जितना रुपया ज्यादा सर्क्यूलेट होगा उतनी चीजें महंगी होंगी। तो 20 हजार करोड़ रुपये श्री टाइम्स मनी सर्क्यूलेशन भारत सरकार ने कर रखा है। ऐसी हालत में डेफिसिट फाइनेंसिंग एण्ड मनी सर्क्यूलेशन मोर। इससे बड़ा भारी इफैक्ट हुआ है। कार्मशियल बैंक्स से सरमाएदारों को, पूंजीपतियों को, बड़े बड़े ट्रेडर्स को, जो आपको वोट देते हैं उन लोगों को ज्यादा रुपया मिला है, इसलिए उनकी होल्डिंग कैपसिटी बढ़ा दी है, प्राफिटियरिंग कैपसिटी बढ़ा दी है। इधर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ रहा है और उधर उनको शोषण करने की क्षमता दे रहे हैं। यह सदन को फैसला करना है कि यह बजट अच्छा है या बुरा है। आपकी भारत सरकार की नीति डेफिसिट फाइनेंसिंग की है। नासिक प्रेस से नोट छाप कर सर्क्यूलेट करेंगे, सोना जो बैंक में था जो करेंसी की स्टैंथ थी उसको आपने बेच दिया। अब रुपया बीच में खड़ा है लेकिन बैंकिंग नहीं। यह तो इन्टरनेशनल बैंकिंग में जनता की साख है इसलिए रुपया खड़ा है। इन्टरनेशनल मार्केट में रुपये का भाव जूरिक और जिनेवा में फारेन करेंसी में कोट ही नहीं होते। इस सरकार ने देश की इज्जत गंवाई है। देश का रुपया फारेन करेंसी में कोट ही नहीं करते इन्टरनेशनल बैंक्स, तो रुपये की क्या वेल्यू है ? 1951–52 में रुपया रुपया था वह गिरते गिरते 30–35 पैसा रह गया और आप भाषण देते है कि मेरी योजना बड़ी हो गई है। उस समय रुपये की वेल्यू के अनुसार 420 करोड़ थे और आज 780 तो वेल्यू के हिसाब से योजना कम पड़ गई।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (उद्योग मन्त्री) : रुपये का कोटेशन इन्टरनेशनल मार्केट में कब बन्द हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : वहां जो फिगर्स दिये जाते थे....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कब से कोट करना बन्द किया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जिनेवा व जूरिक गया था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वित्त मंत्री को मौका मिलेगा वह पूछ लेंगे।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Please do not take it otherwise if the Hon-ble members want to know the information, because it is their inherent right.

श्री बजरंग लाल शर्मा : भूतपूर्व वित्त मंत्री की जानकारी कहां तक सही है, अगर यह मिल जाए तो क्या एतराज है ?

श्री मथुरादास माथुर : उद्योग मन्त्री ने सवाल पूछा। मैं जिनेवा और जूरिक गया था। जूरिक में इन्टरनैशनल बैंक में गया, वहां पर बड़े बड़े चार्ट्स लगे हुए थे करेंसी के वहां रुपये का भाव एब्सेंट था।

श्री किशनसिंह भाटी : When you give any information, it is but natural that Hon'ble members want more information and that is helpful. We want to assist you.

श्री मथुरादास माथुर : मैंने वहां पर पूछा था उन लोगों से, जो करेंसी में काम करते हैं, हिन्दुस्तान का रुपया क्यों नहीं दिया गया है? तब उन्होंने कहा, हिन्दुस्तान के रुपये की वेल्यू इतनी गिर गई है कि इन्टरनेशनल करेंसी फिगर्स में इसको बनाते ही नहीं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कांग्रेस के समय से या जनता पार्टी के समय से?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो बिफोर लास्ट ईअर गया था, पूछ कर आया था।

श्री रघुनन्दन व्यास : स्टर्लिंग के आधार पर हिन्दुस्तान में रुपया आपका जाना जाता रहा आज तक। अब रुपये के आधार पर स्टर्लिंग और पाउण्ड को आंका जाने लगा है उसको भी मानना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : अगर ट्रेजरी बेंचेज को यह कहने में खुशी होती हो कि कांग्रेस के जमाने में भी होता रहा और अपने दामन को साफ करें तो ठीक है। मैं आपकी नीतियों के आधार पर कह रहा हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, He is giving it a political colour.

श्री सभापति : बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री किशनसिंह भाटी : He is explaining this as former Finance Minister.

श्री सभापति: Is it necessary to tell all this and to intervenc in the speech ?

श्री किशनसिंह भाटी : yes. That is the procedure. What is wrong there if we get information from him on a point then and there, here and now so that he may also correct himself. In a way this is assistance to him. That is the procedure.

श्री सभापति : आप बीच में बोल रहे हैं, माननीय सदस्य के भाषण का फ्लो टूट जाएगा।

श्री किशनसिंह भाटी : जितना टाइम माननीय सदस्य का इण्ट्रप्शन में गया वह उनको ज्यादा दे दें लेकिन यदि ऐसी क्वेरीज हों तो अलाउ करें। That is the best way of accommodating. The same way is adopted in courts also.

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बातों के सम्बन्ध में अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो मैं जवाब दूंगा। जब आपसे सही कहा जाता है तो इस तरह व्यवधान होता है है और बदमिजाजी होती है, यह स्वाभाविक भी है। इसलिए जो कुछ हुआ इससे मुझे एतराज नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सब फैक्टर्स, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिम्मेदार हैं मंहगाई को बढ़ाने के लिए। मंहगाई बढ़ रही है और इस बजट के बाद मंहगाई और बढ़ेगी। कभी-कभी इधर उधर एक दो कमोडिटी में फलक्चुएशन हो जाये लेकिन होलसेल इन्डेक्स फिगर साल भर के होते हैं वह बराबर बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपके सामने होलसेल प्राइस इन्डेक्स नम्बर पेश कर रहा हूं। 1952–53 बेस बराबर है 100 के। जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद 1976 में प्राइस इन्डेक्स नम्बर था होलसेल का 382.1....

श्री टीकमचन्द कान्त : इमर्जेन्सी में बेस वर्ष बदल गया था।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको जो फिगर दे जरा गौर से सुनें। आप आतुर न हों। यह मेरे फिगर नहीं हैं यह आपके इकानामिक सर्वे के फिगर हैं।

1976 में वह फिगर 382.1 है विथ बेस ईअर 1952-53 बराबर 100। 1977 में वह इन्डेक्स नम्बर बढ़ कर 382.1 से 436.9 हो गया और 1978 दिसम्बर एण्ड में वह हो गया 448.7 I am quoting your economic survey. कोई मैं दूसरी जगह से फिगर नहीं लाया हूं तो जब आपकी मंहगाई बढ़ती ही जा रही है....

श्री सभापति : इन्ट्रप्शन के लिए माफ करें। यह बेस ईअर 1952–53 है।

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। करेन्ट प्राइस के ऊपर नहीं रखा है। बेस ईअर 1952–53 को 100 मान कर कह रहा हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : Kindly correct yourself. This is based on 1961–62.!

श्री मथुरादास माथुर : No, please correct yourself. I am quoting your economic review.

श्री बजरंगलाल शर्मा : Even then please correct yourself.

श्री सभापति : These are based on 1961-62 and not 52-53 Please correct. तभी मैंने कहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह पेज 62 पर है। थोक और खुदरा सारी बातें कही हैं। इसमें लिखा है—वर्ष 1960–61 के स्थिर मूल्यों पर कुल शुद्ध उत्पादन में इस वर्ष 4.7 प्रतिशत की व प्रति व्यक्ति आय में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

श्री मथुरादास माथुर : पेज 81 पर यह है थोक भाव सूचकांक—राजस्थान में औसत सामान्य थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1952–53 = 100)....

श्री किशनसिंह भाटी : He is aiding him. अगर माथुर साहब ने एरोनियस डाटा दिया तो सारी स्पीच ही एरोनियस हो जायेगी। उनकी बात का आधार ही गलत बन जायगा जो दोषपूर्ण परिणामदायक हो सकता हैं।

श्री मथुरादास माथुर : I am glad. I invite your kind attention to page 115 of the Budget Study. "The average general whole sale price index numbers in Rajasthan (with base year 1952–53 = 100) for the year 1978 stood at 448 7 as against 436.9 during the year 1977 and 382.1 during the year 1976. Thus there was decleration in price increase in 1978 as compared to 1977, it increased by 11.8 points as against 54.8 points. In percentage terms the increase in the prices during the year 1978 over 1977 was only of the order of 2.7 as against 14.1 percent in 1977 over 1976."

आप भी ठीक कर लें। आप 1961-62 कह रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो स्टेण्डर्ड ईयर है उसके बारे में नीचे लिखा है। जिसको 100 मानते हैं वह बेस ईयर 1960–61 है।

श्री मथुरादास माथुर : "The average general whole sale price index numbers in Rajasthan (with base year 1952–53 = 100) for the year 1978 stood at 448.7 as against 436.9 during the year 1977 and 382.1 during the year 1976."

If this is wrong then I am wrong. If it is correct, then I am correct.

श्री किशनसिंह भाटी : That is wrong.

श्री मथुरादास माथुर : No.

मैंने कहा कि होलसेल प्राइस का यह

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्डेक्स है जो क्लियरली इन्डीकेट करता है कि राजस्थान के अन्दर मंहगाई बराबर बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान सरकार मंहगाई को रोकने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुई है। इस बजट के ऊपर मैंने इतनी दलीलें दी हैं कि Deficit financing and over draft in the State and the other facts which I have quoted जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, यह सब इस बात का सबूत है कि हमारे यहां मंहगाई और बढ़ेगी।

अब मैं, सभापति महोदय, प्राइस पर आता हूं। माननीय सदस्य, जो जयपुर से आने वाले हैं, कह रहे थे कि इसमें क्या है। रिटेल प्राइस में जयपुर, अजमेर और ब्यावर के आंकड़े हैं। मैं जयपुर सेन्टर को लेता हूं। उसके अन्दर आपने कहा था कि बेस है 1960–61 इसमें = 100। इसमें इन्डस्ट्रियल वर्कर्स के लिए माना है। फूड, फ्युअल, हाउसिंग, क्लोदिंग 1977 और 78 के आंकड़े कम्पेयर कर रहा हूं। फूड में जयपुर केन्द्र में 360 था वह 373 हो गया, फ्युअल में 359 का 372 हो गया, हाउसिंग में 214 का 222 हो गया और क्लोदिंग में 422 का 444 हो गया। यह मैंने असेंसियल कमोडिटी का जिक्र किया दूसरों का नहीं किया। यह इस बात का सबूत है कि 1977–78 में इन्डस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जयपुर में मंहगाई बढ़ी है। इसी तरह से अजमेर में बढ़ी है और ब्यावर में भी बढ़ी है। सब आंकड़े मौजूद हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बजट इन्फ्लेशनरी हैं, आपका बजट डेफीनेटली मंहगाई बढ़ाने वाला बजट है। आपका बजट एम्पलायमेंट पोटेन्शियल को बढ़ाने वाला नहीं है बल्कि बेरोजगारी को बढ़ाने वाला बजट है।

छठी पंचवर्षीय योजना बनाते समय आपने यह बताया था कि हमारे कदम बढ़ते रहेंगे, हम ऐसी मंजिल पर पहुंच जायेंगे, हम कह सकेंगे कि इन मुद्दों को हमने हासिल किया है। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना की पहली साल की योजना में मंजिल की ओर जाने के बजाय दूसरी दिशा में गये हैं। इसलिए आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आपका बजट अनसूटेबल है, नाकाफी है और बिल्कुल फिजूल बजट है।

यहां पर जो राजस्थान की सम्पत्ति है....

श्री सभापति : प्रासीडिंग्स में, माथुर साहब, बेफिजूल अगर आय तो बेफिजूल का मतलब बहुत अच्छा है।

श्री मथुरादास माथुर : जल्दी में निकल गया होगा। रिपोटर ठीक कर लेंगे।

अब मैं उद्योग मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं उनके सिलसिले में तो नहीं लेकिन उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा

(श्री मथुरादास माथुर)

यह निवेदन है कि राजस्थान की दौलत आप कैसे बढ़ायेंगे। इन करों से तो जनता पार्टी नंगे स्वरूप में सामने आ गयी है। कर लगा कर न तो आपने मजदूरों को और न किसानों की दौलत को बख्सा है। आपने भेड़-बकरियों को नहीं छोड़ा। जो संस्थायें हमारे पास हैं उनका रुपया भी बटोर लिया। सब रुपया आप अहने बजट में रख लेते हैं। हमारे एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर प्राडक्शन बढ़ा तो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ेगी। 41 या 45 पर्सेन्ट उसका कन्ट्रीब्यूशन है। पब्लिक सैक्टर में जितनी भी इन्डस्ट्रीज हैं, हम अपनी एक आस्था को लेकर चलते हैं। मैं कोई इल्लाजीकल बेस पर बात नहीं कर रहा हूं, प्रेगमैटिक आधार पर आप देखिये क्या स्थिति है। आप यहां पर जो स्टेट एन्टरप्राइज चला रहे हैं उद्योग मन्त्री जी, जो आपकी सदारत के अन्दर चल रहा है गंगानगर शुगर फैक्ट्री उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आंकड़े मौजूद हैं। गंगानगर शुगर फैक्ट्री में एक करोड़ रुपये का घाटा है। शुगर फैक्ट्री के तीन हिस्से हैं। एक शुगर फैक्ट्री है, एक डिस्टलरी है और एक हाई टेक ग्लास फैक्ट्री है। शुगर फैक्ट्री में एक करोड़ का घाटा है। 1977–78 में हाई टेक ने 4½ लाख का घाटा दिया। डिस्टलरी ने एक करोड़ का मुनाफा दिया है। यह आपको मुनाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास मोनोपोली है। यह मेहरबानी है हमारे एक्साइज मिनिस्टर साहब की, आपको दुकानें दे रखी हैं उससे वह संस्था चल रही है वरना घाटा 1½, 2 करोड़ का दिखता। हमारे स्टेट में दारुबन्दी कर रहे हैं। एक्साइज मिनिस्टर दारुबन्दी करने के लिए बड़े आतुर हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : दारु बन्दी से दुकानें बढ़ेगी और मुनाफा होगा।

श्री मथुरादास माथुर : दारु बन्द हो जाने के बाद मोनोपोली खतम हो जायेगी। आपके एक करोड़ का मुनाफा गंगानगर शुगर फैक्ट्री ने ले रखा है चाहे बीट डिस्टिल करो, चाहे गन्ना डिस्टिल करो, यह घाटे का है। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी स्टेट टेनरी के अन्दर आपको 77–78 में करीब-करीब 20 लाख का घाटा हुआ है। तीसरा आपका सोडियम सल्फेट ने 5 लाख का घाटा दिया है। डिपार्टमेंटल चलने वाली वूलन मिल थी उसको आपने किराये पर उठा दिया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने नहीं उठाया, आपने उठा दिया।

श्री मथुरादास माथुर : आपको किराया मिल रहा है 18 लाख रुपये साल का, महीने का 1॥ लाख रुपया मिल रहा है। 10 साल बाद फैक्ट्री का जो डेप्रीसियेशन

(श्री मथुरादास माथुर)

है वह 100 पर्सेंट हो जायेगा। 100 पर्सेंट डेप्रीसियेशन हो जायेगा। पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है और डाग इन दी मैंगर वाली पालिसी है। अब आप मुझे बतायें, कौन सी चीज करेंगे जिससे नान टैक्स रेवेन्यू बढ़े। जो इण्डस्ट्री चलती हैं उनमें घाटा है। घाटा इसलिये नहीं है कि इण्डस्ट्री ठीक नहीं है बल्कि घाटा इसलिये है कि मैनेजमेन्ट में कमी है। यह गवनमेंट की जिम्मेदारी है इसको ठीक करें। इसलिए मेरा निवेदन है स्टेट को चलाने के लिये, स्टेट की इकानामी को सुधारने के लिये क्या कर रहे हैं? 14 करोड़ का लोन हो गया। ओवर ड्राफ्ट को लोन में कन्वर्ट कर लिया....

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मेरा निवेदन है जो 4 करोड़ का घाटा है वह 14 करोड के लोन में कन्वर्ट कर लेने से है। अगर सारा ओवर ड्राफ्ट लोन में कन्वर्ट करा लें तो घाटा होगा ही नहीं।

मेरे पास समय की बहुत कमी है। बहुत बातें कहना चाहता हूं, सभापति महोदय,

श्री सभापति : आप 5 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था बजट में सोशल इनइक्वेलिटी के बारे में। शिक्षा में स्कूलों के बारे में। शिक्षा मन्त्री जी मौजूद हैं, खुला चार्ज लगाता हूं, आप प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं, आपने आंकड़े दे दिये हैं कि स्कूल टीचर्स और लड़कों का रेश्यो क्या होगा? यह भी आकड़े सदन की मेज पर रखते। एक टीचर के पीछे 40 लड़के होने चाहिये, 40 छोड़ 15, 20 भी नहीं हो पाते। नतीजा क्या होगा?

श्री मदनसिंह दांता : आप कह रहे हैं, आप उनको बिघड़ा कर लीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं जो खोले हैं, वे वेस्ट हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : They should go to 50 miles?

श्री मथुरादास माथुर : मैं नार्मल फिगर्स के ऊपर कह रहा हूं। जहां एरिया दूर हैं। वहां स्कूल इतने इतने खोले जा रहे है प्राइमरी स्कूलों को खोल कर के उन आदमियों का अपाइटमेंट कर के भेज रहे हैं जो संघ की शाखा चला सकें, संघ का प्रचार गांव गांव में हो इसी उद्देश्य से स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्हीं आदमियों को लगा रहे हैं जो संघ का प्रचार करेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं आपकी जनता पार्टी के

(श्री मथुरादास माथुर)

मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे है। अखबार पढ़ लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बयान आप जिम्मेदारी से दे रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : हां हां, मैं कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी बात तो छोड़ो। माथुर साहब की बात कह रहा हूं।

श्री मथुरा दास माथुर : स्कूल खोलने में एतराज नहीं है, सरकारी नौकर संघ की शाखा लगाये इस पर एतराज है। होल एजूकेशन पालिसी में कम्पोजिट कल्चर की बात करते हैं या डामिनेंट कल्चर की बात करते हैं? स्कूलों का मास्टर स्कूल के अन्दर अकेले जंगल के अन्दर शाखा चलाता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं, आर.एस.एस. के लोगों को मिनिस्ट्री में न लिया जाये। यह नीति अपनाई जा रही है नीचे से अपाइटमेंट के अन्दर और स्कूल खोलने में आर. एस. एस. की शाखा लगा कर बचपन से यह जहर पैदा करते हैं जिससे देश की तरक्की न हो सके।

इस बजट के लिये इसके अलावा क्या कह सकता हूं कि politically, economically, socially it is backward. पोलिटिक्ली इस बजट को हम क्या कहें। वित्त मंत्रीजी, जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो बड़ा रहम आ जाता है और बजट की तरफ देखते है तो जो राजस्थान को नुकसान पहुंचाने वाला बजट है, जो प्रतिगामी बजट हैं उस पर हमें बड़ा दुःख होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ जगहों पर स्कूल खोल दिये, कुछ जगहों पर अस्पताल खोल दिये, इससे गरीबी नहीं मिटती। इसलिए आपको स्केटर्ड डवलपमेंट करना चाहिये। गरीबी तब मिटेगी जब इस प्रदेश में इकनोमिक ग्रोथ बढ़ेगी और दौलत का सब में बंटवारा करेंगे तभी जाकर हम सोशली और इकानामिकली बेटर बन सकते हैं।

श्री सभापति : श्री बजरंग लाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, जनता सरकार ने यह तीसरा बजट पेश किया है। अभी माननीय माथुर साहब ने कहा....

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं बराबर पर्ची भेज रहा हूं लेकिन मेरा नाम नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : इनके बाद राम नारायण जी और फिर आप हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : मैं चार दिन से कोशिश कर रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जनता पार्टी को 24 घंटे में से 15. 30 घण्टे अलाट किये गये हैं....

(व्यवधान)

× × ×

15. 30 घण्टे जनता पार्टी को अलाट किये हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास :

× × × —इधर से रामनारायण जी बोलेंगे उधर से दूला राम जी बोलेंगे,

× × ×

(व्यवधान)

× × ×

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय माथुर साहब ने....

श्री सुख लाल सैंणचा : सभापति महोदय, हरएक का समय निर्धारित कर दीजिये।

[1]**श्री रघुनन्दन व्यास :** × × ×

(व्यवधान)

पिछली बार भी मैं आबू रोड जाना चाहता था। × × ×

आपने बजरंग लाल जी का नामपुकार लिया। तीन इधर से बोलेंगे, एक उधर से बोलेंगे।

(व्यवधान)

× × ×

(व्यवधान)

× × ×

श्री सभापति : कुछ भी अंकित न हो, कृपया विराजिये।

× × × अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रघुनन्दन व्यास : ×××

श्री सभापति : क्योंकि काफी व्यवधान था इसलिए मैं कोई पूरी बात सुन नहीं सका लेकिन मुझे मालूम है कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिनसे आसन पर चार्ज लगया गया है....

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री रघुनन्दन व्यास : ×××

श्री सभापति : Please hear me. मैं यह कह रहा था कि वे जुमले जो आसन पर चार्ज के हैं, वे एक्सपंज कर दिये जायं।

अब माननीय बजरंग लाल जी बोलेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति जी, +++ अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर और बजट पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो माननीय सदस्य हैं उनको सदन में बोलने का बहुत कम समय दिया गया है, जो कि राजस्थान के अल्पसंख्यक लोग हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं चाहता हूं पहले चीफ व्हिप को सुन लें, तब मेरी सुनिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, यह आसन पर रिफ्लेक्शन हैं। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री मूलचन्द सामरिया : ×××

श्री सभापति : अब मैं यह अर्ज कर रहा हूं माननीय सदस्य, जनता पार्टी के सदस्यों को कि वक्त की शिकायत है तो वे अपने चीफ व्हि से कहे।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : आपने जो व्यवस्था दी है वह अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार दे रहे हैं मगर यह अध्यक्ष महोदय पर आरोप नहीं लगाया जा रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आसन पर आक्षेप हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सभापति : सत्ता दल के चीफ व्हिप कुछ कहना चाहते हैं।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No. 108

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : यह आसन

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, कोई रिफ्लेक्शन हमारी पार्टी की तरफ से हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं लेकिन एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि समय का विभाजन किया हुआ है । समय-विभाजन में 24 घण्टे में से साढ़े तेरह घण्टे रूलिंग पार्टी को दिये गये हैं । रूलिंग पार्टी को बोलने का कम समय मिलता है । आसन से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं जो व्यवस्था दी है और जो रेश्यो है उसके अनुसार तीन उधर से बुलवा लें और एक इधर से बुलवा लें ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यगण को सूचित करना चाहता हूं जिस तरह टाइम का बंटवारा किया गया है, उसी तरह निभाने की कोशिश करूंगा । उसमें फर्क पड़ता है क्योंकि जुमलो का और भाषण का क्रम इस तरह जारी रहता है कि उसको बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता है । वह आसन का एक डिस्क्रिशन है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति जी, मैं भी व्यवस्था चाहता हूं । आज से तीन-चार रोज पहले गर्वनर साहब की स्पीच पर धन्यवाद प्रस्ताव पर और बजट पर आज तक जितने बोले हैं ×××

×××

श्री अयूब खां : माननीय मूलचन्द जी सामरिया ने जो बात कही है वह बिलकुल सत्य है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, सबको मुनासिब टाइम दिया जा रहा है । अब फिर कुछ जुमले ऐसे आ गये हैं जो आसन पर आक्षेप है इसलिए मैं फिर उनको एक्सपंज करता हूं ।

श्री नवनीत पालीवाल : प्रति दिन का आप मुलाहिजा फर्मा लें । हमारी पार्टी को पूरा टाइम नहीं दिया गया है ।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर ।

(व्यवधान)

उधर की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया कि टाइम निश्चित होता है पर×××

या व्हिप महोदय कोताही करते हैं, आपने यह भी कहा कि ×××
अध्यक्ष महोदय तो देते हैं, यह बहुत ही गलत बात कही गई है ।

श्री सभापति : जहां तक चीफ व्हिप की बात है. वह तो वह जानें बाकी आसन पर

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री सभापति)

जो चार्ज लगाया गया है, वह एक्सपन्ज हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल ।

श्री मूलचन्द सामरिया : हमको भी टाइम देंगे आप ?

श्री सभापति : आप बिराजिए । श्री बजरंगलाल ।

श्री दूलाराम : यह सारा जनता पार्टी का समय काटा जाये, हमारा नहीं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय सभापति जी, अभी माननीय मथुरादास जी माथुर ने जनता सरकार के इस बजट के बारे में कहा कि यह बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है । उनको अपनी राय रखने की आजादी है लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने इस बजट में श्री माथुर साहब के साथ पक्षपात किया है, उनको तो कम से कम वित्त मंत्री महोदय का शुक्रगुजार होना चाहिये । इस बजट में कहा गया है कि भेड़ और बकरी की कीमत के अनुसार जो पांच प्रतिशत बिक्री कर लगता था, उसे हटा कर प्रति नग के हिसाब से पांच रुपये कर दिया है । एक भेड़ या बकरी की कीमत 200 या 300 रुपया होती है, और पांच प्रतिशत के हिसाब से एक भेड़ या बकरी पर 10 से 15 रुपये का टैक्स लगता था, जब कि अब सिर्फ पांच रुपया देना पड़ेगा । इससे गोश्त सस्ता मिलेगा और मेरी जहां तक जानकारी है ....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बनी पार्क से आने वाले सदस्य को यह शायद नहीं मालूम कि बड़े बकरे कोई नहीं बेचे जाते छोटे बकरे ही बेचे जाते हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप इन्हें बोलने दीजिए ।

श्री बजरंगलाल शर्मा ; मैं विनम्रता से कहूंगा कि उधर के माननीय सदस्यों ने बड़े बड़े बकरे खाये हैं ।

माननीय वित्त मंत्री ने जो माथुर साहब को यह तोहफा दिया है, इसके बावजूद भी अगर माथुर साहब को शिकायत रहे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता ।

दूसरा भी एक तोहफा माननीय वित्त मंत्री ने माननीय मथुरादास जी को दिया है । बावजूद इस घोषणा के कि शराब-बन्दी करेंगे, अप्रेल तक तो माननीय माथुर साहब को गोश्त और शराब की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसके लिए माथुर साहब को वित्त मंत्री का शुक्रगुजार होना चाहिए । कोई वित्त मंत्री उन्हें यह भेंट नही दे सकता था । इसलिए आम तौर से

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

यह कहना कि बजट बेकार है, मायने नहीं रखता।

बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि जनता सरकार के आने के बाद प्रदेश में प्रगति हुई है, विकास हुआ है। यह तीसरे वर्ष का बजट बताया जाता है, वास्तव में यह ढाई वर्ष का ही बजट है। पहले छः महीने का बजट पेश किया गया था, उसके बाद साल भर का, और उसके बाद यह फिर साल भर का बजट पेश किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने जैसे दावे किये हैं, विकास की गाथा गाई है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जनता पार्टी ने वामन अवतार ले लिया है और ढाई कदम में जमीन, आसमान और पाताल तीनों लोक नाप लिए। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि भीतर बहुत कमजोरी है, जिसको छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे किये जा रहे हैं। विकास के लिए मास्टरजी ने बहुत कुछ बातें बताईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ध्यान से बजट को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह विकास की गाथा कहां तक सही है। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है, और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि 1977-78 से जो मूल्यों में वृद्धि हुई है वह 4.7 प्रतिशत हुई है। यदि पर केपिटा इनकम को देखें, तो उसमें केवल 2.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब आमदनी 2.3 प्रतिशत बढ़ती है और महंगाई 4.7 प्रतिशत बढ़ती है, तो निश्चित तौर से यह गरीबी को बढ़ाने वाला बजट है, गरीबी घटाने वाला बजट नहीं है। इसको समाजवादी बजट कहना सत्यता नहीं है, केवल भ्रमित करना है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह है कि हमारे विकास के कदम कितने तीव्रगामी हैं, इस पर विचार किया जाये। सिंचाई और विद्युत के लिये कहा गया कि सिंचाई और विद्युत पर 7 प्रतिशत बजट खर्च कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि गांवों के विकास के लिए और देहाती जनता के विकास के लिये यह बजट है। जिन हाथों में यह सिंचाई और विद्युत का बजट रखा गया है, श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी के हाथों में, उन्हें देहात की समस्याओं का, किसान की समस्याओं का कितना ज्ञान है, यह भी देखना होगा। बजट का 7 प्रतिशत किस तरह उपयोग हो रहा है, उसकी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। आज जो बिजली पैदा की जाती है, वह 60 प्रतिशत उद्योगों में खर्च की जा रही है, और शहरी क्षेत्रों में खर्च की जा रही है। केवल 22 प्रतिशत गांवों में खर्च की जा रही है। विद्युत का जितना बड़ा बजट है, देहात की समस्याओं को हल करने वाला होना चाहिये था। ऐसा न होकर, उसका

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

अधिकांश भाग शहरों में चला गया है।

आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि राजस्थान देश में अन्न उत्पादन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से बहुत पीछे है। इस प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होता है। आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि जितनी वर्किंग फोर्स राजस्थान में है, उसमें से 75 प्रतिशत वर्किंग फोर्स को काम मिला हुआ है वह खेती के क्षेत्र में मिला हुआ है। तीन चौथाई मजदूरों को, कामगरों को, श्रमिकों को खेती के क्षेत्र में काम मिलता है और उस पर केवल 22 प्रतिशत बिजली खर्च होती है, और 25 प्रतिशत को जिस क्षेत्र में काम मिला है उस क्षेत्र पर 60 प्रतिशत बिजली खर्च होती है। इसलिये यह बजट न तो ग्रामोन्मुखी है और न ही किसानोन्मुखी है। इसको लास्ट आदमी की सेवा करने वाला बजट तो निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता है।

मान्यवर, मेरा यह भी निवेदन है कि बिजली के जो आंकड़े दिये गये हैं, उनमें कितना आडम्बर है। मैं सदन के सामने, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक सीधा-सा सवाल रखना चाहता हूं। इस बजट में यह कहीं पर नहीं बताया गया है कि हम टोटल बिजली कितनी जनरेट करेंगे और कितनी बिजली का कन्जम्पशन होता है? सौ यूनिट का हम उत्पादन करते हैं तो उसमें से दस यूनिट वेस्ट हो जाती है। 60 यूनिट का बिलिंग होता है जब कि 90 यूनिट का बिलिंग होना चाहिये। तो यह तीस यूनिट का गेप जो कन्जम्पशन में होता है, वह कहां पर चला जाता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। सभापति महोदय, पहले भी इस तरह के प्रश्न इस विधान सभा में उठाये जा चुके हैं। सभापति महोदय, यह जो गेप है जनरेशन और कन्जंपशन के बीच का, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये। बिजली के मामले में घपला है। बिजली की चोरी की जाती है। इस बारे में सही स्थिति सदन के सामने आ सके, इसके लिए मैं, मान्यवर, आपके माध्मम से वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनरेशन और कन्जम्पशन के बीच का यह जो गेप है, इसकी जो सही हकीकत है, वह वित्त मंत्री अपने उत्तर में इस सदन के सामने प्रस्तुत करें।

इसी तरह से मैं सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सिंचाई के बारे में इस पुस्तिका में काफी कुछ कहा गया है। सभापति महोदय, आप यह विचार करें, 1977 में जनता पार्टी जब ताकत में आई, सत्ता में आई तो कुल इर्रिगेटेड

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

एरिया था 29.23 लाख हेक्टेयर। एक वर्ष में बहुत बड़ा बजट करके, विकास की गति को तेज करके 29.85 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अधीन आई है। याने हमने 162 लाख हेक्टेयर एरिया अधिक लिया। जब इस वर्ष कहा गया है कि इरिगेटेड एरिया जो होगा वह होगा 30.68 लाख हेक्टेयर, याने कुल 70 लाख हेक्टेयर एरिया और बढ़ जाएगा। जितना बजट बढ़ाया है उस हिसाब से जमीन की बढ़ोतरी सिंचाई के क्षेत्र में हो सकती थी, उस पर विचार करें तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1952 से पहले आबपाशी, इरिगेशन आमदनी का सीगा था, रेवेन्यू का सीगा था। किसान जो नहरें, नालियां बनाते थे, उस पर राजा, जागीरदार टैक्स लेते थे। वही 1952 तक पंजाब से स्वतन्त्र भारत में सरकार को इरिगेशन के सीगे से आमदनी होती थी। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा खर्चा होने के बाद, बहुत बड़ी धनराशि विकास के नाम पर खर्च करने के बाद जो रिटर्न आये हैं वह देखें तो क्या पायेंगे? इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि हमने नये कीतिमान कायम किये हैं। जो कीर्तिमान है, वह यह है कि आप 70 करोड़ रुपया खर्च करने के उपरान्त केवल 62 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कोबढ़ाते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जितना रुपया इस मद के लिए अलाट किया गया, उसका सही उपयोग नहीं हो पाया। वह अधिकांश रुमया अधिकारियों की जेब में चला गया। इस सदन में पहले भी यह निवेदन किया गया था, यह प्रश्न यहां पर उठाया गया था, अकेले सादूलशहर कालोनी बीकानेर में 128 इन्जीनियरों के बढ़िया भवन बने हुए हैं। ये इरगेशन विभाग के इन्जीनियरों के हैं। जो इस बात के सबूत हैं, वे आलीशान भवन इस बात को बता रहे हैं कि राजस्थान की जनता की दौलत यहां पर छिपी हुई है। मंत्री महोदय, यदि आप इस बात की जांच करवायेंगे तो आपको निश्चित तौर से यह मालूम हो जाएगा कि सिंचाई के मद में जो बजट का अलोकेशन हुआ था, उसका सदुपयोग कैसे हुआ है और उसके डिजायरेबल रिटर्न्स क्यों नहीं आ रहे हैं। यह रिटर्न इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बजट अलोकेशन से अधिकारियों की जेवें गर्म हुई है और उस पैसे से ये आलीशान भवन बने हुए हैं।

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में भी इस बजट में यह कहा गया है कि बहुत प्रगति हुई है। इसका काफी विकास हुआ है जो आज तक अनप्रिसीडेन्टेड है। ये जो हमारे राष्ट्रीयकृत राज मार्ग हैं, नेशनल हाई वे हैं उनमें एक किलोमीटर और टोटल पूरे राजस्थान में दो किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह आपकी आर्थिक समीक्षा बताती है।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

इतने बड़े राजस्थान में स्टेट हाई वे में केवल दो किलोमीटर सड़क की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी सड़कें हैं, उनका कुल मिला कर के यदि सारा हिसाब किताब करें तो पूरे वर्ष भर में 343 किलोमीटर की वृद्धि सड़क में हुई है। क्या आप यह मानते हैं, सभापति महोदय, सड़क के क्षेत्र में इतनी वृद्धि जहां पर हुई है, वहां कोई कीर्तिमान कायम हुआ है, कोई प्रगति हमारे राज्य ने की है ? क्या यह विकास को गति को दर्शाती है ? तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। क्या यही हमारा इन्कलाब है ? क्या यही हमारी समग्र क्रान्ति है ? सभापति महोदय, मैं नहीं मानता कि यह हमारी समग्र क्रान्ति का स्वरूप है और इससे कोई प्रेम कर सकता है।

मेरा यह निवेदन है, यह कहा गया है कि हम ने उत्पादन बढ़ाया है। खाद्यान्न का उत्पादन हम ने बढ़ाया है। सुनने में तो, सभापति महोदय, यह अच्छा लगता है परन्तु वास्तव में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हुई है। सभापति महोदय, पहले खाद्य उत्पादनों के लिए जितनी भूमि काम में ली जा रही थी वह 121 10 लाख हेक्टेयर थी और अब जो काम में आ रही है वह इस वर्ष 118.91 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार, सभापति महोदय, .81 प्रतिशत भूमि खाद्यान्न उत्पादन के काम में कम आ रही है। इसी प्रकार जो उत्पादन हुआ है वह पहले 71.53 लाख मैट्रिक टन था और इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 70.53 लाख मैट्रिक टन हुआ है। तो निश्चित तौर से यह उत्पादन भी कम हुआ है। इस प्रकार खाद्यान्न के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हुए हैं।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, उद्योग और खनिज क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप पायेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में भी कितनी प्रगति हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी स्पीच को शोर्ट कर के कृपया पांच मिनट में ही समाप्त करें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : सभापति महोदय, मैंने पहले भी यह निवेदन किया था, माननीय मथुरादास जी माथुर जिस तरह से बोले हैं, जो विवरण, प्रकरण उन्होंने दिया है, उनको इतना समय दिया गया और मुझे कम समय दिया जा रहा है। सभापति महोदय मैं रेलेवेन्ट बात कह रहा हूँ। इससे हार्ट बर्निंग होगी कि एक व्यक्ति विशेष को तो समय अधिक मिल जाए और दूसरे व्यक्ति को कहा जाए कि रलेवन्ट बात कहे। निश्चित तौर से यह कोई बढ़िया बात, परम्परा नहीं हो सकती है।

तो मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार की सड़कों के बारे में बात है, खाद्यान्न के बारे में है उसी प्रकार की खनिजों के बारे में है। मैं उद्योग और खजिनों के बारे में निवेदन कर रहा था कि जनता सरकार के बनने के

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

बाद जो पहला बजट आया, पहला अभिभाषण आया, दूसरा बजट और अभिभाषण आया, यहां तक कि यह जो बजट और अभिभाषण है, इसकी केवल दो पंक्तियां, सभापति महोदय, मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे आप स्वयं, सभापति महोदय, यह महसूस करेंगे कि प्रगति का यह दावा कितना सशक्त है।

एक ओर जहां ग्रामोन्नति हमारी प्राथमिकताओं का सिरमौर बन गई है, जिसके फलस्वरूप कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में हमारा संतुलित व तीव्र विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में उद्योग व खनिज उत्पादन भी बिना विशाल पूंजी का सहारा लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। याने हम आकाश चूम रहे हैं। यह वामन ढाई पांव में आकाश को चूम रहा है। सारे त्रिलोक को नाप रहा है। खनिज उद्योगों का उत्पादन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उस विकास की गति, मान्यवर, मैं इसे आर्थिक समीक्षा से निवेदन करना चाहता हूँ।

"पहले खान मजदूरों की संख्या 23253 थी और आज इन खान मजदूरों की संख्या 22554 है।"

इस प्रकार, सभापति महोदय, इन मजदूरों की संख्या घटी है। यदि, मान्यवर, आप देखें तो चाहे जितने मेजर खनिज पदार्थ हैं, उन सब का उत्पादन घटा है। कृपा करके आप मुलाहिजा करें पृष्ठ 73 और 74 का, सिर्फ एक खनिज पदार्थ को छोड़ कर सभी के उत्पादन में कमी हुई है लेकिन संतोष वित्त मंत्री जी को यही है कि खनिज पदार्थों का कम उत्पादन होने के बावजूद उनकी कीमतों में, मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सौ, दो सौ, पांच सौ रुपये ज्यादा मिले हैं। मान्यवर, जिस भाषा में बजट में जो दावे किये गये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य और दावों का आपस में कोई मेल नहीं है।

उद्योग उत्पादन के बारे में कहूंगा कि इतनी पूंजी और लगा दी गई, इतना विनियोजन और हो रहा है फिर भी एवरेज एम्पलायमेंट 32.16 है तो फिर पूंजी विनियोजन का रोजगार बढ़ाने में क्या योगदान रहा? यह आपका कीर्तिमान है, जिसके बारे में आपने कहा कि हमने कीर्तिमान कायम किया है। पता नहीं कहां कायम किया है? हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में कायम किया है या पूरे विश्व में कायम किया है?

मान्यवर, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं इस बजट में दूसरी बात कही गई है। बजट पर कुछ विद्वतापूर्ण भाषण सुने। मैं निश्चित तौर

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

पर कह सकता हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें स्टालिन की संज्ञा दी गई, जो उनसे भी खतरनाक चीज थी, के समय महंगाई 4.7 बढ़ गई और आमदनी 2.3 हो गई लेकिन आपके इस बजट को देखते हुए यह आवश्यक नहीं लगता कि रोजगार बढ़े, पर केपिटा इनकम बढ़े। पहले भी जो बजट आये उनमें भी इस तरह के दावे किये गये थे। तो, मान्यवर, यह कल्याणकारी बजट नहीं है।

इसके साथ साथ शिक्षा की बात लीजिये। शिक्षा के सम्बन्ध में यह निश्चित बात है कि हमने जितने स्कूल खोले, जितने स्कूल क्रमोन्नत किये उतने पहले कभी नहीं हुए। लेकिन राजस्थान में शिक्षा की जो मूल स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूरे देश में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा के मामले में सबसे अधिक बच्चे ड्राप आउट करते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर मैं कहूँ कि 60 प्रतिशत बच्चे प्राइमरी शिक्षा के बाद ड्राप आउट कर जाते हैं, 30 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर ड्राप आउट कर जाते हैं और उसके बाद हाई स्कूल स्तर पर सिर्फ 15 प्रतिशत रह जाते हैं। इस तरह पहली क्लास में भर्ती होने वाले बालकों में से सैकण्डरी, हाई स्कूल तक पहुंचने तक 60 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत ड्राप आउट हो जाते हैं। इसके सम्बन्ध में न बजट में कुछ कहा गया है और न किसी प्रकार के प्रयत्नों की चर्चा की गई है। ड्राप आउट का यही प्रतिशत चलता रहा तो क्या फायदा होगा, शिक्षा का यह कहना मुश्किल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर सभापति महोदय, एक श्रम नीति ही जनता सरकार का ऐसा पक्ष है जिसमें कुछ सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 145 डिस्प्यूट्स पैदा हुए जिनमें 65500 वर्क आवर्स और 73800 मेनडेज का लास हुआ जब कि इससे पहले 164 डिस्प्यूट हुए थे। यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें निश्चित तौर से हमारी उपलब्धि प्रशंसनीय है।

इसके साथ साथ बेरोजगारी एक ऐसा विचारणीय विषय है जिसके प्रति बजट में कोई दिशा निर्देश नहीं है।

मान्यवर, अब तक जितने माननीय सदस्य बोले, सभी ने कहा कि यह एक घाटे का बजट है लेकिन किसी माननीय सदस्य ने यह बतलाने की परवाह नहीं की कि इस बजट में यह घाटा कैसे हुआ, क्यों हुआ? हम जब बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो इस पर भी विचार करना है कि इस में कैसे सुधार लाया जा सकता है। 18 करोड़ का घाटा वित्त मंत्री जी ने बताया और उसकी पूर्ति के सम्बन्ध में सिर्फ एक लाइन कही, सिर्फ एक पंक्ति। सभापति महोदय, जरा गौर से सुनिये; वित्त मंत्रीजी ने घाटा पूर्ति

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

का एक ही रास्ता बताया है कि राजस्थान केनाल के भूखण्डों को बेच कर घाटे की पूर्ति की जायेगी। मेरा निवेदन है it is a complete hoax. आज जनता सरकार के पास कमाण्ड एरिया डवलप्ड भू-खण्ड एक इंच का नहीं है। जितना डवलप्ड एरिया था सब कांग्रेस सरकार बेच कर जा चुकी। कोई भूमि खाली हो तो उस पर सड़क की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, बिजली का प्रबन्ध हो, एक बस्ती बसाने के लिये जितनी आवश्यकताएं होती हैं वह पूरी हों तब वहां जाकर कोई मुरब्बे काटे जा सकते हैं। जब आप किसी भूखण्ड को सुधार सकते नहीं तो बेचेंगे क्या? इसलिये वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि ऐसे कौन से भूखण्ड हैं डवलप्ड उनके पास, या कहीं कागजात में छुपे हुए हैं—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि आपके पास जमीन नहीं तो फिर घाटे की पूर्ति कहां से होगी? निश्चित रूप से और टैक्सेज लगाने पड़ेंगे। विधान सभा का सत्र बुलाने के पहले नया आर्डिनेंस निकाल कर टैक्स बढ़ा दिये गये। शायद अपने इतिहास को दोहराने की सरकार की मर्जी है इसीलिये घाटे की पूर्ति की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं कुछ और बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक बिन्दु की ओर खास तौर से ध्यान आकर्षित करूंगा, माननीय सदस्यों ने सातवें वित्त आयोग की चर्चा की। यह तो सभी ने कहा कि हमको घाटा हुआ है लेकिन एक बात है जिस पर किसी माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया इसलिये मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। वित्त आयोग से सरकार को काफी शिकायत है लेकिन सरकार ने भी एक तारीफ की बात की है। किसी योजना के चलाने के लिये समुचित प्रशासन तंत्र आवश्यक है, वित्त आयोग ने भी सरकार की बात मानते हुए बुनियादी ढांचा ऊँचा उठाने का विशेष प्रावधान किया है। मान्यवर, यह सरकार न गरीब की है, और न गांव की, न जनता की और न किसी और की। अगर सरकार किसी की है तो सिर्फ नौकरशाही की है। मान्यवर, और बातों को छोड़ दीजिये, इस एक ही आइटम को लें तो सारा स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा...

श्री सभापति : बस एक उदाहरण देकर समाप्त कीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्रशासन पर 1977 में 53 करोड़ का खर्चा था जो अब 61.49 करोड़ हो गया है। इस प्रकार 42 प्रतिशत वृद्धि प्रशासन के खर्चे पर हुई है। यदि कोई किसी भी आइटम पर वृद्धि हुई है तो प्रशासन पर खर्चे में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है कांग्रेस सरकार के पीरियड में नौकरशाही की पहले इतनी आलोचना होती

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

थी, कांग्रेस के पीरियड में 20 कमिश्नर थे लेकिन अब ? अब 48 हैं। जब तक मीठा लाल जी मेहता का नाम न आ जावे तब तक यह संख्या बढ़ती जायेगी।

वित्त मंत्रीजी ने कहा कि घाटे की पूर्ति करेंगे राजस्थान नहर की जमीन बेच कर। राजस्थान नहर का जो जरिया है उसके डवलपमेंट के लिए धनराशि विश्व बैंक से आई हुई पड़ी है लेकिन खर्च नहीं हो रही है नौकरशाही की लेक आफ विल के कारण। नौकरशाही को इस बात की परवाह नहीं है कि यह खर्च हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक ओर तो नौकरशाही पर खर्चा बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर नौकरशाही की कुशलता का कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। यह जब तक नहीं होगा तब तक नौकरशाही आप पर हावी रहेगी। एक ओर तो आपके बजट में प्रशासन का खर्चा बढ़ता चला गया और दूसरी ओर डवलपमेंट के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लोन का रुपया आया हुआ पड़ा है लेकिन आप डवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, यहां पर खनिज के बारे में बातें बड़ी जोर से हुई हैं और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इतने अच्छे स्पीकर हैं कि आप 25 मिनट बोल चुके हैं और आप को ध्यान नहीं रहा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं दो शब्द खनिज के बारे में कहना चाहता हूं।

पिछले दिनों यहां पर एक सवाल आया था तो मन्त्री महोदय ने कहा था कि 1988 में सर्वे कम्प्लीट होगा। मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने राजस्थान की मिनरल वैल्थ है, उसके बारे में रिपोर्ट पेश कर दी है। उस रिपोर्ट से जाहिर है कि 8 हजार करोड़ की मिनरल वैल्थ मिनिमम आपके पास है, लेकिन आप के यहां उसका उपयोग कितना हुआ है ? खनिज उत्पादन की स्थिति जो है वह मैंने आपके सामने पेश की है। खनिज में काम करने वाले लोगों की स्थिति मैंने आपके सामने पेश की है। मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रोजगार बढ़ाने के लिए खवाहमखाह खनन पट्टों की संख्या बढ़ा दी लेकिन उत्पादन का जहां तक सवाल है, जिप्सम का जो आप का कार्यक्रम चल रहा है तो जिप्सम आज राजस्थान में सारे कन्ट्री से ज्यादा मिलता है, लेकिन उसका 7, 8 या 10 पर्सेन्ट से ज्यादा युटिलाइजेशन नहीं हो पाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

में सिर्फ खनिज वाली बात, जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, कह कर अपनी खतम करूंगा।

श्री सभापति : वह कह दें जल्दी से।

श्री बजरंगलाल शर्मा : तो मेरा निवेदन है कि जो कोटा डिवीजन है उसमें यह स्थिति हो रही है कि वहां जमीन में वाटर लागिंग हो रहा है, सोइल सेलिनिटी बढ़ रही है और थोड़े बहुत दिनों में वहां की जमीन बेकार हो जायेगी, और वह जमीन उत्पादन नहीं देगी। तो सोइल सेलिनिटी के लिए और वाटर लागिंग के लिए जिप्सम अत्यन्त उपयोगी है। यह प्राब्लम राजस्थान में ही नहीं है, यू० पी० में है और पंजाब में है, लेकिन उनके पास में जिप्सम नहीं है। अकेला राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जो देश की जिप्सम की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और उससे करोड़ों रुपये हम कमा सकते हैं। 10 करोड़, 20 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ों और हजारों करोड़ रुपये लाइम स्टीन और जिप्सम से कमाया जा सकता है। सोइल सेलिनिटी के फार्मेशन को दूर करने में जिप्सम का कोई जवाब नहीं है। सीमेंट के फार्मेशन में जिप्सम काम आ सकता है लेकिन जिप्सम की खानों में कितना खनन हो रहा है, उसका कितना उत्पादन हो रहा है ? यदि आप इस बजट को देखें तो मालूम होगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने कोई चेष्टा नहीं की है।

राजस्थान में एक बार एक कमेटी बनी थी उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी इस बात के लिए कि नान-युटिलाइज्ड पानी राजस्थान में कितना रह जाता है। हमारे यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह बताई जाती है कि हमको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता है। कभी थीन बान्ध के लिए और कभी दूसरे के लिये बात कर रहे हैं। कमेटी ने यह भी रिपोर्ट दी थी कि हमारे यहां पर 60 प्रतिशत पानी का युटिलाइजेशन हो रहा है और 40 पर्सेन्ट पानी का युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। राजस्थान जैसे प्रदेश में 40 पर्सेन्ट पानी का युटिलाइजेशन न हो तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि वह जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सदन के सम्मुख रख दें तो सदन एक स्वर से कह देगा कि सिंचाई डिपार्टमेंट के आफिसर्स को डिसमिस कर दें, नौकरी से निकाल दें। पानी खोला नहीं जाता है जब तक कि उनको पैसा न मिले। वह एक जमाखोर की तरह पानी का स्टोर करके रखते हैं और पैसा लेकर पानी खोलते हैं। अगर 40 पर्सेन्ट पानी को खोलने की पूरी व्यवस्था हो तो बजट में बढ़ोतरी करों में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 40 पर्सेन्ट सिंचाई से रुपया मिल जायगा।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक आखिरी बात और निवेदन कर दूं।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आखिरी निवेदन मेरा इतना ही है...

श्री सभापति : कितनी देर में ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : आधा मिनट।

श्री सभापति : मैं इतना और निवेदन कर दूं। You have already consumed 25 minutes. You are consuming time of your party.

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा कहना यह है, मान्यवर, इस तरह की स्थिति है कि नौकरशाही आप पर हावी है और कोई काम काज नहीं हो रहा है और सारा पैसा प्राइवेट पाकेट में जा रहा है। भले ही वह सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हों उनमें हमारी नौकरशाही हावी हो रही है।

सामान्य कर्मचारियों की बातों पर आप तवज्जह नहीं देते हैं। कई वर्षों से राजस्थान के लाखों कर्मचारी इस बात के लिए सरकार से दरख्वास्त करते आये हैं कि उनकी सुपरएनुएशन ऐज 55 से 58 की जाय। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के अन्दर जो कर्मचारी रहेगा उसकी सुपरएनुएशन ऐज 58 की होगी और जो बाबू रहेगा वह 58 तक नहीं चल सकता है। सेक्रेटेरियट में रहने वाला बाबू 55 तक चलेगा और उसके पास में ही ए. जी. का आफिस है उसका बाबू 58 तक चलेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत सरकार उनको शिलाजीत खिलाती है और हमारी सरकार शिलाजीत नहीं खिलाती है ? यदि आपको प्रशासन में ठीक से काम करने वाले पैदा करने हैं तो निश्चित तौर से सुपरएनुएशन की ऐज बढ़ानी चाहिए। तनख्वाह यदि आपको बढ़ानी है, तो उनकी बढ़ानी चाहिए। सुविधाएं यदि आपको बढ़ानी है तो उनकी बढ़ानी चाहिए। राजस्थान की सरकार पर वह लोग हावी हैं जो सेक्रेटरी कहलाने में शर्म महसूस करते हैं और अपने आपको कमिश्नर्स कहलाना चाहते हैं।

अब मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि अकेले जयपुर शहर से 18 लाख वर्ग गज से माननीय वित्त मन्त्री जी 300 करोड़ रुपया वसूल कर सकते हैं। उसका एक तरीका है। सेक्रेटेरियट के इर्द-गिर्द आप घूमें तो बिड़ला हाउस 7.12 एकड़, जे. के. हाउस 7.12 एकड़, जयपुर उद्योग 7.12 एकड़, कमानी हाउस 7.12 एकड़ जमीन घेरे हुए बैठे हैं। इसी तरह,

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

से इसके आगे जायं तो क्लार्क होटल की जमीन, कोका कोला की जमीन, जयपुरिया की जमीन है। मान्यवर, इस तरह से 13 लाख वर्ग गज, स्क्वायर यार्ड्स यह जमीन है जो कि इन 6 घरानों की होती है। बी. एम. बिड़ला 365 दिन में एक बार आता है। 3000 गज जमीन पर उस का भवन बना हुआ है। एक दिन एक व्यक्ति आता है वर्ष भर में और उस 3000 गज जमीन पर बने हुए भवन में एक दिन रह कर चला जाता है और बाकी समय वह खाली पड़ा रहता है। उनकी उस सुख-सुविधा को मेन्टेन करने वाली यह सरकार अपने आपको गरीबों की सरकार कहने का दम भरती है। मुझे इसे अपनी सरकार कहने में दुःख होता है। 13 लाख वर्ग गज जमीन में 30 हजार लोग बसते हैं सेक्रेटेरियट के बाबू, सेक्रेटेरियट के चपरासी, दूसरे आफिसेज के बाबू, चपरासी। तो क्यों नही उनको प्लाट्स बना कर दे दें।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो वह अपने घर से आफिस आधा मिनट में पहुंच सकते हैं और आधा मिनट में वापस घर पहुंच सकते हैं। इसके लिए वह आपको युग-युग तक धन्यवाद देंगे।

यदि आप उस 13 लाख वर्ग गज जमीन को बेचें और रेजिडेन्शियल जमीन के 300 रुपये गज के भाव के हिसाब से आप देखें, वैसे एक हजार, दो हजार और तीन हजार के भाव हैं यदि कामर्शियल पर्पज़ के हिसाब से बेचें, इसका वित्त मन्त्री महोदय अपने छोटे से अधिकारी से हिसाब करा लें कि कितना पैसा 13 लाख वर्ग गज जमीन को बेचने से होगा। लेकिन, माननीय सदस्यो, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि टाउन प्लानिंग में वह आदमी बैठा है जो जयपुर के सारे पूंजीपतियों को सुविधाएं देना चाहता है और गरीबों का ध्यान नहीं रखता है। जमीनें छोड़ी जा रही हैं कहीं पार्क के नाम पर, कहीं अस्पताल के नाम पर, कहीं स्कूल के नाम पर जहां कि कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि घाटे की पूर्ति करनी है तो महरबानी करके इसको कीजिए। दरअसल आप अन्त्योदय में गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो कीजिए लेकिन आप सेठों से हिसाब-किताब भी पूछिये कि तुम्हारे पास जमीन को रखने का क्या कारण है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, यहां पर राजस्थान चैम्बर्स आफ कामर्स का भवन है वह जिस जमीन पर अनधिकृत बना हुआ है, उस भवन को तोड़ने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन उसकी पालना आज तक नहीं हुई है। उस जमीन के दो करोड़ मिल सकते हैं।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मान्यवर, सिर्फ यही नहीं यदि थोड़ा....

श्री सभापति : अब कृपया शांत रहिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं एक बात सिर्फ निवेदन करूंगा, यह रुपया कहां से आयेगा, इसके साधन मैं बता रहा हूं। बजट के घाटे की पूर्ति कहां से हो वह मुद्दे, मान्यवर, मैं पेश कर रहा हूं।

यदि इन सारी बातों पर विचार कर रहे हैं तो इस बात पर भी विचार करें कि कहां पर धन का अपव्यय हो रहा है। क्या आज तक भी इस सरकार ने कमेटी इस बात के लिए नियुक्त की ? सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के पैट्रोल के खर्चे को डाउन करके बता दें और आगे खर्च सही हों। फोन पर किया जाने वाला खर्चा सही हो। केवल इन दो मुद्दों पर ध्यान कर लें तो काफी बचत हो सकती है। एक तरफ तो यह बचत करके और दूसरी तरफ सेठों की जमीन पर कब्जा करके, लेकर यदि उसे बेचें तो अधिक कल्याणकारी बात करेंगे और हमारा घाटा पूरा होगा। कम से कम आपतकालीन स्थिति में जो किया, वह हिम्मत नहीं कर सकेंगे। मेरा यही निवेदन है। माननीय वित्त मन्त्री जी इस बात पर सोचें और सही तरीके से बजट को रिवाइज करके जवाब दें।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, मथुरादास जी माथुर ने बहुत अच्छा पोस्टमार्टम बजट का किया है, हमारे बजरंगलाल जी भी उसमें पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन वे हृदय को नहीं देख पाये, शरीर चीरने के बाद जिस दिल ने जिस्म को धड़कता हुआ रखा उसको बाहर लाकर क्या दिखाया नहीं जा सकता है? सभापति महोदय, आपने कल सुना होगा नाथूलाल जी ने कहा था यह अन्त्योदयियों का बजट है गरीबों का बजट है। नाथूलाल जी के माध्यम से वे लोग बोल रहे थे जो पहाड़ों पर बसते हैं जो पहाड़ों की कन्दराओं और तलहटी से आये हैं। उन्होंने ही गरीबों की आवाज प्रस्तुत की थी। उन्होंने ही अन्त्योदयी लोगों के मन की बात बजट के विषय में कही थी। उन्होंने यह भी कहा था, यह बजट ग्रामीणों का बजट है, गांव वालों का बजट है, कृषकों का बजट है। सभापति महोदय, मथुरादास जी माथुर ने कहा था कि बजट का इतना अधिक रुपया खर्च करके इनफ्लेशन पैदा करेंगे। इससे मंहगाई बढ़ेगी। लेकिन, सभापति महोदय, यह कहां खर्चा किया जा रहा है यह उन्होंने नहीं देखा। पहले यह शहरों में खर्चा किया जाता था। अब यह गांवों में खर्चा किया जाएगा। 70·/. ग्रामीणों पर खर्चा होगा क्योंकि यह गरीब गांव वालों का बजट है। इसे किसानों का बजट कहा जा सकता है। सभापति महोदय, 60% खर्च ग्रामीण सिंचाई, बिजली और अन्य साधनों के लिए है। फिर भी यह कहें कि यह बजट ग्रामीणों का नहीं

(श्री टीकमचन्द कान्त)

है तो ऐसा लगता है कि ये मात्र झूठ ही बोलते हैं, असत्य का प्रतिपादन करते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप कांग्रेस को नहीं मथुरादास जी को जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले के बजट आपने देखे नहीं हैं। उस समय ग्रामीणों के लिए क्या रखा जाता था ?

श्री टीकमचन्द कान्त : 30 वर्ष से जो सत्ता में पक्ष था वह विरोधी पक्ष बन कर जिस ढंग से काम कर रहा है उससे निराशा ही हुई। जनता को मैं इस मंच से कहता हूं कि कांग्रेस सत्ता के लायक भी नहीं थी और न विरोध के लायक ही है। विरोध के लिये भी कोई और ही पार्टी बनाने की जरूरत है। कांग्रेस लायक नहीं है।

जिस बजट में प्रति व्यक्ति विनियोजन बढ़ा हो, विकास व्यय बढ़ा हो, उसे ये कहते हैं कि अच्छा बजट नहीं है। सभापति महोदय, जैसा कि कल भी कहा गया है जो देश विकास करने जा रहे हैं, जिन देशों का विकास हो रहा है उनके लिए यह आवश्यक है कि उनका घाटे का बजट हो। बिना घाटे का बजट किये विकास व्यय अधिक नहीं होगा। इसी घाटे की बात कह कर इसे अनुपयोगी कहें यह ठीक नहीं है। अच्छा नहीं है। सभापति महोदय, प्रगति तुलनात्मक होती है। प्रगति के लिए देखना पड़ेगा पिछले वर्ष के आंकड़े और इस वर्ष के आंकड़े। पिछले वर्ष कितना खर्च किया था, किन क्षेत्रों में खर्च किया था, उससे कितना लाभ पहुंचा था ? क्या इस वर्ष उससे अधिक लाभ पहुंचेगा ? अगर यही मापदण्ड होगा तो यह बजट प्रगतिशील है, विकास वाला है।

सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रों के लिए 38 करोड़ रुपया रखा गया है। क्या यह ग्रामीणों के लिए नहीं है ? क्या यह लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए नहीं है? उनके लिए, सभापति महोदय, 9 करोड़ रुपया अनुदान का है उससे 90 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। उससे लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।

सभापति महोदय, अन्त्योदय योजना की आपने 20 सूत्री कागजी घोड़े से तुलना करते हैं। इस अन्त्योदय की अगर कांग्रेस वालों ने बुराई की तो गांवों में उनको एक वोट नहीं मिलेगा। अन्त्योदय एक दर्शन है। आज अन्त्योदय सम्पूर्ण विश्व के लिए भी दर्शन बन गया है। यह एक उपलब्धि है। अन्त्योदय एक महान दर्शन बन गया है। अन्त्योदय पर विश्व विचार कर रहा है सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि यह बजट इसी विचार से परिपूर्ण पूर्णतया ग्रामीणों के लिए, सामान्य जनता के लिए है और किसानों के लिए है।

सभापति महोदय, ग्रामों के विकास के लिए पावर, पानी और पाठशाला की आव-

(श्री टीकमचन्द कान्त)

श्यकता होती है। जैसा कि अभी बिजली का 68% शहरों के लिए और 22% गांवों के लिए है लेकिन इसका प्रारम्भ ही शहरों से हुआ है। अतः यह विसंगति है। अब धीरे धीरे ग्रामों की तरफ बढ़ेंगे। आज 68 की तुलना 22से करतेहैं, यह ठीक नहीं है वैसे पिछले वर्ष की तुलना में 36% वृद्धि बिजली में की गई है। 1976-77 में 70 किलोवाट उपभोग बिजली का था। वह बढ़ कर इस वर्ष 102 किलोवाट उपभोग प्रति व्यक्ति हो जायेगा और अगले वर्ष में 113 किलोवाट बिजली का उपभोग प्रति व्यक्ति होगा। फिर भी कहते हैं कि बिजली का उपभोग नहीं बढ़ा। अगले वर्ष 1 लाख 83 हजार कनेक्शन बिजली के कुओं के हो जायेंगे। इन कनेक्शनों में जनता पार्टी के शासनकाल का हिस्सा होगा 55 हजार कनेक्शनों का। वास्तव में हम आगे बढ़े हैं या नहीं ?

सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में भी कीर्तिमान स्थापित किया है और आगे भी प्रावधान है। यह शंका पैदा की गई है कि गांवों में अधिक पाठशाला खुलने के कारण अध्यापक एवं छात्रों की संख्या का रेश्यो गड़बड़ा जायगा। यह भी रेश्यो बराबर बैठेगा या नहीं। 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिये लेकिन लगता है यह घट जायेगा। मेरे मत से तो10 विद्यार्थियों पर जब एक अध्यापक होगा तभी हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अन्दर कुछ सुधार हो गया है। तभी तो यह कहने का मौका आयेगा कि प्रदेश में कोई बिना पढ़ा-लिखा नहीं रहेगा। इसके बिना आप क्या घर-घर और गांव-गांव में शिक्षा को पहुंचा सकते हैं ? शिक्षा के अन्दर जिस तेजी से विकास किया है वह वास्तव में कीर्तिमान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा-घण्टी बज चुकी है लेकिन एक बात मैं कह दूं। हमने मात्र एक करोड़ रुपये के टैक्स लगाकर, "किसानों का यह बजट विरोधी है," कहने का इस विरोध पक्ष को मौका दिया यह सबसे बड़ी हमारी गलती है। एक करोड़ रुपया हम और कहीं से कर लगा कर पैदा कर सकते हैं। बड़े-बड़े जो होटल्स हैं जिनके कमरों का किराया दो सौ रुपया और तीन सौ रुपया प्रतिदिन का है--

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : तुम्हारी हिम्मत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चन्दा कहीं से लाओगे ?

श्री टीकमचन्द कान्त : उन पर आप पांच प्रतिशत ही कर लगा देते तो यह रुपया मिल सकता था। लेकिन किसानों पर एक करोड़ के टैक्सेज लगाकर हमने गलती की है। मैं यह मानता हूं कि हरियाणा में भी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

10 प्रतिशत सरचार्ज सिंचाई पर और 35 प्रतिशत भू-राजस्व में बढ़ाया है। हमने तो केवल 96 तहसीलों में ही भू-राजस्व बढ़ाया है। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक करोड़ रुपयों का इस बार जो मात्र भू-राजस्व करों का प्रस्ताव है उसमें से इस बार आप यह घोषणा कर दें कि एक कर वापस लिया जाता है।

सभापति महोदय, शराबबन्दी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। शराब बन्दी की खूब मांग की जाती है और ठीक भी है शराब एक जहर है इसको समाज में से खतम किया जाना चाहिये। लेकिन जिन जिलों के अन्दर शराबबन्दी की गई है उन जिलों में पहले कच्ची शराब के कारण जो दुर्व्यवस्था फैल रही है, उसको पहले खतम करना चाहिये। उसको रोक नहीं सकते, इस दुर्व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकते, तो फिर किसी जिले में इस शराबबन्दी की आवश्यकता नहीं है। पहले उन जगहों में जहां पर शराबबन्दी हुई है और यह दुर्व्यवस्था फैल रही है, घर-घर में जहां कच्ची शराब बन रहीहै जिससे हजारों लोग मर रहे

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

हैं उसको आप बन्द कर दीजिये। अगर वह बन्द नहीं होती तो इसमें आगे कोई सफलता नहीं मिल सकती।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री टीमचन्द कान्त : शराबबन्दी के बारे में बात हो गई लेकिन एक बात मैं

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

और कहकर, सभापति महोदय, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक अभियान चलाया जा रहा है, वह यह कि जहां कहीं भी ये लोग बोलेंगे आर. एस. एस. का नाम लेना जरूरी है, सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे मन्दिर की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो, सब जगह आर. एस. एस. दिखता है। क्या आर. एस. एस. के लोग मन्दिर में नहीं जायेंगे? यह लोकतन्त्र विरोधी भाषा है, लोकतन्त्र को खतम करने की और तानाशाही की भाषा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय श्री राम-नारायण चौधरी।

एक बात मैं बड़े अदब से अर्ज कर दूं चौधरी साहब, कांग्रेस (आई) के सात मिनट बचे हुए हैं। तमाम पार्टियों का टाइम निर्धारित है, जो भी माननीय सदस्य जिस-जिस पार्टी के बोले हैं उनका टाइम लिखा हुआ है।

Page No. 125

श्री शिवचरण सिंह : हमारे 27 मिनट बाकी हैं। या तो आज दे दीजिये, नहीं तो 15 तारीख को सबसे पहले टाइम दीजिये।

श्री सभापति : मैं अर्ज कर दूं, 7मिनट कांग्रेस (आई) के, कांग्रेस के ढाई घण्टे के स्थान पर 3 घण्टे और 16 मिनट कन्ज्यूम हो चुके हैं।

श्री नूरा : हमारा सी. पी. आई. का टाइम तो अलग है।

श्री सुखलाल सेणचा : रामनारायणजी ने सात मिनट की जगह मुझे बोलने का समय दे समय दे दिया है।

श्री सभापति : माननीय श्री राम-नारायण जी चौधरी।

(व्यवधान)

श्री नूरा : मुझे भी अभी टाइम दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री शिवचरणसिंह : मुझे आप 15 मिनट का सुबह टाइम दे दीजिये।

श्री सभापति : माननीय श्री राम-नारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं 7 मिनट में समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए कोई फायदा नहीं है।

श्री सभापति : आप बोलिये तो सही माननीय श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री सुखलाल सेणचा : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है....

श्री सभापति : माननीय श्री राम-नारायण चौधरी।

श्री सुखलाल सेणचा : सभापति महोदय, हमारी बात हो गई है।

मैं अर्ज करूं पिछले भाषण में और अभी वित्त मंत्रीजी के भाषण में....

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण चौधरी।

श्री सुखलाल सेणचा : मैं तो पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : आपकी पार्टी ने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है। अब आप स्थान ग्रहण करें। बोलने दीजिये माननीय चौधरी साहब को।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, इस पक्ष के सात घन्टे और 5 मिनट बाकी हैं,।

श्री शिवचरणसिंह : मुझे 15 तारीख को टाइम जरूर मिलना चाहिए। मैं बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री सभापति : आपको टाइम मिलेगा।

श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने 1979-80 का जो बजट प्रस्तुत किया है और अपने भाषण के अनुच्छेद 86,87, 88, 89 और 90 में जो उल्लेख किया है उस के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने साहसपूर्वक जो वास्तविकता है, उसको स्वीकार है।

मान्यवर, एक बात और स्पष्ट हो गई कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य मन्त्री, जो जनता पार्टी शासन के कर्ता-धर्ता हैं, बार-बार इस बात को कहते हैं कि नंग-धड़ंग, पिछड़ा, भूखा, प्यासा राजस्थान आपने हमें दिया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा। तो, मान्यवर 25 साल में कांग्रेस के योजनाबद्ध प्लानिंग की वजह से राजस्थान में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ था उस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पैदा होने के कारण राजस्थान के लोगों ने विकास की तरफ कदम उठाया था, राजस्थान का इण्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ, राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और राजस्थान के अन्दर दूसरा प्रोडक्सन बढ़ा। जो राजस्थान 1949 के अन्दर कांग्रेस को तत्कालीन शासकों, रियासतों के द्वारा मिला था वह 1977 में जब कांग्रेस ने जनता पार्टी को सौंपा वैसा नहीं था। यह तो माननीय वित्त मन्त्रीजी के भाषण में दिया हुआ है। उनके भाषण के इन अनुच्छेदों से यह बहुत स्पष्ट है। मान्यवर, अभी नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की जो बैठक हुई थी। जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी, मुख्य मन्त्री जी और प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें जो भी निर्णय हुआ आपकी मौजूदगी और आपकी सहमति से कि पिछड़े राज्यों को सर्वाधिक केन्द्रीय सहायता दी जाएगी उससे भी इस बात की पुष्टि होती है, यह जाहिर होता है यह जो सुझाव है इसको प्रधान मन्त्री की स्वीकृति है। इन पिछड़े राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तामिलनाडु, उत्तर-प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। इसके बाद राजस्थान का नम्बर आया है। इससे जाहिर होता है कि राजस्थान जो पिछड़ा हुआ था, पिछले 25 साल के कांग्रेस के शासन में, आगे आया है। यह अलग बात है कि वित्त मंत्री और मुख्य मन्त्री राजस्थान के पक्ष को ठीक प्रकार से वहां पर नहीं रख सके जिसके कारण राजस्थान को नुकसान हुआ लेकिन कांग्रेस के शासन में और कांग्रेस के जमाने में राजस्थान का जो विकास हुआ वह इससे स्पष्ट हो जाता है। नेशनल डवलपमेंट कौंसिल के अंदर आपने अपने पक्ष को ठीक प्रकार से नहीं रखा और वित्त मंत्री व मुख्य मन्त्री की दिल्ली में जो पिटाई हुई उसके लिए, मान्यवर, हम जिम्मेदार नहीं हैं।

माननीय बजरंगलाल जी कह रहे थे

(श्री राम नारायण चौधरी)

कि प्रत्येक चीज के अंदर उत्पादन गिर गया। उत्पादन निश्चित रूप से गिरेगा। केन्द्रीय बजट, जिसको किसान बजट की संज्ञा दी गई है, की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। उसका असर राजस्थान पर भी हो रहा है। बजट में एक शिकायत बराबर यह भी रही है कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जो विकास व्यय में उत्तरोत्तर प्रतिशत कमी आ रही थी नए बजट में भी इस प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। 1976-77 के बजट जिसको तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पेश किया था, में योजना व्यय में 31 पर्सेंट की वृद्धि की गई थी, 1977-78 में भी यह वार्षिक योजना व्यय वृद्धि का प्रतिशत 27 रहा था। 1978-79 में यह वृद्धि घट कर 17 प्रतिशत रह गई और अभी जो चौधरी चरण सिंह ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें वार्षिक योजना व्यय में पिछले साल के मुकाबले में 7 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है याने 27 से 17 प्रतिशत पर आए और आज वापस 7.4 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह स्थिति केंद्रीय बजट की है तो उसका रिफ्लेक्शन राजस्थान पर पड़ना स्वाभाविक है। 1966-67 से विकास 21 प्रतिशत था, आज उन्होंने अनुमान लगाया है। 7.4 प्रतिशत बढ़ाने का जब बजट आएगा उसमें यदि योजना मद में कमी पड़ जाएगी तो प्रतिशत निश्चित रूप से गिर जाएगा और 7.4 प्रतिशत बढ़ाने की बात कही है, वह नहीं हो पाएगी। यदि हम इनकी ईमानदारी में विश्वास करें तो पिछले साल के मुकाबले में इस वर्ष मंहगाई का असर पड़ेगा, मुद्रा स्फीती होगी। आज भी जो डवलपमेंट वर्क्स राजस्थान सरकार करवा रही है पिछले साल के मुकाबले 15 से 20 प्रतिशत का खर्चा बढ़ा है। लेबर बढ़ा है, लोहे की कीमत बढ़ी है, सीमेंट की कीमत बढ़ी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उससे राजस्थान किसी भी हालत में पिछले साल के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने अपने बजट में 16 प्रतिशत का अधिक खर्चा डवलपमेंट वर्क्स में करने का संकेत किया है यह 16 प्रतिशत तो बढ़ती हुई कीमतों के अन्दर ही चला जाएगा। तो राजस्थान को कुल मिलाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है।

अब राज्य सरकार ने हमें वार्षिक योजना 1979-80 की दी है उसमें सिंचाई और विद्युत विकास पर 12.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। लेबर, सीमेंट और लोहे की कीमत में बढ़ोतरी हुई है तो इसमें जितना गत वर्ष खर्चा हुआ था, उसमें 20 प्रतिशत कम से कम बढ़ोतरी करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइसेज बढ़ गई हैं, सीमेंट मिलता ही नहीं, मिलता है तो रद्दी किस्म का मिलता है, लोहा नहीं मिलता। आपने

(श्री रामनारायण चौधरी)

अनुमान लगाया है कि 12.49 प्रतिशत बढ़ेगा, यह बढ़ नहीं सकेगा, नीचे गिरेगा।

सामुदायिक विकास में 95। अब पूरे साल के बजट में 157.41 करोड़ ग्रामीण विकास पर खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है। इस प्रावधान से किसी भी हालत में जो गत वर्ष प्राप्ति हुई उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री दोनों दिल्ली में थे, यहां से 359 करोड़ की योजना बना कर ले गये थे लेकिन जब प्लानिंग कमीशन से डिस्कशन किया तो योजना आयोग ने 1979–80 की वार्षिक योजना के प्रारूप पर मंत्री स्तर पर विचार करने के पश्चात् 275 करोड़ स्वीकार किया, 359 करोड़ से घटा कर 275 करोड़ स्वीकार किया। इससे नाजुक स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या करें। तो वहां पर हमारे मुख्य मंत्री का साहस नहीं हुआ कि कुछ कह सकें। गांधीवादी वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों ने यह काम आयोजना मंत्री को दिया। आयोजना मंत्री ने दिल्ली में घोषणा की कि हमारी वार्षिक योजना 25 करोड़ की होगी और 40 करोड़ हमें काम के बदले अनाज के अन्दर भारत सरकार से मिलेंगे। मान्यवर, काम के बदले अनाज की स्थिति यह है कि अभी जो केन्द्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें सारे देश के लिए सिर्फ 50 करोड़ रखे गए। उसमें से 40 करोड़ राजस्थान को दे सकेंगे, यह विश्वास करने योग्य चीज नहीं है। किस प्रकार से हमारी सरकार गलतफहमी में रखने की कोशिश कर रही है। जब मुख्य मन्त्री इधर बैठते थे तो उनकी एक ही दलील रहती थी कि राजस्थान का पक्ष केन्द्र के सामने कांग्रेस के मुख्य मन्त्री ठीक प्रकार से नहीं रख सके। केंद्र में आपका झगड़ा है उसके कारण राजस्थान सफर कर रहा है। इसका नमूना अब वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री और योजना मंत्री को जो देखने को मिला उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं,

'राष्ट्रीय विकास परिषद् के मौजूदा अधिवेशन में 20 अरब रुपये के बंटवारे पर विभिन्न राज्यों ने इतना कठोर रुख अपनाया है कि मुख्य मन्त्री श्री शेखावत की राजस्थान की ओर से पेश की हुई यह दलील कि इस बटवारे में इस राज्य को गाडगिल फार्मूले से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान मिलना चाहिये, कोई असर नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप प्रधान मन्त्री द्वारा रखे गए और मंजूर किए गए फार्मूले के अनुसार राज्य को योजना काल के शेष चार वर्ष में केवल 103 करोड़ रुपया मिल पायगा जो कि गाडगिल फार्मूले से मिलने वाली रकम से बारह करोड़ रुपये कम होगी।

इस निर्णय से हतोत्साहित होकर जब श्री शेखावत ने अपनी रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की तो श्री देसाई ने उन्हें यह कह कर शांत किया कि कोई भी फार्मूला माना

(श्री रामनारायण चौधरी)

जाता हो उसमें कुछ राज्य तो असंतुष्ट रहते ही हैं।

नए फार्मूला से हुई क्षति पूर्ति की आशा इस अधिवेशन में योजना अध्यक्ष श्री लकड़ावाला के उस सुझाव से बढ़ी कि राजस्थान जैसे छितरे जनसंख्या वाले प्रदेश अथवा ऐसे प्रदेश, जिन्हें सिचाई और बिजली योजनाओं पर 60 प्रतिशत से अधिक खर्च करना पड़ता है, को विशेष समस्याओं से निपटने के लिए 10% यानि छः अरब रुपये से अधिक राशि की मंजूरी देनी चाहिए। परन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद् के बदले हुए तेवर के संदर्भ में श्री लकड़ावाला अपनी इस मांग पर बल नहीं दे सके।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, समय की याद दिलाना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : . . . जहां वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि एक ही आशा है दिल्ली की तरफ से जो कि मैंने आपके सम्मुख बताई। तो इससे प्रतीत होता है कि जो तस्वीर है राजस्थान सरकार की और हमारे मुख्य मन्त्री जी की दिल्ली में वह स्पष्ट हो जाती है कि वह दिल्ली में केन्द्रीय शासन को प्रभावित नहीं कर सके, अपना पक्ष ठीक प्रकार नहीं रख सके जिसके कारण से राजस्थान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ।

अब, मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन मैं उन बजट प्रस्तावों की तरफ आना चाहता हूं जो वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किये। उन बजट प्रस्तावों में जो प्रस्तावित रकम है एक वर्षीय योजना के अन्दर माननीय वित्त मन्त्री जी खर्च करने जा रहे हैं उस सारी रकम को देखने के बाद, मान्यवर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने जहां एक मुश्त 23.34 रुपये की वृद्धि कर कर भार बढ़ा दिया वहां प्रति व्यक्ति खर्च 13.86 आपने रखा है। इतना कर भार ही बढ़ा है। यह 10 पर्सेन्ट का फर्क कहां गया? यह आपके इस बजट भाषण में कहीं पता नहीं चलता। तो जैसा कि वनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल जी कह रहे थे, सेक्रेटेरियट के अन्दर जो बैठे हुए हैं उन पर व्यय, फिजूल खर्ची करने जा रहे हैं, 10% का नान-प्लान एक्सपेन्डीचर करने की तरफ जा रहे हैं। प्रशासन, ठाठ-बाट और रोशनी में खर्च करने जा रहे हैं। तो आप जनता से टैक्स लें वाजिब तरीके से लें और ठीक तरह से उसका सदुपयोग हो तो बात समझ में आती है। जहां आपने टैक्सों का भार 23.34 बढ़ाया वहां खर्चा 13.86 बढ़ाया तो दस पर्सेन्ट का फर्क है उसका उल्लेख, माननीय वित्त मन्त्री जी, आपके भाषण में कहीं नहीं मिलता।

वित्त मन्त्री जी, आपने अपनी विभिन्न योजनाओं के जो आंकड़े दिये हैं और भाषण में भी जो जिक्र किया है उसको मैंने देखा

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। किसी भी मद के अन्दर गत वर्ष जो आपने खर्च किया है उसको मैंने देखा है। किसी भी मद के अन्दर गत वर्ष जो आपने खर्च किया है उससे ज्यादा किसी भी सूरत में खर्च नहीं कर सके। जो आपका प्रस्तावित व्यय है वह इतना कम है कि वह बढ़ी हुई कीमतों में चला जायेगा।

वित्त मंत्री महोदय, जो आपने कर के प्रस्ताव दिये हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने काश्तकार लोगों को भी नहीं छोड़ा। आपने अपने अभिभाषण में कहा कि काश्तकारों की पिछले वर्षों में जिन्सों की पैदावार का भाव अच्छा होने की वजह से बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। मान्यवर, आज से तीस साल पहले जिस काश्तकार के पास जो जमीन थी आज वह बंट कर टुकड़ों में हो गई। टुकड़ों में हो जाने के कारण जमीन के ऊपर दबाव पड़ा है जो कि नहीं पड़ना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पर–कैपिटा इनकम काश्तकारों की इन वर्षों में गिर गई है। जिन तहसीलों में एक फसली इलाका है और जिन 96 तहसीलों का सैटलमेन्ट नहीं हुआ और ओवरड्यू हो गया वहां एक मुश्त 25% लगान की बढ़ोतरी की है यह बहुत अन्यायपूर्ण है। उन काश्तकारों ने, वित्त मन्त्री जी, क्या जुल्म किया जिन्होंने अपने साधनों से अपने खेतों में कुए बनवाये, उसके बाद उन्होंने उन पर बिजली ली और बिजली लेने के बाद उस जमीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया ? आज वह आपके प्रदेश के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या को घटा रहे हैं और अब आप उनकी कुएं के नीचे आने वाली जमीन, जो कि एक कुए के नीचे 25 बीघा भी हो सकती है, 30 बीघा भी हो सकती है और 40 बीघा हो सकती है, को उपजाऊ मानकर बारानी से निकाल कर कीमती जमीन के अन्दर बता कर कर भार बढ़ाने जा रहे हैं। यह आपका प्रगतिशील कदम नहीं है बल्कि प्रतिगामी कदम है और किसानों को मारने वाला कदम है। पुराने जमाने में जब जागीरदार कुए बनाते थे और मनचाही करते थे तो उनका भी एक उसूल था कि उस कुएं की लागत और उपजाऊ बनाने की कीमत का आधा खर्चा देते थे लेकिन आपने तो एक पैसा भी नहीं दिया बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से उसको उपजाऊ बनाया उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया और वह भी 25%। यह काश्तकारों के लिए एक ऐसा कदम है जो कि बहुत निन्दनीय है।

वित्त मंत्री महोदय कह रहे थे कि बकरी के ऊपर टैक्स 5% से घटा कर प्रति बकरी और भेड़ 5 रुपया कर दिया। मैं समझता हूं कि ऐसा श्री बजरंगलाल जी कह रहे थे। उन्होंने भेड़ और बकरी का मुंह तक नहीं देखा होगा। अब उनको यह मतलब नहीं है कि भेड़ और बकरी कौन से पाइन्ट पर बिकेगी जिसके ऊपर सैल्स टैक्स लगेगा। राजस्थान के बोर्डर से दिल्ली जायेगी वहां पर प्रति नग के हिसाब से पांच

(श्री रामनारायण चौधरी)

रुपये के हिसाब से सैल्स टैक्स लिया जायेगा। तो आज जो रिटर्न आ रहा है सैल्स टैक्स के जरिये उससे ज्यादा आयेगा क्योंकि कोई बकरी 40की होगी और कोई 25की होगी। तो इस टैक्स के द्वारा जहां रिलीफ की वह बात कर रहे थे वहां उसके ऊपर डबल टैक्स लगेगा। इससे तो इनकम ज्यादा होगी। इसलिए इसमें कुछ रियायत नहीं दी हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो सिंचाई के ऊपर आपने एकदम 50% बढ़ाया है इसको न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। आज भी काश्तकारों के ऊपर इतना टैक्स है। जो सैल्स टैक्स आपने लगाया उसका असर भी व्यापारियों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। इसका असर कन्ज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा और कन्ज्यूमर राजस्थान के अन्दर 83% देहाती हैं, किसान हैं और मजदूर हैं....

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, फिर समय की याद दिलाना चाहूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जब बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कोड़े मार रहे थे उस समय याद नहीं आया। जब इस पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं तो समय याद आ रहा है।

श्री नवनीत पालीवाल : समय का बंटवारा हो चुका है।

श्री रामनारायण चौधरी : हम अपना टाइम लेंगे, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : आपका समय निकल चुका है, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं जानता हूं चीफ व्हिप होने के कारण आपकी जिम्मेदारी है....

श्री नवनीत पालीवाल : मेरी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, वित्त मंत्री महोदय ने यहां पर उल्लेख किया है कि पशुपालन और डेयरी का मामला तीव्र गति से चल रहा है। अभी मैंने एक अखबार के अन्दर पढ़ा था कि भारत सरकार की तरफ से जितना रुपया डेयरी डवलपमेन्ट के लिए अलाट हुआ है उसका 15% ही खर्च हुआ है। बाकी सारा पैसा लैप्स हो रहा है। इसको आप तीव्र गति कहते हैं? तो, मान्यवर, यह डवलपमेन्ट की स्थिति है। किसानों के ऊपर टैक्सों की भरमार है, किसानों के पीने के पानी के ऊपर टैक्स, किसानों की खेती के ऊपर टैक्स, किसानों पर बिक्री का टैक्स, किसानों पर भेड़ का टैक्स। यह जरूरी था कि जो गांवों में 83 प्रतिशत रहने वाली जनसंख्या है उसकी शिक्षा की तरफ आप ध्यान देते। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में लिखा है कि एक हजार और कुछ प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। आज तक प्राइमरी स्कूलों की पोजीशन

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह है, आप डेजर्ट एरिया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और गंगानगर में जाकर देखिये वहां स्कूल खाली पड़े हैं। उनमें कोई टीचर नहीं है और हाजिरी हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने प्राइमरी स्कूल हैं उतने प्राइमरी स्कूलों की तो व्यवस्था कीजिये। मेरा आपसे निवेदन है, वित्त मंत्री महोदय, काश्तकारों के ऊपर सिंचाई का टैक्स झुंझुनू, सीकर, जिनका बन्दोबस्त नहीं हुआ है, के अन्दर 25% बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को आप वापस लीजिये। जो आपने बजट प्रस्तुत किया है उस बजट से ऐसा प्रतीत होता है कि आप गांधीवादी हैं। वर्षों तक महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू के सम्पर्क में रहने का असर आप पर आना चाहिये था। हिन्दुस्तान के अन्दर

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक ही व्यक्ति था जिसने हमेशा किसानों की बात कही थी वह था जवाहरलाल नेहरू, किसानों की फसल को वह देखता था। गाड़ी में हो, गाड़ी से कूद पड़ता था....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको एक नाम याद दिला दूं। लालबहादुर शास्त्री को आपको भूलना नहीं चाहिये। जय जवान, जय किसान का नारा उसने दिया था।

श्री रामनारायण चौधरी : जो किसानों के ऊपर टैक्स लगाने के प्रस्ताव किये हैं। आप उन प्रस्तावों को वापस लीजिये। आपने दिल्ली के अन्दर किसान रैली में जाकर किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई थी, आपने किसानों के प्रति हमदर्दी का प्रदर्शन किया था। मान्यवर, इस बजट से आपकी सहानुभूति और हमदर्दी उनके प्रति प्रदर्शित नहीं होती। आपका यह बजट किसानों की दृष्टि में काला बजट है। देखने को आपने इसका रंग हरा दिया है, लेकिन हरित क्रांति को नष्ट करने वाला, आपने काला बजट और काले प्रस्ताव रखे हैं। यह प्रस्ताव निन्दनीय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपके कर प्रस्तावों का घोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं आप इन प्रस्तावों को वापस लें।

श्री सभापति : श्री लालचन्द।

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं तीन दिन से निवेदन कर रहा हूं। आपने व्यवस्था भी दी है...

श्री सभापति : जुमला पूरा करने से पहले एक सैकण्ड सुन लें। इधर सदस्य तीन गुना हैं। एक इधर से और दो इधर से। आपका नम्बर भी...

श्री नूरा : आप अपनी व्यवस्था पर

(श्री नूरा)
अडिग हैं। मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं, मैं वाक आउट करता हूं।

(व्यवधान)

तीन दिन से निवेदन कर रहा हूं। कल पर्ची दी है। आज भी सवेरे पर्ची दी है। रात भर बैठ सकता हूं। इधर से उधर से, दोनों दलों की तरफ से पक्षपात है। मैं वाक आउट करता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपके प्रति आदर रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी सदन का समय बढ़ेगा, आप भी बोलियेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : थोड़ी सी देर में सब के सब जाने वाले हैं।

श्री नूरा : रतन लाल जी, मैंने व्यक्तिगत बात नहीं कही है। मैंने दोनों पार्टियों के लिए कहा है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की
बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधान सभा की बैठक का समय सायं 6 बजे तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय सायं 6 वजे तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आन ए पाइंट आफ आर्डर। मैं व्यवस्था चाहता हूं। पूर्व में जब नूरा जी खड़े हुए थे आपने व्यवस्था दी थी और आपने फर्माया था कि रामनारायण चौधरी जी के बाद श्री नूरा का नम्बर है। वह शांति से इसलिए बैठे रहे कि जैसे ही रामनारायण जी अपना भाषण खतम करेंगे, नूराजी का नाम पुकारा जायेगा। माननीय सभापति महोदय, नूरा जी को अवसर मिलना चाहिये। कृपया इसकी व्यवस्था दीजिये।

श्री सुखलाल सेंणचा : पार्टी के लीडर को आपको टाइम देना पड़ेगा।

श्री सभापति : दो इधर से बोलने वाले थे और एक उधर से। इस तरह से तीन नाम थे। मेरी मंशा यह थी कि इन दो नाम के बाद आपका नाम है....

श्री नूरा : बजरंगलाल जी, राम नारायण जी, फिर नूरा—यह तीन नाम गिनाये थे। आपने व्यवस्था दी थी....

(श्री नूरा)

(व्यवधान)

जैसे कहा गया, मैं वाक आउट वापस लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री नूरा बोलेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सर, पाइंट आफ आर्डर।

श्री नूरा : मैं लालचन्द जी से कहूंगा, पहले वह बोल लें फिर बाद में मैं बोल लूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, आपके प्रति पूर्ण आदर रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी के अलावा, तीसरा दल मेरा भी है। मैं तीन दिन से, श्रीमान्, आसन की नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा हूं। मुझे आशा है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया था, माननीय सदस्य एबसेंट थे। ख्वामाख्वाह टाइम बरबाद कर रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : इनके दल का नाम है डावांडोल।

श्री सभापति : आपकी चिट मेरे पास आ गई है।

माननीय श्री नूरा जी।

श्री नूरा : मैं चाहूंगा पहले श्री लाल चन्द जी बोलें।

श्री सभापति : पहले लाल चन्द जी का नाम पुकारा था उन्होंने अपना टाइम आप को दे दिया। अब आपने वापस दिया। कुछ व्यवस्था हो।

श्री नूरा : उनकी महरबानी।

श्री सभापति : आप उनकी महरबानी का भी ध्यान रखें।

श्री नूरा : आपके फैसले की ही कद्र की है। आपने पहले उनका नाम पुकारा है।

श्री सभापति : यह व्यवस्था है। श्री नूरा जी बोलेंगे।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, दोनों पार्टियों की तारीफ करता हूं। वाक आउट के फैसले को मैंने वापस मोड़ा। अच्छे काम के लिये मोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी पार्टी ने कांग्रेस के टाइम में भी कुछ कार्यक्रम के लिये उनका समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम आये थे—बैंक राष्ट्रीयकरण आदि उनका समर्थन किया था। जनता पार्टी के भी जो सार्वजनिक काम हुए, राजस्थान के विकास के लिए कदम उठाये गये। मेरी पार्टी ने यह कसम नहीं खाई है कि अच्छे कामों का भी विरोध करें। अलबत्ता जो काम हमारी

(श्री नूरा)

पार्टी के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते, उनका विरोध करना हमारा कर्त्तव्य है....

एक माननीय सदस्य : मानवता भी है।

श्री नूरा : हां मानवता भी है या जो आप कहना चाहें वह है।

कांग्रेस पार्टी के शासन में जो टैक्स लगे वे भी कमर तोड़ टैक्स थे और जनता टैक्सों से लदी हुई थी। उसके बाद जनता पार्टी का शासन आया और जो बजट देखने को मिला उसकी सरकारी पक्ष के विधायकों ने भी आलोचना की, विरोध पक्ष ने भी आलोचना की और उन लोगों ने सुझाव दिये। कोई सत्ता पक्ष की आलोचना करने का यह विषय नहीं है। विषय है जैसी सरकार है वैसा ही उसका बजट होगा। आलोचना करना, पब्लिसिटी करना और फिर उसी बजट को पास कर देना एक नाटक मात्र कहा जा सकता है न कि सैद्धान्तिक नीति कही जा सकती है।

आज टैक्स लगाने की जो बात आई, उसमें राजस्थान सरकार पर ज्यादातर विश्व बैंक से कर्जा लेने और गरीबों पर टैक्स लगाने की बात आई। वही कांग्रेस का पुराना तरीका है। केन्द्र ने सोना बेच दिया किन्तु उससे भी काम नहीं चला। उसके बाद हमारी सरकार ने गंगानगर इलाके में जमीनों को बेच कर जो पैसा लेने की नीति अपनाई है वह गरीबों को जमीन देने की नीति नहीं है बल्कि बड़े पैसे वालों को बढ़ावा देने की बात है। बड़े पैसे वाले ही जमीन खरीद पायेंगे और गरीब काश्तकार बेचारा उससे वंचित रह जायगा और वह खुद काश्त नहीं कर पायेगा। जैसा माननीय बजरंग लाल जी ने कहा बड़े पैसे वालों के लिए सैकड़ों बीघा जमीन काम में आयेगी।

(4.52 म. प.)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, सभापति, पदासीन)

जो बजट में टैक्स लगाया गया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर आगे बढ़ने की सरकार की नीति है वहां पीछे हटने की नीति भी जनता सरकार की रही है। पिछली साल 223 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात कही थी और इस साल बजट में केवल 51 ही रखे हैं। पिछली साल 650 गांवों में स्वच्छ जल की व्यवस्था करने के लिए कहा था इस साल केवल 600 गांवों की व्यवस्था की गई है। यह जो पीछे हटने की बात है वह आगे बढ़ने की बात कैसे हो सकती है। आगे बढ़ने की कोई बात नहीं रही है और फिर कहते है विकासशील बजट है। मैं कहना चाहता हूं गांवों में बिजली पहुंचाने की बात कही, गांवों में पानी पहुंचाने की बात कही लेकिन गांवों में रहने वाले किसानों के लिए

(श्री नूरा)

दो बात भी नहीं कहीं। जब आपने उन झोंपड़ों में रहने वालों की कोई बात नहीं कही तो फिर आप बजट में कौन सी बात कहना चाहेंगे।

जहां तक कर लगाने की बात है छुरी, चम्मच, साबुन, माचिस पर टैक्स, सिंचाई टैक्स, रेवेन्यू टैक्स और पीने के पानी पर भी टैक्स बढ़ाने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, यह टैक्स बढ़ाने की जो बात कही है इस तरफ जाने से पहले उन झोंपड़ियों की तरफ भी देखते और उनको कुछ राहत देते। उसके बजाय आप महलों की ओर जा रहे हैं। आज चराई का टैक्स कौन देगा ? जानवर किसके पास हैं ? क्या बड़े उद्योगपति के पास जानवर हैं ? उनसे भी टैक्स लेने की बात क्या इस बजट में आपने अपनाई है ? जहां पर सर्वे नहीं हुआ, उसके पहले ही वहां रेवेन्यू टैक्स लगाने की बात कह दी। मैं कहना चाहता हूं उन गरीब लोगों ने आपसे कुछ आशायें बान्धी थीं लेकिन आप ने तो उन गरीबों की आशाओं पर भी पानी फेर दिया। उसके बदले में जागीरदारों को पनपाया, पैसे वालों को पनपाया और पूंजीपतियों को आप बढ़ाते जा रहे हैं। उनके पास पहले ही पैसे की कमी नहीं है, उन पर हाथ डालने की बात आपने नहीं कही है।

राजस्थान में माइन्स एक ऐसा धन्धा है जिसमें जमीन से सोना निकलता है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदया, हाउस में कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है।

श्री नूरा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, जितनी खाने हैं जिनसे ताम्बा, सोना, कीमती पत्थर और अच्छे-अच्छे पदार्थ निकलते हैं उनके ठेके में भी घान्धलेबाजी है। वे सब ठेके पैसे वालों को जाते हैं, उनके सबके लाइसेन्स प्राइवेट व्यक्तियों को दे रखे हैं। वे करोड़ों रुपया इस राजस्थान की धरती से ले जाते हैं। अगर उन सब खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो मैं समझता हूं बजट के घाटे की काफी पूर्ति हो सकती है।

मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि राजस्थान के अन्दर 35 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। अभी हमें उन राष्ट्रीयकृत मार्गों से 9 करोड़ रुपया मिलता है और 65 प्रतिशत मार्ग पर बसें चलाने वाले हमें केवल तीन करोड़ का टैक्स देते हैं। बाकी का भी राष्ट्रीयकरण कर लें तो हमें 9 करोड़ और मिल सकते हैं। ये प्राइवेट लोग सब पैसा ले जाते हैं। हमें 65 प्रतिशत का राष्ट्रीयकरण करने से कितना पैसा और मिल सकता है, इस पर भी आप विचार करें। लेकिन मैं कह सकता हूं, उन पर

(श्री नूरा)

सरकार हाथ नहीं डालेगी। मैं कह सकता हूं वहीं के रूलिंग पार्टी के विधायक हो सकते हैं जहां रोडवेज की गाड़ियां नहीं चलती हैं। आज गंगानगर में गाड़ियों का लाइसेन्स नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहां प्राइवेट व्यक्तियों की गाड़ियां चल रही हैं जिनमें प्रभाव है। रोडवेज की गाड़ी चलनी चाहिये, सरकार के पास जो साधन हैं, उनका उपयोग बराबर किया जाना चाहिये। आज रोडवेज की गाड़ी शाम को आयेगी उसके बाद फिर सुबह जायगी। उनको भी पड़ी नहीं रखना चाहिये। जो कमी है, उसकी पूर्ति की जानी चाहिये। आज जिस प्रकार गुजरात में व्यवस्था है कि आधे घंटे और पौन घंटे में रोडवेज की गाड़ियां आती जाती रहती हैं। खराब हो जाय तो दूसरी बात है नहीं तो वहां सरकार की गाड़ियां बराबर चलती रहती हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

[मा फ करेंगे, मेरा आधे घंटे का टाइम है। मैंने अभी 10 मिनट भी पूरे नहीं किये हैं, सभापति महोदया।

श्री सभापति : यह बात नहीं है, मैंने इसलिये बीच में डिसटर्ब किया है कि अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि हाउस में कोरम नहीं है वे ही स्वयं उठ कर चले गये।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री नूरा : लेकिन, सभापति महोदया, यहां पर उन लोगों पर हाथ नहीं डाला जाता है।

आज तेल में मिलावट, खाने-पीने की चीजों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट और यहां तक, सभापति महोदया, पीने के पानी में भी मिलावट है। कल पानी में कीड़े निकलने की बात भी यहां आई थी। रोज के काम में आने वाली चीजों में भी मिलावट कर पैसे खोर लोग आदमी की जिन्दगी से खेलते हैं। जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें सबमें मिलावट है। तो मेरा निवेदन है इन चीजों के व्यापार को भी सरकार को हाथ में लेना चाहिये। उससे एक तरफ तो सरकार को पैसा मिलेगा और दूसरी तरफ आदमी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों से बचेंगे। जो कि इन्सान की जिन्दगी को खतरे में डाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करके उनको सजा दें।

आज बेकारी बहुत बढ़ी हुई है। बेकार लोग नौकरियों के लिए घूमते हैं। आज यह कहा जाता है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं? नौकरी मिलेगी तो कहां मिलेगी? दूर दूर तक बेरोजगार ठोकरें खाते फिरते हैं। आज सुबह ही बहस चल रही थी, माइनोरिटीज

(श्री नूरा)

को नौकरी देने के लिए बहस चल रही थी, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को नौकरी देने के लिए बहस चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में इतने धन्धे हैं। जो धन्धे उस गरीब वर्ग के काम करने लायक हैं, जो पढ़-लिख कर तैयार होते हैं उनको वह धन्धे मिलने चाहिए। अगर धन्धा नहीं दे सकें तो उनको बेकारी का भत्ता दिया जाना चाहिए। आज वे पढ़े लिखे होकर जगह जगह पर कागज लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं किन्तु उनको नौकरी नहीं मिल पाती है जिसके कारण सारे राजस्थान में ही नहीं सारे देश में असंतोष बढ़ रहा है। उस असंतोष के कारण आज जगह जगह पर तरह तरह के आन्दोलन हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि कांग्रेस ने गलतियाँ कीं इसलिये कांग्रेस सरकार गई और जतना पार्टी का राज्य कायम हुआ। कांग्रेस की गलतियों को दोहरायेंगे तो अच्छा शासन नहीं दे पायेंगे।

इसके बाद काम के बदले अनाज की योजना आ गई। अनाज के बारे में भी आज सुबह ही बहस चल रही थी। यहां पर चित्र रखा गया कि इस तरह का अनाज गांवों के अन्दर वितरित किया जाता है जो काफी दिनों का पड़ा हुआ है, काफी दिनों का सड़ा गला पड़ा हुआ है। अनाज की कोई जांच नहीं की जाती है और जैसा अनाज होता है वैसा ही दे दिया जाता है जिसको खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा अनाज, जो कि आदमी के जीवन को खतरा बन सकता हो, को देने से पहले उसकी जांच करने की कम से कम होशियारी बरतनी चाहिए, कम से कम यह देखना चाहिए कि काम के बदले जो अनाज दे रहे हैं वह किस तरह का है। गांव में कहावत है कि जीमण होता है तो दोपहर को भोजन दिया जाता है। शाम को लोग भोजन नहीं करते, दूसरे दिन अपने घर पर खाना खाते हैं। मैं कहता हूँ कि यह जो अनाज दिया जाता है यह बहुत खराब होता है। उसके बाद भी भविष्य में दिया जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारण्टी देने को तैयार नहीं है। हमारे यहां पर दस जिलों के अन्दर अकाल की घोषणा अकाल मंत्री जी ने की है तो लोगों को समय रहते काम दे दें ताकि वह दोपहर के बाद शाम का खाना खा सकें। इसी के साथ अगर समय रहते उन कामों को पक्का करने की तरफ ध्यान नहीं दिया तो करोड़ों की जो मिट्टी डाली है वह बरबाद हो जाएगी। इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाते हुए कहता हूँ कि आप समय रहते हुए इस पर ध्यान दें।

मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूँ कि यह मिट्टी डालने का रोजगार देने की बात बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको परमानेंट

(श्री नूरा)

रोजगार दीजिए। आप अभी तक परमानेंट सोर्स नहीं ढूंढ़ पाये हैं, यही कारण है कि असंतोष बढ़ रहा है जब असंतोष बढ़ता है तो लोग आन्दोलन करते हैं। सरकार से जब कुछ देने की बात कहते हैं और सरकार नहीं देती है तो असंतोष बढ़ता है और आन्दोलन होते हैं तो पहले तो सरकार डंडा लेकर निकलती है, फिर आन्दोलन को कुचलने की कोशिश करती है। उससे भी जब नहीं रुकता तो फिर सरकार कुछ देने की बात करती है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूँ कि यह जो अनाज दिया जा रहा है वह किस प्रकार का है, इसका नमूना मैं अभी अपना भाषण पूरा करने पर सदन की मेज पर रखूंगा परन्तु साथ ही मैं यह कहूँगा कि परमानेंट कदम उठायें और बेरोजगारी मिटाने की कोशिश करें। जब आप पैसा लेने की बात करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि पैसा लेना है तो आप पूंजीपतियों के पास जावें, कारखानेदारों के पास जावें, टैक्स चोरों के पास जायें और बहुत सारी जो जमीनें हड़प कर बैठे हुए हैं उनसे जमीनें छीन कर गरीबों में बांटें। जिनमें रुपया बकाया है, टैक्स का रुपया बकाया है वह टैक्स का रुपया उनसे लें। अगर सीलिंग को छोटा करने की जरूरत हो तो वह भी करें क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। यहां पर आबादी के लिए जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए, खेती के लिए जमीन चाहिए, कारखाने लगाने के लिए जमीन चाहिए। इसलिए सीलिंग के जो नियम पहले के बने हुए हैं, वह नियम कोई लोहे की लकीर नहीं हैं उनको आप बदलिए। इस देश की आबादी ज्यादा है, सब को जमीन मिल सके इसके लिए आप सीलिंग को छोटा कर दें। जिनके पास ज्यादा जमीन है उन से लेकर जमीन का बंटवारा गरीबों में होना चाहिए, छोटे काश्तकारों में होना चाहिए।

साथ ही मैं कहूँगा कि कुएं बनाने के लिये लोन की व्यवस्था है। आज कुओं के लिए लोन देते हैं वह इतना कम है कि सारे राजस्थान में जगह जगह पर खड्डे खोद कर छोड़ दिए गये हैं। काश्तकार अपनी पूंजी भी लगाता है लेकिन आप उसको इतना कम पैसा देते हैं कि काम पूरा नहीं करा सकता। यहां पर कहा गया कि हमें सिंचाई कर नहीं लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सिंचाई कर लगाने की आवश्यकता हो तो वह भी लगाइये लेकिन जगह जगह पर जो धरती में छेद कर रखे हैं उनको मिटा कर एक साल में ही लाखों रुपया खर्च करके जमीन के गर्भ में जो पानी पड़ा हुआ है सरकार उसको बाहर लाकर काश्तकार को देकर उस पानी से पिलाई करावे तब उससे लाभ हो सकता है। जब तक यह नहीं होता है तब तक काश्तकार का पैसा बरबाद होता है और इससे असंतोष बढ़ता है।

(श्री नूरा)

आज जो वातावरण बन रहा है उसका कारण क्या है। इस पर आप विचार करें। हम आपसे कहते हैं कि समय से पहले किसानों पर टैक्स लगाया है उसको वापस ले लें। इससे असंतोष बढ़ेगा और उस असंतोष से नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। हम समय रहते इस बात को कह रहे हैं कि इसको ठीक किया जाना चाहिए। किसानों के ऊपर जो बोझ बढ़ा रहे हैं उस बोझ को कम करके बड़े पूंजीपति, पैसे वालों के ऊपर बढ़ायें। आज गरीब काश्तकार, झोंपड़े में रहने वाले काश्तकार पर बोझ बढ़ा रहे हैं जब कि बड़े-बड़े महलों में रहने वाले, पैसे वालों के अन्दर राज्य सरकार का, नगरपालिकाओं का पैसा बकाया है, उनसे पैसा वसूल नहीं हो रहा है। मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको पैसा चाहिए तो इनकम टैक्स की रेट और बढ़ावें, इन्कम टैक्स की सीलिंग को और कम करें, सम्पत्ति पर सीलिंग लगायें। लेकिन उधर नहीं जाकर गरीब के झोंपड़े की तरफ भागते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूँ कि अगर आपको पैसा लेना है तो अमीरों की तरफ जावें। उधर तो गरीब काश्तकारों के पास पैसा नहीं है और इधर जिनके पास पैसा है उनके सामने समस्या है कि पैसे का क्या करें। जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, उन पर सीलिंग लगा कर उनकी सम्पत्ति जब्त करें और जो पैसा प्राप्त हो उससे बेकारों को भत्ता दिया जाय और राज्य का विकास किया जाय।

यही बातें कहते हुए मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि यह बजट बिल्कुल रद्दी है, किसानों में असंतोष बढ़ाने वाला है, इस पर दुबारा विचार करके संशोधन करें और दुबारा बजट लावें। मैं यह अनाज सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री दिग्विजयसिंह : कौन सी ग्राम पंचायत के सरपंच ने भेजा है, यह तो बता दें।

श्री नूरा : ग्राम पंचायत बागोरा जिला भीलवाड़ा का है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको सुझाव देती हूँ कि आप इसको मंत्री महोदय को दे दें। माननीय सदस्य, इसको सदन के पटल पर रखने से क्या होगा? आप मंत्री महोदय को दे दें, वही देखेंगे, वही जांच करेंगे। मैं आपको सही राय दे रही हूँ।

श्री नूरा : आपका आदेश हुआ है तो इनको पेश कर देता हूँ।

श्री सभापति : श्री लालचन्द डोंडी।

श्री सुखलाल सेणचा : सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात कह देता हूँ।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय खतम हो चुका है।

श्री सुखलाल सेणचा : बढ़े हुए समय में हमारी पार्टी को भी तो समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : बढ़े हुए समय के अनुसार ही कांग्रेस 'आई' और कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है।

श्री लालचन्द डोडी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनकी पार्टी का समय तो दो साल पहले ही समाप्त हो गया था।

श्री अब्दुल अजीज : कम से कम क्रम तो बता दें कि किस का कब नम्बर आने वाला है। हमें कम से कम सूची तो बता दें कि किस का कब नम्बर है।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द(मादरा) : सभापति महोदय, हरे रंग की बजट की जब किताब देखी तो यों महसूस हुआ कि राजस्थान की सरकार ने शायद कोई एग्रीकल्चर की तरफ, गांवों की तरफ, किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया होगा। लेकिन ज्यों-ज्यों भाषण सुना और ज्यों ही भाषण पढ़ा तो महसूस हुआ कि इस बजट के अन्दर कहीं कोई गड़बड़ है, बजट बनाने वालों के दिमाग में गड़बड़ है, ब्यूरोक्रेटस् में गड़बड़ है या सरकार में कहीं गड़बड़ है।

सभापतिजी, मैं उम्मीद कर रहा था कि किसानों की भावनाओं को इन परिवर्तनों के बाद सरकार समझ जायेगी। गलती यह रह गई कि वह बात समझी नहीं गई। राज बदलने का कारण नसबन्दी नहीं था। 1967 से जो आम किसान के दिल के अन्दर असन्तोष पैदा हो गया था सरकार के प्राप्ति, वह असन्तोष अभी तक काम कर रहा था। नसबन्दी और कुछ इमर्जेंसी की घटनाएं उस असन्तोष को और बढ़ावा देने में सहायक हुई थीं। किसानों ने यह समझा था कि इस दफा जो सरकार आएगी, हो सकता है वह किसानों के बारे में सोचेगी और उनकी समस्याओं को हल करेगी। यह किसानों ने सोचा था, इस नई आने वाली सरकार के बारे में। उस हालत के बारे में हम अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। सन् 1972 के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमतें डे बाय डे नीचे जा रही हैं। आज जमीन पैदावार के हिसाब से सेच्यूरेट हो गई है। उससे कोई आमदनी बढ़ने का सवाल नहीं है। कई क्राप तो ऐसी हो गई हैं शायद वे कोई मुनाफा नहीं दे सकें और किसान उन क्राप्स को बोना बन्द कर दे। ऐसी हालत के अन्दर किसान पर सिंचाई का टैक्स बढ़ा देना, जिन जगहों पर सैटिलमेंट नहीं हुआ है, वहां भू राजस्व में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर देना, मैं समझता हूं, एक गलत बात हुई है। इस देश का किसान यह समझ रहा है कि यह उन लोगों

(श्री लालचन्द)

के द्वारा दुर्भावनावश तैयार किया गया बजट है जिनके दिलों के अन्दर किसानों के प्रति नफरत है, यह मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा।

सभापति जी, शिक्षा के बारे में भी यहां पर बात आई है। बजट में कहा गया है, हमने गांवों के अन्दर इतने स्कूल खोल दिये हैं। पिछले साल भी स्कूल खोले गये और इस साल भी और स्कूल खोलने की घोषणा की गई है कि और स्कूल गांवों में खोले जायेंगे। सभापति जी, पिछले साल खुले स्कूलों की हालत को देख कर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि गांवों में जो स्कूल खोले जाते हैं, गांव में रहने वाले किसानों के विरुद्ध, नई आने वाली पीढ़ी के विरुद्ध एक प्रकार से यह षड़यंत्र रचा जा रहा है कि गांव का आदमी शहर में जा कर अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। उसको वहां जाने से रोक दिया गया है। गांवों में जो स्कूल खोले गये हैं उन स्कूलों के अन्दर अध्यापक नहीं पहुँचे तो यह बहुत बड़ा षड़यन्त्र आने वाली पीढ़ी के विरुद्ध है। इसके बजाय तो, मैं यह पसन्द करूंगा, कि उन स्कूलों को बन्द कर दिया जाए। अगर तुम्हारे पास, सरकार के पास, उन स्कूलों को उतने साधन देने की सामर्थ्य नहीं है जहां कि आप के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को जितने साधन आप दे रहे हैं, सभापति जी, इस हिसाब से इन स्कूलों के आंकड़े देकर गांव के लोगों को भुलावा दिया जा सकता है कि गांव में हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं परन्तु हम यह समझ रहे हैं कि यह षड़यन्त्र उन नौजवानों को पढ़ाई से वंचित रखने का है। मैंने देखा है, आज मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज, पोली टेक्निक कालेज के अन्दर जिस तरह से एडमिशन होते हैं, उनमें 80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त करने वाले लड़के होते हैं। इन लड़कों का एडमिशन इन कालेजों में होता है। क्या कोई भी यह दावे के साथ कह सकता है कि उस गांव, जहां पर कि पूरे सीजन में अध्यापक नहीं रहते हैं, का लड़का 60 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर ला सकता है? नहीं ला सकता है। इस प्रकार वह इन कालेजों में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। यह षड़यन्त्र नहीं है तो क्या है?

इसी तरह से कुछ और बातें हैं। जिस तरह से आपने एग्रीकल्चर र टैक्स बढ़ाया है, वाहनों पर बढ़ाया है, सिंचाई की दर बढ़ाई है, उस टैक्स को बढ़ाने के लिए जो कहा गया है, जो बहाना बनाया गया है, उसको मैंने पढ़ा तो ताज्जुब हुआ। इरिगेशन टैक्स 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस किताब में यह कहा गया है कि नहरों के मेन्टीनेन्स के लिए करीब 70 पर्सेन्ट टैक्स बढ़ा देना चाहिए था लेकिन सिर्फ 50 पर्सेन्ट ही बढ़ा रहे हैं। यह पढ़ कर मुझे हंसी आई। किस बात का मेन्टीनेन्स का पैसा लिया जा रहा है? इस पैसे को लेकर आप इन नहरों पर

(श्री लालचन्द)

लाख, पचास लाख, तीस लाख के रेस्ट हाउस बना कर आराम करना चाहते हैं, यह सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, या झूठे मास्टर रोल बना कर, झूठे बिल बना कर पैसा खाने की सुविधा देने के लिए, यह हमारे पर बोझा पड़े, यह कितना अन्याय है। उनकी मेन्टीनेन्स के लिए किसान टैक्स अदा करें। परन्तु उसके पैसों का सही इस्तेमाल करें तो आपका यह मैन्टीनेंस इस के आधे टैक्स में ही हो जाएगा परन्तु वह नहीं किया जा रहा है। किसान की जेब में जो पैसा आ रहा है, उसको निकालने का यह एक षड़यन्त्र है। आप यह कहते हैं, कांग्रेस वालों ने भी यह कहा, इस तरह से किसान में आपस में फूट डाल कर, पैसा लेना चाहते हैं। जिस बेचारे ने कर्जा ले कर ट्रेक्टर लिया, उससे वह मजदूरी कर रहा है, सीकर, झूझुनू, नागौर के किसान उस ट्रेक्टर से कुट्टी काट कर अपना पेट भर रहे हैं। जिसके बच्चों के मशीन में हाथ आ जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, उस किसान से कहा जा रहा है, तुम कृषक हो, बड़े किसान हो। जिसने अपना पेट भरने के लिए साधन जुटाया है, उस किसान को सामन्त कह कर, ये ब्यूरोक्रेट किसान में फूट डालना चाहते हैं। भूमिहीन, लघु कृषक, सीमान्त कृषक, इन तीनों भूखों की तीन तीन जमातें आपने बना दीं, आपस में लड़ाने के लिए। सीलिंग के लिए दलीलें दी जाती हैं, जमीन की आमदनी पर कर लगाने की बात कही जाती है। किसान का बेटा सफेद धुले हुए कपड़े पहिन लेता है तो उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह कुलक है, यह बड़ा किसान है। ये दलीलें दे कर 80 प्रतिशत किसानों का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है।

सभापति जी, आज अन्त्योदय की बात आई। 56 पर्सेन्ट बिलो दी पावर्टी लाइन की बात कही जाती है। परन्तु यह टैक्स कौन पे कर रहा है? यह जो इरिगेसन के टैक्सेज हैं, यह जो भेड़ और बकरी का टैक्स है, यह जो आपने सैटलमेंट न होने पर भू राजस्व बढ़ाया है, इन सारे टैक्सेज को कौन पे कर रहा है? जो पावर्टी की रेखा से नीचे हैं, वे 56 पर्सेन्ट लोग यह टैक्स दे रहे हैं। यह टैक्स डाइरेक्टली उन पर लगा है जो अपना पेट काट कर के आप को दे रहे हैं। एक तरफ हम अन्त्योदय की बात करते हैं। फूड फार वर्क में जो काम लिए जा रहे हैं, उसमें यह क्यों भूल जाते हैं कि यह वही अनाज है जो गोदामों में पिछले दस सालों से पड़ा सड़ रहा था। उसको समय पर हम खर्च नहीं कर सके, इस्तेमाल नहीं कर सके। हम असलियत को छिपा कर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हम गरीबों को रोजगार दे रहे हैं। यह गेहूं लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए था। यह कभी नहीं होना चाहिए था....

(व्यवधान)

हमने देखा है आज राजस्थान कैनाल

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टरी हैं। यह संसदीय शिष्टाचार नहीं है कि आसन और जो वक्ता महोदय बोल रहे हैं, उनके बीच में इधर से उधर आए जाएं। आप कई बार इस शिष्टाचार का उल्लघंन कर चुके हैं, कई बार मैं इसको नोट कर चुकी हूं....

श्री सूर्य नारायण चौधरी (मंत्री संसदीय कार्य) : आइन्दा ध्यान रखूंगा ।

श्री रामनारायण चौधरी । इनको माफी मांगनी चाहिए ।

श्री सभापति : इतना ही काफी है। यह ठीक है।

श्री लाल चन्द : सभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान केनाल जिस एरिया के अंदर से जा रही है, मुझे मालूम नहीं जनता सरकार से पहले वाली सरकार, जिसे सामन्ती सरकार कहा करते थे, के उस वक्त दिमाग में था या नहीं था लेकिन बदकिस्मती से जो लाइन वह डाल गए, उसी लाइन से यह सरकार चल रही है। उस लाइन से अलग हटने की बात कही जा रही है तो इस सरकार के लिए यह संभव नहीं हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मैं छोटी सी बात बतलाऊं। कैटल प्रोड्यूसिंग एरिया हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जहां ऊन और दूध काफी पैदा हो सकता है। ऊंट की नस्ल है। अकेला डेन्मार्क दूध पर चल सकता है, आस्ट्रेलिया अकेला ऊन पर चल सकता है। जिस वक्त राजस्थान केनाल की स्कीम बन रही थी उस वक्त वहां दुग्ध विकास की बात न सोच कर उदयपुर में जहां पशु 4 किलो से ज्यादा दूध नहीं नहीं देते–

श्री श्योपतसिंह मकासर : 2 किलो ।

श्री लालचन्द : वहां डेयरी डवलपमेंट के लिए इतना पैसा खर्च करना कितनी बड़ी नासमझी की बात थी, समझ में नहीं आता। आज कहते हैं कहां से पैसा लायें, कहां से सोर्सेज पैदा करें, मैं इस बात की ओर ध्यान करता हूं तो बड़ी हंसी आती है। जिनके पास पैसा है उनको छेड़ा नहीं जा रहा है और उन आदमियों से पैसा लेने की कोशिश की जा रही है जिनके पास पैसा नहीं है। पिछले साल 30 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर का था मैंने पूछा इसमें से कितना पैसा सिंचाई के लिए है तो बोले कुछ नहीं। पूछा, क्या यह पैसा लैण्ड लेवलिंग के लिये है ? तो बोले, नहीं। क्या यह पैसा इसेक्टिसाइड के लिये है ? नहीं। तो मैंने कहा, यह पैसा किसके लिये है ? कहने लगे एक्सटेंशन स्कीम है। जब उसको देखा तो उस पैसे की एक एक पाई अफसरों की कारों के लिए, अफसरों के बंगलों के लिए, बड़े बड़े भवनों के लिए और उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिये खर्च की गई। इसको आज

(श्री लालचन्द)

हमारी सरकार कहेगी कि इस पैसे का 60 प्रतिशत हमने किसानों पर खर्च किया। किसान के लिए पैसा खर्च नहीं हुआ। सिर्फ अपने रिश्तेदारों के प्रमोशन के लिए, सीटें बढ़ाने के लिए वह खर्च किया गया। एग्रीकल्चर के लिए खर्च नहीं किया गया। यह अकेला मुद्दा साबित करता है कि कोई षड़यन्त्र है चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो चाहे किसी का हो। ये सोचते हैं कि अगर किसान समझदार हो गया, अगर पढ़ गया तो शायद ब्यूरोक्रेसी को ऐसी छूट नहीं मिलती रहेगी। इसलिए जानबूझ कर किसान के विकास के लिये, किसान के डवलपमेंट के लिये पैसा नहीं लगाया जा रहा है। इस बात पर हमें गौर करना है। इस बात पर हमें ध्यान देना है। आज अफसर जीपों, कारों में बैठ कर खर्चा करते हैं। पैट्रोल का अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। अरे, कोई लिमिट क्यों नहीं बांध देते पैट्रोल की। लेकिन हमने छूट दे रखी है, मौज से मर्जी आये जितना पैसा इस्तेमाल करो। हमें इसीमें कटौती करनी चाहिये। इस पर रोक लगानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरी बात, जैसा कि माननीय बजरंग-लाल जी शर्मा ने कहा, आज जितनी शहरों में सम्पत्ति है, बड़े-बड़े मकान, कोठियां हैं, उनसे भी कुछ लेने का हमारी सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। यह तो मुझे मालूम है कि शायद हिम्मत नहीं है सरकार में इस तरफ हाथ डालने की क्योंकि इसमें भी वही इन्वाल्वड हैं जो पालिसी को प्रभावित करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन हमें बड़ी हिम्मत से इन लोगों से कुछ लेने का प्रयत्न करना चाहिये। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है किसानों पर कि इनकी जमीन पर सीलिंग लगा रहे हैं। सीलिंग किस बात की? जमीन, जो उनका ओनली सोर्स आफ इनकम है उस सोर्स आफ इनकम पर सीलिंग, और दूसरे आदमियों की इनकम के दरवाजे खुले हैं। यह कितना बड़ा फर्क है धनी और गरीब के बीच। कितना बड़ा षड़यंत्र है। एक तरफ तो चारों तरफ से पैसे बटोरने की छूट दे दी जाय और दूसरी तरफ अकेले सोर्स को बन्द कर दिया जाय। किसी दिन उसके तन पर सफेद कपड़े देखो तो फिर टैक्स लगा दो। तो इन पुरानी लाइन्स से अभी तक सरकार हट नहीं सकी है। हट नहीं सकती। जो सैल्स टैक्स मारते हैं, सरकार का उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। इन दो सालों के अन्दर एक भी उदाहरण नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर कहीं चालान हुआ हैं किसी का

(श्री लालचन्द)

तो दूध में पानी की मिलावट का चालान हुआ है। रोज तेल में मिलावट होती है, मसालों में मिलावट होती है उनके चालान का एक उदाहरण आज नहीं है . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता सरकार में भी तो मिलावट है उसका क्या होगा ?

श्री नवनीत पालीवाल : आप भी इसी की पैदाइश हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लेकिन कीचड़ से निकल गए।

श्री सभापति : अब आप अपना भाषण बन्द कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द : एक जो सोना रुका हुआ है मंदिरों में सुखाड़िया के समय से आज तक मंदिरों में जितना सोना है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन बेकार लोगों को कोई काम नहीं, यह कोई काम करते नहीं। अगर उपदेश से ही फायदा होता तो इस देश में जितने उपदेशक पैदा हुए, दुनियां भर में इतने उपदेशक पैदा नहीं हुए लेकिन आज चरित्र की तरफ देखते हैं तो वह कहीं नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है इनकी ? मंदिरों में बैठ कर भोले-भाले लोगों को ठगते हैं। जनता का पैसा इकठ्ठा हो रहा है मंदिरों में उस पैसे से इस देश का काफी डवलपमेंट हो सकता है। मंदिरों में जो सोना रखा हुआ है उसका उपयोग किया जाय।

बस इन्हीं बातों के साथ, सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री मुखलाल सेणचा : सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक सदस्य एक घण्टा बोल जाते हैं तो हमें अपनी बात कहनी पड़ती है। आसन हमेशा विशाल हृदय रखता है। पहले टाइम में भी बोलने का समय नहीं मिला। हमारे दो आदमी हैं। 5-5 मिनट का समय दिया जाय।

श्री **सभापति** : आसन पर बैठने वाले को भी नियमों के मुताबिक काम करना पड़ता है, माननीय सदस्य, समय का निर्धारण किया जा चुका है। फिर भी यदि समय रहा तो मैं देखूंगी इस बारे में। विशाल हृदय तो है ही।

श्री मुखलाल सेणचा : यह कठोर हृदय है आपका।

श्री **सभापति** : नियमों के मुताबिक चलें तो सभी को कठोर लगते हैं। ऐसा लगता है जनता पार्टी के आज केवल तीन सदस्य ही

(श्री सभापति)

बोल पाये हैं जब कि विपक्ष के काफी सदस्य बोल गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ये क्या बोलेंगे। इन्होंने तो लिखकर दे दिया बजट..

श्री सुखलाल सैणचा : इनकी तो सुनवाई हो जायेगी. . .

श्री सभापति : आप जीरो आवर तक तो छाये रहते हैं। सदन पर जीरो आवर पर तो विरोधी दल का अधिकार रहता है। आपको आगे भी समय मिलेगा। कटौती के प्रस्ताव दीजियेगा। एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के आधार पर समय की पाबन्दी लगी हुई है। मेरे हाथ बन्धे हुए हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय सभापति महोदया, आप आसन पर हैं इसलिए न्याय हो गया और मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट भाषण को पढ़ने के बाद और तीन दिन से लगातार इसकी समालोचना को भी सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह बजट रोजगार देने वाला बजट है। यह बजट बेरोजगारी को कम करने वाला बजट है। बेरोजगारी को कम करने का मतलब यह नहीं होता कि कितने मेट्रिक्युलेट्स को नौकरी मिली। बेरोजगारी को कम करने का मतलब होता है कितने लोगों को काम मिला। आज की स्थिति में लाखों लोगों को काम मिला है। उनको मजदूरी मिली है। आगे भी हमारे वित्त मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है, करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च करके आम लोगों को रोजगार देंगे। सिंचाई के माध्यम से फेमिन के वर्क्स माध्यम से देंगे, बिजली देंगे, काम के बदले अनाज से देंगे के माध्यम से देंगे। इसलिए इस बजट को मैं रोजगार देने वाला बजट बताता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष भी इस ओर मैंने इशारा किया था, मगर हमारी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया। यह जो मूल्यांकन का मार्ग है जिसका उदाहरण माथुर साहब ने भी दिया, जिसको हरिदेव जोशी ने भी कोट किया, जिसको बजरंगलाल जी ने भी कोट किया कि मंहगाई बढ़ी है। मैं माननीय सभापति महोदया कहना चाहता हूं कि गेहूं के भाव कितने बढ़े हैं, तेल के भाव कितने बढ़े हैं, कपड़े के भाव कितने बढ़े हैं, मजदूरी के भाव कितने बढ़े हैं, शुगर के भाव कितने बढ़े हैं, तो उस ओर से उसका उत्तर यही आयेगा कि भाव बढ़े नहीं हैं। लोग कहते हैं कि मंहगाई बढ़ गई किन्तु मैं आज फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि 15 अप्रैल के बाद कृषि उत्पादन के भाव गिरेंगे, कपास के भाव गिरेंगे, गन्ने के भाव गिरेंगे और प्राइमरी चीजों के भाव गिरेंगे।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

इस लिये जब भाव गिरेंगे तो सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना पड़ेगा कि महंगाई घट गई।

श्री सभापति : मैं सरकार के मुख्य सचेतक महोदय से कहना चाहती हूं कि यदि आप अपनी पार्टी के सदस्यों से कोरम नहीं बनाये रख सकते हैं तो मैं हाउस को एडजोर्न कर दूं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप माननीय सदस्यों को बुलाकर कोरम पूरा करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनका कोई समर्थन करने वाला है नहीं।

श्री सभापति : आप सदन में अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों में अनुशासन तो बनाये नहीं रख सकते हैं लेकिन कम से कम कोरम तो बनाये रख सकते हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको बोलने वाला नहीं मिला है। जो भी बोलेगा इनके विरोध में बोलेगा।

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री रघुन्दन व्यास : माननीय सभापति महोदया, इसलिए यह जो कहा गया है कि यह बजट मंहगाई बढ़ाने वाला बजट है और इससे इनफ्लेशन आयेगा, तो मेरा यह निवेदन है कि इस बार भाव गिरने वाले हैं, इस बात को इस बजट में इंगित करना चाहिए था, वह नहीं किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी, जो राजस्थान सरकार के आर्थिक सलाहकार भी हैं उनको जो गांवों और जिलों में बैठकर आंकड़े बनते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि वह रिपोर्ट यथार्थ से मेल नहीं खाती है। इस लिए दुःख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि बजट भाषण में मूल्यांकन रिपोर्ट और आंकड़ों को हम देखें तो उनमें सन्तुलन दिखाई नहीं पड़ता है। इस कमी की ओर भी माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। इस ओर भी गम्भीर चिन्तन होना चाहिए कि हमारे सभी आंकड़ों और समाज के चलते हुए स्वरूप, दोनों, का मेल बना रहना चाहिए। यह जो इकानामिक सर्वे है वह समाज के सर्वे के आधार पर होना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भाव कम हुए क्या?

श्री रघुनन्दन व्यास : मुझे बोलने दें।

श्यपोतसिंह जी बात कहते हैं कि नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल और सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन, दोनों के द्वारा राज्य सरकार के साथ अन्याय हुआ है। कल

(श्री रघुनन्दन व्यास)

माननीय हरिदेवजी जोशी ने जो बात कही है, आज मैं भी वह कह सकता हूं कि हमारी सरकार की ओर से राजस्थान के बारे में जो पक्ष प्रस्तुत होना चाहिए था वह सिस्टेमेटिक वे में नहीं हुआ, विधिवत नहीं हुआ। वह यदि होता तो उसमें भेद नहीं रहता। लेकिन केरल की तुलना राजस्थान से करने चले तो केरल में एक करोड़ रुपया रोज विदेशी पूंजी के रूप में पहुंचता है। इतना सा प्रान्त है जितना कि हमारा जालौर जिला, और राजस्थान स्टेट कितनी बड़ी है। उस हिसाब से हमारे देश के लोग, दिल्ली में बैठने वाले कमीशन के लोग, विकास परिषद में बैठने वाले लोग राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के रूप पर, सारे पर, विचार करने को तैयार नहीं हैं। सारी चीजों के बारे में आंकड़े देखने को तैयार नहीं हैं। उस पर तर्क-वितर्क करने को तैयार नहीं और उसके आधार पर निर्णय करने को तैयार नहीं। केवल आबादी को लेकर चलें तो बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। आन्ध्र की तुलना करें तो मद्रास से लेकर विजयनगरम् तक समुद्र के किनारे डूबे हुए इलाके में हर साल टूट फूट होती है, हर साल नुकसान होता है। वहां पर कपास और तम्बाकू पैदा करने वाले किसान हैं। किसानों के खेतों में चोरी न हो इसलिये उनके खेतों में बिजली लगाई जाती है, गैस के लेम्प जलाये जाते हैं। वह वहां का आदर्श है। राजस्थान की दूसरी स्थिति है जहां पर कुछ पैदा नहीं होता है।

मुझे अपने यहां के वैज्ञानिकों के बारे में भी उल्लेख करना है। हमारे यहां 100 वर्ष तक बाजरा रहता था फिर भी बाजरे का बीज खराब नहीं होता था। वैज्ञानिकों की कृपा दृष्टि से आज राजस्थान में बाजरा 6 वर्ष के बाद बोने के लिए भी नहीं रहेगा। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो गया है। इस लिए वैज्ञानिकों के रास्ते और अर्थ शास्त्रियों के आंकड़ों से अलग हटकर जन-नेताओं को जनता की समस्याओं को देखना पड़ेगा। वैज्ञानिक जिस रास्ते पर जाते हैं उस रास्ते के कारण यदि हमारे बाजरे का बीज समाप्त हो रहा है तो उस विज्ञान के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यदि रेगिस्तानी इलाके में बाजरा खतम हो गया तो न चारा रहेगा और न रोटी रहेगी। न जीरे से पेट भरेगा, न तारा-मीरा से पेट भरेगा और न सरसों से। बाजरा न रहा और घास न रही तो हमारा पशुधन भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि किसानों की जड़ न खोदने के नाते इन वैज्ञानिक आविष्कारों को दूर रखें। इनके आधार पर बाजरे का बीज खतम होने की स्थिति आ गई है जिसके कारण गांवों की सारी आर्थिक व्यवस्था और गावों का सारा पशुधन नष्ट होने जा रहा है। उसके बारे में विचार करना चाहिए।

इसके पश्चात् मैं कहूंगा कि हमारे

(श्री रघुनन्दन व्यास)

बजट ने बुनियादी रूप में विकास को गांवों की ओर मोड़ा है। हमने गांवों में सड़कें बनाने के लिए सोचा है, गांवों में स्कूल बनाने के लिए सोचा है। हमारे मित्रों ने कहा कि गांवों में स्कूल मत खोलिये वहां पर मास्टर नहीं है। मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक करोड़ के टैक्स और बढ़ाये जायें, डेफिसिट बजट बनाया जाय, लेकिन हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में मास्टर जाय वन टीचर और वन क्लास के फार्मूले को मानना चाहिए। राजस्थान की पिछली सरकार ने इसी विधान सभा में कम्पलसरी एज्यूकेशन का बिल पास करके रखा हुआ है। मुझे याद है। बहुत पुरानी बात हो गई। माननीय सभापति महोदया, आप आसन पर बिराजमान हैं, पर आपको याद होगा। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार कम्पलसरी एज्यूकेशन को राजस्थान में लागू करे जैसा कि बिल पहले से पास हुआ पड़ा है। उस बिल को लागू करने के कारण जो चेंज आयेगा, जो परिवर्तन आयेगा, उसका लाभ होने वाला है।

किसानों पर लैण्ड रेवेन्यू सैटलमेंट न होने के बहाने बढ़ा दिया है। सैटलमेंट नहीं कर सके, यह कमजोरी रही है। सैटलमेन्ट के बिना लैण्ड रेवेन्यू बढ़ाना गुनाह है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी समाप्त करता हूं। मुझे अपनी स्थिति मालूम है। इतनी ही नहीं, सभापति महोदया, जहां तक सिंचाई की बात है, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, जिन दो चार जिलों में मैं घूमा हूं....।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सारे जिलों में क्यों नहीं घूमें ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मुझे दुख है कि श्योपतसिंह जी ने डिस्टर्ब करने का ठेका ले रखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री रघुनन्दन व्यास : अच्छी सिंचाई करके या सैटलमेण्ट करके जो 5 हजार के ऊपर बकाया है, उसकी ईमानदारी से रिकवरी करने का प्रयत्न करें तो 8 करोड़ का जो टैक्स लगाया है, उसके बजाय 16 करोड़ वसूल होगा। जिन्होंने 20-20 साल से बकाया नहीं दिया है इनकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान जाना चाहिए। थोड़ा से लैण्ड रेवेन्यू बढ़ाया जाये। और थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दो ताकि ग्रामीण लोगों को भी राहत मिले।

जल योजनाएं तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 52 करोड़ रुपये का 26 जिलों के लिए प्रावधान करना चाहिए। जिस तरह से

(श्री रघुनन्दन व्यास)

लोग टैक्टर लेकर किराए पर चलाकर धीरे धीरे उसका रुपया चुकाते हैं उसी तरह जल योजनाओं के लिए रुपया लेकर लोगों को पेय जल उपलब्ध करायें। अगर डेफिसिट बजट में जा रहे हैं तो आप दो बेरे हर गांव में बना दें।

इतना ही नहीं सिंचाई की बात करते हैं। कमाण्ड एरिया की बात करते हैं। इतना ही नहीं जिन गांवों में जिन्दगी में पानी नहीं जाता है, उनको कमाण्ड एरिया में कर रखा है। एग्रोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई तो वहां काम रुक गया। लाखों लोग कमाण्ड एरिया के नाम पर बरबाद हो रहे हैं। उनकी जमीन रेगुलराइज नहीं होती है। इस ओर आप ध्यान दें और सरकार ने जो टैक्स लगाया है, वह वापस लें।

बजट तो अच्छा है लेकिन सरकार को शराबबन्दी के बारे में पहल करनी चाहिए थी चाहे अलग से टैक्स लगाना पड़ता। इन्हीं शब्दों में मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री जगतारसिंह।

श्री सुखलाल संगचा : सभापति महोदया, मुझे बोलने का समय नहीं मिला है।

एक माननीय सदस्य : पहले इनको बोल लेने दीजिए।

श्री सभापति : पांच मिनट में समाप्त कर लें।

श्री सुखलाल संगचा (रायपुर) : माननीय सभापति महोदया, किसानों के बारे में बजट भाषण में कुछ कहा गया है। मेरा निवेदन है कि इस समय किसानों की हालत क्या है उसके बारे में अभी माननीय लालचन्द जी और श्योपतसिंह जी ने सारी स्थिति को कहा है। जो किसानों की हालत है उसके बाद भी किसानों पर टैक्स लगाया गया मैं उसका विरोध करता हूं। अगर आपने इस पर विचार नहीं किया तो किसानों की और खराब हालत हो जाएगी।

मेरा इलाका पाली जिला है। मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर काम के बदले अनाज योजना बहुत कम गांवो में चल रही है। वह गजट में अकालग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं। वहां अन्धाधुन्ध वसूलियां चल रही हैं। 20-20 और 30-30 साल की वसूलियां चल रही हैं। सारी वसूली एक साल में किसानों से करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें आप असफल होंगे। जो छोटा किसान है, उसके पास पैसा नहीं है। जो बड़े-बड़े जागीरदार हैं, उनसे वसूलियां करें।

एक बात की ओर मैं पंचायत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पंचायत एक्ट की धारा 64 है....

श्री सभापति : अभी तो आपको जो कुछ कहना है, वह वित्तमन्त्री जी को ही

(श्री सभापति)

कहिए। पंचायत मंत्री को तो बाद में कट मोशन द्वारा कह देना।

श्री सुखलाल संणचा : पंचायत मंत्री महोदय, धारा 64 में टैक्स लगाने का प्रावधान किया है। आप जानते हैं, गांवों में क्या हालत है। आपने वहां उद्योग लगाने की छूट दी है। वहां चुंगी वसूल करते हैं। पंचायतों पर जो-जो व्यक्ति पूंजी के बल पर प्रभाव रखते हैं वह पंचायत के सरपंचों और पंचों को खरीद लेते हैं। करोड़ों रुपया आपका विकास पर लग चुका है। आपके कानून में प्रावधान है कि टैक्स रखे जायें। लेकिन उद्योगपति पंच और सरपंचों को खरीद लेते हैं। जो टैक्स पंचायत समिति को जाना चाहिए उसकी वह चोरी कर रहे हैं। लाखों रुपयों के उद्योग हैं। उन पर टैक्स लगाना पंचायतों में कम्पलसरी कर दें ताकि पंचायतों की आय बढ़े।

दूसरा मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आपने फ्लेट रेट लागू की है। आपने यह कर दिया है कि एक आदमी ही अप्लाई करेगा। वह क्लर्क भी रखेगा। इस प्रकार तो फ्लेट रेट की सुविधा किसानों को नहीं मिल सकेगी।

हमारे पाली जिले के अन्दर लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना थी। मैं अकाल राहत मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रोजेक्ट इर्रिगेशन की जो योजना है, उसके लिए अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के द्वारा ट्यूब वैल बनाकर लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना को लागू करें। क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री सभापति : आपने, माननीय सदस्य, 6 मिनट ले लिये हैं।

श्री सुखलाल संणचा : मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में पाली जिला कृषि उत्पादन और पशुधन में अग्रणी जिला है। पहले नाथूराम जी मिर्धा की मेहरबानी से यह योजना लागू हुई थी। कृषि उत्पादन में पाली जिला प्रथम श्रेणी में आता है। हमारे यहां ट्यूब वैल योजना है। रायपुर जैतारण में लूनी नदी, घग्घर नदी, बीगोड़ी नदी है, ये नदियां हैं उनके किनारे, सूखे एरिया में लिफ्ट इर्रिगेशन की व्यवस्था की जा सकती है।

मैं माननीय श्रम मन्त्री को धन्यवाद दूंगा....।

श्री सभापति : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, समाप्त करें।

माननीय श्री शिवराज सिंह

(व्यवधान)

सभापति महोदया क्या करें अब।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा समय बाकी है।

श्री सभापति : मैं आपको समय देती,

(श्री सभापति)

लेकिन आपका भाषण इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 15 तारीख को मेरा नाम आ जाना चाहिए।

श्री सभापति : 15 तारीख को जो आसन पर रहेंगे वो ही व्यवस्था दे सकते हैं, मैं आपको मौका दे चुकी हूं उसको आपने फॉरफीट कर दिया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आसन का इशारा समझ कर अन्य माननीय सदस्य को ....

श्री सभापति : आसन का कोई इशारा नहीं था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मौका दिया था, मेरी उदारता कहीं आपकी कठोरता के सामने पिस नहीं जाये इसलिए निवेदन करता हूं।

श्री शिवराजसिंह (बस्सी) : माननीय सभापति महोदया, हमारे वित्त मंत्री जी ने सन् 79–80 का बजट भाषण सदन में पेश किया है, इसकी प्रतिलिपि हमें भी मिली है, उस पर तीन दिनों से बहस चल रही है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बजट को विकासहीन, काश्तकारों के लिए दुख पैदा करने वाला बतलाया है, इस तरह की कई संज्ञाएं इसे दी है। मैंने जब इस बजट को देखा और माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह जो बजट बनाया गया है यह ग्रामोन्मुखी ग्रामों के विकास के लिए और ग्राम गरीब जनता को सुख पहुंचाने वाला है। यह जो भाषण है इसको पढ़ने से स्वयं मालूम हो जाता है, बजट में शिक्षा के प्रसार का काम रखा है, बिजली के प्रसार का काम रखा है, सड़कों के विस्तार का कार्य रखा है, अन्त्योदय योजना का कार्यक्रम रखा है, फूड फार वर्क का कार्यक्रम रखा है और....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री जी धमका कर कहला रहे हैं।

श्री शिवराजसिंह : इस बात से यह साबित हो जाता है। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह किस प्रकार का बजट है, इसका आप खुद अन्दाज लगा सकते हैं। एक बात जो जनता पार्टी के शासन से स्थापित हुई है, उससे यह साबित हो जाता है कि हर एक काम निष्पक्ष रूप से और ग्रामों के विकास के लिए किया जाता है। जो नीति निर्धारित की जाती है वह गरीबों के लिए है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं आज की सदन की कार्यवाही का समय साढ़े छः बजे तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिना कोरम के चलाओ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैडम, मैं 11 बजे से बैठा हुआ हूं। I attend the house in right earnest. मुझ पर बोलने की पाबन्दी लागू नहीं होनी चाहिए। आपके रूलिंग को सत्ता पक्ष के मेम्बरान कोड़ा मार रहे हैं। आपने सदन का समय बढ़ाया है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य तो सदन में रहते नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल : आपके सहयोग के लिए आभारी हूं।

श्री सभापति : यह तो सभी की जिम्मेदारी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं दो घण्टे से चाय नहीं पी पा रहा हूं।

श्री सभापति : अब आप पी लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : इनको अकामोडेट कर लीजिये।

श्री सभापति : यह कैसे सम्भव है, माननीय सदस्य, कि इनको अकामोडेट किया जाय, और समय भी नहीं बढ़ाया जाय। 6 बजने वाले है, क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय सायं साढ़े छः बजे तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय सायं 6.30 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, जो 8 घण्टे तक सदन में बैठा रहे वही डी. ए. लेने का हकदार है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं इनसे पूरा सहमत हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : इसलिए पाबन्दी लगाई जाय, स्वयं भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सारा हाउस खाली पड़ा हुआ है। It is in insite with parliamentary democracy.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन का समय 6.30 तक का है, जिन लोगों को बोलना है, बोल लें। हमें लोगों को गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ बैठे रहना चाहिए। मन्त्री लोग भी नहीं बैठे रहते, यह सही बात है। लेकिन आसन कोई पाबन्दी नहीं लगा सकता कि कोई माननीय सदस्य 8 घण्टे तक बैठा ही रहे और न आसन यह व्यवस्था दे सकता है फिर भी ट्रेजरी बेन्चेज के लोगों का . . .

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : 6 मन्त्री बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक और सचेतकों का यह कर्तव्य है कि वह सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को यहां पर रखें, मैंने बार बार कहा है कि सदन में कोरम बनाये रखें। अब आप सुनिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा मतलब है दूसरे 51/– रुपये किस बात के लेते हैं ?

श्री सभापति : मैं आपके आब्जेक्शन को रूल आउट करती हूं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती कि आठ घण्टे ही यहां पर बैठे रहें और न यह सम्भव ही है। मैंने सचेतक महोदय को कहा है कि आप पार्टी के इन्डिसिप्लीन को यहां क्यों प्रदर्शित करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि डिसिप्लीन रखिये, यह नहीं होता तो कोरम तो रखिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदया, भ्रष्टाचार का आरोप दूसरों पर लगाते हैं और खुद भ्रष्टाचार करते हैं।

श्री सभापति : पहले तो माननीय सदस्य, संसदीय शिष्टाचार का पालन करना सीखिये। आसन पांव पर हो तो कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये। आसन ख्वामा-ख्वाह ही खड़ा नहीं होता। आसन खड़ा होता है तो आपको अपने स्थान पर बैठे रहना चाहिए। आप संसदीय शिष्टाचार का कभी भी पालन नहीं करते। खास तौर से मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब आसन पैरों पर हो तो आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें।

मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। जो वक्ता है उनको बोलने दें। आपका टर्न आए तो बोलें। क्या भ्रष्टाचार है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में अपना भाषण अब बंद करें।

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने किसी को टोका ही नहीं। जो भी आसन का आदेश होता है मैं उसका पालन करता हूं। मैंने किसी को टोका ही नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ चला जाएगा ? हम स्वयं भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगाते जा रहे हैं।

श्री सभापति : 8 घंटा बैठे रहने से कोई सदाचारी नहीं हो जाता और एक घंटा बाहर चले जाने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता।

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने जो आपत्तिजनक बात माननीय सदस्यों के लिए कही है, it should be expunjed trom the proceedings.

श्री सभापति : ऐसी कोई बात अंकित हो गई हो तो एक्सपंज किया जाए।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री शिवराज सिंह।

श्री शिवराज सिंह : सभापति महोदय, बहुत वर्षों के बाद जब जनता पार्टी का नया शासन आया, तो उसने एक नई बात पैदा की कि सारे राजस्थान का विकास निष्पक्ष रूप से हो, उसकी मिसाल आज इस बजट भाषण में भी मौजूद है। शिक्षा को देखिए, शिक्षा मंत्री ने नियम बनाए कि 400 की आबादी वाले हर गाँव में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 2 हजार की आबादी वाले गांव में मिडिल स्कूल और 3 हजार की आबादी वाले गांव में सैकण्डरी स्कूल होना चाहिए।

इसी प्रकार चिकित्सा विभाग ने भी एक योजना बनाई। सरकार ने महसूस किया कि ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था बहुत कम है। उसके लिए 4 नियम बनाए और तय किया कि पंचायत समिति में दो डिस्पेन्सरीज और एक पी. एच. सी. होना चाहिए। उसके आधार पर राजस्थान में इस कार्यक्रम को पूरा किया गया।

इसी प्रकार से अन्त्योदय योजना के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वह भी निष्पक्ष रूप से चलाया गया। उसमें यह नहीं देखा गया कि यह कांग्रेस सदस्यों का एरिया है या जनता पार्टी के सदस्य का एरिया है, इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। ऐसी बात पहली बार राजस्थान में हुई है। यह नई बात जनता पार्टी ने कायम की है। इस वर्ष भी बजट में काफी स्कूल खोलने का प्रावधान रखा गया है। डिस्पेन्सरीज खोलने का प्रावधान किया गया है। मैं शिक्षा मंत्री व वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कूल जरूर खोलें मगर उसके बाद अध्यापकों की व्यवस्था करें।

दूसरे, शहरों में जो भी शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है, वह सरकार की तरफ से होती है मगर ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक कोई पैसा भवन निर्माण के लिए ग्रामीण इलाकों में नहीं दिया जाता। इसका यह नतीजा हुआ है कि ग्रामों में भवनों की व्यवस्था खराब है। इसलिए भविष्य में ग्रामों में स्कूलों के लिए भवन निर्माण के लिए विशेष तौर से फंड रखा जाए और हर ग्राम में स्कूलों के लिए उसका उपयोग होना चाहिए।

इसी प्रकार सड़कों की योजना बनाई जा रही है। पिछले वर्षों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ली गई काफी सड़कें अधूरी पड़ी हैं। उनके अन्दर से कुछ पर पक्का काम हुआ है और कुछ पर अर्धवर्क हुआ है। उनको पूरा कराना चाहिए और जहां सड़कें बिल्कुल नहीं हैं, वहां प्राथमिकता देने का प्रयत्न करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री शिवराज सिंह)

काश्तकारों पर जो कर लगाया गया जैसे आपने 25 प्रतिशत लगान वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, यह न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। उसमें कहा गया है कि सैटलमेंट न होने की वजह से बढ़ाया गया है। सभापति महोदय, सैटलमेंट होने के बाद दोनों चीजें सामने आती हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के कारण पैदावार बढ़ जाती है, उसका लगान सैटलमेंट से बढ़ाया जाता है और जहां पर सिंचित जमीन सैटलमेंट के बाद असिंचित हो गई है, तो उसका लगान घट जाता है। इस तरह से दो परिपाटियां होती हैं। अगर बिना समझे कह देंगे कि लगान बढ़ाना चाहिए तो न्यायसंगत नहीं होगा और मतभेद पैदा करने वाली बात होगी। सैटलमेंट करने के बाद इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि समान तरीके से न्याय मिल सके। बाकी इस तरह से बढ़ाना न्यायसंगत नहीं होगा।

सिंचाई के साधनों पर जो दर बढ़ाई जा रही है उसके अन्दर अगर वित्त मंत्री ने सोचा है कि नहर से जो सिंचाई होती है उसमें पैदावार ज्यादा होती है और पम्पिंग सैट्स से खर्चा ज्यादा आता है, इसी भावना से प्रेरित होकर सिंचाई दरों को दुगुना किया जाए तो न्यायसंगत नहीं होगा।

अन्त में मैं नशाबंदी के बारे में....

श्री सभापति : आपका समय खतम हो चुका है। नशाबंदी औरों के लिए छोड़ दीजिए।

श्री शिवराज सिंह : यह मसला बहुत गम्भीर है और इस पर जल्दबाजी में अगर फैसला किया गया तो जैसे नसबंदी के लिए पुरानी सरकार ने फैसला किया और बाद में जाकर पछताना पड़ा उसी तरह से नशाबंदी के मामले में आपको पछताना पड़ेगा। आपको गम्भीरता से इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए, वरना बहुत समस्यायें आएंगी। जिनका धन्धा बन्द होगा उनके कर्मचारी हटाये जायेंगे, फिर उनको नौकरियों पर लगाने की समस्या आएगी। तो पहले उनको नौकरी पर लगाने की व्यवस्था करें। दूसरे सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में नशाबंदी होने के बाद उस पर अमल कर सकेंगे या नहीं? इस विषय पर सोचकर अमल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि जल्दबाजी में फैसला किया गया तो हानि हो सकती है।

बाकी जो बजट पेश किया गया है, वह ग्रामीण जनता के फायदे के लिए है। मैं उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री बाल कृष्ण थानवी।

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलौदी) : सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में 1 अप्रैल, 1979 से पूर्ण नशाबन्दी लागू न होने की बात

(श्री बालकृष्ण थानवी)

बहुत अखरने वाली है। शराब के कारण लाखों घर बरबाद हुए हैं इसलिए हर कीमत पर चाहे हमें कितना ही घाटा क्यों न उठाना पड़े इस शराब के दैत्य को बंद किया जाना चाहिए जिससे राजस्थान शक्तिशाली बने और खुशहाल हो। यह कहना गलत है कि जिन जिलों में शराबबंदी है वहां घर-घर गैर कानूनी शराब की भट्टियां चलती हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, अतिरंजित करके यह भ्रामक बात फैलाई जाती है। जहां तक अनधिकृत शराब बनाने का सवाल है, खास तौर से शराबबन्दी क्षेत्र में नाजायज शराब बनाने का प्रश्न है, उसमें तो हमारे सरकारी क्षेत्र के लोग, खास तौर से पुलिस विभाग के लोग और शराबबंदी के लिए जो कर्मचारी लगाये गये हैं वे दोषी हैं। यह कि कहना घर-घर में अनधिकृत शराब बनती है, एक मौजू दलील नहीं है। इसलिए तत्काल, 1 अप्रैल, 1979 से पूर्ण शराबबंदी हमारे राजस्थान में की जानी चाहिए। बिहार ने 1 अप्रैल से हिम्मत करके शराबबंदी लागू कर दी है और 36 करोड़ का घाटा सहन करने का फैसला किया है। बिहार ने इस मामले में पहल कर दी है और हम इस सर्वोत्तम काम में पीछे रह गये हैं। हालांकि हमारे यहां ही इसकी पहले घोषणा होनी चाहिए थी, फिर भी कोई बात नहीं है हम दूसरे नम्बर पर रहेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबन्दी हमारे यहां राजस्थान में हो ही जानी चाहिए।

सरकार की ओर से गांवों और शहरों में जो भेदभाव रखा जाता है वह ठीक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल भवन बनाये जाते हैं या और दूसरे सार्वजनिक भवन बनाये जाते हैं अथवा हास्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका आर्थिक भार ग्रामीण लोगों के ऊपर डाला जाता है लेकिन शहरों में जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, चाहे वह सरकारी इमारत हो या अस्पताल हो या स्कूल और कालेज की बिल्डिंग हो उसका सारा खर्च राज्य सरकार ही वहन करती है। ऐसी व्यवस्था हमारे इस बजट में भी है। प्रदेश के पांच बड़े शहरों की सड़कों के रख-रखाव का भार राज्य सरकार पर डाला गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों या खास तौर से नगरपालिका क्षेत्रों में बनी सड़कों का रख-रखाव, वहां की नगर-पालिकायें ही करे, ऐसी व्यवस्था है। अतः मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सड़कें, पुलिया या और दूसरे निर्माण के काम हैं या अस्पताल, कॉलेज या स्कूल के भवन के निर्माण कार्य हैं उन्हें भी राज्य सरकार ही कराये और ग्रामीण जनता पर भार नहीं डाला जाये।

शिक्षा का जहां तक ताल्लुक है कॉलेजी शिक्षा के लिए इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र कॉलेजों के मामले में उपेक्षित है जबकि शहरों में जगह-जगह कॉलेज

(श्री बालकृष्ण थानवी)

पहले ही खोल दिये गये हैं। अब जान बूझ-कर जनता शासन में कॉलेज नगरीय एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में न खोले जाने की नीति अपनाई जा रही है जो कि ग्रामीणों के साथ अन्याय है। यह दलील दी जाती है कि भारत सरकार ने पांच साल तक के लिए नये कॉलेज खोलने पर रोक लगा रखी है। मगर यह कथन भी ठीक नहीं है, कारण कि पिछले दिनों जोधपुर के सांसद ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से इस बारे में बातचीत की थी। उन्हें कहा था कि यदि पिछड़े एवं जरूरतमन्द स्थानों पर नये कॉलेज नहीं खोले जायेंगे तो उससे ग्रामीण तथा नगरीय लोगों में भारी असन्तोष पैदा होगा। इस-लिए हमारी सरकार को जरूरतमंद ग्रामीण क्षेत्रों में नये नये कॉलेज खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगले सत्र से जहां जहां जरूरत है जिसमें फलौदी भी मुख्य है वहां कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें और बिजली का विस्तार करने के अलावा मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों पर जो टैक्स बढ़ाये गये हैं वे उचित नहीं हैं। किसानों पर टैक्स बढ़ाना निश्चित ही गरीबों पर कर भार डालता है। सिंचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक की बढ़ो-तरी करना और साधारण क्षेत्र में 25 प्रतिशत भू-राजस्व बढ़ाना किसानों के साथ भारी अन्याय है। इसको दूर करना चाहिए और जो टैक्स लगाये गये हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। बकरी पर और खास तौर से भेड़ों पर जो प्रति नग पांच रुपयों के हिसाब से टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया गया है वह भी किसानों पर बोझा डालने वाली बात है, उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। डीजल जो कि किसानों के काम आता है उस पर पहले ही काफी टैक्स लगा हुआ है इसलिए उस पर और अधिक टैक्स बढ़ाना उचित प्रतीत नहीं होता। टैक्स बढ़ाने के साथ ही साथ हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के हित में जो काम हमसे अपेक्षित हैं नहीं कर पाते तो फिर हम टैक्स बढ़ाने के भी हकदार नहीं हैं।

मैं एक बात आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं और वह यह है कि यदि टैक्स नहीं बढ़े तो राज्य का काम कैसे चलेगा? यह हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में मेरा सुझाव है कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाई जाये। साथ ही साथ अर्थातीत विदेशी सामान पर 25 प्रतिशत कर भार डाला जाये। 25 हजार से अधिक की कीमत की कारें, जीपें, बसें, ट्रकें, इन्जिन, भारी कीमती मशीनें, निजी हवाई जहाज, निजी हेलीकोप्टर आदि जो भी खरीदें उनके ऊपर 10 प्रतिशत का टैक्स बढ़ाया जाये। उच्च वर्ग द्वारा

(श्री बालकृष्ण थावनी)

इस्तेमाल किए जाने वाले मादक द्रव्यों पर 25 प्रतिशत का कर भार डाला जाये। उच्च वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विलासिता की वस्तुओं पर भी 25 प्रतिशत के हिसाब से कर भार डाला जाये। 1 लाख से अधिक की शहरी सम्पत्ति पर 20 प्रतिशत कर भार का बोझ डाला जाये। उच्च श्रेणी के सिनेमा टिकटों पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाय। इसी तरह 500 रुपयों से अधिक लिये जाने वाले मासिक किराये पर 20 प्रतिशत का कर भार डाला जाये। मासिक 75 हजार से अधिक के कच्चे माल का उपयोग करने वाले तमाम उद्योगों पर 10 प्रतिशत कर भार डाला जाये। 'ए' श्रेणी के सरकारी ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों पर 10 प्रतिशत कर भार डाला जाये। 4 लाख रुपये से अधिक की लागत के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाये। सरकारी खर्च में 25 प्रतिशत की कटौती की जावे। 50 हजार रुपये से अधिक की लागत के नये भवनों के निर्माण कराने पर 10 प्रतिशत कर लगाया जावे। 1 लाख से ऊपर की कृषि उपज पर 5 प्रतिशत कर भार डाला जाये। रोडवेज में प्रतिदिन होने वाली लाखों रुपयों की चोरी को रोका जाये। यदि यह सब किया जाये तो इन आधारों पर हमारा बजट न केवल घाटे से ऊपर उठ जावेगा बल्कि मुनाफे का भी हो जायेगा और हम ग्रामीण विकास में बहुत सारे काम इसकी मार्फत कर पायेंगे।

भूमिहीनों को भूमि बांटने की हमारी जनता सरकार की घोषणा थी कि एक साल में हम भूमिहीनों को भी पड़त सरकारी भूमि बांट देंगे लेकिन अभी तक भूमिहीनों में भूमि नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बांटी गयी है। 9 जिले सूखा-संभाव्य क्षेत्र में शरीक किये गये हैं और जहां भूमि देने पर रोक लगाई गई है वह रोक हटाई जावे। 9 सूखा-संभाव्य क्षेत्रों में जो भूमिहीन हैं उनको सरकारी भूमि दी जावे। यह मेरी मांग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि समय की समाप्ति की घण्टी बज गयी है, मैं एक मिनट का समय और चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि वह आप मुझे देंगी।

राजस्थान में आबादी को देखते हुए सरकार को नये जिले बनाने चाहिए। राजस्थान नहर बनने के बाद बहुत से आबादी के क्षेत्र बढ़ेंगे इसलिए नये जिलों का निर्माण होना जरूरी है उसमें फलौदी भी एक जिला बनाया जाय।

आशा है कि राज्य सरकार खास कर

(श्री बालकृष्ण ग्रानवी)

वित्त मन्त्री जी मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे और गरीब वर्ग की आय बढ़ाने एवं उन्हें और अधिक राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता। आप इतने समय में अपनी बात पूरी नहीं कर पायेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात तो कहूं। मेरा जितना नियत समय है रिकार्ड में उससे अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : आप 10 मिनट तो बोलिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति महोदया, जो बजट भाषण वित्त मन्त्री जी ने यहां पढ़ कर सुनाया उसके सम्बन्ध में सर्वप्रथम तो मुझे यह आपत्ति है कि हमारा समाज पहले से ही हिन्दू मुसलमानों में, सवर्ण और असवर्ण में बंटा हुआ है। अब इस बजट के जरिये यह भावना सारे राज्य में उदयपुर से गंगानगर तक और जैसलमेर से अलवर तक फैलाने की कोशिश की गई है कि राजस्थान के दो भाग हैं, एक गांव का है और एक शहर का। सारे देश में यह मान्यता फैली है कि शहरी और ग्रामीण जनता के हितों में टकराव है, ग्रामीण जनता की सरकार में क्या हिस्सेदारी है, इसकी अधिक से अधिक हिस्सेदारी हो। यह जो विवाद खड़ा किया जा रहा है यह निजी स्वार्थ, पोलिटिकल फ्राड है। अपने आपको सत्ता में बनाये रखने के लिए एक दीवार खड़ी की जा रही है। उस दीवार के माध्यम से जहां पहले पूंजीपति पैसे के बल से सत्ता में रहता था वहां आज भोली भाली ग्रामीण जनता को गुमराह करके उनके वोटों से सत्ता में आने के लिए सिर्फ इस बात का नारा दिया जा रहा है। मुझे यह आपत्ति है, क्या हमारी सरकार पुनः समाज में इमोशनल इन्टीग्रेशन, एकता कायम करने के बजाय शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच में यह दीवार खड़ी करके आपस में उसका खून बहाना चाहती है? क्या यह चाहती है कि गांवों का नौजवान जब शहर में विद्या अध्ययन के लिए आए या शहर का युवक गांव में जाये तो एक दूसरे को द्वेष की दृष्टि से देखे? ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि गांव और शहर के हित में टकराव नहीं है। आज जो शहर बने हैं, किस कारण बने हैं। मुझे इतिहास याद है बीकानेर का उदाहरण लीजिए। बीकानेर को जब राव बीका जी ने बसाया था तब एक छोटा सा गांव था। वहां 100 घरों की आबादी थी। आज बीकानेर शहर बन गया है। ग्रामीण लोगों ने विकास किया है। आज चौधरी चरण सिंह से लेकर माननीय सदस्य बालचन्द तक को भूल हो रही है। यह झूठ है, इस

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

झूठ का जितना जल्दी पर्दाफाश किया जाये, मैं समझता हूं उतना ठीक रहेगा। माननीय सभापति महोदया, जनता सरकार ने 19 महीनों में जो कुछ किया है उसको बीलिटिल नहीं करूंगा। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने जो कुछ आर्थिक विकास के लिये किया उसको भी बीलिटिल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सरकार पर अगर कोई आरोप है तो वह आरोप यह है कि 1970 में जो राजस्थान नहर 200 करोड़ रुपये में पूरी होनी चाहिये थी वह कांग्रेस शासन में राजनैतिक आधार पर, नौकरशाही की इनएफिसियेन्सी के कारण से और दूर दृष्टि के अभाव में 1970 में 200 करोड़ में पूरी नहीं हुई। अब 1985 तक 400 करोड़ से अधिक खर्चा कर के राजस्थान नहर को बनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। आप ग्रोथ में जो कोरस्पोंडिंग लास है वह अलग है। जनता सरकार ने राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा ले जाने के लिये 19 महीने में कुछ काम किये हैं, कुछ नये कार्यक्रम चालू किये हैं, पुराने कार्यक्रमों में सुधार किया है लेकिन अन्त्योदय योजना के नाम से जनता को फिर यह सरकार गुमराह करना चाह रही है। अन्त्योदय योजना से गरीबों के आर्थिक स्टेटस में कोई आधारभूत परिवर्तन हो, हम उनकी आर्थिक समस्या को हल कर सकें जिससे उनकी हमारे प्रति सहानुभूति रहे, उसका यह ख्याल रहे कि जयपुर में बैठी हुई सरकार में उसकी हिस्सेदारी है। भैरोंसिंह की सरकार 19 महीने में अन्त्योदय का ढोल पीट रही है। मैंने एक जगह कहा है, प्रान्त में भगवान न करे अगर एक साल बरसात न हो, सभापति महोदय, तो उन हजारों किसानों का क्या होगा जिन्होंने अन्त्योदय कार्यक्रम के तहत कोआपरेटिव बैंक से लोन लेकर पशुधन खरीदा है? उनका क्या होगा? माननीय सभापति महोदया, आज हमारे किसान को आवश्यकता नहीं है कि उसको भेड़ के लिये लोन दिया जाये। आप पश्चिमी राजस्थान का उदाहरण लें, पश्चिमी राजस्थान का किसान जैसलमेर का किसान, बीकानेर का किसान इस बात का इन्तजार कर रहा है, कि राजस्थान नहर का विकास द्रुत गति से हो। मुझे अफसोस है, मेरा जनता सरकार पर अगर कोई गम्भीरता से दोषारोपण है तो वह यह है कि कांग्रेस सरकार ने जो लिफट योजना चालू की थी....

सदन की कार्यवाही

विान सभधा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदया, माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक सदन की बैठक का समय बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : समय बता दीजिये, वरना यह खतम नहीं करेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा भाषण समाप्त करने की इच्छा है। मैं अभी बैठ जाता हूं। माननीय सदस्य, मेरा भाषण जिनको नहीं सुनना है न सुनें। मुझे उसको इस चार दीवारी में टेप करवाना है ताकि आने वाले देख सकें, सही बात सही समय पर कही गई है जो आपने पूरी नहीं की।

श्री नवनीत पालीवाल : हम आपका भाषण सुनना चाहते हैं, इसीलिये समय बढ़ा रहे हैं। 10 मिनट का समय और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : आने वाली पीढ़ी जरूर पढ़ेगी।

क्या सदन की अनुमति है कि सदन की बैठक का समय 10 मिनट और बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय सायं 6.40 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने मुझे अपना भाषण करते रहने के लिये और समय दिया है। सभापति महोदया, मैं वित्त मन्त्री जी के भाषण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अन्त्योदय योजना जिसका हमारे यहां ढोल पीटा जा रहा है, इतना प्रचार किया जा रहा है इस अन्त्योदय योजना के लिये इस एक हजार करोड़ रुपये के बजट में सिर्फ $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये रखे गये हैं। वित्त मन्त्री जी के भाषण के पृष्ठ 3 पर ग्रामीण विकास के अन्तर्गत पैरा 7 में आइटम 6 पर लिखा है 3.50 करोड़....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : सब्सिडी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वित्त मन्त्री महोदय ने इस प्रकार कहा है, "मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि इस वर्ष के समग्र विकास व्यय का 64 प्रतिशत हम ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे। अगले वर्ष के लिये इस प्राथमिकता पर और अधिक बल दिया गया है, जिससे 1979-80 में ग्रामीण विकास पर होने वाले विनियोजन का प्रतिशत बढ़ कर लगभग 70 प्रतिशत हो जायेगा, जो कि नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट है।"

इससे अन्त्योदय के लिये साढ़े तीन करोड़ रुपया रखा गया है....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह सब्सिडी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर किसी ग्रामीण अन्त्योदय परिवार ने बैंक से लोन लिया तो He has to pay it again. किसी कोआपरेटिव बैंक से लोन लिया, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लिया या

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

किसी भी पब्लिक इन्स्टीट्यूशन से लोन लिया तो वह ब्याज देगा और मूल धन वापस लौटायेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों का रुपया उन लोगों को दिया जाने लगा जिनको पहले नहीं मिल रहा था। ये आपके आंकड़े बोल रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उसके बाद निश्चित रूप से क्रेडिट पालिसी में झुकाव दिया गया है कि जिन लोगों को लोन नहीं दिया गया है, उनको दिया जाय, तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। आज जिस किसान के पेट में रोटी नहीं नहीं है, सिर पर साफा नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, पांव में जूता नहीं है उस पर कर्जा लादा जा रहा है। इसमें उसकी क्या भलाई है? He has to pay it again.

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जो अन्त्योदय परिवार वालों को लोन दिया जायगा उसकी सिक्योरिटी नहीं ली जायगी। आज भी अन्त्योदय परिवार वालों को जमानत देनी पड़ती है वह वहां का जिम्मेदार व्यक्ति देता है, वहां का गरीब व्यक्ति देता हैं तो फिर आपका क्या योगदान है? 668.79 करोड़ रुपये विकास पर खर्च किया जायगा जिसका साढ़े तीन करोड़ पॉइन्ट 0509 प्रतिशत होता है। तो यह आप सरकार के कोष से खर्च करेंगे। सभापति महोदया, जो इसमें एक विशेष बात है वह यह है कि इस अन्त्योदय की पब्लिसिटी के लिये, इस अन्त्योदय के प्रचार के लिये अखबारों में विज्ञापन देने के लिये और विदेशी पत्रकारों को एन्टरटेन करने के लिये लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। कम से कम एक करोड़ रुपया सरकार हर वर्ष अखबारों में विज्ञापन देने और विदेशी पत्रकारों को एन्टरटेन करने पर खर्च नहीं कर है, दूसरी तरफ केवल उन पर खर्च कर रही है साढ़े तीन करोड़ कितना भारी मजाक है यह उनके साथ। सत्ता में हम रहना चाहते हैं उस गरीब के नाम पर....

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : टाइम जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, आप डिस्टर्ब न करें। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और संसदीय मामलात के मन्त्री हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति महोदया, यही नहीं और आंकड़े बोलूंगा तो कुछ मन्त्रियों के हार्ट फेल हो जाने की सम्भावना है।

ग्रामीण पेय जल की व्यवस्था पर 20 करोड़ 61 लाख खर्च किया जायगा। कुल बजट का यह 2 प्रतिशत है। जिस राज्य में 45 हजार गांवों की संख्या हो....

एक माननीय सदस्य : 33 हजार ही हैं गांव।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कुल 33 हजार गांव हैं, मैं आपकी बात को सही मान लेता हूं....

श्री नवनीत पालीवाल : नहीं तो आने वाली पीढ़ी गलत पढ़ लेगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये 33 हजार गांव तो रेवेन्यू रिकार्डेड विलेजेज हैं। मेरी तहसील में रिकार्डेड विलेजेज से 25 प्रतिशत अधिक विलेजेज हैं—ढाणियां है जिनका रिकार्ड नहीं होने से वहां बिजली नहीं आती है, रोड नहीं पहुंचती है, जल की कोई व्यवस्था नहीं होती है और कई चीजें नहीं होती हैं। सभापति महोदया, मैं जो कुछ कहता हूं उसका एक-एक वर्ड सही होता है। You must face the challenge. You must accept the challenge.

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कहिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : तो उन 45 हजार गांवों में से 90 प्रतिशत में पानी की कोई स्कीम नहीं है।

श्री सभापति : लोग मजाक करेंगे, 45 हजार नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैडम चेयरमैन, मैं इस राज्य सरकार को चैलेन्ज देता हूं। 33 हजार गांव रेवेन्यू में रिकार्डेड हैं। इसके विपरीत हजारों ढाणियां जिनकी 100-100 झोंपड़ों की आबादी है, 150-150 परिवार ढाणियों में रहते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, आप इनकी सब बातों का जवाब देंगे तो आपका भाषण अधूरा रह जायेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : You teach them lesson.

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री सभापति : मैं सदन का टाइम पौने सात बजे तक बढ़ा देती हूं। आप मुद्दे की बात ही कहिये।

क्या सदन की सम्मति है कि सदन की बैठक का समय सायं 6.45 तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय सायं 6.45 तक बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : With all respect to you, Madam Chairman, I am talking seriously.

एक माननीय सदस्य : आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हो। दूसरों को तो मना करते हो और आप स्वयं बोलते हो।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आदर रखते हुये निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : आपको अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आज ?

श्री सभापति : जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ग्रामीण पेय जल की व्यवस्था करने के लिये टोटल बजट 2 प्रतिशत खर्च किया जायगा। रोड्स पर टोटल बजट का डेढ़ प्रतिशत, बिजली पर कुल बजट का 4 प्रतिशत, शिक्षा पर कुल बजट का 6 प्रतिशत और ग्रामीण मेडिकल व्यवस्था पर .5 प्रतिशत खर्च किया जायगा। मैडम चैयरमैन····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इतना तो मैं भी निवेदन करना चाहती हूं कि कानों के पर्दों पर बहुत जोर पड़ता है। आप माइक से दूर रह कर बोलें या अपने वाल्यूम को कम करें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो प्राकृतिक हैं, इनका दोष नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने जो आंकड़े दिये हैं रोड्स पर डेढ़ प्रतिशत, बिजली पर चार प्रतिशत, शिक्षा पर 6 प्रतिशत और ग्रामीण मेडिकल ऐड पर .5 प्रतिशत····

श्री अयूम खां : और बैचलर टैक्स और लगा दिया जाय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जिस 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता के विकास की बात कही जाती है उसके लिये पानी, दवा-दारु, शिक्षा पर इस तरह दो, तीन, चार प्रतिशत खर्च करके क्या हमारी सरकार यह दावा कर सकती है कि हम गांवों का विकास कर रहे हैं ? मैं कहता हूं कि यह झूठ है, आंकड़े झूठे दिए हैं, आपने झूठी बात लिखी हैं। गांवों का आज भी शोषण हो रहा है। यह बजट ग्रामीणोन्मुखी नहीं है, कृषिमुखी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यह बजट किसानोन्मुखी नहीं होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुखी है, आर. एस. एस. घुटने टेकोन्मुखी है, नत मस्तकोन्मुखी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सैकण्डों मिडिल ट्रेडमैन, छोटे व्यापारी स्वयं सेवक हैं, उनके सामने एक प्रकार से घुटने टेकोन्मुखी है। मैं कहूंगा कि किस प्रकार से यह है, माननीय सभापति महोदया, अगर गांव का किसान अतिक्रमण कर ले तो उसको जेल भेजने का कानून में प्रावधान आपने रखा हुआ है। आपातकाल में अतिक्रमणी को जेल में भेजने के लिए जो प्रावधान किया वह अभी भी कायम है। सैल्स टैक्स का एक लाख रुपये से अधिक रिटर्न वाला व्यापारी अगर अपना नाम रजिस्टर नहीं कराये सैल्स टैक्स के लिए तो उसको जेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ? क्योंकि इस सरकार के ऊपर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, आर. एस. एस. का प्रभाव है। आपकी सरकार गांवों के लिये 70 प्रतिशत खर्चा

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

नहीं कर रही है, आपकी सरकार पर, समाजवादी मन्त्रियों, माननीय मन्त्रीगण पर 80 प्रतिशत प्रभाव आर. एस. एस. का है। इस बजट का 80 प्रतिशत जन संघ के आर. एस. एस. के कमिटेड मंत्रियों के पास है। 170 करोड़ रुपया शिक्षा मंत्री जी के पास है। उनके घर में 3 हाफ पेंट तैयार हैं....

श्री दिग्विजय सिंह : कितने हाफ पेंट हैं ?

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : तीन।

सिंचाई और विद्युत मंत्री के पास में बजट का 57 प्रतिशत है। इस प्रकार से आप देख लीजिये बजट का थोड़ा बहुत मुख्य मंत्री के पास से खर्च होता है। क्या है यह ? समाजवादी मंत्रियों को मैं कहना चाहूँगा कि 70 प्रतिशत गांवों पर खर्च हो रहा है जब कि 80 प्रतिशत प्रभाव आर. एस. एस. का आप लोगों पर है। इस शहर में रहने वाले मिडिल ट्रेड मैन के सामने आप लोगों ने घुटने टेके हैं इसलिये यह आर. एस. एस. मुखी बजट है। यह ब्लैक मार्केट मुखी बजट है। यह चोर मुखी बजट है। यह टैक्स मारू बजट है। यह शोषण-कर्त्ता मुखी बजट है....

श्री माणकलाल ठाकौर : दो चार गालियां और दे दो।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदया, यही नहीं कितना गम्भीर इसमें दोष है। जो व्यापारी जनता से सैल्स टैक्स वसूल करता है जिसने सैल्स टैक्स वसूल कर लिया है जिसके पास में अमानत है वह अगर टैक्स सही समय जमा नहीं कराये तो उसका इंट्रेस्ट 18 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया है। 3 प्रतिशत के ब्याज की छूट किनको दी गई ? उस किसान को नहीं जो कोआपरेटिव से लोन लेता है, जिसने रुपया बैंक से लिया है उसको छूट नहीं है लेकिन छूट दी है उस मिडिल ट्रेड मैन को जो आर. एस. एस. की रीढ़ की हड्डी है, जनसंघ की रीढ़ की हड्डी है। आर.एस.एस. गांव में नहीं है, वह जौहरी बाजार में है, वह चौड़े रास्ते में है, वह हमारी मेन रोड्स पर है। आपने घुटने इन लोगों के सामने टेके हैं। ग्रामीणों का लगान बढ़ाया जा रहा है। उधर लगान बढ़ाया जा रहा है और इधर टैक्स जमा नहीं कराने पर इंट्रेस्ट की रेट कम की जा रही है। फिर आप यह कहते हैं कि यह ग्रामीणोन्मुखी बजट है, यह यह अन्त्योदयी बजट है, यह गरीबों का बजट है। मैं कहता हूं कि यह कफन खसोट लोगों का बजट है। आप पर मेरा आरोप है कि राजस्थान केनाल में जो जमीन 17 हजार रुपये मुरब्बा मिलती थी उसको आपातकाल में कांग्रेस ने 32 हजार रुपया कर दिया और हमारी इस किसानोन्मुखी सरकार ने, गरीब जनता की सरकार ने 1 लाख 4 हजार रुपया प्रति मुरब्बा कर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

दिया, साहब 1 लाख 16 हजार रुपया। कांग्रेस शासन के समय से 3–4 गुना अधिक गांव के किसान, जो जमीन लेगा, को देना पड़ेगा। अपने-आपको किसानों का शुभचिन्तक कहने वाले समाजवादियो, किसानों के नाम से सत्ता में बैठे हुए मंत्रि-गणो, आपका खून खून नहीं रहा, पानी हो गया है, 1 लाख 16 हजार रुपया उस किसान से वसूल किया जायेगा जो कि जमीन का विकास करेगा, जो कि चार साल तक घर से बैठ कर खायेगा उस गरीब पर 1 लाख 16 हजार रुपया यानि चार गुनी कीमत बढ़ा दी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त कर दें। सदन की कार्यवाही 15 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित....

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : इनका भाषण तो समाप्त हो जावे।

श्री **दिग्विजयसिंह** : खतम हो गया, साहब।

श्री **सभापति** : पांच मिनट और दे दिये जावेंगे। 15 तारीख को पांच मिनट और दे देंगे, अंकित कर लें।

सदन की कार्यवाही 15 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.45 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 15 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न 95 का सूची)

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज०)

प्रश्न सं० 1 औषधालय एवं विद्यालय का अनुदान :—

सर्किल वार्ड	औषधालय का नाम	अनुदान राशि	विद्यालय का नाम	अनुदान राशि
73–74	कस्तूरबा मातृ मंदिर, उदयपुर	500/–	1. माणिक्यलाल वर्मा बाल निकेतन, उदयपुर	200/–
			2. भुपालपुरा बाल निकेतन	250/–
74–75	मानव स्वास्थ्य संस्थान, उदयपुर	500/–	—	—
75–76	कस्तूरबा मातृ मंदिर, उदयपुर	500/–	सेवा मंदिर उदयपुर	500/–
76–77	—	—	1. माणिक्यलाल वर्मा बाल निकेतन	200/–
			2. मीरा कला मंदिर	250/–
			3. जय विद्यालय, उदयपुर	1300/–
			4. राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर	10000/–
77–78	कस्तूरबा मातृ मंदिर, उदयपुर	500/–	1. सेवा मंदिर, उदयपुर	500/–
			2. माणिक्य लाल वर्मा बाल निकेतन	200–/
			3. प्रतिभा स्कूल, उदयपुर	500–/
			4. प्रज्ञा शिक्षण संस्थान	3000/–
78–79	—	—	प्रतिभा मण्डल समिति, उदयपुर	500/–

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची)

नोहर तहसील में प्रगतिरत वन विकास कार्य

क्रम सं०	योजना	कार्यस्थल	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान (लाख रुपयों में)
1.	टिब्बा स्थिरीकरण	गोगामेड़ी मेला स्थल	100 हैक्टेयर	0–50
2.	गंवाई जंगल	मुंसरी (ढाल की चाईयानंत्र)	35 हैक्टेयर	0–49
3.	फार्म फोरेस्ट्री	रामगढ़) परलीका) गोगामेड़ी) मुकरका)	40000 (संख्या पैड)	0–20

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

थानागाजी तहसील में नल योजना हेतु प्रस्ताव

111. श्री शिवनारायण (थानागाजी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नल योजना चालू करने के सम्बन्ध में जिला आयोजना समिति की सिफारिश महत्व रखती है ? यदि हां, तो अलवर जिल आयोजना समिति ने सन् 1977–78 में थानागाजी तहसील के ग्राम मुंडावर व आगरा में नल योजना चालू कराये जाने के बारे में जो प्रस्ताव भेजा, उसका क्या हुआ ?

उत्तर

जी हां। ग्राम मुंडावर व आगर नल योजना 1977–78 की जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी। लेकिन निर्धारित मापदण्डों मे नहीं आने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकी।

आबू से कोटड़ा मार्ग पर निगम की बसें

112. श्री लालू दास (फलासिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि आबू से कोटड़ा तक पक्की सड़क है तथा इस मार्ग पर किसी आपरेटर की बस चलती है तथा वह कर की चोरी करता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की बस चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

आबू से कोटड़ा तक पक्की सड़क है। इस पूरे मार्ग पर किसी निजी वाहन मालिक की बस नहीं चलती। क्योंकि आबू से स्वरूपगंज राष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर निगम की बसें चलती हैं। तथा स्वरूपगंज से कोटड़ा तक निजी बसें चलती हैं, जिनकी संख्या 6 है। पिछले दो माह में चैकिंग के दौरान इन वाहनों के बिनाटिकट यात्रियों के 6 चालान बनाये गये हैं। वर्तमान में स्वरूपगंज के कोटड़ा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना निगम के विचाराधीन नहीं है।

पांच हजार की आबादी के गांवों को डामर की सड़क से जोड़ा जाना

113. श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार

(श्री सूरजपाल सिंह)
ने यह नीति निर्धारित की है कि सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 5,000 की आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा?

(2) राज्य सरकार की इस नीति के तहत 5,000 की आबादी के कितने गांव ऐसे थे जो डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं थे? गांवों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस नीति के निर्धारण के अनुसार उक्त सभी गांवों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 5,000 की आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जायेगा।

(2) मार्च 1978 तक 41 गांव (5,000 से ज्यादा आबादी वाले) ऐसे थे जो कि डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं थे। जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) इस नीति के अनुसार उक्त सभी गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य चालू है और इन गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है।

सूची

क्र. सं.	जिला	गांवों की संख्या (5000 से अधिक आबादी वाले)	गांवों के नाम
1	2	3	4
1.	बाड़मेर	4	पादोवी, पादरू, समदरी, बरादू।
2.	चित्तौड़गढ़	1	बस्सी।
3.	चूरू	1	दरीबा।
4.	गंगानगर	3	2 TLW 9 PBM जसाना।
5.	जयपुर	1	रजनोता।

Page No. 173

1	2	3	4
6.	झालावाड़	1	डग
7.	झुन्झुनूं	5	मलसीसर, मंड्रेला, सुलताना, परसरामपुरा, खीरोर।
8.	कोटा	2	छबरा, छीपाबरोड।
9.	पाली	12	बावरा, रास सुमेल, बागरी कुशलपुरा, खैरवा, कांतलिया, जोधावर, धानी सेयरी, नाबारू, आनन्दपुर कालू।
10.	सवाईमाधोपुर	2	टोडरा, चौथकाबरवाड़ा।
11.	सीकर	7	मंडोली, वाय, मुन्डरू, नाथूसर, देवराला, जैतूसर झाडली।
12.	उदयपुर	2	कुकरा, आमेट।
	योग :—	41	

सरदारपुर आवासीय योजना जोधपुर में सड़क निर्माण

114. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर पालिका क्षेत्र में सरदारपुर आवासीय योजना का निर्माण 30 वर्ष पूर्व हुआ था ?

(2) अगर हां, तो क्या यह सही है कि सरदारपुरा वार्ड सं. 34, 35, 36, 37, में करीब 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना शेष है जिसका अनुमानित व्यय 8 लाख रुपये है ?

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(3) राज्य सरकार कथित सड़कों के निर्माण के लिये जोधपुर नगरपालिका को अतिरिक्त कितनी धनराशि देना चाहेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) सड़कों के अभाव में सरदारपुरा (वार्ड 34, 35, 36 37, 38) के नागरिकों को गत 30 वर्षों से कठिनाइयां लगातार सहन करनी पड़ रही हैं, उनका अन्त करना क्या राज्य सरकार अपना कर्त्तव्य नहीं समझती है ? अगर हां, तो कब तक तक और किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन वार्डों की मुख्य सड़कें पूर्व से ही निर्मित हैं। केवल छोटी गलियों में ही पक्की सड़कें नहीं हैं। इस एरिया में छोटी सड़कों का निर्माण कार्य चालू है जिस पर इस वर्ष में लगभग 1,05,820 रुपये खर्च होगा।

(3) नगर परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की गई है।

(4) इस प्रकार का कार्य नगर परिषद के स्वयं के कार्य क्षेत्र में आता है। नगर परिषद इस कार्य हेतु 1,05,820 रुपये खर्च कर रही है। शेष के लिए परिषद् को लिखा जा रहा है।

पार्वती नदी पर पुल का निर्माण

115. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

क्या धोलपुर से भरतपुर जाने के लिये पार्वती नदी पर कोई पुल है ? अगर नहीं है, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है जिससे बरसात में सैंपऊ एरिया के लाखों लोग कचहरी धोलपुर व बाड़ी आ जा सकें ? क्या राज्य सरकार का जो पुल 8, 10 साल से अधूरा पड़ा है उसे बनाने का विचार है ?

उत्तर

धोलपुर से भरतपुर जाने वाले मार्ग पर पार्वती नदी पर कोई पुल नहीं है। इस नदी पर पुल बनाने के लिये मैसर्स गैनन डंकरले नामक कम्पनी को सन् 1970 में 10.80 लाख रुपये का ठेका दिया था। कम्पनी ने कार्य बीच में छोड़ दिया और कम्पनी द्वारा बनाये गये नीव के कुयें टेड़े तथा तकनीकी दृष्टि से खराब होने के कारण कार्य आगे नहीं चल पाया जिसके लिये कम्पनी पर पैनल्टी लगा कर दंडित किया गया। पुल के निर्माण के लिये पुनः निविदायें प्राप्तकर ली गई हैं तथा साथ ही लागत मे बढ़ोतरी होने के कारण पुनः विचार किया जा रहा है।

राजस्थान पंथ परिवहन निगम की बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स पर व्यय

116. **श्री दाऊदयाल जोशी (बीगोद) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक वर्ष में परिवहन विभाग ने बस के साथ जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है उस हेतु कुल कितनी राशि की क्या क्या औषधियां किस कम्पनी से खरीदीं ?

(2) गत एक वर्ष में कोटा, बूंदी, झालावाड़ हेतु प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए कितनी-कितनी राशि की क्या-क्या औषधियां भिजवायी गयीं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 की अवधि में प्राथमिक चिकित्सा एवं उसकी सामग्री कुल 64312.50 रु. की निम्न फर्मों से खरीदी दी गई —

क्र. सं.	नाम कम्पनी	सामग्री जो खरीदी गई	मात्रा	मूल्य
1.	मैं. रेड क्रास सोसायटी जयपुर	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स औषधियों सहित	125	5812.50
2.	मै. जयपुर कैमिकल्स जयपुर	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स औषधियों सहित	1000	45000 00
		निर्धारित औषधियां (रिफिल्स)	500	13500.00
				64312.50

इस राशि में 7% टैक्स सम्मिलित नहीं है।

(2) वर्ष 1978 की अवधि में कोटा-झालावाड़ एवं बूंदी आगारों में से केवल कोटा आगारों को निम्न सामग्री उपलब्ध कराई गई —

क्र. सं.	आगार	सामग्री	मात्रा	मूल्य
1,	कोटा	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स औषधि सहित	54.	2430/-

झुंझुनूं जिले में चोरी, लूट एवं डकैती के मामले

117 श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

पिछले एक वर्ष में झुंझुनूं जिले में कितनी चोरी, लूटपाट एवं डकैती के केस रजिस्टर हुए ? कितने प्रतिशत केसेज में रिकवरी हुई ? कितने केसेज का चालान हुआ एवं कितने केसेज अभी भी अन-डिस्कवर्ड पड़े हैं ?

उत्तर

पिछले वर्ष 1978 में झुंझुनूं जिले में 451 चोरी, 34 लूट के अपराध पंजिबद्ध हुए, डकैती का कोई अपराध पंजिबद्ध नहीं हुआ। चोरी के अपराधों में से 5% व लूट के अपराधों में से 42% रिकवरी हुई। चोरी के 128 केसेज व लूट के 9 केसेज का चलान किया गया। चोरी के 210 व लूट के 2 अपराधों में कोई पता नहीं लग सका है।

श्री दिनेश कुमार दीक्षित की हत्या का मामला

118. श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि श्री दिनेश कुमार दीक्षित पिता श्री बंसत कुमार दीक्षित निवासी डूंगरपुर उम्र 20 वर्ष वायरलैस की ट्रेनिंग जयपुर में गत वर्ष ले रहा था ?

(2) क्या यह सही है कि 11-7-78 को उसे काम पर वामसा माही नदी सागवाड़ा तहसील में भेजा गया था ? क्या उसे दिनांक 11-7-78 को सुबह पानी में मृत पाया जाना बताया गया था ? यदि हां, तो उसकी लाश आज तक बरामद क्यों नहीं हुई ? पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उसका दिनांक 11-7-78 को पानी में वह जाना बताया गया था। काफी तलाश करने पर भी लाश पानी में वह जाने के कारण नहीं मिली।

जी हां। प्रार्थना पत्रों पर पुलिस द्वारा जांच कराई गई थी।

मरुस्थलीय क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या का निराकरण

120. श्रीमती मदन कौर (हचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पानी का नितान्त अभाव है, वहां से पीढ़ियों से ग्राम वासी पीने के पानी

(श्रीमती मदन कौर)

के निजी टांके सरकारी पडत/गोचर भूमि, जो टांकें बनाने के उपयुक्त होती है, में बनाते रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार टांके और आगोर के उपयोग में ली गई भूमि पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करना उचित मानती है ?

(3) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि बाड़मेर तहसील में ऐसे केस बड़ी संख्या मे चल रहे हैं और सम्बन्धित ग्रामवासियों को बड़ी संख्या में पेशी पर आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार टांकों के उपयोब में ली गई भूमि का नियमन करने और भविष्य में ऐसे मामलों में धारा 91 नहीं लगाने के निर्देश जिलाधीशों को देगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी का अभाव होने से कुछ ग्रामों में सरकारी पडत/गोचर भूमि पर टांके बनाने के मामले हुए हैं ।

(2) जहां तक अनधिकृत निर्माण का ताल्लुक है उस पर राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधान तथा उनके तहत कार्यवाही करने की व्यवस्था हैं ।

(3) बाड़मेर तहसील में ग्राम कूपलिया गिडा, परेड ग्रामों में ऐसे मामले सामने आये हैं । इन मामलों में धारा 91 की कार्यवाही नियमानुसार की गई है । जहां तक नियम का सम्बन्ध है चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–6 (29) राज./ख/72 दिनांक 2-7-71 के तहत ही नियमन किया जा सकता है । सरकारी पड़त भूमि पर किये गये अतिक्रमण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-6(7) राज/ग्रु-4/77) दिनांक 14-4-77 के तहत नियमित किये जा सकते हैं। इन आदेशों की परिधि में जो अतिक्रमश नहीं आते, वे नियमन योग्य नहीं हैं । यदि कोई विशेष मामलों में टांके बना कर किये गये अतिक्रमश के कारण चरागाह भूमि से अतिक्रमण खुदा भूमि के चरागाह से खारिज करने के प्रस्ताव आते हैं तो उन पर राज्य सरकार अलग से विचार कर कार्यवाही करती है ।

राज्य की सूखा संभाव्य योजना का मुख्य उद्देश्य एवं नीति

121. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) राज्य की सूखा संभाव्य योजना का मुख्य उद्देश्य और नीति क्या है ? यह योजना कब तक चलेगी ?

(2) अकाल और प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने में इस योजना के अन्तर्गत क्या फायदा हुआ ?

(श्री बंसीलाल सारस्वत)

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं ?

उत्तर

(1) सूखा सम्भाव्य योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्र के सर्वांगीण विकास क्षेत्रों में जन साधारण की औसत आय की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना तथा अकाल की भीषणता को कम करने के लिए कारगर कदम उठाना हैं । इसके लिए राज्य सरकार की यह नीति रही है कि अकाल और प्राकृतिक विपदाओं के प्रभाव से इस क्षेत्र की जनता को मुक्त किया जा सके ।

यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है तथा इसमें केन्द्रीय सरकार की ओर से 2:1 अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसे केन्द्र सरकार की प्रस्तुत छठी योजना में सम्मिलित किया गया है, जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 79–80 में यह योजना चालू रखे जाने के निश्चित संकेत भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं ।

(2) इस योजना से सूखा सम्भावित क्षेत्र की जनता को रोजगार के स्थाई एवं अस्थाई स्रोत प्राप्त हुए है। वैज्ञानिक पर परियोजनावद्ध भू-संरक्षण एवं भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम तथा सूखी खेती के नए तरीकों को बढ़ावा मिला है । पिछड़े व कम वर्षा वाले इन क्षेत्रों में पशु विकास तथा डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 डेयरी तथा 6चिलिंग प्लांट का निर्माण हुआ है व छः चिलिंग प्लांट निर्माणाधीन है तथा 625 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं जिनसे औसतन प्रतिदिन लगभग 1.62 लीटर दुग्ध एकत्रित किया जाता है जिससे हजारों ग्रामीण परिवारों को पशुपालन के रोजगार से उचित आमदनी प्राप्त होती है। इसी प्रकार सिंचाई बंधों के निर्माण, भू–जल अन्वेषण तथा शोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत भू-जल की मात्रा की वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर नलकूप खनन कार्यक्रम से इन सूखे क्षेत्र में सिंचाई तथा पेयजल के नवीन स्रोत प्राप्त हुए है। वनारोपण कार्यक्रम द्वारा मरुस्थल को और आगे अग्रसर होने से रोकने के प्रयास किये गये हैं । डेयरी, सड़कों का विकास तथा पेयजल आपूर्ति योजना का काम भी हाथ में लिया गया है । अकाल के समय पशुपालकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए चारा बैंक स्कीम के अन्तर्गत करीब 81 हजार क्विटल चारा एकत्रित किया जा चुका है । एस. एफ. डी. ए. अनुदान द्वारा ग्रामीण आर्थिक जीवन को विकसित किया जा चुका है । इस क्षेत्र के कमजोर वर्गों को अकाल स्थिति का सामना करने के लिए सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है । इस प्रकार सिंचाई, भू-संरक्षण, वनीकरण तथा डेयरी विकास की योजनाएं

(कृषि मन्त्री)
इस क्षेत्र की जनता को अकाल का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में लाई है।

(3) राज्य सरकार उत्तरोत्तर अधिक से अधिक भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा वित्तीय प्रावधान के लिए प्रयत्नशील है तथा कार्यक्रम की कठिनाइयों एवं क्रियान्वयन की समस्याओं को देखते हुए अब तक की उपलब्धियों से असंतुष्ट नहीं है।

राज्य में यूनानी बोर्ड

122. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

यह यह सही है कि यूनानी चिकित्सा प्रणाली के स्वतन्त्र रूप से उत्तम विकास के लिए होम्योपैथी बोर्ड की तरह यूनानी बोर्ड आफ राजस्थान बनाने का भी राज्य सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब किया जावेगा तथा बोर्ड का कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा?

उत्तर

जी नहीं।

बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसन राजस्थान जयपुर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति के पंजीयन का कार्य भी कर रहा है।

जयपुर शहर में जिला अस्पताल की स्थापना

123. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर शहर में रोगियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए क्या राज्य सरकार जिला अस्पताल खोलने का विचार रखती है?

(2) यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर?

उत्तर

(1) जयपुर में जिला अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 1978-83 की पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है। इस योजना सीमा के अन्तर्हित वर्ष 1980-81 में विचार किये जाने की सम्भावना है।

(2) अभी तक स्थान आदि का निर्णय नहीं लिया गया है।

जयपुर में गोलियथ डिटेक्टिव नामक संस्था द्वारा श्रमिकों का शोषण

124. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर में गोलियथ डिटेक्टिव नाम

(श्री मूलचन्द डागा)
की संस्था कब से काम कर रही है और उसकी क्या गतिविधियां हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस संस्था द्वारा श्रमिकों का बन्दूक की नोक पर शोषण पुलिस विभाग की मिलीभगत से होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बाबत कई शिकायतें श्रम विभाग को पहुंची हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) मैसर्स गोलियथ डिटेक्टिव प्रा० लि०, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में दिनांक 6-3-73 से चल रही है। गतिविधियों के सम्बन्ध में इस विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार व्यवसाय इन्डिस्ट्रयल सिक्योरिटी बनाया है।

(2) विभाग को इसके बारे में सूचना नहीं है।

(3) यह सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में शिकायतें श्रम विभाग को पहुंची हैं। यह अवश्य है कि सेवा शर्तों से सम्बन्धित शिकायतों जो इस विभाग को प्राप्त हुई हैं, में पुलिस विभाग को प्रेषित शिकायतों का भी सन्दर्भ दिया गया है। चूंकि इस प्रकार की वारदातों के निवारण के लिये श्रम विभाग में कार्यवाही नहीं होती। अतः इस विभाग में केवल उन्हीं शिकायतों पर कार्यवाही की गई है जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित हैं या अन्य श्रम अधिनियमों से सम्बन्धित हैं।

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 98 की सूची

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के मलेरिया निरीक्षकों का विवरण

क्र. सं.	नाम	जाति अनु. जनजाति	अनु० जाति	स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक	मलेरिया निरीक्षक की नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री प्रेमप्रकाश वर्मा	1	–	जयपुर	1-9-60	1-10-77
2.	,, सोहनलाल मीणा	1	–	सीकर	21-6-71	20-10-77
3.	,, रामकिशन	–	1	सीकर	1-4-61	12-10-77
4.	,, मालीराम मीणा	1	–	सीकर	12-7-71	फरवरी, 79
5.	श्री शंकरलाल नखत	–	1	नागौर	20-3-61	फरवरी, 79
6.	श्री मोहनलाल यादव	–	1	भरतपुर	11-7-66	6-5-76
7.	श्री हीरालाल मीणा	1	–	अलवर	12-7-61	18-11-77
8.	श्री गिरधाधारीलाल रावत	1	–	अलवर	11-11-61	28 10-77
9.	श्री रामजीलाल मीणा	1	–	झुन्झुनू	11-7-61	6-10-77
10.	श्री पन्नालाला वशीवाल	–	1	झुन्झुनू	3-1-67	25-10-77
11.	श्री हरीशचन्द्र	–	1	,,	13-5-61	15-10-77
12.	श्री भेरूलाल	–	1	,,	13-3-67	15-10-77
13.	श्री प्यारे लाल	–	1	उदयपुर	13-4-71	24-4-78
14.	श्री सधाराम	–	1	बाडमेर	7-11-65	11-10-77
15.	श्री रघुवीरसिंह मीणा	1	–	जालौर	20-12-60	8-9-78
16.	श्री बरधाराम मालवीय	–	1	पाली	4-9-60	9-8-78

Page No. 182

1	2	3	4	5	6	7
17.	श्री मन्नालाल मालवीय	–	1	चित्तौड़	20-8-60	6-9-78
18.	श्री बाबूलाल सामरिया	–	1	करौली	1-3-61	3/1978
19.	जोगेन्द्रराम	–	1	रतनगढ़	15-10-60	7-1-77
20.	श्री अजीतराम	–	1	रतनगढ़	7-5-61	12-10-77
21.	श्री ओमप्रकाश वर्मा	–	1	रतनगढ़	27-8-60	5-5-78
	योग	7	14			

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न 106 की सूची)

संकलित की जाने वाली वनौषधियों की सूची

क्र.सं.	नाम औषधि	स्थान	जिला	अनुमानित मात्रा
1	2	3	4	5
1.	नागर मोथा	शाहबाद, देवरी गोठड़ा, नांवा	कोटा	20 क्विन्टल
		चतरपुरा, विलोरी	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		खोडन	बांसवाड़ा	अल्प मात्रा में
		इकलिंग जी	उदयपुर	पर्याप्त मात्रा में
		सवाई माधोपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में	सवाई माधोपुर	पर्याप्त मात्रा में
		बड़ी सादड़ी	चित्तौड़	50 क्विन्टल
		आमेर, कोट	जयपुर	20 कि. ग्रा.
2.	दन्तीमूल	लूणकरणसर	बीकानेर	40 कि. ग्रा.
3.	तिल	बीकानेर क्षेत्र	बीकानेर	पर्याप्त मात्रा में
4.	बहेड़ा	खण्डेला, शाहबाद देवरी	कोटा	50 कि. ग्रा.
		नांवा	अलवर	10 क्विन्टल
		जगपुरा	बांसवाड़ा	पर्याप्त मात्रा में
		बोहड़ा, बड़ी सादड़ी विजयपुर, बड़ौदिया	चित्तौड़गढ़	पर्याप्त मात्रा में
5.	शरावरी	खण्डेला	कोटा	10 क्विन्टल
		हमीरपुर, गोला का वास, डांसरीली, चत्तरपुरा	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		नासरदा	टौंक	50 कि. ग्रा.
		मेवानगर	बाड़मेर	10 क्विन्टल
		सम्पूर्ण चित्तौड़ क्षेत्र	चित्तौड़गढ़	पर्याप्त मात्रा में

1	2	3	4	5
6.	बिल्वछाल	खण्डेला	कोटा	10 कि. ग्रा.
		शाहबाद, देवरी	कोटा	20 क्विन्टल
		नितौड़ा	सिरोही	10 क्विन्टल
		रणथम्भौर	सवाई-माधोपुर	पर्याप्त मात्रा में
		विजयपुर, प्रतापगढ़ बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़	पर्याप्त मात्रा में
7.	पुनर्नवा	शाहबाद, देवरी	कोटा	20 क्विन्टल
		सोहरा, मलावली हमीरपुर, जोनाम-चाकलां, रेणी, नवावपुरा	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		चुरू क्षेत्र	चुरू	पर्याप्त मात्रा में
		भादरा	गंगानगर	पर्याप्त मात्रा में
		बीकानेर क्षेत्र में	बीकानेर	पर्याप्त मात्रा में
		बैराठ, अजमेर	जयपुर	1 क्विन्टल
		हाटा, वायूल	बाड़मेर	अत्यधिक मात्रा में
		बड़ी सादड़ी, सम्पूर्ण चित्तौड़ क्षेत्र	चित्तौड़गढ़	50 क्विन्टल
		शेरगढ़	अजमेर	5 क्विन्टल
8.	शंख पुष्पी	शाहबाद, देवी	कोटा	20 क्विन्टल
		गोला का बास, प्रताप-पुर, चतरपुरा, किशोरी	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		भादरा	गंगानगर	अत्यधिक मात्रा में
		आमेर, लालसोट	जयपुर	25 कि. ग्रा.
		बड़ी सादड़ी, पाण्डोली,	चित्तौड़	10 क्विन्टल
		बहिड़ा, सिलाय, नासिरदा	टौंक	1 क्विन्टल

1	2	3	4	5
9.	मूसली सफेद	मही फजाला	कोटा	अल्प मात्रा में
		नितौड़ा	सिरोही	5 क्विन्टल
		मुंजवा, प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	20 क्विन्टल
10.	प्रसारणी	हमीरपुर, रघुनाथपुर, गूंता, चैंतरपुरा	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		भादरा	गंगानगर	अत्यधिक मात्रा में
		उम्मेदाबाद	जालौर	25 क्विन्टल
		आमेर, लालसोट	जयपुर	1 क्विन्टल
		बाड, गोलिया	बाड़मेर	पर्याप्त मात्रा में
11.	हंसराज	गोला का वास, जोनायचाकलां	अलवर	अत्यधिक मात्रा में
		नितौड़ा	सिरोही	10 क्विन्टल
		सोमपुर, कमोलिया, बड़ी सादड़ीं मूंजवा	चित्तौड़गढ़	50 क्विन्टल
12.	नीलगिरी	नांवां	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
13.	इन्द्रायण	बीकानेर क्षेत्र	बीकानेर	अत्यधिक मात्रा मे
		जैसलमेर क्षेत्र	जैसलमेर	अत्यधिक मात्रा में
		भीनमाल, सांचौर	जालौर	50 क्विन्टल
14.	भृंगराज	चित्तौड़ क्षेत्र	चित्तौड़	50 क्विन्टल
		खण्डेला	कोटा	10 क्विन्टल
		रामगढ़	अजमेर	अल्प मात्रा में
15.	मुलैठी	जीन्दौली	अलवर	20 कि. ग्रा.
16.	अशोक	नितौड़ा	सिरोही	50 क्विन्टल
		विजयपुर, मूंजवा, प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	अल्प मात्रा में
17.	अरणी	किशोरी	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		किलपुर खेड़ा	अलवर	पर्याप्त मात्रा में

1	2	3	4	5
18.	अमलताश	शाहबाद, किशोरी	अलवर	20 क्विन्टल
		नितौड़ा	सिरोही	पर्याप्त मात्रा में
		विजयपुर, मूंजवा, प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी	चित्तौड़	50 क्विन्टल
		रणथम्भौर	सवाई माधोपुर	पर्याप्त मात्रा में
19.	अडूसा	डासरोली, चतरपुरा देवली, माचेड़ी, प्रताप-पुर, किशोरी, सोंग, रेणी, जोनायचाकलां, गोलाकावास, गोठड़ा	अलवर	30 क्विन्टल
		रामगढ़, अजमेर जिलों में	अजमेर	
20.	आम	खण्डेला	कोटा	80 क्विन्टल
21.	आंवला	खण्डेला	कोटा	10 क्विन्टल
		शाहबाद	कोटा	20 क्विन्टल
		किशोरी	अलवर	
		पीपल बूटि	बांसवाड़ा	पर्याप्त मात्रा में
		नितौड़ा	सिरोही	20 क्विन्टल
		विजयपुर, प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी	चित्तौड़	50 क्विन्टल
		सम्पूर्ण सवाई माधोपुर जिले में		पर्याप्त मात्रा में
22.	अपामार्ग	खण्डेला	कोटा	10 क्विन्टल
		शाहबाद	कोटा	20 क्विन्टल
		जोनायचाकलां, किशोरी, नांवा	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		नितौड़ा	सिरोही	50 क्विन्टल

1	2	3	4	5
		आमेर	जयपुर	25 किलो ग्राम
		बाड़मेर, जोधपुर जिले में उपलब्ध होते हैं		
		किशनगंज, शेरगढ़	अजमेर	2 क्विन्टल
23.	अलाबू	खण्डेला	कोटा	20 क्विन्टल
24.	शाह्वाल	कोटा	कोटा	20 क्विन्टल
		सोहरा, मालावली, कोठड़ा, अजबपुरा, सोहरी	अलवर	30 क्विन्टल
		आमेर	जयपुर	5 क्विन्टल
		शसातुरा	बाड़मेर	1 क्विन्टल
		टौंक, जैसलमेर, जोधपुर, पाली जिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है।		
25.	आक	कतीना, डांसरोली, गु'ता, द्वारापुरा	अलवर	हजारों मन
		शिखरानी, जूनिया	अजमेर	यथावश्यकतानुसार।
		सम्पूर्ण चित्तौड़ जिले में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होती है।		
26.	आथा शीथी	डांसरोली	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
27.	अतिकला	नांवा	अलवर	10 क्विंटल (बीज)
		बैराठ	जयपुर	20 किलो ग्राम
		जूनिया, केकड़ी	अजमेर	यथावश्यकतानुसार
		सम्पूर्ण सवाई माधोपुर जिले में		पर्याप्त मात्रा में
28.	अश्वगंद	नितांकाड़ा	सिरोही	50 क्विन्टल
		बैराठ	जयपुर	30 किलो ग्राम
		डटकापहाड़, वहलेश्वर	बाड़मेर	प्रचुर मात्रा में
		रामगढ़	अजमेर	यथापलब्ध
29.	अरणी (अग्निमंथ)	रतनगढ़	चुरू	पर्याप्त मात्रा में
		बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र में		500 क्विंटल

1	2	3	4	5
30.	चिरायता	गोलाकावास, चतरपुरा	अलवर	3 क्विटल
31.	कटेरी (कंटकारी)	शेरगढ़, वाघसुरी, जूनिया	अजमेर	2 क्विटल
		शसाना	अजमेर	पर्याप्त मात्रा में
		सोहरा, मतावली मोतीवाड़ा, पहाड़ी कतौना, रेणी, जावली, किशोरी, चतरपुरा, दोसोद, जोनायचाकलां	अलवर	अत्यधिक मात्रा में
		भादरा	गंगानगर	पर्याप्त मात्रा में
		सबाड़ा, अरजिया	भीलवाड़ा	200 किलो ग्राम
		नितौड़ा सिरोही	सिरोही	50 क्विटल
		आमेर	जयपुर	50 किलो ग्राम
		खण्डेला	कोटा	90 किलो ग्राम
		सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में		50 क्विटल मात्रा
32.	कौंच	खण्डेला, शाहबाद	कोटा	1 क्विटल मात्रा
		अकबरपुर, हमीरपुर, पहाड़ी गोलाका वास, जिदौली, वड़ोदिया	अलवर	15 क्विटल
		बैंराव, चित्तौड़	चित्तौड़गढ़	50 क्विटल
33.	कमल	खण्डेला	कोटा	20 किलो ग्राम
34.	कुटज	गोला का वास	अलवर	2 क्विटल
		रणथम्भौर	सवाई माधोपुर	पर्याप्त मात्रा में
35.	कीयोर	बैंराठ, लालसोट	जयपुर	5 क्विटल
36.	अर्जुन पचांग	नितौड़ा	सिरोही	10 क्विटल
		विजयपुर, मुंजवा, प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	अत्यधिक मात्रा में

1	2	3	4	5
37.	इन्द्रायणफल	भीनमाल, सांचौर	जालौर	50 क्विटल
38.	अरण्ड (एरण्ड मूल)	नांगलबांध, कडोल	बाड़मेर	1 क्विटल
		शिवरानी	अजमेर	1 क्विटल
		सवाई माधोपुर क्षेत्र	सवाई माधोपुर	अत्यधिक मात्रा में
		बैराठ	जयपुर	5 क्विटल
		सम्पूर्ण चित्तौड़ क्षेत्र	चित्तौड़	अत्यधिक मात्रा में
		शाहबाद, देवरी	कोटा	20 क्विटल
39.	अमृता	वेहराड़	जयपुर	1 क्विटल
40.	मृतकुमारी	सम्पूर्ण चित्तौड़ क्षेत्र	चित्तौड़गढ़	अत्यधिक मात्रा में
41.	गुलाब फूल	जयपुर क्षेत्र	जयपुर	50 कि. ग्रा.
		पुष्कर	अजमेर	1 क्विटल
42.	तिल	लूणकरणसर	बीकानेर	10 क्विटल
43.	गिलोथ	डेसरीली	अलवर	अत्यधिक मात्रा में
		पाण्डीली, मूंजवा, चिकारका, बुढ़, माण्डपिया	चित्तौड़	50 क्विटल
		शाहबाद, देवरी	कोटा	20 क्विटल
44.	चित्रक	अकबरपुर, किशोरी, जाघली	अलवर	अत्यधिक मात्रा में
		मालकत पर्वत	झुंझुनू	अत्यधिक मात्रा में
		रणथम्भौर	सवाई माधोपुर	अल्प मात्रा में
45.	गुग्गुल	अरावली पर्वत की एक शाखा मालकेतू पर्वत	झुंझुनू	अत्यधिक मात्रा में
		जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में हौथाद हमीरा से बड़ीग्राम	जैसलमेर	50 क्विटल

1	2	3	4	5
		आबू पर्वत	सिरोही	पर्याप्त मात्रा में
		बैराठ	जयपुर	30 क्विटल
		करीदरी	सवाई माधोपुर	पर्याप्त मात्रा में
		मूंजवा, विजयपुर	चित्तौड़गढ़	10 क्विटल
		अलवर क्षेत्र	अलवर	अत्यधिक मात्रा में
46.	खसखस	देरासली	अलवर	पर्याप्त मात्रा में
		सामपुर कर्मालिया	चित्तौड़गढ़	10 क्विटल
		चाकेरी मघाला	सवाई माधोपुर	पर्याप्त मात्रा में
47.	गाजवान	नितौड़ा	सिरोही	1 क्विटल
48.	चन्दन	मुंजवा	चित्तौड़	10 क्विटल
49.	गोंध थावढ़ा	विजयपुर, कनेड़ा, बड़ोदिया, प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़,	10 क्विटल
50.	जामुन	थूंगड़ा	बांसवाड़ा	पर्याप्त मात्रा में
		मालकेतू पर्वत	झुंझुनू	अत्यधिक मात्रा में
		सम्पूर्ण चित्तौड़ क्षेत्र	चित्तौड़	प्रचुर मात्रा में
		सागवाड़ा	डूंगरपुर	पर्याप्त मात्रा में
51.	गोखरू	रायपुर, सधाना	पाली	1 क्विटल
		कार्तिना, देवली, नवाबपुरा, भौरा	अलवर	अत्यधिक मात्रा में
		नाथा, डेसरोली	अलवर	10 क्विटल (दक्षिणी गोखरू)
		पोकरण	जैसलमेर	40 कि. ग्रा.
		नितौड़ा	सिरोही	10 क्विटल (वर्षा होने पर)
51.	गोखरू	आमेर, लालसोट	जयपुर	50 कि. ग्रा.
		सम्पूर्ण चित्तौड़ क्षेत्र	चित्तौड़	1 क्विटल
		किशनगढ़, कलू	अजमेर	अत्यधिक मात्रा में
52.	अकरकस	नितौड़ा	सिरोही	20 क्विटल

परिशिष्ट–6

पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर में दिनांक 26–2–79 तक रिक्त पदों का विवरण

खण्ड एवं अनुभाग जहां पद रिक्त है

क्र. सं.	नाम पद	डाकूमेंट्स	रसायन	टाक्सोकोलोजी	बयोलोजी	सिरशेलोजी	फिजिक्स	बेलेस्टिक	फोटो	रैंज/ डिस्ट्रिक्ट यूनिट	योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सहायक निदेशक	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	एक पद दि. 29-6-73 से 20-5-76 से रिक्त हैं।
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	2	3	4	2	1	2	1	2	5	22	5 पद 15-12-75 से 7 पद दि. 28-2-76 से 7 पद दि. 20-5-76 से एवं 3 पद दि. 22-8-78 मे रिक्त हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1	2	2	1	1	1	—	1(1)	9	18	एक पद दि. 22-8-78 से 4 पद दि. 20-5-76 से 3 पद दि. 28-2-76 से 8 पद दि. 15-12-75 से 2 पद दि. 14-2-75 से रिक्त हैं।
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2 पद दि. 20-5-76 से रिक्त हैं।
5.	मेकेनिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4-10-78 से रिक्त है।
6.	प्रयोगशाला सहायक	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	एक पद दि. 28-2-76 से 7 पद दि. 12-1-79 से रिक्त हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	प्रयोगशाला अनुचर	1	1	4	—	1	4	2	2	—	15	5 पद दि. 20-5-76 से तीन पद दि. 21-12-78 से 1 पद दि. 30-9-77 से 1 पद दि. 2-9-78 से एवं 4 पद दि. 1-1-79 से रिक्त हैं।
8.	स्टेनो	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 पद दि. 22-8-78 से रिक्त है।
9.	कृषि टेबल ड्राइवर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3 पद दि. 15-12-75 से एवं 4 पद दि. 20-5-76 से रिक्त हैं।
									टोटल		77	

परिशिष्ट–7

भू राजस्व की बकाया की 2000/– या इससे अधिक की बकाया राशि के बाकी-दारों की सूची में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा

क्र. नं.	नाम, पिता का नाम एवं जाति	ग्राम का नाम
1	2	3
1.	श्री नारायणसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह राजपूत	लाखनी
2.	श्री लाक्ष पुत्र भंवरया मीना	दौलतपुरा
3.	श्रीलाल पुत्र चतरा, हेमराज बजरंगलाल पुत्र श्रीलाल मीना	अयाना
4.	बजरंगा पुत्र ओंकार मीना	आमल्दा
5.	केशरा पुत्र मथरामीना	खेड़ली नोनेरा
6.	सरया पुत्र गनेश चमार	आमल्दा
7.	रामा मन्ना पुत्र कंवरया गूजर	हवा खेड़ली
8.	चन्दालाल मांगीलाल पुत्र भैरूलाल पृथ्वीलाल बिरधीलाल	विजयपुरा
9.	माधो रामनाथ पुत्र सुशीला मीना	नारायणपुरा
10.	रतना पुत्र भंवरलाल मीना	नारायणपुरा
11.	रतना हजारा चतरा पुत्र मोढू भंवरलाल मीना	नारायणपुरा
12.	भूरया रतना, माधो पुत्र धन्ना मीना	आमल्दा
13.	गिरधरसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत	लाखनी
14.	विजयसिंह पुत्र अचपलसिंह राजपूत	फरेरा
15.	हीरा पुत्र अमरा भोला	किसनवास
16.	मथुरा पुत्र माधो गंगाराम पुत्र ओंकार	जलौदा खात्यान
17.	मोतीलाल पुत्र मोहनिया कोली	नोनेरा
18.	जगन्नाथ पुत्र पन्ना मीना	छत्रपुरा
19.	भूरया पुत्र भवाना मीना	गोन्दी
20.	भेरिया पुत्र कालू मीना	भूगेना

1	2	3
21.	बजरंगा पुत्र मथुरा मीना	खेड़ली नोनेरा
22.	चतरा, कल्याण पुत्र ग्यारस्या कौर	रघुनाथ पुरा
23.	श्री छोटासिंह हीरासिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत्र	रघुनाथपुरा
24.	जयलाल पुत्र रामा मीना	मूगेरा
25.	कान्हा प्रहलाद पुत्र राधा मीना	अयाना
26.	रामकंवरी बेवा शंकर मीना	मूगेना
27.	गिरधारी पुत्र नारायन मीना	बिनायका
28.	दयानन्द पुत्र सूर्यदत्त ब्रा०	लुहाबद
29.	युधिष्ठिरसिंह पुत्र गिरवरसिंह	लोभागपुरा
30.	मथुरा पुत्र कान्हा कौर	रघुनाथपुरा
31.	कान्हा देवा, रूग्गा, मन्ना पुत्र भूल्या मीना	नारायनपुरा
32.	मांगीलाल मुकन्दीलाल बद्रीलाल पुत्र भैंरूलाल मीना	जलौदा खालीयान
33.	मदनसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपूत	अरन्या
34.	चतरा, शंकर पुत्र नाथू मीना	विजयपुरा
35.	लक्ष्मन सरिया हीरा श्रीराम रामचन्द्र कौर	सीनोता
36.	किशन गोपाल पुत्र हरदेव मीना	नान्ता
37.	मोडू पुत्र कल्याण कान्हा पुत्र बलदेव कौर	भैंरूपुरा
38.	सिरिया श्रीकृष्ण माधो वगै. गूजर	मियाना
39.	जगन्नाथ पुत्र रघुनाथ कौर	गोठड़ा
40.	रामकिशन रामरतन रामनिवास गोपीलाल पुत्र रघुनाथ मीना	मियाना
41.	सावल्या वाला जसा पुत्र रघुनाथ कौर	गोठड़ा

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न 5 की सूची)

OFFICE OF THE COLLECTOR JALORE

No. Rev/A/712 Dated 1/2/67

ORDER

M/s Sanchore Automobiles, Sanchore applied for establishing a filling Station of Petrol diesel etc. in Kh. No. 524 in Village Sanchore. They have requested 2 bighas and 11 biswas land for this purpose. The Indian Oil Corporation have recommend their case and have requested for allotment of said land for establishing the Petrol pump. The Tehsildar Sanchore and the Sub-Divisional Officer, Bhinmal have recommended their case for conversion of 2 bighas and 11biswas land in kh. No. 524 gair mumkin goacher for establishing a petrol pump.

Considering the requests of the Indian Oil Corporation and the necessity for establishing a petrol pump at Sanchore and also recommendation of the Tehsildar Sanchore and the Sud-Divisional Officer, Bhinmal the said land (2 bighas and 11 biswas) in kh. No. 524 is converted for abadi purposes including the purpose of establishing the filling station and Petrol Pump of the Indian Oil Corporation as requested by M/s Sanchore Automobiles and the Corporation. The land will be purchased from the village Panchayat for this purpose as per rules. The village Panchayat will pay twenty times of land revenue pertaining to lowest barani of the village as capitalised value for this land to Tehsildar, Sanchore.

Sd/-Hari Prashad Joshi
1–2–67
For Collector, Jalore.

No. Rev/A/ Dated 1–2–67

Copy forwarded to the :—

1. Sub-Divisional Officer, Bhinmal for information.
2. Tehsildar, Sanchore.
3. Sarpanch, Gram Panchayat Sanchore.
4. M/s Sanchore Automobiles Sanchore.
   for information & necessary action.
5. Sales Officer, Indian Oil Corporation Ltd., Raikabagh, Jodhpur for information.

Sd/-Hari Prashad Joshi
For–Collector, Jalore.

परिशिष्ट–9

(तारांकित प्रश्न सं. 8 की सूची)

परिशिष्ट–क

सन् 1970 से 1979 तक भू–प्रबन्ध कार्य सम्पन्न हुआ उन तहसीलों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नाम तहसील
1	2	3
1.	भरतपुर	नदबई
2.		धोलपुर
3.		नगर
4.	अलवर	मंडावर
5.		तिजारा
6.		लक्ष्मणगढ़
7.		किशनगढ़
8.		थानागाजी
9.	उदयपुर	राजसमन्द
10.		रेलमगरा
11.		मावली
12.		नाथद्वारा
13.		भीम
14.	चित्तोड़गढ़	राश्मी
15.		बेगूं
16.	चूरू	सुजानगढ़
17.		चूरू
18.		रतनगढ़
19.		रामगढ़
20.	जैसलमेर	उप तहसील फत्तेहगढ़
21.		,, जैसलमेर
22.		,, सेम

1	2	3
23.		उप तहसील रामगढ़
24.		,, नाचना
25.	पाली	रायपुर (25 ग्राम)
26.		खारची
27.	सिरोही	आबूरोड़
28.		पिण्डवाड़ा
29.	बाढ़मेर	सिवाना (16 ग्राम)
30.		पचपदरा (16 ग्राम)
31.	भीलावाड़ा	मांडलगढ़
32.		बनेडा
33.		हुरडा
34.		मांडल
35.		भीलवाड़ा
36.	श्रीगंगानगर	सादुलशहर
37.		सांगरिया
38.		भादरा
39.		नौहर
40.		श्रीगंगानगर
41.		करणपुर
42.		पदमपुर
43.	टौंक	टौंक
44.	बूंदी	हिण्डोली
45.		केशोरायपाटन
46.		नैनवा
47.		बूंदी
48.	झालावाड़	गंगानगर
49.		अकलेरा (42 ग्राम)

1	2	3
50.		खानपुर
51.		पंचपहाड़
52.		झलरापाटन
53.	उदयपुर	खैरवाड़ा (4 चक)
54.		आमेट
55.	पाली	सोजत
56.	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
57.		टीबी

परिशिष्ट--ख

सामान्य से अधिक समय जहां जहां लगा उन तहसीलों की सूची

क्र. सं.	नाम भू-प्रबन्ध अधिकारी पार्टी	नाम तहसील	कार्य पूर्ण कराने में लगे वर्ष
1	2	3	4
1.	अलवर	1. नदबई	7 वर्ष
		2. धोलपुर	7
		3. नगर	5
		4. लक्ष्मणगढ़	17
		5. थानागाजी	9
2.	उदयपुर	6. राजसमन्द	5
		7. रेलमगरा	8
		8. मावली	6
		9. खैरवाडा (4 चक)	5
		10. राश्मीं	7
3.	भीलवाडा	11. भीम	7
		12. बेगूं	6
		13. मांडलगढ़	6
		14. हुरडा	8
		15. मांडल	5
4.	जोधपुर	16. सुजानगढ़	8
		17. उप तहसील फतहगढ़	6
		18. उप तहसील जैसलमेर	5
		19. रायपुर (25 ग्राम)	5
		20. सोजत	5
5.	बीकानेर	21. चूरू	5
		22. राजगड़	5
		23. नौहर	9
		24. श्रीगंगानगर	6
		25. श्रीकरणपुर	6
		26. श्रीपदमपुर	6

1	2	3	4
6.	जयपुर	27. टौंक	7
		28. हिण्डौली	5
		29. नैनवा	6
		30. बूंदी	8
		31. अकलेरा (42 ग्राम)	5
		32. खानपुर	8
		33. झालरापाटन	5

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न 14 की सूची

ABSTRACT COPY FROM
RAJ., MUNICIPALITIES (Octori) RULES, 1962

No. F.5(199) LSG/A/59. Jaipur, dated Dec. 30, 1959.

In exercise of the powers conferred by sub-section 107 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act 38 of 1959), the State Government hereby grants exemption with effect from the first day of January, 1960 to all small, medium and large scale Industries from the payment of octroi on all machinery imported for the purpose of setting up Industries subject to the importer producing a certificate to that effect from the Industries Department of the State.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ASSTT. DIRECTOR OF INDUSTRIES
PALI-MARWAR

No. Dated

CERTIFICATE

It is certified that Messrs Maharaja Shree Umaid Mills Ltd., Pali Marwar have imported the following machinery for the expansion of their Industry. This Certificate is being issued in pursuance of Government Notification No. F.5(199) LSG/A/59 dated 22nd April, 1961 and No. Tax. F.38 (Misc.)/LSG/68 dated 1.6.1968.

S. No. 1	Description of Machinery 2
1.	Twelve stainless steel Cylinders vertical Dying Range.
2.	D.E.L. Boiler No. 1254.
3.	Peneumatic pipings and accessories for NSE Blow Room Machine.
4.	Laxmi Rieter can Fed Speed Frame machine.
5.	Arios Manakial Five Fields Pin Clip Type Stenter Machine.
6.	RJK Cone Winding Machine complete Unit of 120 Spindles.
7.	Lakshmi Rieter High Speed Draw Frame Model DO/28.
8.	NSE Blnw Room Machinery.
9.	Three Meter Capacity Peneumatid Sample Printing Machine.
10.	Brand New "Sanjay" S.S. Dyeing Winch Machine.
11.	Controlled Tension 1 Open width developing Soaping/ Washing Machine.
12.	Lakshmi-Schweiter Automatic Firn Winder.
13.	Benninger Maneklal Fully Automatic open width dyeing and Bleaching Machines.
14.	Lakshmi-Rieter Can Fed Speed Frame type GS with 108 spindles.

Asstt. Director of Industries,
Pali (Raj.)

No,F.5(199)LSC/A/59 Jaipur, dated April 22, 1961

In exercise of powers conferred by sub section(5) of section 107 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act No.38 of 1959), the State Government hereby grants exemption w.e.f. the 1st May 1960 to all small, medium and large scale Industries from the payment of octroi on all machinery imported for the purpose of industries subject to the importer producing a certificate to that effect from the Industries Department of the State.

परिशिष्ट–11

बिन्दु संख्या एक की सूची सत्र 1977–78 में बूंदी जिले में खोले गये विद्यालय

(1) माध्यमिक विद्यालय

1. माध्यमिक विद्यालय, अजेता (पंचायत समिति–तालेड़ा)
2. माध्यमिक विद्यालय, अलौद (पंचायत समिति–हिण्डौली)
3. माध्यमिक विद्यालय, करनेठा (पंचायत समिति के.–पाटन)
4. माध्यमिक विद्यालय, बसोली (पंचायत समिति–हिण्डोली)
5. माध्यमिक विद्यालय, डावी (पंचायत समिति–तालेड़ा)
6. माध्यलिक विद्यालय, घाट का बराणा (पंचायत समिति–के.पाटन)
7. माध्यमिक विद्यालय गुड़ा माधाबतान (पंचायत समिति–तालेड़ा)
8. माध्यमिक विद्यालय, खठकड़ (पंचायत समिति–तालेड़ा)
9. माध्यमिक विद्यालय, जजावर (पंचायत समिति–नैनवा)
10. माध्यमिक विद्यालय, नमाना (पंचायत समिति–तालेड़ा)
11. माध्यमिक विद्यालय, मादुन्दा (पंचायत समिति–तालेड़ा)
12. माध्यमिक विद्यालय, तलवास (पंचायत समिति–नैनदा)
13. बालिका माध्यमिक विद्यालय, नैनवा (नगरपालिका क्षेत्र–नैनवां)

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय, रड़ी (पंचायत समिति–के. पाटन)
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथौराजपुरा (पंचायत समिति–के. पाटन)
3. उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौतरा का खेढ़ (पंचायत समिति–के. पाटन)

बिन्दु संख्या—2 की सूची

पाटन क्षेत्र में सत्र 1977-78 में खोले गये माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

(1) माध्यमिक विद्यालय

1. माध्यमिक विद्यालय अरनेठा (पंचायत समिति–के. पाटन)
2. माध्यमिक विद्यालय, घाट का बराणा (पंचायत समिति–के. पाटन)

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय, रड़ी (पंचायत समिति–के. पाटन)

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय, माधोराजपुरा (पंचायत समिति–के. पाटन)
3. उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौंतरा का खेड़ा (पंचायत समिति के.–पाटन)

बिन्दु संख्या–3 की सूची

केशोरायपाटन क्षेत्र में सत्र 1977–78 में क्रमोन्नत हुए माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

(1) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय, घाट का बराना से माध्यमिक विद्यालय, घाट का बराना।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय, अरनेठा से माध्यमिक विद्यालय, अरनेठा।

(2) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक

1. प्राथमिक विद्यालय, रड़ी से उच्च प्राथमिक विद्यालय, रड़ी।
2. प्राथमिक विद्यालय, माधोराजपुरा से उच्च प्राथमिक विद्यालय, माधोराजपुरा।
3. प्राथमिक विद्यालय, चौंतरा का खेड़ा से उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौंतरा का खेड़ा।

परिशिष्ट –12

तालिका 'अ'

विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. कचरा
कच्ची बस्ती के उन निवासियों की सूची जिन्हें न्यास द्वारा भूखंड आवंटन
किये गये हैं।

क्र. सं.	नाम एवं पिता/पति का नाम	भूखंड संख्या
1	2	3
1.	श्री कजोड़मल पुत्र श्री नृसिंह लाल	9
2.	श्री नारायण पुत्र श्री छोटू	31
3.	श्री प्रभातीलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल	28
4.	श्री सीताराम पुत्र श्री छाजूराम	27
5.	श्री राम सहाय पुत्र श्री नानगराम	29
6.	श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री घन्नीराम	10
7.	श्री मूलचंद पुत्र श्री सुखालाल	36
8.	श्री मोहनसिंह पुत्र श्री टेनीराम	37
9,	श्री रफीक अहमद पुत्र श्री अहमद हुसैन	24
10.	श्री मानसिंह पुत्र श्री कानसिंह	23
11.	श्री सूरजमल पुत्र श्री कजोड़मल	32
12.	श्री भीमसैन पुत्र श्री जहांगीराम	47
13.	श्रीमती रहीमन बेवा श्री सुलतान	91
14.	श्री जुम्मा पुत्र श्री अब्दुल्ला	44
15.	श्री नसीब खां पुत्र श्री मोहम्मद खां	85
16.	श्री महबूब पुत्र श्री कासिम	90
17.	श्री इब्राहीम पुत्र श्री नबीबख्श	86
18.	श्री शकूर खां पुत्र श्री मकबुदीन	92
19.	श्री नाथूलाल पुत्र श्री गोरीलाल	33
20.	श्रीमती जुम्मा बेवा मोहमद वसी	74
21,	श्रीमती जन्नन पत्नी श्री जहूर मोहम्मद	73
22.	श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मेवासिंह	48
23,	श्री अमरजीतसिंह पुत्र श्री किशनसिंह	49
24.	श्री करमसिंह पुत्र श्री बसन्तसिंह	50
25.	श्री बख्शीशसिंह पुत्र श्री रोडयासिंह	51
26.	श्री सीताराम पुत्र श्री मांगीलाल	52

1	2	3
27.	श्री दुर्गासिंह पुत्र श्री श्री बक्षसिंह	55
28.	श्रीमती बेगम पत्नि श्री कालू खां	72
29.	श्री अब्दुल शकूर पुत्र श्री रमजानी	71
30.	श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री मांगीलाल	54
31.	श्रीमती पांची बाई पत्नी श्री चान्दमल	69
32.	श्री भीमसिंह पुत्र श्री धन्नाराम	70
33.	श्री जालिमसिंह पुत्र श्री प्रभात	77
34	श्री ज्वालासिंह पुत्र श्री बग्गासिंह	63
35.	श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मौलाबख्श	68
36.	श्री गुलाम शब्बीर पुत्र श्री नूर मोहम्मद	67
37.	श्री त्रिलोकचंद पुत्र श्री कपूरचंद	64
38.	श्री गोवर्धनसिंह पुत्र श्री चंद्रसिंह	57
39.	श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री नानूराम	60
40.	श्री रामकिशोर पुत्र श्री गणेश	65
41.	श्री रामनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	42
42.	श्री गोपाल पुत्र श्री माधो	110
43.	श्री सूरज पुत्र श्री रामदेव	96
44.	श्री रामू पुत्र श्री हरदेव	108
45.	श्री पूरणचंद पुत्र श्री भागीरथ	93
46.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री भागीरथ	109
47.	श्री भजनसिंह पुत्र श्री करतारसिंह	59
48.	श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह	58
49.	श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री कमाल खां	106
50.	श्री भेरूंराम पुत्र श्री तेजाराम	105
51.	श्री मकसूद अली पुत्र श्री नियाज मोहम्मद	102
52.	श्री भगवान सहाय पुत्र श्री चिरंजीलाल	66
53.	श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री जमालुद्दीन	89
54.	श्री मोहम्मद हाशम पुत्र श्री जमालुदीन	87
55.	श्री किशनलाल पुत्र श्री मूलचंद	30
56.	श्री शरफुद्दीन पुत्र श्री अमीर बख्श	21
57.	श्री रामधन पुत्र श्री रामलाल	
58.	श्री कालूराम पुत्र श्री पेमाराम	111
59.	श्री सीताराम पुत्र श्री मूलचंद	53

1	2	3
60.	श्री चिरंजीलाल पुत्र श्री रामप्रसाद	41
61.	श्री करतारसिंह पुत्र श्री फुम्मणसिंह	62
62.	श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री मोहनलाल	94
63.	श्री गोपालसिंह पुत्र श्री कानसिंह	22
64.	श्री लुकमान पुत्र श्री अमीरबख्श	20
65.	श्री बहादुरसिंह पुत्र बुद्धसिंह	34
66.	श्रीमती दिजीत कौर पत्नी श्री अमीरसिंह	35
67.	श्री भूराराम पुत्र श्री गणेशनारायण	39
68.	श्री रामधन पुत्र श्री नारायण	40
69.	श्री गोपाल पुत्र श्री मांगू	45
70.	श्री यासीन पुत्र श्री सुब्हान	88
71.	श्री शंभूलाल पुत्र श्री लादूराम	95
72.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री बद्रीप्रसाद	78
73.	श्री शिवसिंह पुत्र श्री छगनसिंह	25
74.	श्री रूपसिंह पुत्र श्री छगनसिंह	25
75,	श्री किशन पुत्र श्री कानाराम	26
76.	श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री मूलचंद	56
77,	श्री मलसिंह पुत्र श्री बच्चनसिंह	61

परिशिष्ट–13

विधान सभा क्षेत्र–पिड़ावा (झालावाड़) में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची

1. पिड़ावा
2. कोटड़ी
3. करोनिया
4. हिम्मतगढ़
5. उन्हेल-सुनेल
6. दूबतिया
7. रायपुर
8. गादिया
9. कनवाड़ी
10. काली सलाई
11. भिलवाड़ी
12. जीपलिया
13. रामनिवास घाटोल
14. मयानिया
15. फतहगढ़

इसके अतिरिक्त, ग्राम पिड़ा में एक यूनानी औषधालय भी संचालित है।

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न 31 की सूची

प्रश्न संख्या दो की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल गांवों की संख्या जहां पानी खारा व पीने योग्य नहीं है।	26 जून, 1977 तक शेष गांवों की संख्या	1 जनवरी, 1979 तक शेष गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	753	727	716
2.	अलवर	1115	1072	1053
3.	बांसवाड़ा	1439	1116	1067
4.	बाड़मेर	768	562	517
5.	भरतपुर	1110	1093	1087
6.	भीलवाड़ा	1017	985	974
7.	बीकानेर	488	335	285
8.	बूंदी	299	294	280
9.	चित्तौड़गढ़	426	402	398
10.	चुरू	752	534	494
11.	डूंगरपुर	824	250	204
12.	गंगानगर	1579	1546	1536
13.	जयपुर	1187	1154	1130
14.	जैसलमेर	353	228	220
15.	जालौर	435	276	253
16.	झालावाड़	526	513	470
17.	झुन्झुनू	501	407	398
18.	जोधपुर	543	332	321
19.	कोटा	706	627	589

1	2	3	4	5
20.	नागौर	1118	797	775
21.	पाली	498	375	359
22.	सवाई माधोपुर	832	804	782
23.	सीकर	531	493	484
24.	सिरोही	277	238	229
25.	टौंक	459	454	448
26.	उदयपुर	2281	2124	2099
	योग	20817	17738	17168

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न 32 की सूची

प्रश्न सं. 1 की सूची

रोहट पंचायत समिति के भयंकर समस्या ग्रस्त गर्भ खारे पानी वाले ग्रामों की सूची मय विवरण

क. सं.	ग्राम का नाम	समस्याग्रस्त अथवा खारा	जनसंख्या	समस्या निवारण हेतु विवरण
1	2	3	4	5
1.	डिवांडी	खारा पानी	1045	
2.	साम्दरा	,,	314	
3.	बुकतडी	,,	209	
4.	खेडा खुर्द	,,	205	
5.	पंचमडिया	,,	731	
6.	मालावास	,,	1805	
7.	मूहिया	,,	482	
8.	खांडी	,,	789	धोलेरिया रोहट योजना से
9.	ग्रामार्क नरवा	,,	1279	धोलेरिया रोहट योजना से
10.	नेहरा	,,	249	
11.	धोलेरिया नागौर	,,	408	,,
12.	वीन्रा	,,	766	
13.	सिराना	,,	651	
14,	मरबाडा	,,	265	
15.	बहे लाब	,,	720	जवाई हेमावास नहर योजना से
16.	कमला कशा	,,	716	
17.	रोहट	,,	2459	
18.	छोटिला	,,	1331	धोलेरिया रोहट योजना से
19,	खारडा	,,	1198	जवाई हेमावास नहर योजना से
20.	अटिया	,,	688	,,
21,	मशली दनिया	,,	804	,,
22.	माकरी बाला गांव	,,	1000	
23.	माहपुरिया	,,	1336	खेलीय योजना भांकरीवाला से
24.	मांमासर	,,	841	
25.	मिम्बारा	,,	460	जवाई हेमावास नहर योजना से

1	2	3	4	5
26.	राना	,,	1422	
27.	भिकार	,,	270	
		समस्याग्रस्त ग्राम		
28.	मेलावास	,,	742	
29.	खुरानी	,,	971	
30.	फेकारिया	,,	376	
31.	हीरायास	,,	9	
32.	डूंगरपुरा	,,	656	धोलेरिया रोहट से
33.	सामजी	,,	347	
34.	धोलेरिया सालेन	,,	518	
35.	जेतपुरा	,,	1373	जवाई हेमावास योजना से
36.	सेन्डा	,,	1343	
37.	पट्टी	,,	578	
38.	मयाद	,,	987	
39.	सन्दरा	,,	416	
40.	पुंयती	,,	297	धोलेरिया रोहट योजना से
41.	रूडली	,,	604	धोलेरिया रोहेट योजना से
42.	निम्बली पटेलांव	,,	480	
43.	तालायी	,,	893	
44.	अरन	,,	395	
45.	सामला खुर्द	,,	691	
46.	भूरयासनी	,,	368	
47.	कलासी	,,	793	
48.	तिनारा	,,	629	
49.	मुंगता	,,	338	
50.	यामावासनी	,,	241	
51.	धर्म दुवारी	,,	1212	जवाई हेमावास नहर से
52.	हासर कला	,,	1212	
53.	जीतरा	,,	1680	

पिछले दो वर्षों में स्वीकृत गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या	स्वीकृत वर्ग	योजना का नाम
1.	माहपुरिया	1336	1978–79	मायरी वाला पार्ट–3
2.	मगासर	841	,,	,,

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न 33 की सूची)

क्रम सं०	माह	क्षतिग्रस्त वाहनों की सं०	आगार का नाम	क्षतिग्रस्त होने का कारण तथा अनुमानित क्षति राशि	निगम द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नवम्बर व दिसम्बर, 78	4	हनुमानगढ़	छात्र आन्दोलन के कारण 7000/–रु०	सम्बन्धित पुलिस थानें में रिपोर्ट दर्ज करायी गई।	
2.	जनवरी एवं फरवरी, 79	6	झुन्झुनु	छात्र आन्दोलन के कारण 5507/–रु० टायर ट्यूब खराब किये गये व शीशे तथा शटर तोड़े गये व सीटें फाड़ी गई।	छात्र आन्दोलन के कारण पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी जा सकी।	4 वाहनें श्रीमाधोपुर व चौमू में तथा 2 वाहनें सीकर में क्षति ग्रस्त की गई।
3.	जनवरी, 79	5	सीकर	छात्र आन्दोलन के कारण 6430/–रु० टायर ट्यूब खराब किये गये व शीशे तथा शटर तोड़े गये व सीटें फाड़ी गई।	सम्बन्धित पुलिस थानें में रिपोर्ट दर्ज करायी गई।	सीकर के श्रीकल्याण कालेज के छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई।

1	2	3	4	5	6	7
4.	अप्रैल, 78	4	खेतड़ी	आई०टी०आई० छात्रों द्वारा 1200/–रु०	सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गई।	कार्यशाला में घुसकर वाहनें क्षतिग्रस्त की गई।
5.	—	6	कोटपूतली	स्थानीय छात्रों के साथ झगड़े के दौरान 5 वाहनें क्षतिग्रस्त हुई व 1 वाहन सीकर में छात्रों द्वारा जनवरी 79 में क्षतिग्रस्त की गई जिसकी क्षति राशि 832/–रु० है।	,, ,,	5 वाहनों की क्षति राशि नहीं दर्शायी गई।
6.	जून, 78 व फरवरी, 79	2	द्रुतगामी आगार	जयपुर–दिल्ली मार्ग पर छात्रों द्वारा तथा अलवर में छात्रों द्वारा क्षति ग्रस्त की गई। रु० 6400/–	,, ,,	—
7.	अक्टूबर,	8	झालावाड़	स्थानीय विद्यार्थियों द्वारा सी०बी०एस० एवं कार्यशाला में खड़ी वाहनों को क्षति पहुचायी गई। Rs. 21,099.45	,, ,,	—

1	2	3	4	5	6	7
8.	नवम्बर, 77	5	कोटा	बारां में छात्रों द्वारा कन्सेशन के मामले पर क्षति पहुंचायी गई। 13,476/–रु०	सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गई।	—
9.	जनवरी, फरवरी जून तथा अगस्त, 78	7	नगर वाहन सेवा	छात्रों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचायी गई। रु० 9000/–	,, ,,	4 वाहनें छात्रों व असामाजिक तत्वों द्वारा चालक/परिचालक के साथ झगड़े के कारण निरस्त रही जिसकी वजह से निगम को आय में हानि हुई।
10.	फरवरी, 79	3	धौलपुर	छात्रों द्वारा शीशे तोड़े गये। 3000/–रु०	,, ,,	—
11.	मार्च, 78	8	अलवर	छात्रों द्वारा शीशे तोड़े गये। 7000/–रु०	,, ,,	—
12.	अप्रैल, सित० 77 जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सित., अक्टूबर, 78	15	भरतपुर	भरतपुर, डीग, बयाना, नगर तथा वैर में स्थानीय छात्रों व असामजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त। 6253/रु०	,, ,,	—

1	2	3	4	5	6	7
13.	अगस्त, 77 से फरवरी, 79 तक	15	हिन्डौन	विभिन्न मार्गों पर छात्रों व असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त । 1650/–रु०	सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गई ।	दिनांक 20–9–78 से 10–10–78 तक खेडली मार्ग पर झगड़े के कारण संचालन बन्द रहा जिससे निगम को 2000/– प्रतिदिन आय की हानि हुई ।
14.	दिसम्बर, 78 व जनवरी, 79	16 2 3	श्रीगंगानगर बीकानेर सरदारशहर	विभिन्न मार्गों पर छात्रों व असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त । 10,000/–रु०	,, ,,	—
15.	नवम्बर, 78	1	जोधपुर सम्भाग	छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त रु० 4000/–	,, ,,	जोधपुर सम्भाग के समस्त आगारों की सूचना सम्मिलित है
16.	जनवरी, 79	1	,, ,,	ग्राम वासियों द्वारा भावी के पास क्षतिग्रस्त । रु० 800/–	,, ,,	
17.		1	अजमेर	आगरा में उपद्रवों के दौरान जली 20,000/– रु०	,, ,,	असामाजिक तत्वों
18.	दिसम्बर, 78	1	नागौर	छात्रों द्वारा 1555/–रु०	,, ,,	—

परिश्टि 17

अतारांकित 36 की सूची

(No. J. 111012/31770)

Department of Agriculture

WILDLINE SECTION

REVISED LIGHT OF SCHEDULES TO THE WILD LIFE PROTECTON ACT CONSEQUENT ON AMENDMENT TO THE SCHEDULES NOTIFIED ON

Scptember 3rd 1977 and October 5th 1977.

SCHEDULE-I

(See Sections 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 and 62)

MAMALS

1. Andaman wild pig (Sus scrofa and-amaneneis)
1 (A) Bintuerong (Artictis binturong)
2. Black Buck (Antelope cervicapra)
2 (A) Blue Whale (Balaenoptera musculus)
3. Brow antlered deer or Thamin (Cervus eldi)
3 (A) Capped Langur (Presbytis pileatus)
4. Caracal (Felis Caracal)
5. Cheetha (Acinonyx jubatus)
5 (B) Chinkara or Indian Gazzels (Gazzella gazella beneiti)
6. Clouded Leopard (Neofelies nebulosa)
6 (A) Desert Cat (Felis libycan)
7. Duguong (Dugung dugon)
8. Fishing cat (Felis vivrrains)
8 (A) Four Horned Antelope (Tetraceros quadricornis)
8 (B) (Gangetic) Dolphin (Plantanista gangetica, Dolphinus delphis)

(C) Flying Squirrels (all species of the genus by lopetes, Petaurista, Felomys and Eupetaurus)

9. Golden cat (Félis temmineki)

10. Golden Langur (Presbytis geei)

10 (A) Himalyan thar (Hemitragus jemlahicus)

11. Hispidhare (Caprolagues hispidus)

12. Hoolock (Hylobates hoolock)

12 (A) Humpbacked whale (Megaptera nevaeangliae)

12 (B) Indian Elephant (Elephas maximus)

13. Indian Loin (Panthera leo porsica)

14. Indian Wild Ass (Equus hemionus khur)

15. Indian Wolf (Cahislupas pallipes)

16. Kashmir stag (Cervus elaphus banglu)

16 (A) Leopard or Panthar (Panthera pardus)

17. Leopard cat (Felis bengalensis)

18. Lesser or Red Pandu (Ailurus fulgens)

19. Lion tailed macaque (Macaca silenus)

20. Loris (Loris tardigradus)

21. Lynx (Felix lynx isabellinus)

22. Malabar Civet (Viverra megaspila)

23. Marbld Cat (Felis mormorata)

24. Markhor (Capara felconeria)

24 (A) Mouse Deer (Tragulus mominna)

25. Musk Deer (Moschus moschiferus)

25 (A) Nilgiri that (Hemitragus hylocrius)

26. Ovis Ammon or Hyan (Ovis ammon hodgaoni)

27. Pallasts Cat (Felis manul)

28. Pangolion (Manis crassicaudata)

29. Pygmy hog (Sus salvanius)

30. Rhinoceros (Rhinoceros unicornis)

31. Rusty Spotted Cat Felis rubiginosa)
31 (A) Seros (Capricornis sumatraensis)
31 (B) Sloth Bear (Melursus ursinus)
32. Slow Loris (Nycticebus Covcang)
33. Show Leopard (Panthara uncia)
34. Spotted Linsang (Prionodon pardicolor)
35. Swamp Deer (All sub species of Cervus duvauceli)
36. Takin or Mishmi Takin (Budercas taxicolor)
36 (A) Tibetan Antelope or Chiru (Panthelops hodgsoni)
37. Tibetan Gazelle (Procapra picticaudata)
38. Tibetan wild Ass (Equus hemionus kiang)
39. Tiger (Panthera tigris)
40. Urial or Shapu (Ovis vignei)
41. Wild Buffalo (Bubalus bubalis)
42. Wild Yak (Bos grunniens)

PART-II

AMPHIBIANS AND REPTTIES

1. Agra Monitor Lizard (Varanus griseus Dasudin)
1 (A) Atlantic rid ley turtle or Kemps ridely turtles (Lepidochelys kempil)
1 (B) Barred, Oval or Yellow Monitor lizard (Varanus flavesc)
1 (C) Crocodiles (Inculuding the Estuarine or salt Water crocodilus) (Corocodilus propsus and Crocodilus palustri)
2. Gharial (Gavialis gangeticus)
3. Ganges fort shalled turtle (Trionys gangeticus)
4. Green Sea Turtle (Chelonia mydas)
5. Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata inlseata)
6. Himalayan Newt or Salamandar (Tyletoriton verrueosus)
7. Indian Egg Eating Snake (Elachistodon wastermanni)
8. Indian tent turtle (Kachuga tecta tecta)
9. Indian soft shelled turtle (Lissemys punctata punctata)
10. Large Bengal Monitor Lizard (Baranus bengalensis)

11. Leathery Turtle (Derom chelys coriacea)
12. Logger Head Turtle (Caretta carcetta)
13. Olive Back Logger Head Turtle (Lopidochelys olivacea)
14. Peacock marked soft shelled turtle (Trionys hurun)
14 (A) Pythons (Genus Python)
15. Three keeled turtle (Geoemyda tricarinata)
16. Tortoise (Testudinidae, Trionychidae)
17. Viviparous tonds (Nectophyrynoides spp.)
17 (A) Water Lizard (Varanus salvator)

PART-III

BIRDS

1. Andaman Teal (Anas gibberifrons albogularis)
1 (A) Assam bamboo partridge (Embusicola fytechii)
1 (B) Bazas (Aviceda jeordone and Aviceda leuphotes)
1 (C) Bengal florican (Bupodotis bengaliensis)
1 (D) Black necked crane (Crus nigriocollis)
1 (F) Blood pheasants (Ithaginis cruentus tibetanus, Ithaginis crneuthus kuseri)
1 (F) Brown headed gull (Larus brunnicephalus)
2. Cheer pheasant (Catreus wallichii)
2 (A) Comb duck (Sarkidiornis melanotos)
2 (B) Forest spotted owlet (Athene blewitti)
3. Great Indian Bustard (Choriotis nigricens)
4. Great Indian Hornbill (Buceros bicornis)
4 (A) Hooded crane (Grus monacha)
4 (B) Hornbills (Ptilolaemus tickelli austeni, Aceros nipalensis, Bhyticeros undulatus ticohurati)
4 (C) Houbara busterd (Chalamydotis undulata)
4 (D) Homes bar backed Pheasant (Syrmaticus humiae)
4 (E) Indian Pied Hornbill (Anthracoceros malabaricus)
5. Jerdons Courser (Cursorious bitorquatus)
6. Lammergeier (Ghypaetus barbatus)
7. Large Falcons (Falcons peregrinus, Falco biarmicus and Falco chicqera)

7 (A) Large Whistling Teal (Anatidae)
7 (B) Monal Pheasants (Lophophorus impeyanus, L. Selateri)
8. Mountain Quali (Ophrysis superciliosa)
9. Narcondom Hornbil (Rhyticeros (Undulatus) Narcondami)
10. Nicobar Megapode (Megapodius freycinet)
10 (A) Nicobar pigeon (Saloonas nicobarica pelewansis)
10 (B) peacock pheasant (Polyplectron bicalcaratum)
11. Peafowl (Lavo cristatus)
12. Pinkheaded duck (Rhodonessa Caryophyllacca)
13. Sclaters Monal (Lophophorus sclateri)
14. Siberian White crane (Crus leucogeranus)
14 (A) Spur fowl (Gallaperdix spp.)
14 (B) Tibetan snow cock (Tetraogallus tibetanus)
15. Tragopan Pheasants (Tragopan melanocephalus, Tragopan blythii, Tragopan satyra, Tragopan temmincki)
16. Whitebellied Sea Eagle (Haliaetus leucogaster)
17. White-cared Pheasant (Crossopilon Crossoptilon)
17 (A) White spoonbill (Platalea leucorodia)
18. White-winged wood Duck (Cairina scutulata)

PART-IV

CRUSTACSA AND INSECTS

1. Coconut or Robber Crab (Bigrus latro)